राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 20 वां दिवस [संख्या 14

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री मोहनलाल छंगाणी ।

आदर्श विद्या मन्दिर जयपुर के विरुद्ध शिकायतें

316. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल वाजार, जयपुर) व **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर, आदर्श नगर जयपुर केन्द्र पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1971 की सैकेण्डरी परीक्षाओं में कुछ फर्जी बिल बना कर रुपया बोर्ड से लेने की कोई शिकायत प्रधानाचार्य (केन्द्राधीक्षक) श्री खेमचन्द शर्मा के विरुद्ध शिक्षा मत्रालय व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में कुल 485 रु. 75 पैसे फर्जी ड्यूटीज और बिलों के विद्यालय के डिपॉजिट रजिस्टर, जो काले धन की कैश बुक है और ऑडिट नहीं होती, में जमा किए गए ?

(3) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इन शिकायतों पर कोई जांच की ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री मेघराज भाटिया नामक एक अध्यापक की फर्जी ड्यूटीज के पारिश्रमिक 32) रु. पर श्री खेमचन्द शर्मा ने श्री मेघराज भाटिया के ही जाली हस्ताक्षर कर दिए ?

(5) श्री खेमचन्द शर्मा (केन्द्राधीक्षक) प्रधानाचार्य आदर्श विद्या मन्दिर के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) :(1) जी हां ।

(2, 3 व 4) इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ।

(5) जांच के पश्चात् ही उचित कार्यवाही सम्भव होगी ।

Page No 2

(2)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जांच के लिए आवेदन उनको मिले वह कब कब मिले और कौन कौन से मिले ?

श्री चन्दनमल बैद : आवेदन मेरे पास मौजूद हैं। उनकी तारीख देखने में समय लगेगा। आपने ही आवेदन दिए थे और उसके बाद ही मैंने इस बात के आदेश दिए कि इसकी जांच की जाय। उदयपुर के ज्वाइन्ट डाइरेक्टर से इस बात की जांच करायी और जांच की रिपोर्ट मेरे पास 5 तारीख को पेश हुई और 6 तारीख को ही एजूकेशन कमिश्नर, स्टेट एजूकेशन मिनिस्टर और मैं स्वयम्, तीनों ने बैठ कर रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। उससे मालूम हुआ कि जांच के दौरान कागजात उस संस्था को पेश करने चाहिए थे वह यह कह कर पेश नहीं किए कि ये कागजात चोरी चले गए हैं। हमने यही निर्णय लिया कि जब तक वे कागजात हमारे सामने पेश न हो जायं, सारी स्थिति हमारे सामने न आ जाय तब तक के लिए उस संस्था की एड हम बन्द कर दें तथा सी. आई. डी. को यह सारा केस सौंप दें जिससे यह पता लग सके कि उनका यह कथन है कि उनके पास जो रिकार्ड था वह चोरी चला गया या सचमुच में वे इसको छिपाना चाहते हैं क्या बात सच है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक तो यह है कि रिकार्ड चोरी चला गया जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने कहा तो क्या उस संस्था के प्रबन्धकों ने रिकार्ड की चोरी के लिए कभी [illegible] करायी ? नम्बर दो।

श्री चन्दनमल बैद : आप एक एक प्रश्न पूछिए। फिर मैं भूल जाऊंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप नोट करलें।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह नहीं कहा है कि मैंने उनकी इस बात को मान लिया है। यदि मान लिया होता कि चोरी चला गया है तो जो कार्यवाही करने की बात है वह नहीं होती। मैंने उसको नहीं माना है कि रिकार्ड चोरी चला गया है। मैंने आदेश दिये हैं कि सी. आई. डी से जांच की जाय कि उनका रिकार्ड चोरी चला गया है या नहीं। इसकी जांच हो जाय और जब तक जांच नहीं हो जाय तब तक जो एड दे रहे हैं वह बन्द कर दी जाय।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या पुलिस में रिकार्ड चोरी चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? क्या मन्त्री महोदय के यह नोटिस में है ?

श्री चन्दनमल बैद : गृह मन्त्री से पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि जो मैंने आवेदन दिया उसके बाद जांच आरम्भ हुई। क्या 71 में कभी जांच की गयी ? दूसरा, 72 में भी कई आवेदन सीधे शिक्षा सचिव को दिये गये, जिसके देने वाले विशनसिंह शेखावत थे, उसके बाद प्रेमनारायण ने भी आवेदन दिया, उनकी जांच हुई ? चीफ मिनिस्टर को आवेदन मिला जिसको उन्होंने एन्टी करप्शन को भेजा।

Page No 3

(3)

श्री चन्दनमल बैद : 71 में इस संस्था को एड बन्द की गयी थी शिक्षा मन्त्री के आदेश से। 72 या 71 के आस पास, ठीक डेट मुझे याद नहीं, शिक्षा मन्त्री के आदेश से वापिस शुरू कर दी गयी और फिर शिक्षा मन्त्री के आदेश से ही कल फिर एड बन्द करायी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं एक बात जानना चाहता था जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि 71 में ग्रान्ट इन एड बन्द हुई थी और जिन कारणों से बन्द हुई उसके लिये प्रश्न पूछा है। 71 से जांच की कार्यवाही जारी है। 12 विधायकों ने मांग की और स्मरण-पत्र दिये तब जांच की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। ग्रान्ट इन एड बन्द करते हैं और खोल देते हैं इससे संस्था और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का अहित होता है। जो मैनेजमेन्ट यह गड़बड़ी करता है ग्रान्ट इन एड में जिस मैनेजमेन्ट का गठन हुआ उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? सरकार लाखों रुपया उस संस्था को देती है उसका उपयोग नहीं होता है, संस्था उस सारे रुपयों का दुरुपयोग करती है और उसके बारे में आपको संतुष्ट नहीं करती है.......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, सवाल पूछिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सवाल ही पूछ रहा हूं। क्या सरकार इस का मैनेजमेन्ट ग्रान्ट इन एड रूल्स, 73 के अन्तर्गत हाथ में लेने का सोचती है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैनेजमेन्ट को हाथ में लेने से पहले शो काज नोटिस देना जरूरी है। हम गम्भीरता से सोच रहे हैं एड बन्द करने के बाद मैनेजमेन्ट को हाथ में लेने के लिये शो काज नोटिस दिया जाय या नहीं ? इस पर निर्णय नहीं लिया है, गम्भीरतापूर्वक सोचा जा रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि पहिले शिक्षा मन्त्री ने एड बन्द कर दी और फिर चालू हुई और आपके आदेश से फिर बन्द हो गयी। यह ऐसी संस्था है जो आर. एस. एस. को चलाने वाली है, यह माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट हो जाय। मैनेजमेन्ट कमेटी, जिसका चुनाव नहीं हुआ है, उसको तो हाथ में लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैनेजमेन्ट का चुनाव नहीं हुआ ...

श्री अध्यक्ष : No speech please.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सी. आई. डी. द्वारा जांच करने के बाद आप कार्यवाही करेंगे.......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं सवाल पूछिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पहले भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं। कह दिया कि चोरी चला गया। प्रशासन सही रिपोर्ट नहीं दे सकता और अधिकारी भी इस पोजिशन में नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदर्श विद्या मन्दिर को आप हाथ में लें और कमेटी मुकर्रर करें तब सही जांच हो सकेगी अन्यथा मुश्किल है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य ने जिस रूल का हवाला दिया उस रूल के तहत शो काज नोटिस दने जा रहे हैं। वह चाहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि शो काज नोटिस कब देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : उस पर गम्भीरता से विचार किया जावेगा। माननीय सदस्य यह कहें कि अभी का अभी शो काज नोटिस दे दीजिये यह संभव नहीं है। गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : गम्भीरतापूर्वक कब तक विचार करेंगे ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कोई संस्था, जिसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि जांच की जा रही है, जांच करके रिपोर्ट आती है उसको सदन के अन्दर पेश किया जाय, जो अपराधी हैं उनको दण्डित किया जाय—इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। यह बात कहना कि साम्प्रदायिक दंगे कराना चाहती है, आर. एस. एस. चलाती है मैं माननीय सदस्य से पूछूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैनेजमेन्ट बोर्ड देखिये उसमें सारे के सारे ये ही लोग हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या लकवा मार गया है सरकार को कि वह उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारी सरकार गिरफतार करेगी, अवश्य करेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अरे, केवल ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करके सदन की टेबल पर न रख कर किसी को गुमराह करने की कोशिश न की जाय। दंगे कौन कराता है, कौन नहीं कराता है, यह तो आज सरकार के रिकार्ड ही साफ तौर पर बता रहे हैं। दंगे आप कराते हैं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

बैठ जाइये आप। साम्प्रदायिक लोग आप स्वयं हैं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं अगला सवाल ले लूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा मूल प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : इस आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में काफी सदस्यों ने भी लिखकर सरकार को दिया है। यह आर. एस. एस. के लोगों का अड्डा है। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जांच रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद भी सरकार इस पर विचार नहीं करना चाहती। मैं कहता हूँ कि इस विभाग के उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस संस्था को सरकार डेढ़ लाख रुपया का अनुदान देती है। इससे आर. एस. एस. के शिक्षक बनकर सारे राजस्थान में प्रचार किया जाता है। और यह राज्य सरकार सो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर आप प्रश्न करके ही राजी होना चाहते हैं तो प्रश्न ही पूछ लीजिये। मैं इस बात को बता चुका हूं कि कल ही हमने इस संस्था को एड को रोक दिया है। कल ही हमने इस बात का निर्णय किया है कि सी. आई. डी. से इसको सारी जांच करवाई जाय। अगर माननीय सदस्य ने इसको अच्छी तरह से नहीं सुना तो मेरा इसमें दोष नहीं है।

12 सदस्यों ने जो लिखकर दिया मैं समझता हूं कि इसमें दो तीन महीने से ज्यादा का समय नहीं हुआ, और इस छोटे से पीरियड में जांच करवाकर उस पर कार्यवाही कर लेना यह सजगता का ही द्योतक है। नहीं तो सजगता किस चिड़िया का नाम है, मुझे तो मालूम नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : दूसरा घोटाला यहां हुआ है इनविजिलेटर्स का। इसके एक बिल नम्बर 458 की फोटो कापी में सदन में पेश करता हूं इसकी भी जांच की जावे।

इनविजिलेटर्स के दो बिल बनते हैं। रेगुलरली इसमें धपला करते हैं। पहला बिल जब जाता है सैकेण्डरी स्कूल का तो पूरा का पूरा बिल बनाकर एस्टीमेट भेजते हैं। दो हजार, ढाई हजार का भेजते हैं तो दूसरा बिल डिस्ट्रीब्यूशन करके भेजते हैं। जैन टेन्ट हाउस का एक बिल 226 का बना और उसके पेटे 138) रुपये का ही पेमेन्ट किया। हेमचन्द्र शर्मा जो स्वयं इन्चार्ज है, उसने अपने हाथ से यह पेमेन्ट किया है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

दूसरा प्रश्न है मूलचन्द का वह ड्यूटी पर ही नहीं था। तो इस तरह से निरन्तर होने वाले घोटालों की आपने क्या जांच की ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनका नाम रजिस्टर में तो है, पर उस नाम का व्यक्ति उस स्कूल में ही नहीं है। इस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने निवेदन किया कि उन्होंने हमें अपने सारे रिकार्ड नहीं बताये। उन रिकार्डों के लिये कहते हैं कि वे चोरी चले गये। कुछ रिकार्ड पेश किया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो रिकार्ड पेश किया गया है सी. आई. डी. के मार्फत उसकी जांच करने में पूरा पूरा उपयोग उसका किया जावेगा। और जो अनियमितताएं हुई हैं उनके लिये पूरी सजा दी जावेगी।

Page No 6

(6)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : जो रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उनमें जो घोटाले होंगे उनका भी पता लगाना जरूरी है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा कि और रिकार्ड प्राप्त करने की कोशिश की जावेगी, और जो रिकार्ड उपलब्ध हैं उसका पूरा उपयोग किया जावेगा।

श्री मनोहरलाल (कामां) : रामगोपाल ने 15 हजार का गबन किया है। उसके खिलाफ भी जांच कराने का आश्वासन दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनविजिलेशन की जो बात कही गई है उसका जो सिस्टम है उसके अनुसार उसके बिल बोर्ड में भी जाते हैं। उसकी ओरिजिनल कापी बोर्ड में गई होगी। तो शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी बिल बोर्ड से उपलब्ध कराकर सदन में रखे जावें। उससे ही स्पष्ट हो सकती है सारी स्थिति।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नम्बर दो के रजिस्टर खुले हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृतलाल गहलोत।

(श्री श्रीराम गोटेवाला के बोलने पर)

I will not allow any supplementary now.

श्री मनोहरलाल : ये सप्लीमेन्टरी थोड़े ही थे। ये तो इनके मन की भंडास थी।

जोधपुर में भू-खण्डों के आवंटन के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

317. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर के पास भूमिहीन एवं मकानहीन जनता के मकान बनाने के लिये भूखण्ड प्राप्त करने के आवेदन पत्र कितनी संख्या में कितने वर्गों में और कितने समय से पड़े हुए हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) एक जुलाई, 1972 से अब तक कितने भूखण्डों का उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों में अलग अलग आवंटन किया गया ?

(3) उपरोक्त आवेदकों को कब तक भूखण्ड आवंटित कर दिए जायेंगे ?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) :(1) सन् 1965 से जनवरी, 1973 तक आवास हेतु भू-खण्ड प्राप्ति के 8577 आवेदन-पत्र पड़े हुए हैं। इन प्रार्थना पत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

1	100) प्रति माह तक आय वालों के	2320
2.	101 से 250 रुपया तक आय वालों के	2560
3.	251 से 400 तक आय वालों के	907
4.	राजस्थान सरकार के कर्मचारी, जिनकी मासिक आय 400 रुपये से अधिक और 1 हजार से कम है	112
5.	सैनिकों के प्रार्थना-पत्र	1662
6.	अनुसूचित जाति और जनजाति	1016
	कुल योग :	8577

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) एक जुलाई, 1972 से अब तक 69 व्यक्तियों को रहवास के भू-खण्ड आवंटित किये गये। ये व्यक्ति निम्न श्रेणी के हैं:

(क)	आय वर्ग 101 से 251 मासिक	22
(ख)	आय वर्ग 251 से 400 मासिक	12
(ग)	आय वर्ग 401 से 1 हजार रुपया मासिक	1
(घ)	सैनिक	34
	कुल....	69

(3) निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री अमृतलाल गहलोत : सूची मांगी थी, वह सूची देने का कष्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा : सूची के बारे में निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार के 65 में इस प्रकार के आदेश थे कि भविष्य में जो प्लाट दिये जावें वे लाटरी से आवंटित किये जावें और कुछ अनुपात में प्रत्येक स्कीम के लिये अलग से नीलाम के लिये भी प्लाट रक्खे जावें। इस प्रक्रिया को उसने फॉलो नहीं किया है। अगर कर देते तो पूर्व में जितने भी आवेदकों के आवेदन-पत्र थे वे सभी दाखिल दफ्तर हो जाते। और इसलिये अब यू. आई. टी., जोधपुर को आदेश दे रहा हूँ कि राज्य सरकार की आज्ञा की अनुपालना में जितने पुराने आवेदन पत्र आये हुये हैं वे दफ्तर दाखिल किये जायं। मैं माननीय सदस्य को सूची देता लेकिन मैं समझता हूं यह फिजूल खर्चा होता। इसलिये सूची देना उचित नहीं समझा और यह जरूरी भी नहीं है कि माननीय सदस्य सूची मांगें तो दी ही जाय। 8577 व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आये हुये हैं। जोधपुर में कई योजनायें बनेंगी। प्रत्येक योजना के अन्दर अलाटमेंट बाई लाटरी और ऑक्शन का क्या अनुपात होगा और प्लाटों की संख्या को देखते हुये यू. आई. टी. आवेदन पत्र आमन्त्रित करेगी इसलिये पुराने आवेदन पत्रों से माननीय सदस्य किसी तरह का उपयोग नहीं कर सकते।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं निवेदन करूं, सूची मत दीजिये। पिछले 9 महीने में आपने 8577 आवेदन पत्रों में से केवल 69 को प्लाट दिये हैं। अगर तीन हजार परिवार प्रति वर्ष बढ़ते हैं तो आप उनको इस हिसाब से प्लाट नहीं दे रहे हो। मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत समस्या है उसको ही आप हल नहीं कर पा रहे हो। मेरा निवेदन है इस रफ्तार से आप उनको कब तक प्लाट दे देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : यह माननीय सदस्य के सप्लीमेन्ट्री का उत्तर प्रश्न तीन में दे चुका हूं। तो भी राज्य सरकार के पास यू. आई. टी., जोधपुर की रातानाड़ा सर्किट हाउस के पास की स्कीम और पावटा रोड पर रेलवे लाइन के बीच की योजना है, जिसकी विज्ञप्ति अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा 32 के तहत पिछले दो-तीन में दिन में जारी कर दी गई है। दूसरी सर्किट हाउस से रातानाड़ा क्रासिंग, गणेश जी के मन्दिर की जमीन, जिसको

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य भी जानते हैं–काफी जमीन पड़ी हुई है वह भी अण्डर एग्जामिनेशन है। मैं समझता हूं ये बड़ी बड़ी योजनायें स्वीकृत होने के बाद और जमीन के एक्वीजिशन के बाद, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं एक्वीजिशन में कितना समय लग सकता है, इसलिये निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती है लेकिन इन तीन योजनाओं के बाद जोधपुर में भू-खण्डों की समस्या समाप्त हो जायगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय मन्त्री महोदय ने यह फर्माया कि 8577 एप्लीकेशन थी जिनमें 69 को प्लाट अलाट करके बाकी के दफ्तर दाखिल के आदेश दिये हैं और मेरे प्रश्न के उत्तर में भी जयपुर के बारे में कहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा, सन् 57 से लोग परेशान हो कर बैठे हैं। तीन तीन बार फार्म भर कर दे दिये और आज 10-12 वर्ष बाद उनको क्या मिला। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं उनकी सारी एप्लीकेशन्स दफ्तर दाखिल कर दीं और जनवरी, 72 में जो यू. आई. टी. के गैर सरकारी चेयरमैन थे, उनको भंग कर दिया?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, सवाल ही पूछा करें।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है साल भर में 69 भू-खण्ड देकर ····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, हर सप्लीमेन्ट्री पांच मिनिट····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या, अध्यक्ष महोदय, साल भर में 69 प्लॉट 8577 एप्लीकेसन्श में से दिये गये हैं? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आई. ए. एस. अफसरों की यह कसौटी है?

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया 69 प्लॉट अलग अलग लोगों को दिये। इसमें आपने यह भी बताया कि हजारों दर्ख्वास्तें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने दी हैं और इन 69 में से एक भी प्लॉट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि हर बस्ती में....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका प्रश्न नहीं है।

श्री रावतराम : 15 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्लॉट दिये जायेंगे। क्या कारण है, एक भी प्लॉट नहीं दिया गया?

श्री परसराम मदेरणा : लो इन्कम ग्रुप में जो प्लॉट अलॉट किये गये हैं उनमें हरिजन है या नहीं, यह मेरे पास अभी तो सूचना नहीं है लेकिन····

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह हर बार होता है।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर के हरिजनों को कितने प्लाट दिये गये, यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री रावतराम : साढ़े तीन हजार एप्लीकेशन्स शिड्यूल्ड कास्ट्स की थीं उनमें से एक को भी नहीं दिया। 69 जो प्लॉट दिये हैं उनमें 15 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स को हर कॉलोनी में दिये जायं, यह आपकी घोषणा है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जोधपुर के बारे में हरिजनों को कितने प्लाट अलाट किये हैं, मेरे ख्याल से अलग से पूछा है और उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। आज तो है नहीं। एक जुलाई, 72 के बाद 69 लोगों को प्लाट अलाट किये गये हैं। इनमें कोई हरिजन है या नहीं, यह अभी मुझे मालूम नहीं है। निम्न आय वालों के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जोधपुर में ही एप्लीकेशन्स दफ्तर दाखिल की हों यह बात नहीं है। जयपुर का जो प्रश्न है, मैं पिछले बजट सैशन में उत्तर दे चुका हूं। जो दर्ख्वास्तें प्रॉयरिटी बेसिस पर पड़ी हैं वह····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यही जानना चाहता था उन्होंने क्या अपराध किया है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न पूछे ही नहीं····

एक निवेदन है····

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सी. एम. कुछ बोलना चाहते हैं····

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय कुछ बोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : नेता महोदय फर्माना चाहते हैं····

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल के बारे में कुछ क्लियर करना चाहता हूं। जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर की चिन्ता की, उसका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद। राजस्थान का ब्राड व्यू ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं वे आगे भी लेते रहेंगे। जहां तक जयपुर की यू. आई. टी. का सवाल है, मैं समझता हूं जयपुर के अन्दर सबसे पहले आपने शोर मचाया था कि यहां पब्लिक मेन नहीं रहना चाहिये और सबसे पहले बधाई आपने दी थी कि आई. ए. एस. अफसर नियुक्त करके आपने अच्छा काम कराया है. इन दोनो चीजों को देखते हुये मेरी समझ में नहीं आता है। जहां तक हरिजन भाइयों का सम्बन्ध है, हम हर यू. आई. टी. को कह रहे हैं, इन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं और उन्होंने नहीं माना तो उनके चेयरमेन को रिमूव करके कार्यवाही करेंगे और गवर्नमेन्ट के आदेशों की अनुपालना जरूर करवायेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : No supplementary now.

Page No 10

(10)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सप्लीमेन्ट्री नहीं है। मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं। जोधपुर में किया गया उसी प्रकार जयपुर में लोगों की 57 से एप्लीकेशन्स दी हुई हैं........

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे चुके है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय। जो मुझे शिकायत है मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की उन्होंने इतनी तकलीफ पाई और 5 से लेकर अब तक प्रतीक्षा करते रहे और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने आदेश फर्मा दिया कि सारी एप्लीकेशन्स दफ्तर दाखिल कर दी जायं, यह क्या.......

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ और वह यह है कि कई दफा इस बात की शिकायत आई कि काफी लोगों ने अन्य नाम पर अपने नाम के ऊपर जमीन लेने की कोशिश की है। इसलिए यह तय हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बजाय लॉटरी के तरीके पर निकाला जाये क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वह लोग आते हैं जिनका सम्बन्ध यू. आई. टी. के ऑफिसरों से होता है और जिनकी एप्लीकेशन्स ले ली जाती हैं। हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि जिनका असर नहीं है उनको भी जमीन मिलनी चाहिए इसलिए दाखिल दफ्तर किया गया कि जब लॉटरी निकलेगी वह एप्लाई करेंगे और लॉटरी में जिसका नम्बर आ जायगा उसको मिल जायेगा। वरना यह होता था कि यू. आई. टी. के बाबू या क्लर्क से ताल्लुक हुआ तो उससे पहले एप्लीकेशन ले ली और लेने के बाद दूसरी चीज एक और है कि जिनकी एप्लीकेशन पहले ली गयीं वह कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं। तो हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हम जमीन बांटे या इन्क्वायरी करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक बात है...

श्री अध्यक्ष : This system can not continue; Question, counter question, reply; this can not continue.

नैक्स्ट। श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

गंगानगर शहर में देशी शराब का ठेका

318. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : [श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर शहर में जो देशी शराब का ठेका चल रहा है उससे 1972-73 में क्या आय होती रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि किसी ठेकेदार ने 30 लाख रुपये में गंगानगर शहर का ठेका लेना चाहा था मगर उसे नहीं दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त ठेके से 16-17 लाख रुपये वार्षिक के हिसाब से बिक्री हुई है या इस समय आय हुई है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि यह ठेका इसलिए ठेकेदार को नहीं दिया गया

(श्री केदारनाथ)
कि गंगानगर में करीब 1300 बोतल रोजाना विभागीय कर्मचारियों की सहायता से नाजायज शराब की बिक्री होती रही है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (क) गंगानगर शहर में देशी शराब की दुकानों की तारीख 31-3-73 तक की आय रुपये 13,98,891. 48 हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

श्री केदारनाथ : जब कन्जम्पशन शराब का बढ़ गया तो सेल कम क्यों हुई ? आमदनी की कमी के क्या कारण हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : इस बारे में थोड़ा सा इस दुकान के इतिहास को जानना बहुत जरूरी होगा। इस दुकान का नीलाम 22 अप्रेल, 72 को किया गया। टेन्डर मांगे गये और किसी का भी टेण्डर नहीं आया। उसके बाद, जैसी कि सरकार की नीति थी, इस दुकान का ऑक्शन 9-5-72 को किया गया। ऑक्शन भी किसी का नहीं आया। दुबारा ऑक्शन 31 मई को किया गया फिर भी किसी का नहीं आया। तीसरी बार ऑक्शन 24-6-72 को किया गया लेकिन फिर भी किसी का नहीं आया। मतलब साफ था कि कुछ शराब के ठेकेदार मिलकर सरकार की नयी नीति को फेल करना चाहते थे। इस बारे में पिछली साल जब आबकारी के बारे में यहां बहस हुई थी तो मैंने बताया था कि शराब के ठेकेदार मिल कर सरकार की नीति को फेल करना चाहते हैं और इसलिए जगह जगह या तो बहुत ऊंचे टेन्डर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल इमैजिनेरी या केप्रीशश हैं या बिल्कुल ही टेन्डर नहीं देना चाहते हैं जिससे कि सरकार की नयी नीति फेल हो जाय और सरकार उन्हीं ठेकेदारों के चुंगल में फंसी रहे जिसके चुंगल में सरकार नहीं फंसना चाहती। यह सारी स्थिति हुई तो हमने इसलिए गंगानगर शुगर मिल को कहा कि तुम इस शराब के ठेके को चलाओ और उन्होंने चलाया। क्योंकि गंगानगर शुगर मिल को इस बारे में पूरा अनुभव नहीं था, उन्होंने कभी शराब की दुकान नहीं चलाई थी, यह सम्भव था कि उनकी शराब की बिक्री हुई वह आम तौर पर जितनी होनी चाहिये उससे कम हुई, लेकिन चूंकि गंगानगर शुगर मिल को ठेका दिया इसलिए बाद में उन शराब के ठेकेदारों को अकल आई कि सरकार तो हमारे सामने नहीं झुकी और सरकार ने करारा जवाब दिया है इसलिए उन्होंने आगे जाकर 30 लाख की बोली दी। लेकिन चूंकि हम वह ठेका एक बार गंगानगर शुगर मिल को दे चुके थे इसलिए हमारा फर्ज था कि वह उसको चलाये और इस बार फिर ऐसा हो सकता है कि शराब के ठेकेदार हमारी नीति को फेल करना चाहें लेकिन हम इस बात पर दृढ़ हैं कि चाहे हमें घाटा भी उठाना पड़े लेकिन शराब के ठेकेदारों को, सरकार अपनी नीति में फेल हो, इसमें सफल नहीं होने देगी और जहां जरूरत होगी वहां शराब के ठेकों का नेशनेलाइजेशन सरकार करेगी चाहे हमें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े।

Page No 12

(12)

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम

कार्डिंग मशीनों का आयात

319. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम ने मेसर्स विफाना पोलेण्ड से कार्डिग मशीनों के आयात का निर्णय लिया है और काफी समय हो जाने के बाद भी व्यवस्था नहीं हो पाई है ?

(2) क्या निगम ने अन्य राष्ट्रों व उनकी फर्मों से इस बारे में लिखा पढ़ी की है ? यदि नहीं, तो निगम ने सिर्फ विफाना को ही आयात करने के लिए किन किन कारणों से चुना है ।

(3) क्या यह सही है कि अन्य राष्ट्रों, जिनमें यह मशीनरी बनती हैं, उनके मूल्य से मेसर्स विफाना पोलेण्ड का मूल्य अधिक नहीं है ? यदि हां, तो किन किन से ?

राज्य मंत्री, उद्योग : (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें समझौता नहीं होने के लिए है या व्यवस्था नहीं होने के लिए है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एजेन्सी की मार्फत यह मशीनें खरीदे जाने का उल्लेख किया है उसकी मार्फत यह नहीं खरीदी गयी इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री चेतराम : क्या पत्र-व्यवहार हुआ था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नानालाल ।

गांव कुरज व कुंवारिया की नल योजना

320. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मार्च, 1972 के बाद ग्रामीण नल योजना कहां कहां स्वीकृत हुई तथा कहां कहां कितना कार्य हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में गांव कुरज व कुंवारिया में नल योजना का कार्य चल रहा था, वह मार्च, 1972 के बाद बंद सा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय के पास इस कार्य को चालू कराने हेतु कई प्रार्थना-पत्र दिये किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय के पत्र संख्या 971/पी. एस. एफ. एम. 72, तारीख 20 जून, 72 के अनुसार गांव वालों में से करीब सौ कनेक्शन्स की फीस जमा कराई है ? यदि हां, तो उसके

Page No 13

(13)

(श्री नानालाल)
बाद भी अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं हो रहा है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, सूची बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं क्योंकि यह सारे राजस्थान से ही संबंधित है और माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि उनके इलाके में कौन कौन सी स्कीम सेंक्शन हुई हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा): एक एक कापी सब को सप्लाई कर दें।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट सुन लें फिर कापी की अलग से बात कह दें। कितना टाइम लग जायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पांच-छः पेज से ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : इसकी कापियां बंटवा दी जायें और सदन का समय नहीं लिया जाये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : आप सप्लाई कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं सारे सदस्यों को इसकी कापियां वितरित करा दूंगा।

(2) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां, कार्य प्रगति पर है।

(4) कुंवारिया जल योजना पर 57 उपभोक्ताओं एवं कुरज जल योजना पर 97 उपभोक्ताओं की ओर से जल संबंध के लिए फीस जमा हो चुकी है, अतः वितरण लाइनों के लिए विस्तृत तखमीने तैयार किये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न (2) का जो जवाब दिया है उसमें मुझे थोड़ा असन्तोष है। आपने जो बताया है वह बिलकुल ही गलत बताया है। क्योंकि सन् 72 से अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है इसलिए मुझे असन्तोष है। दूसरी बात यह है कि आपने 25-8-72 को कनेक्शन फीस ले ली है कन्ज्यूमर्स से और आज तक पाइप लाइन गांव में नहीं पड़ी है। इसलिए मैं तो क्या सन्तुष्ट करूं अपने आपको जनता को सन्तुष्ट कराना बहुत मुश्किल है इसलिए यह स्पष्ट कर दें कि कितने दिनों में कनेक्शन दे देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पम्प एण्ड टैंक स्कीम बनाई जाती है उसके बाद अगर उस गांव में 50 से ज्यादा कनेक्शन लेने वाले होते हैं तो स्कीम को री-आर्गेनाइज करके पाइप स्कीम में उसको परिणत किया जाता है। पम्प एण्ड टैंक स्कीम इन दोनों गावों के लिए बनाई गयी। माननीय सदस्य का आग्रह था कि वहां 50 से ज्यादा कनेक्शन लेने वाले लोग हैं इसलिए दोनों स्कीमों को पाइप लाईन स्कीम में परिणत कर दिया जाये। इसके लिए आवेदन-पत्र लिए गए, लोगों से फीस

Page No 14

(१५)

(श्री चन्दनमल बैद)

भी जमा कराई गई लेकिन पम्प एण्ड टैंक स्कीम को पाइप लाइन में परिणत करने के लिए दुबारा सरकारी सेंक्शन होना जरूरी होता है। एण्डमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन भी होती है और फाइनेन्शल संक्शन भी होती है और जब यह दोनों तरह की सेंक्शन होती हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। जब दोनों तखमीने बनकर यहां आये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शल सेंक्शन में चार पांच महीने का समय लगना स्वाभाविक था। अब दोनों स्कीम सेंक्शन हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही उन दोनों की पाइप लाइन स्कीम पूरी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए भवन सुविधा

321. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से ज्युडिशियल ऑफिसर्स के रहने के लिए जयपुर नगर में कोई निवास गृह नहीं बनाये गये हैं और उनमें से अधिकांश को बाध्य होकर स्वयं ही अपने रहने के लिए किराये के मकान ढूंढने पड़ते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए भवन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां। अन्य अधिकारियों की तरह राजकीय भवन जनरल पूल से जुडीशियल ऑफिसर्स को आवंटित किये जाते हैं और सरकारी भवन न मिलने पर उन्हें भी भवन किराये पर लेने पड़ते हैं। आर्थिक कारणों से जुडीशियल अधिकारियों को अलग वर्ग मान कर अलग भवन देने की सुविधा सम्भव नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या आप जरूरी समझते हैं कि इन्डीपेन्डेन्ट जुडीशरी के लिए कोई स्ट्रिंग्स लागू नहीं हों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वैसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए जिला मुख्यालयों पर भवन आवंटित किये जाते हैं लेकिन उनके अलावा किसी और के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप यह महसूस नहीं करते कि जो लोअर ग्रेड के जुडीशियल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर दबाव रहे तो उससे जुडीशियरी पर असर नहीं पड़ेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं समझती हूं कि इस प्रकार के कारणों से कोई दबाव पड़ने वाली स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अनुभव बताता हूं कि मकान मालिक जो हैं वे फैसले के दिन अदालत में आकर खड़े हो जाते हैं। और मुझे बहुत बड़े ज्युडिशियल ऑफिसर ने यह बताया है कि हमारे दिमाग पर प्रेशर रहता है इस लिए आप तय फर्मावें कि आप उनके लिए मकान की व्यवस्था, कोई आवास का इन्तजाम

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कर सकती हैं या नहीं ? जब दूसरे अफसरों के लिए हो सकता है तो इसके लिए भी किया जाना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, किरायेदारों से मकान मालिक किराया बराबर लेते रहने के बावजूद भी कोई दबाव में काम करें और वह भी एक न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति ऐसा करे यह मेरी मान्यता में नहीं आता। और मैं यह समझती हूँ कि जो किराया नियंत्रण कानून है उसके तहत में किरायेदारों को काफी सुविधाएं और सरक्षण दिए हुए हैं इसलिए इस बारे में कोई खतरा नहीं होना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने यह अर्ज किया कि जब आप दूसरे अफसरों के लिए आवास का इन्तजाम कर सकती हैं, उनको क्वार्टर दे सकती हैं तो ज्यूडिशियल अफसरों को आप क्यों नहीं दे सकती, क्या वजह है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार की उस स्तर के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भवन प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है उसके अन्तर्गत उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है लेकिन अलग से प्रावधान नहीं है। जिला सत्र न्यायाधीश के लिए अलग से प्रावधान किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : ऐसा भी नहीं है। यहां के डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज किराये के मकान में रहते हैं, यह भी बता दूं मैं आपको। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी इस किस्म की बात और उसमें जो आप यह कहती हैं कि उस लेवल के लोगों को भवन दिए जाते हैं तो यह भी गलत है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सैशन जज के बारे में जो आपने बात कही है इसको मैं पुनः जांच कर लूंगी और अगर वे किराये के मकान में रहते हैं तो उनके लिए प्रावधान तुरन्त किया जाएगा।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : आपको इसमें आपत्ति क्या है उनके लिए रिजर्वेशन करने में ?

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : एम. एल. एज. की भी समस्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वे भी किरायेदारों के प्रेशर में आकर क्वेश्चन पूछते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपत्ति कोई नहीं है, सम्भव नहीं है इसलिए मजबूरी है।

श्री रामसिंह कुड़ी : जब भी मकानात का अलॉटमेंट होता है तब इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय कि कम से कम इतने ज्यूडिशियल अफसरों को पहले दिया जाए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपको जानकारी होनी चाहिये कि इतने मकानात नहीं हैं कि उस स्तर के सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा सकें। बहुत से अधिकारी प्राइवेट मकानों में रहते हैं।

Page No 16

(16)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामसिंह कुड़ी : जहां तक ज्युडिशियल ऑफिसर्स का सम्बन्ध है उनको नहीं मिलता है, इसको आप देख लें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आवेदन पत्रों के आधार पर आवटन होते हैं। जिसका पहला आवेदन आया हुआ होता है और जिस स्थिति की कैटेगरी में आता है उसके मुताबिक अलॉटमेंट किया जाता है। किसी व्यक्ति का पहले आवेदन पत्र आया हुआ हो उसको बाद में दिया जाय और जिसका बाद में आया है उसको पहले दिया जाय इस प्रकार की कोई बात नहीं है ।

श्री रामसिंह कुड़ी : ऐसा होता नहीं है, आप इसकी जांच करवाइए कि ऐसा होता है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं इसका और प्रबन्ध कर दूंगी कि जो पहले आए उनको पहले दिया जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पालन किया जाय ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको पहले न रख कर ज्युडिशियल ऑफिसर्स को पहले रखें एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो वैसे भी रिश्वत खाते हैं और आगे भी रिश्वत खायेंगे। लेकिन जो ज्युडिशियल ऑफिसर्स हैं उन पर प्रेशर नहीं हो इसके लिए आप अलग से व्यवस्था करिये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री मीठालाल !

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ अपने अपने प्रश्नों की मांग करते रहे—अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आबू का प्रश्न है। इससे नौजवानों के चरित्र पर असर पड़ता है इसके बारे में उत्तर देना चाहिए। आखिर वहां पर कौनसा डांस होता है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों से समय मिला तो ले लेंगे ।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर की पानी की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न है····

(माननीय सदस्य श्री केसरीमल, श्री चिम्मन सिंह भाटी और श्री शंकरसिंह एक साथ ब्यावर के प्रश्न के सम्बन्ध में बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं मजबूर हूं। मैं आपकी बात मान नहीं सकता। श्री मीठालाल।

(कई माननीय सदस्य एक साथ पुनः बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसे दूंगा नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है। करोड़ों रुपयों का घोटाला है····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन तो नम्बर पर आ ही गया था तो इसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कहीं न कहीं तो खत्म होगा ही। यहां नहीं तो अगले टर्न पर खत्म होगा।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, शहर में पानी नहीं मिल रहा है, लोग पानी के लिए तड़फ रहे हैं, ऐसी हालत पैदा हो रही है। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है यह हम जानना चाहते हैं····

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक माउण्ट आबू का भी प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

(कई माननीय सदस्य पुनः एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसे तो कोई भी प्रश्न किसी भी मन्त्री से लिंक हो तो वह सवाल पूछा ही नहीं जाय। यह तो एक तरह का मैनीपुलेशन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

युव इन्जीनियरों के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि

43. **श्री मीठालाल** (लाच-ोट) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि युवा इंजीनियरों के लाभ हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए केन्द्र ने राज्य सरकार को 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त राशि को खर्च करने की योजना बना ली है? यदि हां, तो वह क्या है?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) शिक्षित बेरोज़गारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्य सरकार को 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि को खर्च करने की योजना बना ली गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम एवं राजस्थान वित्त निगम को दी जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को समुचित प्रशिक्षण देकर औद्योगिक बस्तियों में शेड्स बनाकर उद्योगों की स्थापना में सहायता प्रदान की

Page No 18

(18)

जावेगी। निगम द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्य हाथ में लिए गए हैं:—

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत उम्मीदवारों का चयन एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध।

(2) योजनाओं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की तैयारी।

(3) वित्तीय सहायता का प्रबन्ध।

(4) तकनीकी मार्ग प्रदर्शन।

(5) उत्पादित वस्तुओं की समुचित बिक्री के लिए सहायता।

(6) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो उस दिन स्थगित किया गया था वह इसलिए था कि राजस्थान में इस समय कितने बेरोजगार हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 1972 तक जो मैन पावर डिपार्टमेंट के पास में रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की संख्या 1966 थी और डिप्लोमा धारियों की संख्या 4271 थी। इनमें से 1384 को पी. डब्ल्यू. डी. में एम्पलॉयमेंट दिया गया है तथा 650 को स्टाइपेंड स्कीम के तहत में रोजगार दिया गया है तथा 63 इंजीनियरों को जो 47 लाख को प्रस्तावित भारत सरकार की योजना थी उसके अन्तर्गत रोजगार दिया गया है। वित्त निगम द्वारा 50 इंजीनियरों और डिप्लोमा धारियों को ऋण दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियरों की को-ऑपरेटिव सोसायटी में जिनकी संख्या 15 इंजीनियरों की हैं, उनको सहायता दी गई है। इस वक्त में एस. आई. एस. आई. की प्रशिक्षण योजना में 15 व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण में काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 70 लाख का जो प्रावधान किया गया है इसके तहत आने वाले छः आठ महीनों में सौ इंजीनियरों को और रोजगार दे सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिन बेरोजगार इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों को जो स्टाइपेंड दिया जाता है तो जैसे कि किसी महकमे में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या पी. डब्ल्यू. डी. में जो क्लियर वेकेंसीज निकलती हैं तो क्या उनमें पहले प्रिफरेंस दिलवाने का सरकार इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री मीठालाल : राजस्थान में जो प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं वे कितने हैं और किन किन स्थानों पर चल रहे हैं और जहां पर इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्या वे संस्थान चल भी रहे हैं या बन्द पड़े हैं?

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इसका सवाल है कि मैन पावर में जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए हमारी कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, लेकिन यह भी नहीं कर सकते कि जो फर्स्ट डिविजनर्स हैं, गोल्ड

मेडेलिस्ट्स हैं उनके क्लेम को इग्नोर करें। लेकिन फिर भी यह कोशिश करते हैं और हर जगह बराबर मैंने कोशिश की है पर्सनल इंट्रेस्ट के द्वारा भी कई बार that other things being equal, they should be given preference. तो इसलिए यह नहीं कर सकते कि मैरिट को खत्म कर दें। मैरिट को साथ रख कर इनको भी एम्पलॉयमेंट देने की कोशिश की जा रही है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री मीठालाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने उद्योग चालू किये गये हैं उनमें से कितने बन्द हो गये और कितने चल रहे हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जयपुर में इ. एस. आई. सेन्टर के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ अनुसन्धान का काम भी किया जा रहा है। जो ट्रेनीज हैं उनके द्वारा लगाये जाने वाले उद्योगों के अन्दर बराबर मदद कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि आपने कितने खोले हैं, कितने बन्द हो गए और कितने चल रहे हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रकार का प्रशिक्षण दूसरे विभागों के द्वारा भी दिया जा रहा है इसलिए यह सारी सूचना मेरे पास में उपलब्ध नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं माननीय अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर इन्जीनियर की भर्ती के समय इस बात का ध्यान रखा गया था?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने टेलिफोन पर, किसी के नाम से तो नहीं, कह दिया है कि हमारे मैन पावर रोल पर जो चल रहे हैं पहले उनको लिया जाना चाहिए। Other things being equal, preference should be given to them.

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार इसके लिए कोई गाइड लाइन देगी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स या डिग्री होल्डर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका यह एक्सपीरियंस मानकर इसके लिए पांच प्रतिशत नम्बर दिये जाएं?

श्री बरकतुल्ला खां : जो सुझाव आपने दिया है उस पर हम गम्भीरता से सोचेंगे। हम यही कर रहे हैं कि other things being equal, they should be given preference. इसको एक्सपीरियंस काउन्ट करें उसके बारे में सोच कर कितने नम्बर दिये जाएं इसके बारे में भी आपको जवाब दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आर.एस.ई.बी. में जो इन्जीनियर्स की भर्ती हुई है उसमें राजस्थान के अनएम्पलॉइड इन्जीनियर्स को प्रिफरेन्स दिया गया है। इस बारे में क्या स्थिति रही है? क्या उसमें बाहर के लोगों को नहीं लिया गया है?

Page No 20

(२०)

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कुछ लोगों ने शायद वे पंजाब के रहने वाले हों और अपने को गंगानगर का लिखा दिया, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। यह भी हो सकता है कि कुछ हरियाणा के लोगों ने अलवर और भरतपुर में नाम लिखवा दिए हों। लेकिन हमने लिख कर, जुबानी टेलीफोन पर और बुला कर यह कहा है कि पहले इन लोगों को पूरी स्टेट में एब्जार्ब कर दिया जाए। वैसे हम कोई डिस्क्रिमीनेशन नहीं करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि केवल राजस्थान के लोग सिर्फ राजस्थान में ही रहें। बल्कि यह चाहते है कि जिस तरह से हो पहले राजस्थान के लोगों को एब्जार्ब कर लिया जाए और जिनका राइट है एब्जार्ब होने का उनको होना चाहिए। कॉन्स्टीट्यूशनली हम वह रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते जो दूसरे लोग करना चाहते हैं कि हमारे नौजवान लोग अनएम्प्लॉइड नहीं रहे और दूसरी जगह के लोग यहां पर आकर एम्पलाइड हो जावें, यह भी मुनासिब नहीं है। इसलिए बराबर कोशिश की है और कान्स्टीट्यूशन को सामने रखते हुए आल इंडिया की तस्वीर को सामने रखते हुए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार में लगा सकें यह हमारा ध्येय है।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

जिला चूरू में उद्योग प्रसार अधिकारी

55. **श्री लूणाराम सारण** (डूंगरगढ़) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक परियोजना, चूरू द्वारा इस तहसील में एक उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त है? यदि नहीं तो जिले की सात तहसीलों में से कितनी तहसीलों में उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त नहीं है?

(2) जिन तहसीलों में उद्योगप्रसार अधिकारी नियुक्त नहीं है उन तहसीलों का कार्य जब से परियोजनाएं चालू हुई से लेकर समय समय पर किस किस तहसील के उद्योग प्रसार अधिकारियों के अधीन कितने कितने समय रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में जहां उद्योग प्रसार अधिकारी नहीं थे वाली तहसीलों में कितने कितने दिन नगरपालिका सीमाओं या नगरपालिका सीमाओं के बाहर भ्रमण किया एवं उन्होंने अपने समय में कितने नए उद्योग स्थापित कराये और कितने पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया? कृपया नगरपालिका सीमाओं एवं नगर पालिका सीमाओं के बाहर की पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें।

राज्यमंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल):

(1) जी नहीं। तीन तहसीलों में।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट अ, ब व स में अंकित है जो कि सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट'स' तो मिला नहीं है। 'अ' और 'ब' से जो सूचना मिली है वह है 63 से जब से परियोजनाएं चालू हुई है तब से लेकर मई 72 तक उसमें प्रसार अधिकारियों द्वारा इन तीन तहसीलों में कोई कार्य किया जाना नहीं बतलाया गया है और मई 72 तक जो कार्य बताए गए हैं वे बिल्कुल निर्मूल झूंठ है। वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये सारे आंकड़े मनगढ़न्त दिए गए हैं या फिर पुराने आंकड़ों को उठा कर चेप दिया गया है। मै यह जानना चाहूंगा...

श्री भानुकुमार शास्त्री : निर्मूल झूंठ क्या होता है ?

श्री लक्ष्मणसिंह :Absolute lie.

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि ये आंकड़े निर्मूल हैं, पुराने हैं और तथ्यहीन हैं तो मैं पुनः इसकी जांच करवा लूंगी।

श्री लूणाराम : दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आश्वासन अभी दिया गया है उसके लिए तो खुशी की बात है, परन्तु इस परिशिष्ट में यह बताया गया है कि इतने थोड़े समय में इतने काम वहां पर कर दिए गए हैं तो इससे जाहिर होता है कि वहां पर उद्योगों का बड़ा भारी स्कोप हैं। वहां पर उद्योग प्रसार अधिकारी की नियुक्ति नहीं करना एक अहम प्रश्न है। इससे सारे उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो गया है इसलिए मैं यह भी आश्वासन चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी उद्योगप्रसार अधिकारी की नियुक्ति करवाई जाए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके बारे में भी विचार किया जाएगा।

स्थगित प्रश्न संख्या 75

श्री अध्यक्ष : श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री केशरीमल।

प्रश्न संख्या 322

ब्यावर शहर में पीने के पानी की व्यवस्था

322. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि ब्यावर शहर में पीने के पानी की गंभीर समस्या है ? यदि हां, तो प्रति दिन कितने गैलन पानी दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि शहर के कई भागों में ऐसा पानी दिया जा रहा है जो बहुत खारा है ?

(3) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों से वर्षा के अभाव में ब्यावर शहर के आस पास भी पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है ? यदि हां तो, क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है जिससे कि ब्यावर शहर को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके ?

(२२)

श्री मन्त्री जलप्रदाय विभाग (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, नगरपालिका से से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन विभिन्न जल स्रोतों से 2.20 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है।

(2) नगरपालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के कुछ भागों में खारा पानी वितरण किया जा रहा है जो पेय योग्य है।

(3) जी हां, योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री केशरीमल : योजना सरकार के विचाराधीन है, यह कब तक पूरी कर दी जायगी ? कुछ योजनाएं विचाराधीन हैं वे कहां कि योजनाएं है ?

श्री चन्दनमल वैद : अभी इसकी सारी डिटेल आपको बता देना चाहता हूं कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं और किन किन पर क्या क्या खर्च किया जा रहा है, उन सब स्थानों के नाम आपको बता देना चाहता हूं।

पहले तो मैं जो टैम्प्रेरी योजना है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। इस साल पानी की कमी है उसको दूर करने के लिये हम क्या कर रहे हैं। दूसरी हमारी लांग टर्म योजना है जो कि ब्यावर की जल समस्या को हमेशा के लिये दूर करने के लिये है। इसके लिए क्या योजनाएं बन रही है यह अर्ज करना चाहता हूं।

पहले तो हमारी यह योजना है 50 हैण्ड पम्प वहां पर लगवा दिये जाए। विभिन्न मोहल्लों में ये हैण्ड पम्प लगवा दिये जायें ताकि वहां की पानी की समस्या कुछ हल हो सके। दूसरा यह है कि कुछ कुओं को गहरा कर के उनके पानी की सप्लाई बढ़ाने की योजना है। तीसरी योजना यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड को 4 लाख रुपया दिया गया है वह ट्रकों से दूसरी जगहों से पानी लाकर लोगों को पानी की सप्लाई करे और पानी की सप्लाई को बढ़ावे। ये तीन मेजर्स हैं।

पचास हैण्ड पम्प लगाने की स्कीम थी जिसमें से 37 हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं। 37 में से कुछ सक्सेसफुल रहे हैं और कुछ अनसक्सेसफुल रहे हैं। मेरी सूचना यह है कि 23 सक्सेसफुली चल रहे हैं। हो सकता है एक दो इधर उधर हों। परन्तु यह सूचना है कि 50 में से 37 खोदे जा चुके हैं जिनमें से 23 चल रहे हैं।

अब लांग टर्म योजना के बारे में जो सुझाव आए थे उनमें कुल दस सुझाव थे। इन दस सुझावों को हमने पूरी तरह से जांचा है इसमें से एक सौदा क्षेत्र से पानी लाने का है, दूसरा लूनी नदी पर भूठा क्षेत्र है, तीसरा नीमड़ा क्षेत्र, चौथा गोविन्दगढ़ क्षेत्र, पांचवां खरिया और छठा रस बहार बांध इन 6 जगहों से हमने यह कोशिश की कि ट्यूब वेल लगाकर यहां से पानी प्राप्त किया जाए और ब्यावर की पानी की समस्या को हल किया जाए लेकिन अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड ने यह सूचना दी है कि इन 6 जगहों से इतना पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता जिससे कि आने वाले 20 सालों के लिए ब्यावर के लिए पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। इस वास्ते इन 6 स्थानों को छोड़ कर हमने तीन चार उपाय और सोचे हैं। उसके बारे में भी हमने विचार किया है।

(श्री चन्दनमल बैद)

उनमें से एक था आसीन्द बांध। आसीन्द बांध से अभी सिंचाई हो रही है, इसलिए वहां से ब्यावर के लिए पानी प्राप्त किया जाय। दूसरा उपाय था बनास नदी पर पिक-अप वेअर बनाकर या बनास नदी पर ट्यूबवेल बनाकर जो अजमेर को पानी दिया जा रहा है उसके साथ ही साथ स्कीम बनायी जाये। यहां पर पिक-अप वेअर से पानी को रोक दिया जाए ताकि आज जो हमारे ट्यूब वेल हैं और उनमें पानी की कमी हो गई है उससे पानी बढ़ जाए और इससे अजमेर के लोगों को भी पानी मिल सकता है और साथ ही साथ नसीराबाद, ब्यावर, और किशनगढ़ के लिए भी हम योजना बना सकते हैं। इस योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बून्दी से चम्बल का जो बांध है, वहां से पानी लेने की योजना थी। इसके लिए विचार किया गया था। इसी प्रकार से बरुंदा क्षेत्र से भी पानी लेने की योजना थी।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय भाषण दे रहे हैं। आप का आदेश था कि कोई भाषण नहीं देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सूचना देना तो आवश्यक है।

श्री चन्दनमल बैद ; जानकारी देना तो मेरा फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी दें। कहिए, कहिए।

श्री चन्दनमल बैद : इन चारों उपायों का अर्ज किया है। इनमें हर उपाय पर कितने करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक लाख पर गैलन में कितना खर्चा होगा। इसके लिए मन्त्रीमण्डल के समय ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जल्दी ही वह इस पर विचार करेगा। इन चारों में कितना कितना खर्चा पड़ेगा। किस पर कम खर्चा होगा। लोंग टर्म में ब्यावर के लिए कहां से योजना की जाये। इतना यह आसान काम नहीं है जितना कि सोचा जाता है। जिस प्रकार से विधान सभा में प्रश्न लाने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार से मन्त्रिमण्डल में भी किसी चीज को लाने का तरीका होता है। फाइल चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। सरकार के पास जाती है। अब वह मुख्य मन्त्री के पास होते हुये मन्त्रिमण्डल के पास जा चुकी है। 50 हैण्ड पम्प बना रहे हैं। जितना हो सकता है, ब्यावर की पानी की तकलीफ को दूर करने को कोशिश करेंगे। यह मैं मानता हूं कि ब्यावार में पानी की तकलीफ होगी। परेशानी है। इस परेशानी से हम भी परेशान हैं। हमें तकलीफ है। लेकिन जो कुछ भी है, जितना भी है, मैं जो कर सकता हूँ, उतना करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हैण्ड पम्प जो लगाये हैं, वह नाकामयाब हैं। कहीं कहीं काम कर रहे हैं। कुए गहरे कराने की बात है, लेकिन उसके बाद की उनमें पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो 15 लाख रुपया खर्च देने की बात की है। लेकिन कमिश्नर ने यह बताया है कि वह पैसा मिला नहीं है। वहां सिर्फ दो गैलन पानी

(श्री केसरीमल)

मिल पाता है। ऐसी हालत पैदा हो गई है। वहां विद्यार्थियों को पीने के लिए पानी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जल्दी से पैसा देने की बात कीजिये, नहीं तो लोग प्यासे मर जायेंगे। वह मरेंगे या लड़ेंगे यह बात दूसरी है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह चुका हूं कि 4 लाख रुपया आवंटन किया जा चुका है। ब्यावर म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जा चुका है। अभी भी टैंकर्स से पानी लाकर सप्लाई किया जाता है।

श्री केसरीमल : वह घोषणा की है। पैसा नहीं पहुंचा है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : अभी पहुँचा नहीं है। वह पैसा मिला नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अभी 4 लाख से काम होगा। और होगा तो और दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, 327 संख्या का एक मेरा प्रश्न है। केवल ज्ञान के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको स्थगित कर दीजिये।

माउंट आबू में आध्यात्मिक शिविर का आयोजन

327. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्च-अप्रेल, 72 में माउन्ट आबू में कन्या स्काउट मैदान में एक आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो इसके आयोजकों के क्या नाम हैं व शिविर का संचालन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था ?

(2) कन्या स्काउट मैदान में उक्त शिविर चलाने हेतु किसने व किस अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की व स्वीकृति प्राप्त करने वाले आवेदन-पत्र में किस कार्य हेतु उक्त कन्या स्काउट मैदान के उपयोग की स्वीकृति चाही ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन-पत्र में स्वीकृति प्राप्त करते समय यह लिखा था कि आध्यात्मिक शिविर में नग्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जावेगा ?

(4) यदि नहीं तो क्या यह सही है कि उक्त आध्यात्मिक शिविर में पुरुष और स्त्रियों द्वारा नग्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नग्न प्रदर्शन के समय जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(6) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थान पर नग्न प्रदर्शन कानूनी अपराध है ? यदि हां, तो क्या दण्ड है ?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(7) क्या सरकार उक्त आध्यात्मिक शिविर के संचालक एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य हैं, जो यह चाहते हैं। एक आपका है, एक आपका है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप स्थगित कर दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अधिक से अधिक जो महत्त्व के हैं····

श्री अध्यक्ष : सभी महत्त्वपूर्ण है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : माउन्ट आबू वाला ले लीजिये। महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : 327 है। उसको एडजोर्न किया।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, मैं स्थगित के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसा कोई निश्चित तरीका हो जाये जिससे कि सभी प्रश्न हो जाया करें।

श्री अध्यक्ष : मैं वही बात दुबारा निवेदन करूंगा।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वह हो नहीं पाते हैं। समय नहीं होता है तो उनको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष . मुझे कहने दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, कल जो फैसला हुआ था वह ध्यान आकर्षण कर लिया जाये। सभी पार्टी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की यह शिकायत सही है कि जितने सवाल रखे जाते हैं, वह पूरे नहीं हो पाते हैं। मुझे खुद को तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं जितने सवाल हैं, सभी के उत्तर मिले। मैं कोशिश यही करता हूं। आपको निराश न करूं यही कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अनप्लीजेण्ट टास्क हो। लेकिन एक चीज है, इसके लिए मुझे कहना पड़ता है। इसके लिए आप का सहयोग जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने के लिए कोई विशेष प्रश्न हो तो वह बात दूसरी है, कम से कम सप्लीमेण्ट्री हों। सप्लीमेण्ट्री सप्लीमेण्ट्री फार्म में हों। तकरीर न हो। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो बैठना ही है। आपका समय ही खराब होता है। कल बिजनेस कमेटी में ऐसे प्रश्नों पर सोचा गया है। उन्होंने दो-तीन निर्णय लिये थे। एक तो निर्णय यह था कि किसी भी प्रश्न पर ज्यादा से ज्यादा 5 सप्लीमेण्ट्री हों। 3 तो सवाल जिसका हो वह पूछले। दो और आदमी पूछ लें। पांच से ज्यादा सप्लीमेण्टरी नहीं हों। दूसरा यह था कि जिन प्रश्नों का आना सम्भव नहीं हो

(श्री अध्यक्ष)

उनको स्टार्ड से अनस्टार्ड में कर दिया जाये। एक तीसरा यह था जो ये स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आते हैं, इन प्रस्तावों के बारे में.... ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह भी था कि तकरीर नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: यह निवेदन किया, सप्लीमेण्ट्री फार्म मे आ जायें। उसमें डिसीजन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का यह भी था कि हम यह चाहते थे, आपको काफी मौका मिले कहने का और गवर्नमेंट को उचित मौका मिले जवाब देने का। अभी एडजोर्नमेंट मोशन जो आते हैं, इनमें नार्मली प्रेक्टिस पार्लियामेंट में और, और जगहों पर यह है कि कम से कम आते हैं और बोलने का अधिकार होता नहीं है। अपने से विशेष तरीके को जारी कर रखा है ठीक है, बोल लें, जो कहना चाहें वह कह दें, लेकिन उसमें सदन का वक्त जाया होता है। इसलिए मेरी भी मन्शा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माननीय सदस्यों की भी मन्शा है और इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को भी मन्शा है कि ज्यादा वक्त दिया जाय काल अटेंशन मोशन को और काल अटेंशन मोशन के रूप में ज्यादा लायें। मैं यह सोच रहा हूँ, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रोज रखूं जिससे बोलने का ज्यादा टाइम मिल जाय और एडजोर्नमेंट मोशन को कम समय मिले। लेकिन आप बोलते रहते हैं, मैं मना करता रहता हूं, इससे सदन के काम में डिफिकल्टी आती है और मुझे नाखुशगवार लगता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि एक काल अटेंशन मोशन मैं रोज ले लूँ, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के डिसीजन के मुताबिक है। आप इनायत फर्मायें, एडजोर्नमेंट मोशन पर कम से कम बोलने की ओर लाने को। जो सप्लीमेन्ट्री पूछें, सप्लीमेन्ट्री फार्म में बना कर पूछ लें, उसमें भूमिका की, इन्ट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नतीजे की बात पुटअप कर दें और दो सप्लीमेन्ट्री उस समय पूछ सकते हैं, वरना आधा सवाल ही पूछ पायेंगे। इस बात की हमदर्दी रखते हुए प्रश्न जब लम्बा होगा तो उसको अनस्टार्ड कर देंगे। प्रश्न लम्बा हो तो उसको अनस्टार्ड कर देंगे ताकि समय न लगे। कोशिश यही रही है कि माननीय सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आयें।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : 334 बेरोजगारी से सम्बन्धित हैं, आदिवासियों का है।

आरक्षित पदों पर नियुक्तियां

334. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुसूचित जन जाति के लिए किस किस वर्ग में आरक्षित रिक्त पद वर्ष 1972 में उपलब्ध थे, उनमें से कितने कितने भरे गए तथा कितने कितने रिक्त रहे? रिक्त रहने के कारण क्या थे?

(2) क्या यह सही है कि विभाग में इस निमित्त बने प्रकोष्ठ स्वयं में आदिवासी अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो प्रकोष्ठ के लिये कितने कर्मचारी किस किस वर्ग में हैं और उनमें कितने आदिवासी हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियोक्ता इस प्रकोष्ठ का उपयोग न कर नियोजन कार्यालयों की सेवाएं लेते हैं ? यदि हां, तो केन्द्र सरकार की तरह आरक्षित रिक्तियां नियोजन कार्यालयों के माध्यम से तथा नियोजकों को आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को सीधे नियोजित करने की व्यवस्था व इस प्रकोष्ठ को नियोजन सेवा विभाग और शिक्षा विभाग में विकेन्द्रित करने में क्या आपत्ति है ? यदि नहीं, तो राज्य में कुल कितने अनुसूचित जन जाति के आशार्थी बेरोजगार हैं और उनकी शैक्षणिक-योग्यता क्या है ? इनमें से कितने 1972 में इस प्रकोष्ठ में पंजीकृत हुए हैं ? कितनों को नियोक्ताओं को विचारार्थ भेजा गया, कितने नियोजित हुए तथा कितने 31-12-1972 को काम की प्रतीक्षा में उपलब्ध थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : वही बात आ गई ।

श्री नाथूराम : मैं उसके स्थगन के लिए प्रार्थना करता हूँ । 334 बेरोजगारी का प्रश्न है और बहुत जरूरी प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अनुसूचित जन जाति के बारे में है ।

श्री नाथूराम : आदिवासियों और हरिजनों के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : है । अच्छा एडजोर्न कर दिया गया ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-2-73)

खेरवाड़ा तहसील में अकाल सहायता कार्य से सड़कों का निर्माण

75. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में अकाल सहायतार्थ कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों पर पक्के कार्य भी कराये जायेंगे ? यदि हां तो कौनसी सड़कों पर पक्का कार्य कराया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में वर्तमान में दो सड़क कार्य चालू हैं जो निम्न है:—

(1) खेरवाड़ा, कोटड़ा सड़क ।

(2) सलूम्बर, कल्याणपुरा, खेरवाड़ा सड़क ।

(2) उदयपुर जिले के सड़क कार्यों के लिए निर्धारित सामग्री व्यय (मेटेरियल कम्पोनेन्ट) की सीमा में जो भी सड़क कार्य पूरे हो सकेंगे, उनको पक्का कराया

(अकाल सहायता मन्त्री)
जायगा। मेटेरियल कम्पोनेन्ट निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो आदेश राज्य सरकार ने प्रसारित किये हैं उनकी प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में जेलों का सुधार

144. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जेल की श्रेणियां कितनी हैं?

(2) राजस्थान राज्य के निर्माण से लेकर अब तक जेल में क्या क्या सुधार किये गये? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्नलिखित श्रेणियों की कारागृह हैं:—

(1) केन्द्रीय कारागृह।

(2) जिला कारागृह, 'ए' श्रेणी।

(3) जिला कारागृह, 'बी' श्रेणी।

(4) जिला कारागृह, 'सी' श्रेणी।

(5) उप कारागृह।

(2) राजस्थान राज्य के निर्माण से लेकर अब तक जो जेल सुधार किये गये हैं उनका विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

महिलाओं व पुरुषों को उद्योगों की ट्रेनिंग

145. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) महिलाओं व पुरुषों को किन किन उद्योगों की ट्रेनिंग विभाग द्वारा दी जाती है? ऐसे केन्द्र कहां कहां पर स्थापित हैं?

(2) इनमें कितनी महिलायें व कितने पुरुष ट्रेनिंग ले रहे हैं?

(3) अब तक कितने लोगों को ट्रेन्ड किया गया?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा सिलाई, काष्ठ कला एवं चर्मोद्योग (जूता निर्माण) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विमुक्त जाति की महिलाओं व पुरुषों को (14 वर्ष से 22 वर्ष) ट्रेनिंग दी जाती है। जिन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष किसी महिला ने ट्रेनिंग हेतु प्रवेश नहीं लिया है। इनमें केवल 217 पुरुष ही ट्रेनिंग ले रहे हैं।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) अब तक 1449 पुरुषों एवं 21 महिलाओं को ट्रेन्ड किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता

146. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विधान सभा के गत सत्र में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने की दृष्टि से अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।]

उत्तर

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने के लिये मितव्ययता समिति गठित की थी। मितव्ययता का संक्षिप्त विवरण विभागानुसार संलग्न किया जा रहा है।

फर्नीचर के क्रय न किये जाने हेतु तथा सरकारी वाहनों का प्रयोग केवल राजकीय कार्यों के लिये ही कम से कम प्रयोग किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भीम व देवगढ़ तहसीलों की जल-प्रदाय योजनाएं

147. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम पंचायत को गत तीन वर्षों से पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस हेतु भीम के पास भोपाल सागर से पानी लाने की योजना एक साल पूर्व राज्य सरकार को भेज दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों की कितनी वाटर सप्लाई योजनाएं इस वर्ष ली हैं ? गावों के नाम व स्वीकृत राशि बतलाई जाय।

(3) क्या यह सही है कि दवेर, पीपली, काछवली, ठीकरवास इत्यादि गांवों ने अपनी राशि जमा करवादी है ? यदि हां, तो इन गांवों की वाटर सप्लाई योजनाओं पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि भीम तहसील के बरार व भीम की वाटर सप्लाई के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान छः माह से नहीं किया गया और ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया इस सम्बन्ध में विभाग को कई बार लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार भूखे श्रमिकों को अविलम्ब भुगतान दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, भीम पंचायत के तहत ग्राम भीम के जल समस्या निवारण हेतु

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
भोपाल सागर से पानी लाने की योजना बनाई गई है। तथा उसकी विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) इस वर्ष भीम व देवगढ़ तहसील में कोई भी जल प्रदाय योजना नहीं ली गई है।

(3) इस कार्यालय में दवेर, पीपली, काछबली एवं ठीकरवास में से केवल दवेर गांव के 2500/- रुपये जमा हुये हैं। दवेर की जल प्रदाय योजना बनाई जा चुकी है तथा तकनीकी जांच की जा रही है।

(4) भीम जल योजना पर जो मजदूर कूए को गहरा करने के लिये ठेकेदार द्वारा लगाये गये थे उनकी ओर से इस कार्यालय को दिनांक 4-5-72 को ठेकेदार द्वारा भुगतान न किये जाने बाबत एक पत्र प्राप्त हुआ। दिनांक 4-5-72 के बाद ठेकेदार को उक्त कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है। और न ही कोई भुगतान करना बाकी है बरार के कार्यों के लिये इस कार्यालय को मजदूरों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बामनवास स्थित धर्मशाला का मामला

148. श्री मीठालाल (लालसोठ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास (सवाई माधोपुर) स्थित एक धर्मशाला जिसमें कि बहुत समय पूर्व शिक्षा विभाग का स्कूल चलता था अब नये भवन के बनने के कारण, बिल्कुल खाली है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त धर्मशाला अब इसलिये विभाग द्वारा खाली नहीं की जा रही है क्योंकि प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापक अलग किराये का मकान न लेकर धर्मशाला में ही बिना किराये रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और अब यह कब तक खाली करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धर्मशाला के कमरों में विद्यालय का फर्नीचर और स्काउटिंग का सामान रक्खा हुआ है। इसके लिये नये भवन में स्थान नहीं है।

(2) जी, नहीं । शाला के नवीन भवन में स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात् उक्त भवन फर्नीचर एवं स्काउटिंग के सामान रखने के कार्य में ही लिया जा रहा है प्रधानाध्यापक धर्मशाला के अतिरिक्त हिस्से में रह रहे हैं। उस हिस्से का शाला किराये से सम्बन्ध नहीं है।

ब्यावर नगर की जल प्रदाय योजना

149. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले के ब्यावर नगर की पेयजल योजना का क्या हुआ, जब कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने प्रत्येक भ्रमण के समय स्थानीय जनता को पेय जल दिलाने के आश्वासन दिये थे ?

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

(2) ब्यावर नगर (अजमेर) में इस वर्ष कितने नलकूप खोदने की स्वीकृति दी गई, उनमें से कितने नलकूप खोदे जा चुके हैं और जो खोदे जा चुके उनमें से कितने कामयाब हुए और कितने फेल रहे? इन नल कूपों पर कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(3) नये नल कूपों द्वारा जो कामयाब हो गये हैं उनकी वाटर सप्लाई क्षमता कितनी है?

(4) ब्यावर नगर की जल पूर्ति के लिये कुल कितना पानी चाहिये और अब कितना मिल रहा है?

(5) आने वाले मार्च, अप्रेल, मई, जून व जुलाई सन् 73 में नगरवासियों को जल देने की राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(6) क्या यह सही है कि ब्यावर के बाद मांग करने वाले नगर पाली व सोजत इत्यादि में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है किन्तु ब्यावर के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के ब्यावर नगर की पेय जल योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) इस वर्ष ब्यावर नगर में 40 नल कूप (हैण्ड पम्प्स) खोदने की स्वीकृति दी गई थी उनमें से अब तक 36 नल कूप राजस्थान भू- जल मन्डल द्वारा खोदे जा चुके हैं। इनमें से 17 नल कूप सफल रहे एवं अन्य 4 में पानी की कुछ मात्रा उपलब्ध है व 15 अन्य नल कूप असफल रहे। इन नल कूपों को बनाने हेतु कोई अलग से धन राशि स्वीकृत नहीं हुई है किन्तु इस वर्ष ब्यावर जलदाय योजना हेतु स्वीकृत राशि 1,50,000 रुपये में से उपरोक्त कार्य करवाये गये।

(3) जो नलकूप (हैण्ड पम्प्स) कामयाब हो गये हैं उनकी क्षमता लगभग 2000 गेलन प्रति घन्टा है।

(4) ब्यावर नगर की जनसंख्या 70,000 के लगभग है प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 20 गेलन की आवश्यकता मानते हुये प्रति दिन 14 लाख गेलन पानी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत इस वर्ष ब्यावर नगर परिषद् द्वारा करीब 2.20 लाख गेलन पानी प्रति दिन दिये जाने की सूचना है।

(5) इस सम्बन्ध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

(6) जी हां। अभी तक ब्यावर के लिये उपयुक्त जल स्त्रोत तय नहीं किया जा सका। चूंकि ब्यावर के लिये विचाराधीन सभी योजनायें बहुत मंहगी है, इन पर पूर्ण जानकारी करके ही निर्णय लिया जा सकता है। ब्यावर के लिये कई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष हैं जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलें

150. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितनी प्राईमरी, मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं एवं उनमें कितने विद्यार्थी एवं शिक्षक हैं ? प्रत्येक जिले के अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है। सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

151. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर), **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा किन किन शिक्षण संस्थाओं को कितना कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

(2) यह अनुदान स्वीकृत करने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई नियम बना रखें हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। सूची में अंकित है।

(2) जी हां। अनुदान नियम 1963 माह जनवरी, 1963 के गजट में प्रकाशित हुए हैं। एक छपी प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय

152. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितनी आय है ?

(2) मजदूर वर्ग की आय प्रति व्यक्ति कितनी है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71 के अन्त में चालू कीमतों के आधार पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 630 रु. थी।

(2) मजदूर वर्ग की आय के अनुमान नहीं लगाये जाते।

एस. टी. सी. स्कूल

153. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आज कहां और कितने एस. टी. सी. स्कूल (विद्यालय) चल रहे हैं ? इन विद्यालयों में कितने शिक्षक विद्यार्थी ट्रेनिंग लेरहे हैं ? सन् 60 से अब तक कहां कहां ये स्कूल चले ? स्कूलों की हर वर्ष कितनी कितनी संख्या रही ? सन् 60 से अब तक हर वर्ष प्रति विद्यार्थी को

(श्री केशरीमल)
कितना वजीफा दिया गया ? वर्षवार बताने ने की कृपा करें।

(2) सन् 60 में शिक्षक विद्यार्थी को अपनी एस. टी. सी. की शिक्षा कितने समय में पूरी करनी होती थी और आज कितने समय में शिक्षा पूरी करनी होती है ?

(3) आज कितने शिक्षक विद्यार्थियों को वजीफा दिया जा रहा है तथा वार्षिक कुल राशि कितनी होती है ?

(4) क्या इन शिक्षक विद्यार्थियों को राज्य सरकार वजीफा देने का विचार रखती है ? क्या इन विद्यार्थियों ने लगातार मंत्री महोदय के समक्ष प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। सूची में अंकित है। वर्ष 1960 से 1972-73 तक से शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की जिलावार प्रति सूची संख्या 2 संलग्न है। वर्ष 1960-61 से 68-69 तक समस्त महिला छात्र अध्यापिकाओं को वजीफा दिया जाता था तथा पुरुष सेवारत छात्र अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति तिथि 31-3-1963 से पूर्व थी, जो वजीफा दिया जाता था यह राशि 25 रु. प्रति माह थी।

(2) वर्ष 1960 से 1963 तक एस. टी. सी. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष थी किन्तु 1969 से यह प्रशिक्षण काल 2 वर्ष कर दिया गया है।

(3) वर्तमान में महिला प्रशिक्षणालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत प्रति मास वजीफा दिया जाता है जिनकी संख्या लगभग 400 होती है। वजीफे की धनराशि एक लाख रुपये होती है।

(4) वर्तमान में समस्त छात्रअध्यापकों को वजीफा देने की विभाग के पास कोई योजना नहीं है।

कृपया परिशिष्ट 7 देखिये।

चूरू जिले के अध्यापकों के स्थानान्तरण

154. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में स्थित महाविद्यालयों एवं उच्च, उच्चतर विद्यालयों में सन् 1972 से अब तक किन किन प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सत्र 1972 में चूरू जिले में स्थित महाविद्यालयों एवं उच्च, उच्चतर विद्यालयों में जिन प्राध्यापकों / अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसीलदार रतनगढ़ द्वारा बागर की खरीद

155. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि सन् 1967 से 69 के बीच रेल्वे स्टेशन बिग्गा पर घास फूलों की एक बागर (जिला) तहसीलदार रतनगढ़ जिला चूरू के मारफत अकाल सहायता के अन्तर्गत खरीद करवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो कितने मन कड़बी खरीदी गई व उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि बाद में इस बागर का चार्ज तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ को दे दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 2-2-70 को तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने प्रधान पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ को पत्र लिखा कि बागर को कोई खरीद नहीं रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तहसीलदार एवं प्रधान में हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 17-4-70 को श्री हनुमानाराम सरपंच सूडसर ने बागर खरीदने के लिए तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ को लिखित में आवेदन दिया ? यदि हां, तो कृपया आवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) क्या प्रधान पंचायत समिति श्री डूंगरगढ ने 8-5-70 को जिलाधीश चूरू को इस मामले में पत्र लिखा ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह सारा बिना किसी उपयोग में आये ही खत्म हो गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ?

(8) क्या सरकार इस मामले में अब भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 4942 मन 17 सेर कड़बी खरीदी गई जिसका 2-79 रुपये प्रति मन की दर से 13789.37 पैसे होते हैं।

(3) जी हां।

(4) इस बागर को कोई न खरीदने के सम्बन्ध में तहसीलदार डूंगरगढ़ ने दिनांक 2-2-70 की बजाय दिनांक 31-1-70 को पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। प्रधान, पंचायत समिति की ओर से कोई पत्र नहीं लिखा गया।

(5) तहसीलदार डूंगरगढ़ ने बताया है कि श्री हनुमानाराम सरपंच सूडसर ने बागर खरीदने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17-4-70 उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रहा है परन्तु जो पत्र श्री हनुमानाराम ने जिलाधीश चूरू को लिखा था, उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(6) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है।

(7) इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये जिलाधीश चूरू ने परगना अधिकारी रतनगढ़ को लगभग 10 दिन पूर्व जांच करने का आदेश दिया था। परगना अधिकारी ने बाद जांच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मामला जिलाधीश के विचाराधीन है।

(8) जिलाधीश से परगना अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के बाबत टिप्पणी प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ठ 7 देखिये)

अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों को लगाने का मापदण्ड

156. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों को लगाने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जो श्रमिक लगाये जा रहे हैं. इस व्यवस्था से राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में भयंकर असंतोष है और इससे वर्तमान में 15 प्रतिशत लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलेगी ? यदि हां, तो कब से और किस प्रकार ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में जिला राहत समिति द्वारा 23-11-72 को स्वीकृत बहुत से सिचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग व पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य आदि अभी तक शुरू नहीं करवाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में जिला स्तर कमेटी द्वारा पास होने व जिलाधीश के आदेश देने पर भी संबंधित अधिकारी कार्य शुरू नहीं करवाते ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के मुख्यतया सिचाई विभाग, भू-संरक्षण अधिकारी, भीम उपखण्ड मुख्यावास पर प्रथम तो आते ही नहीं और कभी बिना सूचना आ भी जाते हैं तो बिना किसी को सूचना दिये चुपचाप निकल जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि वर्तमान में जो श्रमिकों को मजदूरी तीन रुपये व ढाई रुपये बढ़ाई गई है उसके विपरीत श्रमिकों को जो कार्य दिया जाता है वह पुराने नियमों से दुगना है जो कि श्रमिकों की क्षमता से बाहर है। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित आदेशों के अन्तर्गत अकालग्रस्त क्षेत्र के

(अकाल सहायता मन्त्री)
निवासियों में से अधिक से अधिक निम्न-प्रकार व्यक्तियों को राहत कार्यों पर लगाये जाने की व्यवस्था है :—

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों की संख्या	अधिक से अधिक संख्या जिन्हें रोजगार दिया जावे
1.	5	2
2.	6 से 8	3
3.	9 से 12	4
4.	12 से अधिक	कुल सदस्यों का एक तिहाई

(2) यह सही नहीं है कि इस व्यवस्था से भयंकर असंतोष है। परन्तु यह सही है कि वर्तमान में प्रभावित जनसंख्या के 15 प्रतिशत लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अधिक सहायता कार्य खोले जाकर श्रमिकों की संख्या को निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

(3) दिनांक 23-11-72 को जिला राहत सलाहकार समिति की बैठक में तहसील भीम व देवगढ़ के निम्नांकित कार्यों का चयन किया जाकर संबंधित विभागों से लागत के तकनीकी अनुमान जिलाधीश द्वारा मांगे गये:—

क्र. सं.	नाम कार्य	अभिकरण
1.	देवगढ़-आंजना-जगदीश वाया पादडी रोड़	सा.नि.वि.
2.	देवगढ़-दिवेर-खाखर माला रोड़	,,
3.	देवगढ़-दूधालिया-टेंक	सिंचाई विभाग
4.	देवगढ़ नेशनल हाईवे टोगीकुकड़ा रोड़	सा.नि.वि.
5.	देवगढ़-भीम-आसीन्द रोड़	,,
6.	देवगढ़-भीम	भू संरक्षण कार्य
7.	देवगढ़ बरार	,,

इनमें से क्रम संख्या 1, 4, 5 एवं 7 के कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। बाकी के कार्य अब एस्टीमेट प्राप्त होने पर चालू किये जावेंगे।

(4) जिला राहत सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निम्न कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं :—

क्र.सं.	नाम अधिभरण	तहसील भीम		तहसील देवगढ़	
		स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ किये कार्य	स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ किये कार्य
1.	सा. नि. वि.	3	3	3	3
2.	सिंचाई विभाग	6	5	10	3
3.	वन विभाग	13	11	7	3
4.	भू संरक्षण कार्य	8	5	12	12

(अकाल सहायता मंत्री)

यह सही नहीं है कि जिला राहत सलाहकार समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति होने पर एवं जिलाधीश द्वारा उन पर उनके बाबत आदेश देने पर भी संबंधित अभिकरण कार्य शुरू नहीं करवाते। जो कार्य शुरू नहीं कराये जा सकते उनके अपने विरोध कारण हैं जैसे सिंचाई कार्यों का मेटेरियल कम्पोनेन्ट अधिक था। अब सरकार द्वारा इस बाबत प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अतः यह कार्य अब प्रारम्भ किया जायगा। वन विभाग के देवगढ़ के कार्य इस कारण शुरू नहीं हो पाये कि कुछ ग्राम वालों ने इनसे बाबत आपत्ति की है। भू-संरक्षण कार्यों के बाबत भी तहसील भीम में शेखावास में कार्य कराने के बाबत काश्तकार तैयार नहीं हैं।

(5) यह सही नहीं है। संबंधित अभिकरणों को जिला अधिकारीगण आवश्यकता होने पर भीम उपखंड मुख्यावास पर जाते हैं एवं जब वे मुख्यावास पर जाते हैं तो उप जिलाधीश, विकास अधिकारी एवं प्रधान आदि जो भी उपलब्ध होते हैं, उनसे सम्पर्क किया जाता है।

(6) यह सही नहीं है। राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 1973 से पूर्व 90 प्रतिशत टास्क श्रमिकों द्वारा कराये जाने के आदेश दिये गये थे। परन्तु 1-3-73 से टास्क की मात्रा घटाकर अब 70 प्रतिशत कर दी गई है।

उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा पोलो ग्राउन्ड पर प्लाटों की नीलामी

157. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा पोलो ग्राउन्ड पर कितने प्लाट नीलाम किए गए व कितने प्लाट एलॉट किए गए? प्लाटों के खरीदने वालों की सूची मय उनकी कीमत दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

38 प्लाट नीलाम द्वारा, 36 प्लाट आवंटन द्वारा व 2 प्लाट एवजाने में दिए गए। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्यों में कपास का उत्पादन

158. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 तक प्रति वर्ष कितनी कपास का उत्पादन हुआ? कृपया प्रत्येक जिले के स्तर पर उत्पादन के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राजस्थान में गत तीन वर्षों में कपास का निम्न प्रकार उत्पादन हुआ:—

1969-70 में 1,18,505 गांठें
1970-72 में 2,29,095 गांठे तथा
1971-72 में 3,93,624 गांठें

जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

केन्द्र से आवंटित मक्का का वितरण

159. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान प्रदेश को 1972-73 में कितनी मक्का वितरण हेतु केन्द्र से आवंटित हुई थी और इसमें से कितनी लैप्स हो गई ? तथा इसके क्या कारण थे ?

उत्तर

राजस्थान राज्य को 72-73 में जो मक्का आवंटित की गई, प्राप्त की गई एवं लेप्स हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

माह	आवंटन	उठाई	लैप्स
सितम्बर	750	20	730
अक्टूबर	8000	332	7668
नवम्बर	20000	1219	18781
दिसम्बर	20000	5039	14961
जनवरी	20000	20020	—
फरवरी	15000	13275	बाकी आ रहा है।

लैप्स होने के कारण—माह सितम्बर से दिसम्बर तक मक्का की यहां मांग नहीं थी लोग अपना अनाज खा रहे थे।

मक्का के न उठाने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं:—

(1) सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर में मक्का की मांग बहुत कम थी, यद्यपि स्टाक राजस्थान में थे, तथापि जिलों में मक्का की खपत कम होने से नहीं उठ पाई।

(2) मक्का जो उपलब्ध थी अच्छी किस्म की नहीं थी।

(3) कृषकों के पास स्वयं के बचे खाद्यान्न थे।

(4) मास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1972 में यहां से अधिकारी पंजाब भेजे गए थे, मक्का की जांच करने कि कैसी है, लेने योग्य है अथवा नहीं। तो मानव अहार योग्य पाई गई। फिर यह प्रयास किए गए कि खाने लायक मक्का उठाली जाये। परन्तु मक्का का स्टाक रेल हैड्स पर उपलब्ध न होने और रेल वैगन उपलब्ध न होने से बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकी। जनवरी एवं फरवरी की मक्का पूरी पूरी उठाई गई है।

जोधपुर के अनुसूचित जाति के परिवारों को बसाने हेतु दुर्गा कॉलोनी में रियायती मूल्य पर पट्टे

160. श्री सेठमल आर्य (रेवदार) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में यू. आई. टी. द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को बसाने के लिए दुर्गा कॉलोनी में रियायती मूल्य पर पर पट्टे दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक किस-किसने जमीन के लिये पैसे जमा करा दिये हैं और किस किस को भूमि के पट्टे प्राप्त हो गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर के दुर्गा कॉलोनी में आवास हेतु जमीनों के

(श्री जेठमल आर्य)

पट्टे बनाने के लिये पैसे जमा करवाये लम्बा समय बीत चुका है किन्तु अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों को सनद नहीं दी गई ?

(2) यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(4) इस कॉलोनी के पूरे पट्टे कब तक बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, अब तक 152 प्राथियों द्वारा जमीन के लिए पूर्ण पैसे जमा कराये गये हैं। इनमें से 29 आवेदकों को पट्टे दे दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। 152 आवेदकों में से 54 से ही स्टाम्प प्राप्त हुए जिनमें 29 पट्टे जारी कर दिये गये हैं। शेष 25 बने हुए तैयार हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) आवेदकों द्वारा स्टाम्प एवं दो गवाहान प्रस्तुत करने पर जारी कर दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लालसोट थाने में दर्ज मामले

161. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट थाने में चोरी की कितनी रिपोर्ट्स पिछले पांच वर्षों में दी गई तथा कितने केस रजिस्टर किये गये ?

(2) कितने मुकदमों में माल बरामदगी हुई तथा चोर पकड़े गये ?

(3) उनमें से कितने मुकदमों का चालान कोर्ट में पेश किया गया तथा कितने केसों में मुलजिमों को सजा हुई तथा कितने बरी हुए ?

(4) मुकदमों में माल की बरामदगी नहीं होने तथा चोर नहीं पकड़े जाने के लिए और चोर भी पकड़े गये तथा माल भी बरामद हुआ उसके पश्चात् भी चोरों को छोड़ देने और अन्य बाकी माल बरामद न करने के लिए कौन कौन पुलिस कर्मचारी दोषी हैं ? तथा सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लालसोट थाने में चोरी की कुल 178 रिपोर्ट्स पिछले पांच वर्षों में प्राप्त हुई जिन सभी पर केस रजिस्टर किये गये हैं।

(2) 66 मुकद्दमों में माल की बरामदगी हुई तथा 57 मुकदमों में चोर पकड़े गये।

(3) कुल 57 मुकद्दमों में चालान अदालत को पेश किया गया। जिनको 24 मुलजिमानों को सजा हो चुकी है। कोई भी मुलजिम अभी तक बरी नहीं किया गया है।

(4) कुल 178 मुकद्दमात में पुलिस ने भरसक प्रयत्न कर रुपये 54962/- की कीमत का माल बरामद किया तथा 112

(राज्य मन्त्री गृह)

मुलजिमान को गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ अदालत को चालान पेश किये गये इनमें से 24 मुलजिमान को सजा हो चुकी है और वाकी 88 मुलजिमान के खिलाफ अदालत की कार्यवाही चल रही है कुछ मुकद्दमात को पुलिस द्वारा भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी माल बरामद नहीं हुआ है तथा चोर भी नहीं पकड़े गये।

श्री डूंगरगढ़ में सीमेन्ट का अभाव

162. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में सीमेन्ट कई एजेन्ट हैं ? यदि हां, तो एजेन्ट के नाम व माल सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का नाम बतलाया जाय ?

(2) इन एजेन्ट्स ने अक्टूबर, 72 से 31 जनवरी, 73 तक भिन्न 2 फैक्ट्रीज को को कितनी कितनी मांग भेजी व कितना कितना इस अर्से में किस किस फैक्ट्री से माल प्राप्त हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय एव संस्थाओं तथा घरेलू कार्यों की वजह से श्री डूंगरगढ़ में सीमेन्ट का अभाव है ?

(4) यदि हां, तो यह पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) देश में इस समय सीमेन्ट का अभाव है और उद्योगों का उत्पादन बढ़ने पर कमी पूरी हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये।)

उद्योगों के लिये दिये गये ऋण की बकाया

163. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस किस उद्योगपति को दिया गया और उनमें कितना कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

महिलाओं की फरारी के मामले

164. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में सन् 1972-73 में कितने महिलाओं की फरारी के काण्ड हुए ? तथा इनमें कितने अभियुक्तों का हाथ पाया गया ? कितने मुकद्दमों का चालान जेर दफा 366 ता. हिं. में किया गया ? कितने

(श्री मूलचन्द सामरिया)
केसेज में एफ. आर. दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में महिलाओं की फरारी के कुल 1234 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इनमें से 304 मुकद्दमों का चालान जेर दफा 366 ता. हि. में किया गया। जिसमें 352 अभियुक्तों का हाथ पाया गया। 708 मुकदमों में एफ. आर. दी गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये),

पुलिस के उच्चाधिकारियों के घरों पर छापे

165. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जून-जुलाई, 72 में सी.बी.आई. के अधिकारियों ने राज्य के पुलिस उच्चाधिकारियों के घरों पर छापे मारे ? उनके नाम बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को उक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की प्रार्थना पर सी.बी.आई. ने उक्त छापे मारे ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने शिकायतें प्राप्त होने के कितनी अवधि पश्चात् सी.बी.आई. से उक्त जांच करने की प्रार्थना की व किस तिथि को ?

(4) क्या सरकार को सी.बी.आई. द्वारा उक्त छापे एवं जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां।

श्री एन. सी. दत्ता, आई. पी. एस., श्री एम.पी. त्रिपाठी, आई. पी. एस., श्री कुमान सिंह, आई. पी. एस. (सेवानिवृत्)

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। यह अवश्य है कि छापे मारे गये उससे पूर्व ही इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सी. बी. आई. को दी जा चुकी थीं।

श्री एन सी. दत्ता—शिकायत प्राप्त होने की तिथि 16-5-72, सी.बी. आई. को जांच के लिए 25-5-72 को सौंपा गया।

श्री एम. पी. त्रिपाठी— शिकायत प्राप्त होने की तिथि 23-10-71 सी. बी. आई. से जांच के लिए प्रार्थना की तिथि 10-5-72।

नोटः—शिकायत दि. 23-10-71 को आने के पश्चात् सतर्कता आयोग की जांच हेतु मामला सौंपा गया, लेकिन सतर्कता आयोग ने दिनांक 20-3-72 को सलाह दी कि मामला सी.बी.आई. की जांच हेतु सौंपा जावे। अतः दिनांक 10-5-72 को सी.बी.आई. से जांच की प्रार्थना की।

(गृह.मंत्री)

श्री गुमानसिंह—समय समय पर शिकायतें प्राप्त होने पर जांच हेतु मामला दिनांक 27-6-69 को सतर्कता आयोग को सौंपा गया। सतर्कता आयोग की राय के अनुसार दि. 5-5-72 को मामला सी.बी.आई. को जांच हेतु सौंपा गया।

(4) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

अकाल राहत कार्यों हेतु सामान की खरीद

25. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों के लिये 1966-67, 1967-68, 1968-69 1969-70, 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में क्या-क्या सामान कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष में कब-कब खरीदा गया?

(2) उक्त सामान का उपरोक्त वर्षों में स्टोर वेरीफिकेशन कब-कब किया गया तथा किस-किस स्टोर में कितने कितने मूल्य के सामान की कमी पाई गई तथा इसके लिये किस-किस को जिम्मेवार ठहराया गया तथा गबन के कितने केस बने और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

(1) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल और अजीत सिंह, सदस्य विधान सभा ने चूरू नगर में वार्ड नम्बर 18 में बहादुर शाह काजी की भूख से मृत्यु तथा बीकमसरा व आसपास 6 व्यक्तियों की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में तहसील फलौदी, सरदार शहर व अन्य कुछ स्थानों पर भी भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों आदि की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसी कि सदन में कल घोषणा की गई थी कि राज्य में आयातित माइलों में धतूरे के बीज का मिश्रण है, इस विषय में सरकार से वक्तव्य देने को कहा गया है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों विषयों पर माननीय खाद्य मन्त्री परसों दिनांक 9-3-73 को सदन में एक वक्तव्य दें।

(2) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने भारतीय सीमा में अनूपगढ़ तहसील के बरोर के निकट गांव 4-ए. में पाकिस्तानी सशस्त्र डाकुओं द्वारा गांव को लूट लेने व हरिजनों को उठा कर ले जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने दांता रामगढ़ के थाना खाटू के थानेदार द्वारा

Page No 43

(43)

(श्री अध्यक्ष)

बस यात्रियों की अकारण पिटाई करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने अलवर नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नगर परिषद् की जमीन नाजायज बेचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर शहर के कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फेक्ट्रियों के समक्ष मजदूरों के घरणों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस प्रस्ताव में कई घटनाओं का एक साथ उल्लेख कर दिया गया है और कोई एक स्पष्ट घटना की चर्चा नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने भाखरा सिस्टम एच. डी. पी. शाखा नहर में पिछले कई वर्षों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और इसमें अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई प्रश्न निहित नहीं है। बजट में चाहें तो बोल सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। आज अखबारों में ऐसा समाचार पढ़ने को मिला।

श्री अध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री झाबरमल सुंडा : जो माननीय सदस्यों के खिलाफ है। माननीय सदस्यों को विधान सभा द्वारा कहने से रोका गया है....

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री झाबरमल सुंडा : तीन विधान सभा सदस्यों द्वारा बड़े जागीरदार द्वारा निजी जमीन सहकारी समिति को बेचने के लिए एक एडजॉर्नमेन्ट मोशन लाया गया है, वह किसी भी पार्टी के हों....

श्री अध्यक्ष : It is no point of order.

श्री झाबरमल सुंडा : आप विधान सभा सदस्यों के हकों के कस्टोडियन हैं, डेमोक्रेसी की नाक के नीचे ऐसा होता रहे, विधान सभा सदस्यों को विधान सभा में कुछ कहने से रोका जाय, यह ऐसा मसला है, जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं जहां तक समझता हूं, विधान सभा में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा, न कुछ लाये। क्या लाये, यह पार्टी की बात हो सकती है, यह पार्टी वाले जाने।

(४५)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मैंने और प्रोफेसर केदारनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक ही घटना से सम्बन्धित है, पन्द्रह पन्द्रह घण्टे फेक्ट्री एक्ट को एवॉयड करके गंगानगर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री के अन्दर काम को रोक दिया जाय दूसरे जो फेक्ट्री एक्ट के तहत सुविधायें लेबर को प्राप्त होनी चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो रही हैं। इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना आम हो रही है, एक्सीडेंट कामन हो रहे है, बच्चे मर जाते है, औरतें और मजदूर कई दफा जल चुके हैं। जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री बन्द होने जा रही है। इस तरह से फैक्ट्री एक्ट का उसमें पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ गंगानगर में लाखों मन कपास मौजूद है, जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री यदि बन्द हो गई तो बहुत बड़ा हाहाकार गंगानगर में पैदा होने वाला है। मैंने और प्रोफेसर केदारनाथ ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका एक ही घटना से सम्बन्ध है, वह घटना है कि जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री में, जो प्रावधान एक्ट में हैं उनके लागू न होने के कारण विषम स्थिति पैदा हो रही है।

दूसरा जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है वह एच. डी. पी. के सम्बन्ध में दिया है। बड़े बड़े गांव हैं नहर पर, लेकिन नहर में पानी नही आने के कारण, एक महीने से अधिक हो गया, गांवों में पीने के पानी का अभाव है। नहरी क्षेत्र होते हुए भी स्थिति गम्भीर हो गई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। एक तरह से अकाल सारे गांवों जो नहर के पास बसे हैं, में व्याप्त हो गया है। नहर का हैड डिफेक्टिव है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। इस कारण से हुरदयालपुरा गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी के लिए लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसको नहरी क्षेत्र कहा जा रहा है........

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे दोनों स्थगन प्रस्ताव स्पष्ट हैं। पहले प्रस्ताव के बारे में निवेदन है कि इस सम्बन्ध में फेक्ट्री इन्सपेक्टर एक्शन नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से हिदायत है कि फैक्ट्री एक्ट का पालन मत करो। दूसरे में अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं एच. डी. पी. नहर को चालू करने के लिए और लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए। मैं माननीय मंत्री को कहूंगा कि वे इनके बारे में वक्तव्य दें। जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री का मामला गम्भीर मसला है ...

श्री अध्यक्ष : तकरीर नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर में लाखों मन कपास पड़ा हुआ है, जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री बन्द हो गई तो एक तरफ तो किसानों को गेहूं 140 रुपये क्विन्टल लेकर खाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ केश क्रॉप है किसानों की, उसका पैसा उसके पास नहीं पहुंचने वाला है। आप कम से कम इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देने के लिए कहें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखी जाने वाली अधिसूचनायें।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (आबकारी) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूँ :

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ. डी./एक्स/71, दिनांक 7 फरवरी,

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वि. वि./71, दिनांक 20 जुलाई, 1972

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) वि. वि/आब./71 दिनांक 5 अगस्त, 1972

(4) अधिसूचना संख्या प. 4(11) वित्त/आब./71, दिनांक 1 मार्च, 1973

शासकीय वक्तव्य

(1) भाखरा एवं चम्बल से प्राप्त होने वाली बिजली में कटौती

(2) राजस्थान में उत्पादित व प्राप्त विद्युत अन्य राज्यों को भी देने, तथा

(3) डीडवाना तहसील में फसल पकने के समय विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन काटने आदि सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन विषयों के ऊपर स्टेटमेंट देना है। मैं प्रत्येक को क्रमशः ले रहा हूँ :

मुख्य मंत्री सम्मेलन के समय राजस्थान में उत्पादित व प्राप्त बिजली को अन्य प्रदेशों को देने की अनुमति मुख्य मंत्री जी द्वारा नहीं दी गई। और न इस वजह से विद्युत में कटौती होगी।

राजस्थान में विद्युत की कमी भाखड़ा परियोजना के गोविन्दसागर जलाशय में पानी कम आने की वजह से और अणुशक्ति विद्युत गृह समय पर चालू नहीं होने के कारण हुई है।

राजस्थान राज्य को भाखड़ा परियोजना से 14 लाख यूनिट, चम्बल परियोजना से 18 लाख यूनिट, सतपुड़ा थर्मल स्टेशन से 14 लाख यूनिट व राजस्थान अणुशक्ति विद्युत गृह से 20 से 30 लाख यूनिट प्रति दिन उपलब्ध होने की संभावना थी लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका। राजस्थान को आजकल केवल 9 लाख यूनिट प्रतिदिन भखड़ा परियोजना से मिल रहे हैं। हमारे उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई जरूरत, जो अक्टूबर 72 से 44-45 लाख यूनिट प्रतिदिन से बढ़ कर जनवरी 73, में करीब 62-63 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई थी, को पूरी करने के लिये चम्बल परियोजना से निर्धारित 28 लाख यूनिट प्रतिदिन के बजाय 52 से 56 लाख यूनिट प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा था। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50 प्रतिशत रहा है।

Page No 46

(५६)

(श्री हरिदेव जोशी)

सतपुड़ा थर्मल स्टेशन से राजस्थान को बिजली चम्बल योजना के मध्य प्रदेश के हिस्से के एक्सचेंज में मिलती है। इस आशा में कि अणुशक्ति परियोजना से किसी भी समय विद्युत् मिलने लगेगी, चम्बल परियोजना से निर्धारित उत्पादन के बजाय अत्यधिक उत्पादन के लिये पानी निकाला गया जिससे कि हमारे कृषि उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा किया जा सके। चूंकि अभी तक राजस्थान अणुशक्ति ग्रह से विद्युत प्राप्त होने की कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है और चम्बल जलाशयों से इतना अधिक पानी निकालने पर अप्रैल-मई, 1973 में विद्युत उत्पादन में अधिक कमी होजाने की आशंका हो जाने से अब इन चम्बल जलाशयों से केवल सिंचाई की जरूरतोंके अनुसार पानी से ही विद्युत उत्पादन करना आरम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार बिजली की उपलब्धि में कमी हो गई और कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण बड़े उद्योगों (125 के. वी. ए. और उससे ऊपर लोड वाले) द्वारा उपभोग की जा रही विद्युत पर मंडल को मजबूर होकर 33.1/3 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी है। यह कटौती कृषि क्षेत्र या अन्य सामान्य नागरिकों द्वारा उपभोग में लागू नहीं की गई है।

गत जनवरी में गंगानगर को सप्लाई बन्द होने का तथ्य यह है कि दिनांक 26-1-73 को 11 बज कर 42 मिनिट पर पंजाब के मुक्तसर ग्रिड सब स्टेशन से श्री गंगानगर को विद्युत् सप्लाई करने वाली 66 के. वी. लाईन के आइसोलेटर वहां के नागरिकों ने आन्दोलन करके कटवा दिये और पंजाब राज्य विद्युत् मण्डल के अधिकारियों को स्विच नहीं लगाने दिया। करीबन 400 व्यक्तियों ने मुक्तसर सब स्टेशन का घेराव किया था और 10-12 व्यक्ति शिफ्ट ड्यूटी में रहे ताकि 66 के. वी. श्री गंगानगर लाईन का स्विच नहीं लगाया जा सके।

यह मामला केन्द्रीय सरकार और भाखरा प्रबन्धक मण्डल के ध्यान में लाया गया और केन्द्रीय विद्युत मन्त्री डॉक्टर के. एल. राव की मध्यस्थता के कारण दिनांक 29-1-73 से 1 बज कर 12 मिनिट से श्री गंगानगर सब स्टेशन को बिजली उपलब्ध हो गई थी। दिनांक 26-1-73 से 29-1-73 तक गंगानगर विद्युत सब स्टेशन से बिजली प्राप्त करने वाले क्षेत्र को हनुमानगढ़-श्री गंगानगर 33 के. वी. लाईन से तकनीकी दृष्टि से जितना सम्भव हो सका उतनी बिजली उपलब्ध कराई गई थी।

नागौर जिले की डीडवाना तहसील के कुछ ग्रामों के कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शनों पर विद्युत विभाग की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करने के कारण सहायक अभियन्ता को (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 की धारा 24 (1) के अन्तर्गत) कुछ कनेक्शन काटने के लिये बाध्य होना पड़ा। ये कनेक्शन 8-12-72 से 16-2-73 की अवधि में काटे गये थे। इनमें से आठ दस उपभोक्ताओं को छोड़ कर बाकी सबने बकाया धनराशि जमा करादी है अथवा धनराशि किश्तों में जमा कराने के लिये आवेदन किया या और उनमें से पहली

(श्री हरिदेव जोशी)
किश्त जमा कराने पर उनके कनेक्शन नियमानुसार चालू कर दिये गये हैं।

इस तहसील के कुछ ग्रामों में कुछ कृषकों ने अपने कुओं पर लगे हुए बिजली के मीटरों को नुकसान पहुंचाया तथा कई कुओं पर डाइरेक्ट कनेक्शन भी कर लिये। ऐसे कृषकों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता को (इंडियन इलेक्ट्रिसीटी एक्ट 1910, की धाराओं के अन्तर्गत) कार्यवाही करनी पड़ी और उनके कनेक्शन काटे गये। कुल 34 कनेक्शन इस कारण कटे गये थे। ये सभी कनेक्शन नियमानुसार पैसे जमा कराने के बाद चालू कर दिये गये हैं। गलत बिल किसी भी कृषक को नहीं दिये गये और न ही बिजली बार बार बन्द की गई।

श्री केसरीमल : मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति किस उद्योग को....

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका भी है क्या ?

श्री केसरीमल : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, एसूसीडेशन करालें।

श्री केसरीमल : बिजली की कमी के कारण जो मजदूर बेकार होंगे उनको बेकारी के समय का पूरा मुआवजा देने की क्या सरकार व्यवस्था करने जा रही है ? क्या कोटा का जो केमीकल कारखाना है, उस कारखाने को पूरी बिजली दी जायेगी ? मेरा मतलब यह है कि उस कारखाने को पूरी बिजली दी जाये और छोटे कारखानों को नहीं दी जाये, यह बहुत ही अनुचित होगा। बड़ों बड़ों को तो आप पूरी बिजली दें और छोटों के कारखाने बन्द कर दें, यह गलत है। आपको बड़े कारखानों के बजाय छोटे कारखानों को बिजली देनी चाहिये।

दूसरा, जो टरबाइन आपने लगाया था वह चालू हुआ या नहीं ? और अगर नहीं चला है तो उसको चलाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है जबकि बिजली की कमी हो रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि अन्तर्प्रान्तीय जो समस्या है वह क्या इसी प्रकार चलती रहेगी कि पंजाब जब चाहे हमारी बिजली बन्द कर ले लोगों को भड़काकर और जब चाहे चालू कर दे, और के. एल राव उसमें दखल दें। यह केवल बिजली की ही समस्या नहीं है, पुरुषार्थियों के सेटलमेन्ट का भी प्रश्न है और पानी का भी प्रश्न है। हम तो ढाई लाख एकड़ भूमि दे दें उनके आउसटीज को बसाने के लिये और वह 90 प्रतिशत लोड फैक्टर पर भी बिजली बन्द कर दें और 60 प्रतिशत ही बतायें। यह कहां तक चलेगा ?

जब सतपुड़ा से पंजाब का कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया तो पंजाब यह ऐलीगेशन लगाये कि सतपुड़ा से जो बिजली राजस्थान से होती हुई पंजाब को जाती है उसको राजस्थान सरकार ने रोक दिया। इस सम्बन्ध में केन्द्र के साथ राजस्थान सरकार ने प्रश्न उठाया है, उसका क्या रेस्पान्स

(श्री योगेंद्र नाथ हान्डा)
रहा ? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और यह चलता आ रहा है।

एक प्रश्न और है, और वह यह कि यह ठीक है कि गोविन्दसागर डेम में 80 फीट पानी कम है और बिजली में रुकावट पैदा हो गई और इसलिये बिजली में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन यह कटौती किस सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी ? आज भरतराम और चरतर में को हेवी केमीकल्स के नाम पर 90 प्रतिशत लोड फैक्टर पर तीन पैसे यूनिट बिजली मिलती है, सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, उनको चीप रेट पर बिजली का कितना क्वांटम दिया जायेगा और सरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित करके चलेगी। किसकी कितनी कटौती की जायेगी, इसका कोई सिद्धांत, कोई आधार होगा या नहीं जिसके अनुसार ऊपर से नीचे तक एक स्लैबिंग के आधार पर बिजली की कटौती की जायेगी। यह सारी स्थिति मन्त्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : इस सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था और आपने बताया कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किसी प्रकार का निर्णय इसके बारे में नहीं हुआ। आज समाचार पत्रों में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कोटा के पास बिजली मिलने वाली है, वह आज या कल तक प्रारम्भ हो जायेगी। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का इकरारनामा या निर्णय हुआ हो, तो यह निर्णय कब लिया गया ? तो आपने जो वक्तव्य दिया कि 33 प्रतिशत बिजली की कटौती की जा रही है, वह वक्तव्य इसको ध्यान में रखकर दिया गया है या और कोई पोजीशन है ? एक तिहाई कटौती करने का आपने निर्णय लिया है और यह निश्चत है कि इस निर्णय का असर मजदूरों पर ही पड़ेगा। जो फैक्ट्रीज पहले तीन शिफ्ट चलती थी वह अब दो शिफ्ट चलेंगी और कई मजदूर बेरोजगार होंगे। वह अगर काम छोड़कर अपने गांव जायेंगे तो वहां पर भी उनको कोई काम नहीं मिलने वाला है, गांवों में भी अकाल की स्थिति है, वहां पर भी उसके लिये कोई जीविका का साधन नहीं है। तो आप यह भी स्पष्टीकरण करें कि कटौती करने के समय आपने इस मानवीय पहलू पर भी विचार किया है या नहीं ? इस प्रकार की कटौती जिससे कई मजदूर बेरोजगार होंगे, उनके लिये, हमारे पास क्या योजना है और किस प्रकार से उस प्रश्न को हल कर पायेंगे ?

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी कुछ प्रश्न है जिनके बारे में मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने अकाल के कारण वसूलियां काश्तकारों की रोक दी थीं और उसके कारण जो बकाया रह गयी थी उन लोगों के कनेक्शन भी काट दिये गये। दूसरे जो बकाया काश्तकारों में रहती है उसकी वसूली पी. डी. आर. के तहत क्यों नहीं की जाती ? आज उनके काश्तकारों को बिना नोटिस दिये ही और बिना यह

(श्री मनोहर लाल)
बताये कि कितनी रकम बकाया है उनके कनेक्शनस काट दिये गये हैं। इसके लिये मैं यह भी निवेदन करूंगा, इसके साथ साथ क्या पी. डी. आर. के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है? तीसरा प्रश्न मैं वापिस रिपीट करना चाहता हूं अकाल के कारण जो वसूलियां काश्तकारों की स्थगित कर दी गयी थीं क्या उन्हें स्थगित ही रखा है या स्थगित नहीं की गयी हैं? और अगर वसूलियां स्थगित नहीं की गयी तो क्यों और अगर वसूलियां स्थगित कर दी गयीं तो स्थगित करने के बावजूद भी उन लोगों के कनेक्शन्स क्यों काट दिये गये?

श्री झाबरमल सुन्डा (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया था। हमारे वहां पर काश्तकारों के करीब 200 कनेक्शन्स काटने के आदेश दे दिये गये हैं और 40-50 के तो कनेक्शन्स कट भी गये हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, जो कि बारह महीने तक लगातार बिलों का पेमेन्ट भी करते हैं। यह भी बात सही है कि कुछ लोगों ने मीटर को खराब कर दिया था और उसके अनुसार राज्य सरकार को कुछ नुकसान भी हुआ लेकिन ऐसे वक्त में जबकि पीक सीजन है और फसल बिलकुल पकने को तैयार है उस वक्त अगर आप पानी देना बन्द करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को कितना नुकसान होगा। इस वक्त तो फसल को ज्यादा से ज्यादा पानी देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कल भी कुछ बिल लेकर आया था जिनका कि पेमेन्ट किया जा चुका था पर फिर भी उन लोगों ने पेनेल्टी लगाकर उनके कनेक्शन्स काट दिये। दुःख की बात यह है कि बारह महीनों तक बिलों का भुगतान करने के बाद भी उनको नोटिस दे दिया गया है कनेक्शन्स काटने का। और करीब, अध्यक्ष महोदय, दो सो ऐसे काश्तकार हैं जिन्हें कनेक्शन्स काटने को नोटिस दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी फागुन के महीने में अगर चार दिन भी फसल को पानी नहीं दिया गया तो फसल खराब हो जावेगी और काश्तकार ने छः माह तक काश्त को पानी दिया वह सभी बेकार हो जावेगा। फसल नष्ट हो जावेगी। इसलिये यह जो आदेश दिये गये हैं दो सो व्यक्तियों के कनेक्शन्स काटने के उन्हें निरस्त किया जाय।

श्री केदारनाथ: मैं मन्त्री महोदय से कुछ बातों के बारे में जानकारी चाहूंगा। पहला प्रश्न यह है कि राज्य सरकार का जो सतपुड़ा की बिजली के बारे में एग्रीमेन्ट मध्यप्रदेश सरकार के साथ हुआ उसके बाद उस बिजली को अचानक ही काट दिया गया क्योंकि बिजली पन्जाब को दी जानी है। इसमें पन्जाब सरकार के ऑफिसर्स ने गड़बड़ की क्या उसकी नॉलेज राज्य सरकार को थी? क्या यह राज्य स. के इन्सटेन्स से किया गया या उनकी मर्जी से? दूसरे जो राज्य स.का कॉन्ट्रेक्ट अल्टरनेटिव बिजली के लिए एम. पी. गवर्नमेन्ट से था, जिससे राज्य सरकार ने पांच लाख यूनिट ज्यादा की मांग की थी और फिर उससे ज्यादा हमने करीब 8 लाख यूनिट की मांग की उसके कारण ऐसा किया हो? तीसरा मेरा प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ने अभी तक सेन्टर एटॉमिक एनेर्जी के प्लान्ट

Page No 50

(50)

(श्री केदारनाथ)

के बारे में आज तक कुछ नहीं किया और उससे राज्य सरकार को जो हैवी लॉसेज हुए उसके बारे में क्या राज्य सरकार ने कोई एक्शन लिया है? क्या राज्य सरकार ने कोई मुआवजे की मांग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से की है? इसके अलावा चौथी बात है वह यह है कि यह जो आप वन थर्ड कटौती कर रहे हैं जिससे कि इण्डस्ट्रीज पर खास तौर से उन लोगों को जो कि परमानेन्ट नहीं हैं जो केजुअल लेबर है या वर्कचार्ज बेसिस पर उन्हें नुकसान होगा, वे अनएम्पलायड हो जावेंगे, उसके लिये कोई प्लान राज्य सरकार का उन्हें एम्प्लायमेन्ट देने का है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कमीशन हमारे यहां हो रहा है उसके लिए दूसरे प्रान्तों के अधिकारियों के मन में यह भावना है कि राजस्थान में इस प्रोजेक्ट से जो बिजली तैयार होगी उसको राजस्थान में पूरी तरह से काम में नहीं लिया जा सकेगा इसलिये ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। किन्तु मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई कमिटमेन्ट दूसरे प्रान्तों से बिजली देने के बारे में नहीं किया है। हमने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जितनी भी बिजली प्रोड्यूस की जावेगी उस सारी की सारी बिजली को हम कन्ज्यूम कर लेंगे। आज क्राइसिस का कारण यह है कि, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो अक्टूबर में 44 लाख यूनिट बिजली कंज्यूम होती थी वह दिसम्बर 72 में बढ़ कर 65 लाख यूनिट हो गयी है और अगर हम और भी कनेक्शन्स दें तो इससे ज्यादा भी बिजली देनी पड़ सकती है। और मैं समझता हूं कि हम उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पायेंगे। अभी जो बात बिजली के बारे में इतनी कही जा रही है, यह उसीके कारण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले समय एक कोन्फ्रेन्स हुई थी नोर्थन जोन पावर के बारे में उसमें हमने स्पष्ट कह दिया था कि राजस्थान में जो एटॉमिक पावर प्रोड्यूस की जावेगी वह एक्सक्लूजिवली राजस्थान के अन्दर काम आयेगी। वह राजस्थान के लिये ही होगी। और हम उसको कन्ज्यूम कर लेंगे। अब रह जाता है, अध्यक्ष महोदय, पन्जाब में क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमने कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया। अगर हमारे पास सरप्लस बिजली होती तो निश्चित रूप से हम पड़ौसी प्रदेश वाले होने के नाते उनकी मदद करते और हम उनकी मदद करने में कभी भी नहीं झिझकते। मगर ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम दूसरे प्रान्तों की मदद कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सन् 66-67 और 68 में जब हमारे राज्य में बिजली की भयंकर कमी हुई थी उस वक्त हमने अपने पडौसी प्रदेशों से बिजली की मांग की थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रान्त ने हमें बिजली नहीं दी। किसी भी प्रान्त ने हमारी मदद नहीं की और हमको 50 पर्सेन्ट बिजली की कटौती करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कटौती का प्रश्न है, आज सभी जगहों पर कटौती बिजली में की जा रही है चाहे आप पंजाब देखिये, हरियाणा में देखिये, यू. पी. देखिये-सभी जगह पर कटौती की जा रही है। मेरा

(श्री हरिदेव जोशी)

कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हमसे कोई मांग करे हम किसी को भी बिजली नहीं देंगे। आज हमने जो वन थर्ड कटौती की बात की है, उसका कारण बिजली की कमी है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हम मध्यप्रदेश सरकार से, जिनके पास कि सरप्लस पावर है, ज्यादा बिजली पर्चेज करते हैं वह भी करीब 7-8 लाख यूनिट बिजली होगी। आजकल यह चर्चा जरूर है कि पंजाब मध्यप्रदेश से बिजली के बारे में एग्रीमेन्ट कर रहा है कि वह राजस्थान के मार्फत मध्य प्रदेश से बिजली ले लेगा। सतपुड़ा वाली बात जो राजस्थान के बारे में है वह अलग है। यह तो पंजाब गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बात कर ली है पर पोजिशन यह है कि क्या राजस्थान उस बिजली को पंजाब को ट्रान्सफर कर सकेगा? अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में श्री के. एल. राव के पास भी तीन चार बार मीटिंगें हुई हैं और उसमें एक बार गृह मन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने भी इन्टरवीन किया था इस बारे में। उस वक्त हमने यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहां पर यह जो कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं किया वह गलत है। सतपुड़ा की सरप्लस बिजली के बारे में जो पंजाब का कॉन्ट्रेक्ट मध्य-प्रदेश से हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब कोई स्थिति स्पष्ट करने को नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय, फोर्थ प्लान में क्या पॉलिसी होगी उसके बारे में कहा गया है जो वन थर्ड कटौती की है, उसमें किसको ज्यादा और किसको कम बिजली दी जावेगी इसके बारे में थोड़ा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमने इसमें कुछ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है। एक तो हमने डेयरीज प्लान्ट के लिए व कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट के लिये यह कन्सेशन रखा है कि उन्हें 24 घन्टे बिजली दी जावेगी। और दूसरे राजस्थान में जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं जो कि 125 के. वी. लाईन के नीचे की पावर वाली इण्डस्ट्रीज हैं, उनको हम पूरी मदद देंगे।

125 से ऊपर की जितनी भी हैं, सिवाय कोल्ड स्टोरेज और डेयरी प्लान्ट के, किसी के साथ भेद भाव नहीं किया है। चाहे वह रेयन मिल हो, टेक्सटाइल्स अथवा अन्य कोई फैक्टरी हो।

तीसरा सवाल यह पेश किया गया कि जब आकाल पड़ गया है और सब जगह वसूली स्थगित कर दी गयी है तब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज पी. डी. आर. के मातहत क्यों वसूल करते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिये अलग से एक्ट है। उसमें बाकायदा नोटिस दिये जाते हैं और जमा नहीं होता है तो उसी सूरत में उनको मजबूरन करना पड़ता है। इन लोगों को किश्तें कर दी गयी हैं और सिवाय 7-8 आदमियों के जिनके भी कनेक्शन कट गये हैं, उन सब को वापिस कनेक्शन दे दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य ने रीगरस पॉवर कट से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में पूछा तो मैं निवेदन करूंगा इण्डस्ट्रियलिस्ट्स और लेबर बैठ कर इसको तय कर लेंगे और यह लेबर के हित में होगा।

श्री केशरीमल : ब्यावर में बहुत उद्योगों पर असर होगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह चुका हूं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक 1973-74 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक 1973-74 पर अग्रेत्तर विचार विमर्श।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में कई प्रकार के विचार प्रकट किये गये थे। एक विचार यह भी आया कि यह प्रगतिशील बजट है और सदन में आने से पहले जब प्रातःकाल मैंने समाचार पत्रों में इसके बारे में प्रतिक्रियायें पढ़ीं तो एक प्रतिक्रिया इसके प्रगतिशील होने की उनकी ओर से आयी जो जयपुर उद्योग और आलोक उद्योग के साथ सम्बद्ध हैं श्री के. एल. जैन। उन्होंने इसको प्रगतिशील बताया। मैं सोच ही रहा था कि इसकी प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है और इस प्रकार प्रगतिशील इस बजट को बता कर वास्तव में क्या किया जा रहा है? परन्तु आम जनता यह चाहती थी कि गत वर्ष जिस प्रकार से हलवाइयों पर कर लगाया गया, दाल के ऊपर, आटे के ऊपर और अन्य चीजों के ऊपर टैक्स लगाया गया था, जिसका सदन के अन्दर बहुत विरोध किया गया था शायद अकाल की भीषण विभीषिका को देखते हुये माननीय वित्त मन्त्री महोदय इनमें छूट देंगे और इनको वापिस ले लेंगे। परन्तु हुआ यह कि जहां तक बजट भाषण का प्रश्न है जनता के सम्मुख एक आकर्षण और लुभावना चित्र प्रस्तुत किया गया। परन्तु वास्तव में उस चित्र का दिग्दर्शन किया गया तो यह मिला कि जिस प्रकार गत वर्ष कहा गया था कि 27 करोड़ का घाटा होगा लेकिन हमें आशा है कि राजस्थान को केन्द्र द्वारा जो सहायता दी जावेगी, और उससे यह घाटा पूरा कर दिया जावेगा। अब जब इस बार का बजट भाषण सुना और उसको पढ़ा, तो उससे पता चला कि पिछले वर्ष, गत वर्ष यह आशा की थी कि 27 करोड़ का घाटा केन्द्रीय अनुदान के द्वारा या अन्य उपलब्धियों से समाप्त हो जावेगा तो माननीय मन्त्री महोदय ने अब बजट भाषण में यह स्वीकार किया हैं कि वह घाटा अब भी चल रहा है और जो उन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स पेश किये थे बजट के अन्दर उसमें 20 करोड़ बताया, इस बार फिर इसी प्रकार से, यदि मैं आपको उल्लेख

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करूं तो, आशंका प्रकट की गयी है और आपको फिर आशा है कि केन्द्र के द्वारा इस घाटे की पूर्ति कर दी जावेगी। यह ठीक उसी प्रकार आपने यहां कहा है जैसा कि आपने पिछली बार 72-73 का बजट भाषण प्रस्तुत करते हुये पैरा 71 में कहा था।

फिर भी गैर योजना मद में 27.94 करोड़ का घाटा रह जायेगा। हमें आशा है कि यह घाटा केन्द्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता तथा उनके द्वारा अधिक साधन जुटाने के प्रयत्नों में मिलने वाले राज्य के हिस्से से, पूरा हो जायेगा।

तो अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि हर बार यह कह कर जनता के सामने आते है कि यह घाटा केन्द्र के द्वारा पूरा कर दिया जावेगा लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। वह घाटा पूरा न होकर बढ़ता ही जाता है और राज्य पर ऋण की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने कहा था कि वित्त मंत्री महोदय ने इन्सोल्वेन्सी पिटीशन, दिवालिये की दर्ख्वास्त प्रस्तुत कर दी है। इस बार भी मैं यही कहूंगा कि दिवालिये की दर्ख्वास्त प्रस्तुत की, केन्द्र ने स्वीकार नहीं की और भिक्षुक बन कर, भिखारी बन कर, बेगर्स बाउल, भिखारी की झोली फैला कर केन्द्र से मिन्नत हो रही है कि राज्य सरकार पर कर्जा है उसको माफ कर दें, समाप्त कर दें, यह तो केन्द्र पर है समाप्त करे या माफ करे। केन्द्र माफ करे तो हमे प्रसन्नता होगी। यद्यपि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मांगना पसन्द नहीं करते। यह हमारे यहां का ट्रेडीशन है, कन्वेंशन है। लेकिन उसके विपरीत भी इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया और आशायें व्यक्त की गयी हैं। केन्द्र के सामने याचक के रूप में, भिखारी जैसे झोली फैला कर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सहानुभूति से विचार करे और हमारी दयनीय स्थिति को देख कर इस ऋण को समाप्त कर दे। यह तो स्पष्ट है कि राजस्थान कृषि, उद्योग या और कोई भी क्षेत्र हो, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति रहते हुए, उस क्षेत्र में इम्प्रूव नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में फाइनेन्स कमीशन के सामने अथवा यहां दिया हो, उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान सबसे पिछड़ा प्रदेश है और राजस्थान में 22 या 23 वर्ष के प्रयास के बाद भी हम इस बात के लिये असफल हुए हैं और गरीब और अमीर के बीच असमानता को दूर करना तो दूर रहा, किन्तु हम उसको कम भी नहीं कर सके हैं।

"योजनाओं का सिंहावलोकन और भविष्य" इसमें लिखा है कि 'असमानताएं बढ़ी हैं अथवा निम्न स्तर का जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। असमानता के अन्तर की यह खाई न केवल जनसंख्या के धनी और निर्धन वर्गों के बीच बढ़ी है वरन् देश के अधिक उन्नत और अधिक पिछड़े हुए राज्यों के बीच भी बढ़ी है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह स्वीकारोक्ति, यह कन्फेशन और एडमिशन इस बात के लिये निश्चित रूप से स्पष्ट है कि राजस्थान में गत 22-23 वर्ष में कांग्रेस शासन रहा है, चाहे हर वर्ष बजट भाषण देते समय तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में वित्त मंत्री या राज्यपाल द्वारा घोषणा करते समय या मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषणा करते समय यह कहा जाय कि हम समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हम मंजिल के नजदीक है कई बाधायें हैं मार्ग में लेकिन हम बढ़ते ही जावेंगे। वित्त मंत्रीजी का भाषण स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है, उसमें एक सेन्टेन्स में, एक वाक्य में, इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि हम आगे बढ़ना तो दूर रहा पीछे ही गये हैं। राज्य सरकार द्वारा समाजवाद का ढोंग और ढकोसला करने के बाद भी इस प्रदेश में गरीब और अमीर के बीच असमानता बढ़ी है, एक खाई बढ़ी है और उसको हम कम करने में असफल रहे हैं।

(12-48 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी हम एक इन्च भी आगे नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि बावजूद आपकी घोषणाओं के आप असफल रहे हैं। निश्चित रूप से आप कहते थे कि देश में गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन मिटाने की बात तो दूर रही राज्य सरकार की ओर से उसको बढ़ाया गया है और बढ़ जाने के बाद में उसको संतुलित रखने में भी असमर्थता प्रकट की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी स्वीकार किया है, हमने अपनी तुलना नागालैंड, आसाम और जम्मू और कश्मीर से की है।

जो प्रदेश आज हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़े गिने जाते हैं उनसे आप अपनी तुलना करते हैं। इनमें भी जम्मू काश्मीर को और नागालैंड को छोड़कर सड़कों, विद्युत्, शिक्षा आदि मामलों में यह राजस्थान प्रदेश सबसे पीछे है। इस तरह से हम बैंक बेंचर्स हैं। पीछे पड़े रहना, पिछड़े कहलाना पसन्द करते हैं। मैं तो समझता हूं कि पिछड़े लोगों में भी आप सीनियर मोस्ट बैंक बेंचर्स हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बैंक बेंचर्स पालियामेन्ट्री लैंग्वेज में सीनियरमोस्ट को कहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो इस तरह शिक्षा, विद्युत्, सड़कें और अन्य विकास के मामलों में हमारी दर सबसे कम है। अब यह औद्योगिक विकास है या कृषि का विकास है, यह राज्य सरकार सोचे।

उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास की हमारी जो रेट 69-70 में 7.1 थी, वह भी घट गई और घट कर 71-72 में केवल 2.9 पर्सेन्ट रह गई। यही क्रम कृषि विकास का हमारा है। 69-70 में 7.1 से घटकर आज 71-72 में 1.3 आ गई है। इस तरह से हमारी योजनाबद्ध विकास की जो आकांक्षा और कल्पना थी, वह साकार नहीं हो सकी।

हमारे वित्त मन्त्री ने घोषणा की कि पांच रुपया पुलिस के लोगों को मैस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अलाउन्स का देंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं। पर साथ ही कहना चाहूंगा कि राज्य में अन्य कर्मचारी भी इन्हीं की सी स्थिति में हैं। प्राइमरी स्कूल के मास्टर जो गांव की ढाणियों में बच्चों को पढ़ाने के लिये जाते हैं, एल. डी. सी. हैं, चपरासी हैं, छोटे वेतन भोगी हैं, इस महंगाई के जमाने में उन सभी को पांच रुपया देने की बात आपको करनी चाहिये। लेकिन इस भयंकर महंगाई के जमाने में इन लोगों को रिलीफ देने की कोई घोषणा न बजट में की और न माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में की तो अब यह घोषणा की जावे कि यह पांच रुपया निम्न वेतनभोगी सभी कर्मचारियों को महंगाई से राहत पाने के बतौर दिया जावेगा जिनकी गिनती सिक्स्थ ग्रुप ऑफ इन्कम में है। आप इसका स्लेब भी कर सकते हैं, पर कम से कम पांच रुपया होना चाहिये।

अब पुलिस के जिन कर्मचारियों को यह पांच रुपया का मैस अलाउन्स दिया गया है वह अगर कोई मैस में न खावे और चालीस दिन लाइन के मैस से गैर हाजिर रहे, तो पहले से जो 12 रुपया मैस अलाउन्स मिलता था वह नहीं मिलेगा और सिर्फ पांच रुपया ही मिलेगा। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें। छोटे पुलिस कर्मचारियों को केवल उच्च अधिकारियों की दया पर और उनके मनमाने इन्टरप्रिटेशन पर न छोड़ें। मुझे ऐसी इत्तला मिली है कि वे यह इन्टरप्रिटेशन इसका ले रहे हैं। आप स्पष्ट घोषित करें कि चाहे वह चालीस दिन ड्यूटी पर बाहर रहे, उसको पूरा मैस अलाउन्स मिलेगा। कोई कटौती नहीं की जावेगी।

एक और घोषणा की गई टैक्सों के बारे में। खण्डसरी पर तो आपने कह दिया कि उसकी सारी इन्कम इस उद्योग के विकास पर लगा दी जावेगी। पर मैं कहता हूं कि यह युक्तिसंगत नहीं है। आज गांव में शक्कर मिलती नहीं है। गांवों में लोग खण्डसारी का उपयोग करते हैं तो पहले तो उस पर टैक्स लगाकर महंगा कर देना और फिर उसके विकास की बात करना, इसमें कोई तुक नहीं है। अगर यह महंगी बनी रही तो क्या विकास हुआ? किसका विकास आपने किया? आपकी यह घोषणा उलझनभरी है। इसका सही मन्तव्य क्या है बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं समझ पाया हूं। मन्त्री महोदय कृपया इसका स्पष्टीकरण करें।

यह भी घोषणा की गई कि रेयन पर आप टैक्स लगा रहे हैं तीन प्रतिशत। पर जब मैंने सेल्स टैक्स एक्ट को देखा और माननीय मन्त्री जी ने जो बजट के पोथे भेजे, उन दोनों का जब मिलान करके मैंने देखा, तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई और मैं नहीं समझ सका कि मन्त्री महोदय ने जान बूझकर वस्तु स्थिति को छिपाया है या उन्होंने इस एक्ट को समझा नहीं है। एक्ट में जो इसका प्रोविजन है उसमें साफ लिखा है कि "The Bill seeks to give effect to the financial proposals for the 1973-74."

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह अमेण्डमेन्ट एक्ट 73 का है। इसके शिड्यूल्ड में भी लिखा है:

"All cotton fabrics, rayon or artificial silk fabrics, woollen fabrics, sugar and tobacco, as defined in the Additional Duties of Excise (Goods of Special 'Importance' Act, 1957 (Central Act, 58 of 1957), Handloom cloth, excluding pure silk handloom cloth."

माननीय मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यद्यपि लिखा है कि वे केवल रेयन आर्टिकल्स और सिल्क पर टैक्स लगाना चाहते हैं पर वास्तव में तो यह सूती वस्त्रों पर टैक्स लगाया गया है और सदन में जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया उसमें इस बात को छिपाया गया है। या तो उनको यह बात मालूम नहीं है, या विभाग के अधिकारियों ने उनको भुलावे में रक्खा है। यह अहमियत का मामला है। अब अगर सूती कपड़ों पर या गारमेन्ट्स पर टैक्स लगाया गया तो दो करोड़ नहीं कई करोड़ की आमदनी सरकार को इस तीन पर्सेन्ट टैक्स से होगी। तो कृपया मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करें।

मैं यह नहीं कहता इसके ड्राफटिंग में कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन निश्चित रूप से कनफ्यूजन है। जो बिल दिया है उसमें स्पष्ट है सूती वस्त्र जो 18 शिड्यूल में है, उसका हिन्दी अनुवाद है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका इफेक्ट समस्त सूती वस्त्र, रेयन या कृत्रिम रेशमी वस्त्र, तम्बाकू, चीनी आदि से है-एक्ट सेविन में है। अब मैं यह जानना चाहूँगा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से जब वे उत्तर दें यदि सूती वस्त्र के ऊपर, रेशमी वस्त्र के ऊपर या रेडीमेड गारमेन्ट्स के ऊपर या किसी भाग पर टैक्स लगाने का है तो उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया गया है ? जो फाइनेन्स कमीशन के सामने मेमोरेन्डम दिया गया है उसमें राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है जो सारे आइटम हैं, उनके ऊपर क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगती है इसलिये राजस्थान सरकार टैक्स नहीं ले सकती है और मेमोरेन्डम में फाइनेन्स कमीशन से कई बातें कही गई हैं या तो मेमोरेन्डम देने के बाद विचार बदला है, किन कारणों से बदला है, यह तो वे बतलायें लेकिन राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है क्या वित्त मन्त्री महोदय ने तम्बाकू, चीनी, सूती वस्त्र, रेडीमेड गारमेन्ट्स पर टैक्स लगाया है और नहीं लगाया है, तो इन सारे आइटम्स को क्यों हटाया, केवल फेब्रिक्स रेयन को क्यों नहीं हटाया ? यह मैं जानना चाहूँगा।

दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहमियत की है, इसका इतिहास है। इस सदन के प्रांगण पर 71 में माननीय मथुरादास जी माथुर जब वित्त मंत्री थे उन्होंने डी. सी. एम. के मामले में भाषण में कहा और यह कहा फेब्रिक्स मानते हैं तो एक्साइज ड्यूटी देंगे और यार्न है तो सेल्स टैक्स वसूल कर लेंगे। यह रुपया कहीं नहीं जायगा। यह रेकार्ड में मौजूद है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यार्न है, तो सेल्स टैक्स का रुपया वसूल कर लेंगे और फेब्रिक्स है तो एक्साइज ड्यूटी वसूल कर ली जायगी। यह घोषणा की। 1962 से यह गंभीर मसला चला आ रहा है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्योंकि इसका सम्बन्ध राजस्थान की 5-6 करोड़ की आमदनी से है। राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा हैवी टैक्सेशन है। राजस्थान प्रदेश में जैसा कि आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने कहा टैक्सेशन के मामले में राजस्थान की स्थिति नहीं है यानी कोई टैक्स आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में धन्ना सेठों के हिसाब में 5-6 करोड़ के टैक्स की छूट दे दी जाय और वसूली न की जाय। इस सम्बन्ध में विचार करना होगा। 1970 में माननीय मथुरादास जी माथुर जब वित्त मंत्री थे उस समय यह प्रश्न बार बार उठाया गया। और यह स्पष्टीकरण किया गया था, इसमें स्पष्टतौर से कहा था, एक्साइज ड्यूटी अथवा सेल्स टैक्स दोनों में से एक हमें मिलेगा और यह कहा केन्द्र दिल्ली क्लाथ मिल से एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं करता है। यह जानकारी कर ली है और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है हमने एक बार छोड़ दिया। अब यह धन्ना सेठ चाहे भरत राम हो, चाहे चरत राम हो और चाहे कोई चरत राम हो उनको तीन पैसे पर बिजली दी जाय। राजस्थान के काश्तकार, राजस्थान के मजदूर, राजस्थान का कर्मचारी, राजस्थान का रहने वाला विद्यार्थी बिजली से परेशान है और उनको तीन पैसे पर बिजली दी जाय और उसके बाद 6 करोड़ का घपला डी. सी. एम. के मामले के अन्दर किया जाय। मैं जानना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि इसके अन्दर कहीं कमी है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय वित्त मंत्री महोदय की स्वयं की सांठ गांठ से हुआ है। मैं यह भी नहीं कहता कि उनका मेलाफाइड इन्टेशन होगा लेकिन मुझे यह कहने को बाध्य होना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि इस स्केन्डल के लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं इसकी कुछ कटिंग भी देना चाहूंगा। माननीय मथुरादास जी का भाषण पढ़कर सुनाया और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वसूल कर लेंगे चाहे एक्साइज ड्यूटी के रूप में करें या सेल्स के रूप में करें। यह सदन के अन्दर वक्तव्य दिया हुआ है। उन्होंने यह कहा है दोनों में से एक वसूल करके ही रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यह इसलिये भी आवश्यक है कि आज जो राजस्थान सरकार ने फेब्रिक पर तीन पर्सेन्ट टैक्स लगाने की घोषणा की है उसमें मेरा यह कहना है कि डी. सी. एम. के लिये यह एक बहुत बड़ा स्केन्डल होगा। वे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने स्वयं ने इस बात को मान लिया है कि यह फेब्रिक पहले एग्जेम्प्टेड था और इसलिये जो आज तक की ड्यूज है उसके बारे में वे इसका फायदा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अभी जब एक प्रश्न पूछा गया था माननीय वित्त मंत्री महोदय से तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में उसका उत्तर दिया और उत्तर इन शब्दों में दिया कि जो फैसला हाई कोर्ट के द्वारा डी. सी. एम.

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की रिट पर हुआ है, जो 75 लाख या 74 लाख की डिमान्ड थी वह एक साल की थी और अब आप अनुमान लगाइये 75 लाख एक साल की डिमान्ड और उसको 62-63 से केलकूलेट किया जाय तो मैं समझता हूं 6-7 करोड़ की आमदनी होगी। उस रकम के बारे में यह कहा चूंकि राज्य सरकार ने 74-75 लाख रुपये को 14-15 लाख रुपये में रिड्यूज कर दिया वह रिड्यूज क्यों कर दिया, वह रिड्यूज इसलिये कर दिया कि हाईकोर्ट ने उस बात को एग्जामिन नहीं किया इसलिये छोड़ दिया जाय। हाईकोर्ट का यह कहना कि निर्णय नहीं देंगे लेकिन सेल्स टैक्स ऑथोरिटी के सामने बहुत डिमान्ड की गई है उस समय तक 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया और जब प्रस्तुत नहीं किया तो जो भी रकम थी वह राजस्थान सरकार लेने की अधिकारी है दिल्ली क्लाथ मिल्स से। लेकिन जब कोर्ट के सामने एश्योरेन्स दे दिया गया तो मैं जानना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि उनकी स्वीकृति से दिया गया है या बिना स्वीकृति के ही दिया गया है। क्या 'सी' फार्म के लिये ऑथोरिटी बाउन्ड नहीं है और डी. सी. एम. ने 'सी' फार्म पेश नहीं किया तो 75 लाख की डिमान्ड केवल 14-15 लाख की इसलिये हो गई कि राजस्थान की सरकार ने एश्योरेन्स दे दिया था और 'सी' फार्म नहीं दिया गया है तो अब एक्सेप्ट कर लेंगे और 10 पर्सेन्ट को जगह 3 पर्सेन्ट लगा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा घपला है। कौन जिम्मेदार है? यह लापरवाही का प्रश्न है। यह निर्णय तो बाद में किया जा सकता है लेकिन सदन को यह बताया है और हाईकोर्ट ने कहा है 10 पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट कर दिया जाय और हमने मान लिया। राज्य सरकार ने वहां पर हाई कोर्ट में एश्योरेन्स दिया, 3 पर्सेन्ट से एक्सेप्ट कर लेंगे और 'सी' फार्म को बाद में एक्सेप्ट करके रिट तो खारिज को गयी यह कह कर कि फैक्ट्स के ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं कि यह फेब्रिक है या क्या है। हाई कोर्ट तय नहीं कर सकता इसलिये सेल्स टैक्स की डिमाण्ड कायम रह गयी और राज्य सरकार की इस प्रकार से 75 लाख की रकम को 14-15 लाख में एक साल के लिए कन्वर्ट कर दिया गया और इस प्रकार से 1962 से लें तो 5 करोड़ रुपये की रकम, जो दिल्ली क्लाथ मिल से राज्य सरकार को मिल सकती थी, जिसके कारण कई स्थानों पर विकास हो सकता था, जिसके कारण अकाल की लड़ाई में हम आगे बढ़ सकते थे, उससे राज्य सरकार महरूम रह गयी। मैं जानना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसके बाद जिस प्रकार से एग्जेम्पशन विथड्रा किया गया—उसमें मुझे ऐतराज नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इम्पलीकेशन को देख कर जब यह कनफ्लिक्ट चल रहा है कि फेब्रिक है या नहीं है और आप अपनी ओर से इसको एक्सेप्ट कर लें तो इसमें या तो ऐसा लगता है कि डी. सी. एम. के अधिकारियों से हमारे अधिकारियों की राय जुड़ी हुई है या फिर उनको मिसगाइड किया हुआ है या कहीं न कहीं घपला हुआ है। राज्य सरकार को 6 करोड़ की रेवेन्यू का लाभ हुआ है और गम्भीर मसला है जिसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जे. के. सिन्थेटिक्स के मामले में पिछले बजट सैशन में मैंने अपने भाषण में चैक नम्बर पढ़कर बताया कि यह रकम थी जो जे. के. सिन्थेटिक्स की या डी. सी. एम. की कांग्रेस फण्ड में गयी। मैंने सारे आंकड़े बताये थे। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 1962 से यह मामला चल रहा है और आज भी इसको टाला जा रहा है और पिछले सदन में यह भी कहा गया कि वह चोरी करते हैं। जे.के. सिन्थेटिक्स के मामले में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि वह चोरी करते हैं लेकिन चोरी को पकड़ने के लिए वह हमारे ग्रिप में नहीं आये। इतनी बड़ी आपकी सरकार, इतने बड़े आपके साधन, इतनी बड़ी मशीनरी और फिर आप चोरी को नहीं पकड़ पाते हैं। जिस समय कि हजारों लोग अपने क्षेत्र में आन्दोलन करें विकास के बारे में और अकाल के बारे में या मंहगाई के बारे में या तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो यह तो सब आपके काबू में आ जाते हैं। मेडीकोज का आन्दोलन हुआ, इन्जीनियर्स का आन्दोलन हुआ उनको तो आपने काबू में ले लिया। क्या आपके पास डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स नहीं हैं? आप छोटे से काम के लिए लोगों को जेलों में डाल सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं लेकिन आप चोरी को नहीं पकड़ सकते। आपने हाउस में कहा है कि वह चोरी कर रहे हैं लेकिन चोरी पकड़ने में नहीं आ रही है। यह आपका मोरल कनविक्शन है, यह आपका लीगल कनविक्शन है तो मैं समझता हूं यह भी आपका कर्त्तव्य है कि चोरी करने वाले डी. सी. एम. और जे.के. सिन्थेटिक्स वालों को, आलोक उद्योग या जयपुर उद्योग को, जिनको आपने करोड़ों रुपयों का ऋण दिलवा दिया, अपनी गारन्टी के ऊपर उनको जेल के सींखचों में डाला जाये लेकिन धन्ना सेठों को जेलों में नहीं डाला जा सकता। कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग बाहर मांग करें कि हमको महंगाई दी जाये, हमारा भत्ता बढ़ाया जाये उनका तो महंगाई और भत्ता नहीं बढ़ाया जायेगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। जो घोषणा यहां सदन में की गयी मैं कहूंगा कि वित्त मन्त्री जी उसका विश्लेषण करके देखें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर यह घोषणा की और बार बार घोषणा की, जब हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने शपथ ली थी उसके बाद घोषणा की कि 6 महीने में या तो भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा या फिर मैं स्वयं मिट जाऊंगा और बजट में भी इसका संकेत दिया गया। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार को कम कर दिया है लेकिन यह सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है जो कि राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा है। इसमें लिखा है Corruption is rampant भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार में कमी नहीं हुई। यह सतर्कता आयोग का सप्तम प्रतिवेदन है जो कि अभी प्राप्त हुआ है और माननीय सदस्यों को दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है और एक बड़ा सेन्सेशन डिस्क्लोज किया गया है। मैं समझता हूं कि उसको सुनकर राज्य मन्त्रीमण्डल को शर्म के साथ अपने मस्तिष्क को नीचे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

झुकाना चाहिए और विचार करना चाहिये कि वास्तव में वह घोषणा ही कर रहे हैं, पन्ने उड़ा रहे हैं, हवा में घोषणायें की जा रही हैं लेकिन वास्तविकता क्या है? उन्होंने यह कहा था यह सही नहीं है कि करप्शन नीचे से शुरू होता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम पढ़ लेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : "यह आवश्यक नहीं है कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर की ओर ही फैले वरन् प्राय: यह ऊपर से नीचे की ओर भी रिसता है। इसलिए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोक सेवाओं की ऊंची श्रेणियों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करना है जिससे नीची श्रेणियों पर स्वयं मे ही अनुकूल प्रभाव पड़े। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान इस बात की सत्यता का बोध होने के उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं। किसी लोक सेवक की निष्ठा को परखने के लिए उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन एक उचित मापदण्ड है। परन्तु विगत वर्षों में अनुपाती आस्तियों (डिसप्रपोर्शनेट असेट्स) का कोई मामला शायद ही प्रभावशाली रूप से अन्वेषित किया गया हो। यद्यपि विगत दो वर्षों में इस प्रकार के कई मामले आयोग के सामने आये हैं जो अन्वेषणाधीन हैं, परन्तु अचल सम्पत्ति जैसे भवनों आदि का ठीक मूल्यांकन करने में कठिनाइयां होती हैं और जब मूल्यांकन कर्त्ता को चुनने का काम तकनीकी विभाग पर ही छोड़ दिया जाता है तो आयोग के अनुभव में परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहा है। आयोग में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भांति तकनीकी कक्ष अथवा किसी अन्य स्वतंत्र अभिकरण के न होने के कारण आयोग को इस प्रकार के मूल्यांकन अपने चुने हुए तकनीकी अधिकारियों से कराने पड़े हैं"। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स किसी बड़े अधिकारी या किसी व्यक्ति के पास हैं तो उसके लिए सतर्कता आयोग का कहना है कि हम विश्लेषण नहीं करा सकते। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट इसका प्रमाण है दो बातों के लिए—एक तो यह कि वर्तमान मंत्रीमडल के समय में सब प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने की घोषणा करने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ा है और दूसरे यह कि आज भी सतर्कता आयोग के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह यह कह सके कि डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स का हम किस प्रकार से मूल्यांकन करायें। क्योंकि उनके पास टेक्नीकल एक्सपर्ट्स नहीं रखे गये हैं और वह उन्हीं विभागों में जाते हैं जहां कि पहले ही करप्शन है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बजट सत्र में हमारे साथी ने एक सुझाव दिया था इस सदन के अन्दर सारे विधायक और सारे मंत्री अपने अपने असेट्स की घोषणा करें। लेकिन उस सुझाव के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर है। यह लोकतंत्र के अन्दर, जनतंत्र के अन्दर बहुत अच्छी प्रणाली होती यदि इसको स्वीकार कर लिया जावे लेकिन मैं समझता हूं कि इसके कारण हैं। यह सुझाव स्वीकार क्यों नहीं किया जाता इसके इतिहास को हम देखें तो माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि उन्होंने भ्रष्टाचार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को कम करने के सम्बन्ध में बजट भाषण में कहा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ बना हुआ है और इस संघ के पास आज जमीन है और छात्रावास है और यह 140 बीघा जमीन अजमेर रोड़ पर है। राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ अपने आपको लिक्विडेट करके दूसरी संस्था को सारे छात्रावास को सौंप रहा है जो कि आदिवासियों का है। लेकिन 140 बीघा जमीन को नहीं सौंपा जा रहा है और वह क्यों नहीं सौंपा जा रहा है उसका एक लम्बा इतिहास है और वह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रांगण पर बार-बार यह बताया गया और आरोप लगाया गया कि यह विमुक्त जाति सेवा संघ, जिसके पास 140 बीघा जमीन थी 1 मई, 1952 को यह कहा गया था कि मीना, सांसी, कंजर, नायक इन जातियों के छात्रावास के लिए दी जा रही है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि ऐसी जमीन, जो कि सांसियों के लिए दी गयी, जो कंजरों के लिए दी गयी जिससे कि वह अपने जीवन का विकास करें, छात्र पढ़ें और आगे बढ़ें, जिस प्रदेश के अन्दर सबसे अधिक बैकवर्ड लोग रहते हैं उस जमीन के ऊपर 25 बीघा जमीन के ऊपर हमारे एक मंत्री महोदय ने अपना कब्जा कर लिया। यह जमीन 4-5 लाख की है........

श्री हरिदेव जोशी : यह भ्रामक है। मैं इस विषय में अपनी बात कह चुका हूं। सदन में कह चुका हूं और सारे एलीगेशन्स गलत साबित हो चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि वह एलीगेशन्स, जो साबित हुए और जिसके द्वारा साबित हुए वह प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सारी चीजों को गलत साबित किया जा चुका है। माननीय सदस्य, जो जनसंघ के नेता हैं और जो जनसंघ के भूतपूर्व माननीय नेता ने भी इस प्रकार के एलीगेशन लगाये थे, भूतपूर्व अध्यक्ष ने और भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने इस बारे में इन्क्वायरी की थी और वे सब के सब गलत साबित पाये गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : और बोलने के लिए कोई नई बात नहीं है।

श्री सांवरमल मोर : बार बार नहीं दोहरायेंगे तो बोलेंगे क्या ?

श्री गोपाल जोशी : जनसंघ की तरफ से यह बात बार बार कही गई है।

श्री भीमसेन : यह बात तो आपके दल की ओर से कई बार कही है, कोई नई बात नहीं है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जिस रिपोर्ट के द्वारा वे आरोप गलत साबित पाये गये उस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखें, वह कौनसा निर्णय है, वह कौनसा प्रतिवेदन है, वह कौनसी रिपोर्ट है और कौनसी फाईडिंग हैं जिसके द्वारा एलीगेशन्स गलत साबित माने गए।

श्री दीपंकर : जो बात एक बार हो चुकी उसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : इस सदन में एक से अधिक बार इस प्रश्न पर चर्चा हो गई है और इस मुद्दे पर यह बात साफ हो चुकी है कि जितने भी आरोप जमीन की बाबत लगाये गये हैं वे बिल्कुल फाल्स और मेला-ईडी थे।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री दीपंकर : एक बार आरोप लगाने के बाद बार बार उनको दोहरा कर सदन का समय खराब नहीं कर सकते।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा····

श्री हरिदेव जोशी : यह बात ठीक है कि माननीय सदस्य उस समय इस सदन के सदस्य नहीं थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री चतुर्भुज : माननीय सदस्य बजट पर बहस हो रही है तो अपने इलाके की बात कहें। जनसंघ के नेता लोग आठों पहर यही बात करते रहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनके नेता पर कोई आरोप लगाये जा रहे हैं तो माननीय सदस्य इतने चिंतित न हों कि एक मंत्री महोदय के खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं। यह लोकतांत्रिक परम्परा है····

श्री हरिदेव जोशी : बार बार लगाये जा रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री शंकरलाल (पाली) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शंकरलाल (पाली) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप माननीय जनसंघ के नेता लगा रहे हैं, मुझे स्वयं को इस बात का स्मरण है, मैं स्वयं पिछली विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं मैं जानता हूं कि जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिहजी ने और दूसरे लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाये थे। सतीशचन्द्र जी ने इस प्रकार के आरोप इस सदन में लगाये थे। और उस पर जांच करके उसकी व्यवस्था दी जा चुकी है, निर्णय किया जा चुका है; जांच हो चुकी है। मैं इस बारे में व्यवस्था चाहूँगा कि एक दफा सदन के अन्दर जो प्रश्न उठ चुका है और उसका निर्णय हो गया तो क्या वह बार बार प्रश्न

(श्री शंकरलाल)
चाहे जब उठाया जा सकता है। उसकी कोई मियाद तो होनी चाहिए। हमने जब लोक आयुक्त का बिल पास किया तो उसमें भी यह रखा है कि पांच साल के बाद कोई शिकायत नहीं हो सकेगी तो फिर यहां पर जो प्रश्न कितनी ही बार उठ चुका है और उसके बाबत निर्णय हो चुका है तो फिर वह बार बार यहां नहीं उठाया जा सकता। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नत्थूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके पहले कि आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर निर्णय दें मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री प्रद्युम्नसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : बैठ जाओ....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शंकरलाल (पाली) : यह व्यवस्था होने दीजिए।

श्री दलपतसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

(शोरगुल-अश्रव्य)

मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री नत्थूसिंह : जनसंघ ने जो हमारे पर चार्ज लगाये थे उसका जवाब तो जनता ने दे दिया। भैरोंसिंह जी ने जो चार्ज लगाए थे उसका जवाब भी जनता ने दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य पाली ने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं जनसंघ के नेता गुमानमल लोढ़ा तो वे स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री दलपतसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दलपतसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा परटीनेन्ट सवाल है....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : राजाखेड़ा के माननीय सदस्य को क्यों खतरा है।

(अश्रव्य)

उनको सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनके खिलाफ भी कुछ आरोप हैं और इसलिए शील्ड करना चाहते हैं।

श्री दलपतसिंह : My point of order is there.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री दलपतसिंह : My point of order is this, Sir, that when a member raises a point of order, that is to be decided by the Chair and not to be replied by the Member.

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं चेयर को चैलेंज नहीं करता हूँ। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि चेयर को डाइरेक्शन नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य स्वयं स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो हमें उनको सुनना चाहिए। इसके लिए आसन से स्वीकृति दी जा सकती है और मैंने स्वीकृति दे दी है। मैं उनको सुनने के पश्चात् इस व्यवस्था के प्रश्न को तय करूंगा।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज़।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में कि दिनांक 4-9-1962 को मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो उस समय मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है तो इस प्रश्न के बारे में मैं जानकारी करूंगा और यदि किसी व्यक्ति ने कंजरों की भूमि या आदिवासियों की भूमि या सांसियों की भूमि पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पूरी जानकारी करने का प्रयास किया....

श्री हरिदेव जोशी : इसको कहने के पश्चात् भी नेता महोदय ने मुझे अपनी केबिनेट के अन्दर मिनिस्टर लिया।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको केबिनेट में रखा इसलिए वे चले भी गए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में सदन के पटल पर वह रिपोर्ट आनी चाहिए कि उसका क्या निर्णय रहा? क्या मन्त्री महोदय ने कन्जरों की 15 बीघा जमीन हड़प ली या नहीं....

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल गलत। मैं एक बार नहीं अनेक बार कह चुका हूं कि मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी। यह मेरे खिलाफ जनसंघ का प्रचार है क्योंकि जनसंघ मुझे अपना विरोधी समझता है। मैं उनके विरोध से दबूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं और जनसंघ दबता चला जाएगा।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

मैं आपसे कहता हूं कि आपसे पहले भी उन्होंने, आपके नेता महोदय ने इस प्रकार के चार्जेज लगाये थे और आप भी कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये सब मैला फाइड इटेंशन्स से है और जो

Page No 65

65

(श्री हरिदेव जोशी)
जो आरोप लगाए जाते हैं जनता उसको समझती है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समझता हूँ कि इस पर इतनी उत्तेजना लाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय मन्त्री महोदय इसको क्यों नहीं मानते हैं कि जो जांच रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखा जावे । रिपोर्ट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जाता है ?

(भयंकर शोरगुल-अश्रव्य)

राजाखेड़ा के काण्ड के आरोप हैं ।

कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे

(अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सफेद झूठ है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : झूठ तो आप पहले भी बोल रहे थे । राजाखेड़ा के बारे में कहा था कि कोई मर्डर नहीं हुआ और अब 302 में चालान हो गया है । आप भी शामिल थे ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य कहां से कहां चले गये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : पुलिस के बल पर मर्डर करवा कर आप चुनाव जीतकर आए हैं । आपको यहां पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया तशरीफ रखिये ।

माननीय सदस्य शांत रहें ।

(शोरगुल)

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में जो बात आपको कहनी थी वह तो आप यहां पर कह चुके हैं । उसके बावजूद भी इस आसन से पहले क्या व्यवस्था दी गई है, क्या निर्णय दिया गया है उसको मैं दिखवा रहा हूं । अतः जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न को छोड़कर दूसरे प्रश्न को लें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा परन्तु इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में सदन के पटल पर जांच रिपोर्ट रखी जानी चाहिए अथवा अध्यक्ष का क्या निर्णय हुआ है वह बताया जाना चाहिए ।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई निर्णय नहीं हुआ है यह मेरी जानकारी है ।

एक माननीय सदस्य : आप हर समय किसी न किसी जन प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं ? बलिहारी है आपकी ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं रॉक फास्फेट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रॉक फास्फेट के स्थान के ऊपर ट्रक नम्बर 4538, 4372, 4449, 2898, 2355, ये ट्रक नम्बर हैं, जिनके बारे में सूचना चाही गई तो यह सूचना आयी है कि ये एक सुरेश कुमार जोशी हैं, जिनके पास में ट्रक नम्बर 4449 है और इसके साथ ही दूसरा ट्रक है श्री दिनेश कुमार जोशी का जिनके पास में ट्रक नम्बर 2898 है और इसके साथ में दिनेश कुमार जोशी और सुरेश कुमार जोशी एक प्रभाशंकर है । इस प्रकार इस जोशी एण्ड कम्पनी द्वारा रॉक फास्फेट के ऊपर ये ट्रक चलाये जा रहे हैं । मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है । समाजवाद का नारा लगाया जाता है, लोकतंत्र की बात कही जाती है, परन्तु मेरे विधायको ! इस दशा पर आप विचार करो कि आप कहां जा रहे हो ? आप कहां पर ट्रक चला रहे हैं ? यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इन ट्रकों के द्वारा कितना रुपया अर्जित किया गया है । टैक्स की बात तो रहने दीजिए । पैनल्टी की बात भी छोड़ दीजिए । जगजीवनराम जी भी जिस देश में इनकम टैक्स की रिटर्न भरना भूल जाते हैं और उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है तो फिर हरिदेव जी जोशी के लिए क्यों कहा जाए ? इस प्रकार ट्रक चलाकर जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसकी जांच की गई है ? स्वयं हरिदेव जोशी खनिज मंत्री हैं, खनिज विभाग स्वयं उनके पास में है, उनके पास से ही रॉक फास्फेट का काम चल रहा है, बीकानेर जिप्सम की कम्पनी में स्वयं इस सरकार के बराबर के शेयर हैं । इस प्रकार से क्या एक मंत्री द्वारा ऐसी कार्यवाही करना उचित है ? मुख्य मंत्री महोदय भ्रष्टाचार को 6 महीने में समाप्त करने की बात कहते हैं । 6 महीने तो क्या 6 साल तक भी आप यह नहीं कर सकते हैं । नंदाजी ने भी यह नारा लगाया था और यह फंदा उनके ही गले में लग गया । आज तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है । जिस दिन मुख्य मंत्री जी आपने घोषणा की थी उस दिन भी आपने यही कहा था । एक से एक काण्ड होते जा रहे हैं । पानरवा कांड हुआ, जंगलात कांड हो गया, अन्य कई प्रकार के कांड उदयपुर में हो गये हैं, आपने क्या कार्यवाही की है ? लड्ढा जी किस प्रकार अपने लड़कों के बिजनेस के लिए मंत्री पद पर रहते हुए कार्यवाही करते रहे ? क्या ये सब बेदाग थे ? क्या इन सबकी चद्दर सफेद थी ? क्या ये सब के सब ईमानदार थे ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय क्या आप इस आरोप के बारे में जांच करेंगे ? क्या आप इसका पता लगावेंगे ? यह सवाल मोरल वैल्यूज का है । क्या लोकतंत्र में आप यही कार्यवाहियां करना चाहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई इन्ट्रप्शन नहीं करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बोलिये मैं आपका आभारी रहूंगा.......

श्री बरकतुल्ला खां : वहां पर ट्रक्स की शार्टेज चल रही थी और ये ट्रक्स इन मेजर लड़कों के चल रहे थे और ये भी उसी रेट पर चले हैं जो रेट दूसरे ट्रकों को दी गई है। ये लड़के कोई लीज होल्डर नहीं थे। जो किराया दूसरे ट्रकों को दिया गया वही किराया इन दोनों ट्रकों को दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किराए के बारे में नहीं है यह प्रश्न। यह कार्य कितना नाजायज हुआ है क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कोई नाजायज कार्य नहीं किया गया है। जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने अभी यहां पर कहा है, रॉक फास्फेट के ऊपर ट्रान्सपोर्टेशन के लिए कुछ ट्रक्स चल रहे थे, जो नम्बर अभी माननीय सदस्य ने बताए हैं उतने नहीं हैं। यह गलत बताया गया है। सिर्फ दो लड़कों के ट्रक्स थे और इसको चलाकर कोई मेल प्रेक्टिस नहीं की गई है। अगर माननीय सदस्य इसको साबित कर देंगे तो मैं इस सदन का सदस्य नहीं रहूंगा अथवा आप इस सदन के सदस्य नहीं रहें.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय की चुनौती स्वीकार है.......

श्री हरिदेव जोशी : आप उपाध्यक्ष महोदय को इस्तीफा लिख कर दें। और मैं भी देता हूं.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : शर्त यह है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज के द्वारा होगी.......

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : हाई कोर्ट के जज तो क्या मैं आपको ही नियुक्त करता हूं। अगर आप इसमें मेरा कोई मेलाफाईड इन्टेन्शन साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं.......(शोरगुल) माननीय सदस्य भी किसी प्रकार से जज से कम नहीं हैं.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले आप इस्तीफा लिख कर दें.......

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

इस मुद्दे पर इतनी बातचीत हो जाने के बाद मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय ने भी इस पर कह दिया है तो अब इसको समाप्त करना चाहिए और दूसरे मुद्दों पर चलना चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पहले माननीय सदस्य को इस्तीफा लिख कर देना चाहिए.......

श्री हरिदेव जोशी : मैं भी अध्यक्ष महोदय को इस्तीफा लिख कर सुपुर्द करता हूं और माननीय सदस्य भी सुपुर्द कर दें

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : कहीं कोई मेलाफाइड बात या दूसरी चीज हो, साबित हो, मेरा इस्तिफा तुरन्त स्वीकार किया जाये।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मैं एक बात निवेदन कर दूं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये साम्प्रदायिक दंगे फैलानेवाले लोग हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

जो कोई एलीगेशन लगाया जाता है, उसका जवाब आ गया तो वह समाप्त हो जाता है। यह परम्परा है। आपने एलीगेशन लगाया उन्होंने डिनाई किया है, तो वह समाप्त हो जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एलीगेशन की बात नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अभी तो इस्तीफे का प्रश्न है। गुमानमल जी इस्तीफा दें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : मेरा इस्तीफा ये ले लीजिये, रखा हुआ है। (मुख्य मंत्री को दिया)

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य ने इस्तीफा नहीं दिया।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनार्दनसिंह गहलोत को लीज लाइसेंस दिया, उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लीजिये। खनिज का ठेका दिया है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : आन ए प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न, आफ रिपीटेड प्रश्न है। इसी प्रश्न पर माननीय उपाध्यक्ष ने रुलिंग रिजर्व रखी है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बात इस्तीफे की चल रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों ही माननीय सदस्यों को खो दें। ज्यों ही माननीय अध्यक्ष ने इन इस्तीफों को छुआ, इतना होते ही आप दोनों सदस्य गये। हम नहीं चाहते हैं। मेरा ख्याल है, यह भावावेश था। वह भावावेश अब समाप्त हो गया है माननीय गुमानमल जी भी शान्त हैं।

एक माननीय सदस्य : झूठों का भी इस्तीफा होगा।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मीठलाल : दिल्ली में किसका इस्तीफा मंजूर हुआ है ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों का हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है ।

श्री गुमानमल लोढा : जिस देश की प्रधान मन्त्री अपने लड़के को मोटर के कारखाने का लाइसेंस दें, उस देश का यही होगा ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात और फरमाई है। वह यहां की किसी प्रक्रिया में नहीं आती है। आपने कहा है कि मैं इनको ही जज बना देता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : जिस समय वह जज बनकर बैठेंगे, तो मैं उनको ईमानदार मानूंगा। अभी वह पोलिटिक्स में लिप्त हैं।

श्री शंकरलाल : वह इस्तीफा देंगे तभी जज होंगे। अभी थोड़े ही होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न यहां समाप्त हो जाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, दोनों ही आनरेबिल मेम्बर ऑफ दिस हाउस हैं। दोनों ने यह कहा है कि अगर हमारी गलती साबित हुई तो वह इस्तीफा दे देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों वर्डिक्ट्स को मान लिया जाये। जो अपनी बात कहते हैं, उससे हटेंगे तो पब्लिक के सामने मुंह नहीं दिखायेंगे। जहां तक जोशीजी का सवाल है, मैं यह गारण्टी लेता हूं, अगर उनके बारे में कुछ भी साबित हुआ या उनके बच्चों के बारे में कोई बात साबित हुई तो उनका इस्तीफा मेरे बैग में पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : लोढा जी का इस्तीफा भी अपने पास रखिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : हाउस में एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद बच नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा यह होगा, जैसा कि ऑफर किया गया है, जनसंघ के नेता मान लें और जज की कुर्सी पर बैठ जायें। वह जैसे रिकार्ड चाहेंगे, वह रिकार्ड उनको उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, गुमानमल जी को इस ट्रेजेडी से बचाइये। वह हमेशा ही झूंठ बोलते हैं। लोगों के मरने के बारे में ही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह खुद ही कहते हैं तो मैं क्या करूं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं जानता हूं, जिनका सिद्धान्त ही यह है कि सत्ता मिल जाय वह बराबर चिलम भरकर खुशामद करते हैं। वह आशा लगाते हैं कि उनकी सत्ता हिल नहीं जाये। इसलिए वह बराबर चिलम भरते हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन लिस्ट हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिस्टर की है, एक उप मन्त्री की है, एक स्टेट मिनिस्टर की है।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Proceed further.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है, हर रोज समाचार पत्र के अन्दर........(व्यवधान)

आपने सुना होगा, माननीय चन्दनमल जी बैद अपने इलाके में गये तो वहां की हालत देखकर उनके आंसु आ गये।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Donot disturb proceedings.

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक गांव में 6 मृत्युएं हो गई। वहां के लोगों ने कहा कि अगर प्रबन्ध नहीं करेंगे तो हम लाशें लेकर आयेंगे। लेकिन जब मैं आरोप लगाता हूं, जिस समय मैं आरोपलगाता हूं तो हमारे माननीय विधायक महोदय यह कहते हैं।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

यहां बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है। चाहे भूख से मौतें हुई या नहीं, आप स्वयं समाचार पत्र पढ़ते हैं, आपको इस बात का पता है कि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, एक किलो, डेढ़ किलो अनाज लोगों को दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जिस प्रकार से हम लोगों को पीड़ित देखते है, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हम एक होकर जुटेंगे, एक होकर राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर विधान सभा के अन्दर इस समय मैं भूख की बात को छोड़ता हूं, उसके बारे में जो राय बनायें समाचार पत्र वाले बना लें। बुद्धजीवी बनायें। लेकिन एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूं। वह यह है कि राजस्थान की लॉबी केन्द्र में कमजोर है। उसमें जनसंघ के भी लोग हैं। केन्द्र के द्वारा वे ऋण उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हमारी लॉबी कमजोर होने के कारण ठीक ढंग से अपने केस को पुटअप नहीं कर पाने के कारण आमतौर पर ऋण लाने में हम असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक बात नहीं कही गई है वह है बेरोजगारी की समस्या। शिक्षितों की बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई बात नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के आंकड़े दिये हुये हैं। एक साल में लगभग 20-25 हजार ग्रेजुएट और टैक्निकल ग्रेजुएट निकलते हैं। जोधपुर में यूनिवर्सिटी है। उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मेडिकोज है, बी. कॉम हैं, एम. कॉम हैं। ये राजस्थान में कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बजट में एक शब्द नहीं है। रूरल बेरोजगारी के बारे में है कुछ, क्रेश योजना प्रारम्भ की है, उसमें यह कहा गया है कि 26,000 लोगों को काम मिलेगा उसके अन्दर। मैं जानना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बडी फौज शिक्षित बेरोजगारों की जो हर वर्ष निकल कर आती है, मेडीकोज हैं, इन्जिनियर्स हैं और अन्य हैं उनके बारे में क्या प्रावधान करने जा रहे हैं, क्या विचार करते हैं ? क्या भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है उन्हें स्टेटिसटिक्स डिपार्टमैंट के द्वारा प्रकाशित इकॉनामिकल सर्वे ऑफ राजस्थान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है (समय-समाप्ति सूचक घन्टी) दो चार मिनिट और। आपके द्वारा जो राजस्थान की इकॉनामिकल सर्वे निकाली गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, बेरोजगारी की समस्या पहले से और खराब हुई है, जो पर्सेन्टेज रजिस्ट्रेशन का है बेरोजगारों का, पर्सेन्टेज बढ़ा है। उसके कम्पेरिजन के अन्दर जो एम्प्लायमेंट दिलाने के साधन थे, वह एम्प्लायमेंट के साधन कम हुए हैं। उन्होंने इस बारे में यह कहा है, 1970 के अन्दर जब कि पंजीकरण 1,61,589 लोगों का हुआ है एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अन्दर, उसके कम्पेरिजन के अन्दर 1972 के अन्दर 1,94,000 आये। इस प्रकार से 11 पर्सेन्ट का इन्क्रीज हुआ है बेरोजगारी के अन्दर। लेकिन इसके कम्पेरिजन में जिन लोगों को काम दिया गया, उस काम देने की संख्या में जो 1970 के अन्दर थी, 1971 के अन्दर थी, उसके अन्दर रिडक्शन हुआ है,–:3 का रिडक्शन हुआ है। यह बेरोजगारी की समस्या हमें कहां ले जायेगी इसका क्या समाधान है, इसका किस प्रकार से मुकाबला करना चाहते हैं, इसके बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा यह प्रगतिशील बजट और विकासशील बजट तभी हो सकता है जब क्रियात्मक तरीके से इस प्रकार का प्रावधान रखें। मैं चाहूंगा कि इसमें बेरोजगारी का एलाउन्स किसी प्रकार का निर्धारित किया जाता, और जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं उनको किसी प्रकार का एलाउन्स देने का, जब तक उनको एम्प्लायमेंट न मिले तब तक देने का प्रावधान किया जाता ऐसा कोई उल्लेख इसमें नहीं मिलता है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरी के बारे में बताऊं, ग्रामों के अन्दर उन्होंने कहा है, भारवाहक, जो माल ढोने वाले मजदूर होते हैं, उनको आज के समय 75 नये पैसे मिलते हैं। यह आंकड़े राज्य सरकार द्वारा इकॉनामिक सर्वे ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 75 नये पैसे पाने वाला किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा। जिनको काम मिल जाता है उनकी यह हालत है, लेकिन जिनको काम नहीं मिलता है, उनकी क्या स्थिति होती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा (समय-समाप्ति सूचक-घंटी) इस बजट पर विचार करते समय हमें इन सारी बातों के ऊपर विचार करना चाहिए।

जहां तक अकाल और खाद्य का प्रश्न है, इस बारे में मैं अपने विचार पहले व्यक्त

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कर चुका हूं, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की जनता की इस समय विषम स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय भूमि के अन्दर से धान उपजता है, बम्पर क्रॉप होती है उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं। उस समय इन्द्र भगवान को भूल जाते हैं, यह नहीं कहते कि इन्द्र भगवान को कृपा हुई है। लेकिन जिस समय अकाल पड़ता है, ड्रॉट हो जाता है, अन्न उपजता नहीं हैं, तो उस समय कहते है, जैसे कि इस बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने पहला ही वाक्य लिखा "है यह सर्व विदित है, हमारी अर्थ व्यवस्था इन्द्र भगवान की कृपा पर निर्भर है।" ग्रीन रिवोल्यूशन में इन्द्र भगवान की कृपा की बात नहीं आती, उसको अपने राज्य की उपलब्धि बताते हैं, लेकिन अकाल के समय में इन्द्र भगवान की कृपा की बात कहते हैं। आज नक्षत्रों पर पहुंचने की होड़ चल रही है, पहले कौन जाय, अमेरिका जाय या रूस जाय, वहां इन्दिरा जी की कृपा ने हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र के अन्दर परिणत कर दिया है तो राजस्थान को इतना शक्तिशाली क्यों न बनाया जाय? राजस्थान शक्तिशाली होता तो इन्द्र भगवान की कृपा की दुहाई नहीं देते, वह दशा नहीं होती जो आज है। आखिर आपने बाइस साल तक राज्य किया है, मैं कहना चाहूँगा, आप यह कह कर अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते कि इन्द्र भगवान की कृपा नहीं हुई, केन्द्र को हमें सहायता नहीं मिली, हमने बाइस करोड़ की सहायता मांगी थी, लेकिन हमें केवल चार करोड़ की सहायता मिली, शिन्दे साहब ने हमारी बात को नहीं माना। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के लोग केन्द्र से करोड़ों रुपये की रकम ले जायं, लेकिन हम नहीं ला सके। गुजरात के लोग करोड़ों रुपये की रकम ले जायं, लेकिन राजस्थान नहीं ले पाये। महाराष्ट्र और गुजरात में केन्द्र के गोदामों में से धान पहुंच जाय और राजस्थान के हजारों और लाखों की संख्या में लोग परेशान होते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में से निकलते हुए हमें जन कल्याणकारी राज्य वास्तविक रूप में बनाने से लिए शीघ्र कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, क्रियात्मक पहलुओं की तरफ आप ध्यान दें और इस ओर ध्यान देकर (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) राज्य की ढ़ाई करोड़ जनता की जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन पहलुओं के ऊपर अन्य माननीय सदस्य बोल चुके है उन पहलुओं की मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं बहुत थोड़े में, संक्षेप में कहना चाहूंगा कि बजट लोगों की आकांक्षा का प्रतिबिम्ब होता है। विल ऑफ पीपुल इसमें रिफ्लेक्ट हुआ करती है, हमारी अतीत की उपलब्धियों का इसमें सर्वेक्षण, वर्तमान का विश्वास और भविष्य की रूप रेखा बजट में हुआ करती है, अर्थात् बजट ऑफ द पीपुल, बाई द पीपुल, फॉर द पीपुल ही हो, यह अण्डरस्टुड है। इसलिए मैं अर्ज कर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रहा था कि यदि जनता और सत्ता एक दूसरे के समकक्ष हो तो जनता की विल उसमें रिफ्लेक्ट होती है । इसलिए मैं अगर एक यह विश्लेषण करूं, कि इस सदन में माननीय सदस्यों की संख्या 184, हैं, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या 145 हैं और फिर उसका निचोड़ है, उसमें से जो रस निकाला गया है, उसकी संख्या दस है.......

एक माननीय सदस्य : दस नम्बरी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे कहने दीजिये, मैं अपना विश्लेषण रख दूं ।

दस व्यक्तियों के आधार पर सरकार की पॉलिसीज, समाजवादी नीतियां, अतीत की उपलब्धियां, वर्तमान का विश्वास और हमारे भविष्य की रूप रेखा—यह सब सत्ता के अधीन है । अब मैं यह नहीं कहता कि दस व्यक्ति किस तरह से इस बजट की रूप रेखा बांधते होंगे क्योंकि इन दस व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है । केन्द्र में जब कभी मन्त्रि मण्डल के प्रश्न पर कोई विचार होता है तो हर विषय पर दक्ष, जो एक्सपर्टस होते हैं, उनको लिए जाने का प्रयास किया जाता है । मैं इस मन्त्रि मण्डल को उसी तरह का मानता हूं। सभी दक्ष हैं इस सम्बन्ध में हर विषय पर, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने एक दफा गत बजट का संज्ञा दी थी, क्या कहा था वह नाम भूल गया। न मालूम क्या संज्ञा दी थी, अब बहुत धुंधली स्मृति हो गई है, लेकिन मैं यदि पुनरावृत्ति करूं उस बात की कि क्या संज्ञा दी थी बजट को तो भी उस संज्ञा से यह बजट परे नहीं जाता । अब यही कह सकता हूं । उस समय नौकरशाही के सम्बन्ध में कहा था कि नौकरशाही का बहुत बड़ा हाथ बजट को तैयार करने में था, हमारी मान्यता और आस्थाओं को वह बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं । उसके बाद गंगा का पानी बहुत ज्यादा बह गया है । इस सदन में एक मत से, बहुमत से इस को स्वीकार किया है कि यह सरकार गवर्नमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, गवर्नमेंट फार दी सिविल सर्विस और गवर्नमेंट बाई दी सिविल सर्विस है । इस बात को बहुमत ने स्वीकार किया है कि यह प्रशासन जकड़ गया है नौकरशाही में । लेकिन इस बार नौकरशाही बहुत सतर्क रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । इस बजट में उसने कोई हाथ नहीं रखा है, सम्भवत: यह समझ कर कि बहुत आरोप-प्रत्यारोप, आघात-प्रत्याघात इस सम्बन्ध में उन पर होते रहे हैं । इसलिए इस बजट को वित्त मंत्री के सुपुर्द कर दिया, वह जैसा चाहें वैसा बनायें । और इस वित्तीय स्थिति के भयंकर और क्षुब्ध समुद्र में वह नौका पर बैठ कर तैरते रहे । इधर कुछ हाथ लगे, उधर कुछ हाथ लगे, इसको लेकर उन्होंने बजट बना दिया । इसमें संकल्पों का बहुत प्राधान्य है, नीतियों और योजनाओं का वर्तमान के लिए, जो अतीत के अन्दर संकल्प हुए हैं, उन्हीं का प्रावधान है । इसका मतलब यह हुआ, यह बजट विश्वासों पर आधारित है, आश्वासनों पर आधारित है, जो कि पहले दिये गए हैं । नल के सम्बन्ध में बात की है तो नल व्यवस्था का इसके अन्दर जिक्र हो गया । अगर हमने स्कूलों में शिक्षिकों को एब्जोर्ब करने का प्रश्न उठाया है तो उसी संकल्प को वापिस

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

दोहरा दिया गया है। पिछड़ी जाति के लोगों को ज्यादा काम देने का संकल्प किया है तो उसको भी दोहरा दिया है। यह संकल्पों को दोहराने वाला बजट है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति का बजट है मैं जब कहता हूँ कि यह एक व्यक्ति का बजट है, कुछ सामंजस्य इसके साथ में है। वित्त मन्त्री जी के पास तीन विभाग हैं, तीनों कान्ट्रेडिक्शन्स है। एक दूसरे के विरोधाभास। यह वित्त स्वयं में ही अहंकारी, उसके बाद मदहोशी आ जाए एक्साइज, ऐसी हालत में किसी बजट को संतुलन रखना बहुत मुश्किल है। मैं तो बधाई देता हूं वित्त मन्त्री जी को कि इतना होते हुए भी उन्होंने बजट की रूपरेखा कुछ न कुछ खींचने का प्रयास किया। अन्यथा यह प्रयास मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां बजट बिल ऑफ दी पीपुल है, उसमें मान्यतायें समाज की होती हैं, जनता की होती हैं। इसलिए मैं इस बजट को वादी, अहंवादी कहता हूं। आगे पढ़कर देखा जाय तो जन प्रतिनिधि के रूप में यह बजट भाषण नहीं लिखा गया। इसमें प्रत्येक लाइन में अहम् है। ऐसा लगता है, किसी व्यक्ति विशेष ने बजट को लिखा है। उदाहरण के लिए पृष्ठ 7 पर लिखा है इस वर्ष मैंने प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण, सुधार के लिए 84 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मैंने कर दिया है। मैंने क्या किया? नल वगैरह का मैं प्रावधान करता हूं, मैं यह करता हूं वह करता हूँ। यह "मैं" वादे का बजट हो गया है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मन्त्री मण्डल के 10 सदस्य बड़ी क्षमता वाले सदस्य हैं, दक्ष हैं, हर पहलू को समझने वाले और आगे मैं प्रश्न वाचक चिह्न लगाता हूं। उस संदर्भ में एक व्यक्ति का जो यह बजट हमारे सामने आया है, विश्वास और आश्वासनों का—इसका आगे चल कर थोड़ा सा विश्लेशण करूंगा। इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने विश्वास और आश्वासन दे दिए गये, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं। उस स्टेट को हम प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते, जिस स्टेट में डी. एम. के. का शासन है, उसके लिए हमारी जबान से प्रोग्रेसिव शब्द नहीं निकलता। आपको उनके बजट की जानकारी देना चाहता है? उनका एप्रोच क्या है। डी. एम. के. सरकार ने स्लम क्लियरेंस के लिए प्रावधान रखा है। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि स्लम्स को साफ करेंगे उनके साथ ही उनका बजट 50 लाख सरप्लस का है। तीसरी बात अपने कर्मचारियों का वेतन भी इस सरकार ने बढ़ाया है, साथ ही कोई नया टैक्स भी नहीं लाया गया। कौनसा प्रांत है वह? प्रगतिशील प्रांत है, उसको हम अपनी जबान से नहीं कहते हैं। हम प्रगतिशील हैं, समाजवाद की नीतियों पर चलने वाले हैं। और हमारे पैर आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इस बजट भाषण और पुराने बजट भाषण में तो मेरे ख्याल में फुल-स्टाप, कॉमा और ब्रैकेट के सिवाय और कोई रद्दो बदल नहीं है। इसलिए नौकरशाही को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने अपने को अलग रखकर उन्हें बजट भाषण लिखने दिया और उसमें जो डावांडोल स्थिति है उसको चलने दिया।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

दरअसल यह आश्वासनों का बजट है। सदन के उन वरिष्ठ सदस्यों को याद दिलाता हूं कि इस बजट के समय जो आश्वासन बराबर दिये जाते रहे हैं उन आश्वासनों की पूर्ति और पालना का प्रश्न हमेशा सदन के सामने आता रहा है। आपको याद होगा. जब भूतपूर्व वित्त मन्त्री के सम्मुख ऐसा प्रश्न उठाया गया था, कि जिन विश्वासों का पालन नहीं होता, पूर्ति नहीं होती, उनका बजट भाषण में आप उसका उल्लेख नहीं होता है। भू. पू. वित्त मन्त्री ने विश्वास दिया था कि ऐसे विश्वास और आश्वासन की क्रियान्विति के सम्बन्ध में हम टिप्पणी देंगे, और उनकी क्रिटीकल स्टडी बजट में रखेंगे। यह सदन की कार्यवाही में लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं यह विश्वास और आश्वासन आप देते जा रहे हैं उन्हें चलने दिए जायं, पूर्व के आश्वासनों की पालना के सम्बन्ध में एक क्रिटीकल स्टडी बजट के साथ दिया जाना अनिवार्य था। इसलिए यह बजट का भाषण है जिसमें पहले के विश्वासों की पूर्ति का नितांत अभाव है।

कई माननीय सदस्यों ने हमारी अर्थ व्यवस्था का भयावह चित्र अंकित किया है। इसमें दो राय नहीं कि भयावह चित्र है। हम जानते हैं, यह भी एक आश्चर्य है। वित्त मन्त्री जी ने इंद्र भगवान की कृपा न होने का उल्लेख अपने भाषण में किया; इंद्र भगवान न मालूम क्या आश्वासन देते हैं। मुख्य मन्त्री ने पहले कहा था कि इंद्र भगवान तो रूठ गए लेकिन इंदिरा भगवती न रूठे। इस अभिव्यक्ति में श्लेष है, मानसून तो रूठ गया लेकिन केन्द्र न रूठे, यह रूठ गया तो हमारा मामला साफ है। इसलिए मानसून की तरफ न ध्यान देकर केन्द्र की तरफ ध्यान देते हैं. यह हमारी कमजोरी है। मानसून को कब्जे में नहीं कर सकते लेकिन केन्द्र को कब्जे में कर सकते हैं। जिन प्रांतों ने केन्द्र को कब्जे में किया, प्रभावित किया, वे सुखी हैं। लेकिन मुझे कहने में दुःख नहीं कि हमारा नेतृत्व आरंभ से लगाकर अब तक, आरंभ का मतलब मैं 1952 से नहीं लेता, पगु रहा है, प्रभावशील नहीं रहा, कमजोर रहा इसका कारण यह है कि हम यू. पी. से मुकाबला करें, मुख्य मन्त्री कमलापति से करें, एम. पी. से करें, वे प्रभावशाली हैं और कुछ करने की योग्यता उनमें है इसलिए कुछ कर गुजरते हैं। हमारे मुख्य मन्त्री दिल्ली गए, 5 दिन ठहरे, अनाज का मसला था। 5 दिन तक वहां पर बराबर अड़े रहे उसके बाद 5 हजार टन अनाज लाए, खुशी की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर नेतृत्व में कहीं कमजोरी है, किन्तु आप में ता कमजोरी नहीं हम में कमजोरी नहीं, अगर इस कर्ज से छुटकारा पाना है तो दायित्व नेतृत्व पर नहीं छोड़ें। माननीय सदस्य दायित्व को लें और आज या कल माननीय सदस्य संकल्प करें। दिल्ली को तरफ कूच करके, इस प्रश्न पर प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों से बातचीत करें और हमारी समस्या रखेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व को बल मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। किन्तु इस समय तो जनता और सत्ता अलग अलग हो गए, इसलिए मौका है, जनता, जिसका मतलब 184 सदस्य संगठित होकर सत्ता को बल दें इसके पीछे रहकर तब तो आपके इस ऋण के प्रश्न

Page No 76

(76)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

का हल हो सकता है। हम इंद्र भगवान का उल्लेख करते हैं, यहां इजराइल का भी उदाहरण हमारे सामने आता है हमारी वित्तीय समस्यायें, वित्तीय स्थिति असीम है। अगर असीमता को समझते हुए इस वैज्ञानिक युग में हम कहें कि हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि विज्ञान बढ़ गया और आर्थिक साधन असीमित हो गए और उस समय हम कहें कि हमारा आर्थिक विकास सरकारी कर्मचारियों की मेहरबानी से हो सकता है, यह उचित नहीं। इसलिए जब मैं कह रहा था, केन्द्रीय सहायता के बारे में तो मुझे कहना है कि केन्द्र जो 80 अरब रुपये अन्य प्रांतों में योजनाओं पर लगा चुका है रेलवे के सिवाय। उसमें हमारा हिस्सा क्या है ? 1 अरब 14 करोड़। जबसे केन्द्र ने प्रांतों को सहायता देना आरंभ की है तभी से हमारी अवहेलना इस प्रश्न पर बराबर होती जा रही है। इसलिए जहां कर्जो का प्रश्न आता है, केन्द्र का सभी प्रान्तों पर 8718 करोड़ का कर्जा है 9 मार्च, 1970 तक, उसमें राजस्थान का हिस्सा 703 करोड़ है, जिसका अर्थ यह है कि इतना भारी भरकम कर्जा हम पर है। आप नगर के श्मशान में गए होंगे, शवयात्रा में गए हों तो श्मशान में लिखा हुआ है कि 'जन्म के साथ मृत्यु उत्पन्न होती है'। इसी तरह राजस्थान में बच्चे के तो यह जन्म के साथ बच्चा पैदा हुआ और प्रथम प्रकाश देखा कि उस पर कर्जा लग गया। अब वह कितने कर्जे से लद गया, कितना कर्जा उस पर लग गया, वह है करीब 272 रुपये का कर्जा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बच्चा पैदा होता है वह जन्म के साथ ही 272 रुपये का कर्जा लेकर ही पैदा होता है। और कर्जे के चुकारे की जो लाइबिलिटी है वह है 47.80 रुपये। और उस 47.80 की लाइबिलिटी को चुकारा नहीं करने से हम परतन्त्र हैं। इससे हम बच नहीं सकते। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कर्जे के छुटकारे के लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। और अभी जो फिफ्थ फाईनेन्स कमीशन आया था उसके सामने सारी स्थिति रखी थी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सन् 68 से लेकर आज तक एक के बाद एक कमीशन आते रहे हैं। जब सन् 68 में फाईनेन्स कमीशन आया था तो उसके बाद में हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम कर्जे से इस प्रकार दब गये हैं कि हम उस कर्जे का ब्याज तक भी नहीं दे पायेंगे। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम ब्याज भी दे सकें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह फाइनेन्स कमीशन तो सन् 68 से लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। अभी जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने जो भाषण दिया था वह आशाजनक भी था और निराशा जनक भी। उनके कुछ शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

"I shall begin with our debt burden which is causing the deepest concern., Indeed, without a rational and realistic solution of this problem, it is impossible to impart even

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

a semblance of stability to the State's financial position.

Indeed a vicious circle has come into existence whereunder an earlier debt can be discarged by a fresh debt only."

यह अन्तिम शब्द कहे। इससे तो कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चलता। और यहां पर जो मुख्य मन्त्री जी ने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कहा है उसका एक ही शब्द है। उसके बाद में उन्होंने बजट के अन्दर क्या प्रावधान रखा। इसमें विश्वास की भावना भी है और विश्वास के साथ अविश्वास की बात भी है। इधर आपके राज्य के वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि बार बार सूखा पड़ने तथा अकाल कार्यक्रमों पर भारी व्यय करते रहने से अब यह अत्यावश्यक लगने लगा है कि इस प्रकार की समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाये। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ आयोजनायें तैयार भी कर ली गई हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कौनसी कपोल कल्पित योजनायें हैं जो कि तैयार कर ली गयी हैं। उनके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। कैसी योजनायें हैं वे ? किसके बारे में हैं वे ?

इसके अलावा अब जिस प्रश्न पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा वह इस सदन में भी कई बार आ चुका है और मैं भी इस सदन में सन् 58 से सुन रहा हूं। वह राजस्थान सरकार के कर्जे के बारे में है इस सदन में कई बार यह प्रश्न उठाया गया। हमें राज्य सरकार द्वारा यही बार बार उत्तर दिया जाता रहा कि हमने कर्जे से ज्यादा एसेट्स का निर्माण किया है। इसी तरह के जवाब इस सदन के माननीय सदस्यों को मिलते रहे हैं। मैं आखिर में यह पूछना चाहता हूं कि हमारे एसेट्स क्या हैं और हमारे कर्जे से एसेट्स कितने ज्यादा हैं ? इसके अलावा इस सदन में यह भी कहा गया है कि हम फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अन्त तक टेक ऑफ की पोजीशन में आजावेंगे। मैं समझता हूं कि अब जब कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान की समाप्ति होने जा रही है तब आप कौनसी पोजीशन में हैं ? आप मेरे खयाल से टेक ऑफ की पोजीशन में नहीं हो कर राईट ऑफ की पोजीशन में आ गये हैं। मैं समझता हूं कि आप भीख मांगने की पोजीशन में आ गये। आप यह केन्द्र से कह रहे हैं कि यह कर्जा आप हमें राइट ऑफ कर दीजिये। आप दिवालिया बन गये हैं। और जब एक व्यक्ति दिवालिया होता है तो वह एक काम करता है। वह टाट पट्टी बिछाकर बैठ जाता है अपने मकान पर और जो कोई आता है मांगने उसे कहता है नास्ति, नास्ति। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस सदन के माननीय सदस्यों को अन्धकार में रखा, भ्रान्ति में रखा जबकि यह स्थिति सन् 58 से चलती आ रही है। इसलिये इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके एसेट्स जो हैं वह कर्जे से ज्यादा नहीं हैं, बल्कि कम हैं। आप टेक ऑफ की पोजीशन में नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब तो कृपया आप इस सदन के माननीय सदस्यों को सही स्थिति अवगत करा दें। कितने आपके एचीवमेन्ट हैं और कितने आपके

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

एसेट्स हैं ? आपको उन एसेट्स से रिटर्न कितना होता है ? इसके लिये मैं तो एक यह बात निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यों को एक कमेटी बनादी जाय जो कि इस बात की जांच करे और बाद में इस सदन को बताये कि कितना कितना एक्सपेण्डीचर किया गया और उसके रिटर्न हमें कितने मिल रहे हैं। इन सारी चीजों से हमें असली हालत का पता लगेगा।

इसके अलावा इस बजट में वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने हमारी जनता की सकंटापन्न स्थिति को तथा उससे राज्य के वित्तीय साधानों पर जो भार पड़ेगा उसको देखते हुए हमें विश्वास दिलया है कि केन्द्र पूरी सहायता करेगा। मैं इसके बारे में यह निविदन करना चाहता हूं कि केन्द्र तो हमेशा हमे विश्वास दिलाता रहा है लेकिन आखिर वह हमारी मदद करता कितनी है ? यह हमे देखना है। अगर हम केन्द्रीय सरकार के बजट को देखें तो हमें पता लगेगा कि केन्द्रीय सरकार ने इस समय करीब तीन अरब और चालीस करोड़ रुपये के टैक्सेज लगाये हैं और 80 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है कि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 80 करोड़ का ही घाटा बताया है, जो कि सबसे कम है। आज तक जितने भी बजट पेश किये है उसके सबसे कम बजट घाटे का यही हैं। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कि केन्द्र के वित्त मन्त्री जी ने यह सकेत दे दिया कि पे कमिशन की रिपोर्ट आने वाली है और उसके आने का अर्थ यह है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ेगीं इसलिये मैं इस बजट को इन्टरीम बजट मानता हूं। और जब केन्द्रीय कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ेगीं तो राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी तनख्वाहें बढ़ाना लाजमी होगा। बढ़ानी भी पड़ेगीं मैं समझता हूं कि इस प्रकार करीब 4-5 अरब रुपये तक का खर्चा बढ़ जायेगा। तो केन्द्रीय सरकार टैक्स लगायेगी। और इसके साथ साथ आपको राज्य के कर्मचारियों की तन्ख्वाहें बढ़ानी पड़ेगीं तब इसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी ? और आपकी केन्द्रीय सरकार कितनी मदद कर सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप टैक्स लगाकर फिर विधान सभा के समक्ष आयेंगे। तो मैं आपके इस बजट को भी केन्द्रीय बजट की तरह इन्टेरिम बजट मानता हूं। अब मैं इस प्रश्न को यही पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अकाल के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो अकाल के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने इस सदन में कह दिया है। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अकाल की समस्या के बारे में सरकार हमेशा से अकर्मण्य रही। सरकार हमेशा से अन्धेरे में रही। और इसके बारे में कभी स्थायी हल निकालने की कोशिश नहीं की। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण देता हूं कि हमारे भारत सरकार के कृषि मन्त्री ने यह स्टेटमेन्ट दिया था कि हम 60 लाख टन अनाज इस साल निर्यात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास सरप्लस अनाज था लेकिन बाद में वापिस एक स्टेटमेन्ट दिया कि फसल खराब होने की वजह से हम 60 लाख टन अनाज निर्यात नहीं

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

कर रहे हैं। यह बात तो मेरी समझ में आ गयी लेकिन जो जब आपके पास अनाज सरप्लस में था वही तो आप बाहर विदेशों में निर्यात कर रहे थे। जब साठ लाख टन फसल खराब होने की वजह से कम पैदा हुआ तो फिर बाकी बचा जो कहां गया? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही भ्रान्ति में थीं। अंधकार में थीं। इस प्रकार के गलत स्टेटमेन्ट दिये गये अगर आप केन्द्रीय सरकार के विश्वास के ऊपर ही केवल यह मान कर चलते हैं कि स्थिति ठीक हो जावेगी तो यह गलत है। आप भ्रान्ति में रह रहे हैं। आप अन्धकार में हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार यह कहती हैं कि हमने करीब पांच लाख लोगों को अकाल राहत क्षेत्रों में काम दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब कि राजस्थान में करीब पौने दो करोड़ लोग इस अकाल की विभिषिका से पीड़ित हैं, इसकी तुलना में आपने जो अकाल में व्यवस्था की हैं अनाज की वह बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। सन 56 में अकाल पड़ा था उस वक्त लोगों के पास रोजी नहीं थी पर अनाज की कमी उस वक्त देश में नहीं थी। लेकिन उस अनाज को खरीदने के लिये लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन अबकी बार लोगों के पास पैसा है किन्तु अनाज नहीं है। इसमें दो राय नहीं हैं कि आपने कुछ लोगों को रोजी दी है लेकिन रोजी के साथ साथ आपने उन्हें अनाज नहीं दिया।

इसके साथ साथ राज्य सरकार ने ऐसा भी प्रावधान किया है कि टास्क बेसिस पर उन्हें पेमेन्ट किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, भूखे पेट एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है? यह तो राज्य सरकार भूख से मरने वाले लोगों को बता नहीं रही है अगर सही तथ्यों का पता लग जाय तो जनता में असन्तोष हो जायेगा। आपके समाचार पत्रों में पूरी स्थिति मृत्यु के बारे में नहीं दी जा रही है जनवरी से बराबर अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। और अकाल से, भूख से पीड़ित होकर मर रहे हैं। क्योंकि आपने पहले ही रोजी उन लोगों को कम दी है उसके अलावा आपने जो टास्क बेसिस पर मजदूरी देने की बात कहीं उसमें एक भूखे पेट, एक अन्डर नरिश्ड व्यक्ति क्या काम कर सकेगा? वैसे तो आपने कलैक्टर्स के जिम्मे यह काम सौंप रखा हैं और उन कलेक्टर्स को यह कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस अकाल में नहीं मरे और अगर मर गया कोई तो हम फिर तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हे समझ लेंगे। इसलिये आंकड़ों में तो मरेगा नहीं किन्तु मरता जावेगा। यह अखबारनविसों की मेहरबानी है कि वे यह सूचना दे देते हैं कभी जभी वरना सील कर दीजिये, मरने की खबर न आये। जिन्दा आदमी को खबर आये और मरने की खबर न आये। हमारे नियन्त्रण से परे समस्या हो गयी है। आप अनाज नहीं दे सकेंगे, लोग भूखों मरेंगे और चारा भी नहीं दे पायेंगे पशु मरते चले जावेंगे। कब तक इसको दबाये रखेंगे। एक सुझाव और देना चाहता हूं, कम से कम लकड़ियों का इन्तजाम कर दीजिये, लकड़ियां दूसरी चीजों से भी महंगी हैं। जाता हुआ आदमी आपको दुआ दे जाय कि अन्तिम संस्कार तो अच्छा हुआ।

एक माननीय सदस्य : मोटे कपड़े का इन्तजाम कर दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्ज कर रहा था अकाल के प्रश्न पर। फ्रेन्च ओरेटर दांते क्रान्ति के समय, जब उसको गिलोटीन पर चढ़ाया जा रहा था तब उसने एक शब्द कहा था 'Show my head to my people it is worth showing."

उसने कह दिया कि जनता को केवल मेरा माथा दिखा देना और काम तमाम हो जावेगा। दांते को दाद देना चाहता हूँ उसके शौर्य और साहस के लिए। जैसे आपने दाद दी भूखे मरते जाओ और उफ न करो। हम कहते हैं कि हमारे यहां के लड़ाके शूरवीर और साहसी हुए हैं। जनता शान्त और मौन है लेकिन अगर दांते की तरह सिर दिखा दिया गया तो अकाल की स्थिति के परिणाम भंयकर हो सकते हैं, जनता कुछ भी कर सकती है जब तक मौन है, मौन है, शान्त है शान्त है, उद्विग्नता बढी उसके मन में जो अभी छिपी हुई है तो वह कुछ भी कर सकती है।

गरीबी हटाने का नारा दिया जाता है। यह हमारे जीवन की साधना है। हर बार भाषण में दोहरा कर कहा जाता है कि गरीबी हटायेंगे। इस नारे को आप खत्म कर कर दीजिये। बिना क्रियान्विति के उसके प्रति आस्थायें खत्म होती जा रही हैं। हिन्दुस्तान में 22 करोड़ की जनता है जो गरीबी की सीमा से नीचे है और 20 रुपया प्रति माह जिनकी आमदनी है। राजस्थान में 1 करोड़ 74 लाख गरीबी की सीमा से नीचे है। 61-62 के मूल्यों के आधार पर मैंने यह अर्ज किया है। इसलिये कीमतों के आधार पर इस सीमा को देखे तो 1 परसेंट से ज्यादा आदमी गरीबी की सीमा के ऊपर नहीं हो सकते हैं। 1 पर्सेन्ट से ऊपर इस सीमा से परे हो सकते हैं बाकी सब नीचे हैं। दो वर्ष हो गये हैं हमें ऐसी घोषणा करते हुए। लेकिन क्या किया ? यही कि पांच हजार शिक्षक इधर लगा दिये या उधर लगा दिये। यही कि 25 हजार मजदूर क्रेश प्रोग्राम में लगा दिये। बाकी रहे कितने? कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ? कभी भी हमने इस प्रश्न का निराकरण करने का प्रयत्न नहीं किया। मैं बेरोजगारी के प्रश्न को प्रतीक के रूप में रख देना चाहता हूं। अब ये बढ़ती हुई कीमतें आदमी की कमर तोड़ रही हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनकी कमर तोड़ रही है। मैं यह निवेदन करूं कि 16 रुपया मन बाजरा दिसम्बर में आता था और जिस साल में गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस समय बाजरा 16 रुपये मन था और अब 32 रुपया मन बाजरा है। इसका अर्थ हुआ बेचने वालों की भी लूट, खाने वालों की भी लूट और लूटने वाले मालामाल हो गये हैं। इसका नियन्त्रण न करने का असर आपके बजट पर भी पड़ता है। गरीबी हटाओ से इसका बड़ा व्यापक सम्बन्ध है इसलिये अर्ज किया। मैं इस प्रश्न पर ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूँ।

एक सुझाव देना चाहता हूँ राजनीति के प्रतीक के रूप में बड़े पूंजीपति व्यापारी और पिछड़े हुए तबके के सन्दर्भ में सुझाव के रूप में अर्ज करूंगा। यदि आप पांच

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

व्यक्तियों के परिवार में खर्च की क्षमता कम से कम 200) रु. और अधिक से अधिक 2 हजार रुपये निर्धारित कर दें और सुपरफलुअस चीजों, ऐयाशी की चीजों को खरीदने में सीमा लगा दें दो सौ की कीमत इधर और दो हजार की कीमत उधर, इससे केपिटल फार्मेशन में बचत होगी। यह रकम आपके हाथ में आवेगी। केपिटल फोर्मेशन हमारे यहां 1 पर्सेन्ट है जब विकासशील देश, इन्डोनेशिया, मलेशिया में 6.7 पर्सेन्ट है। सुपरफलुअस एक्सपेन्डीचर है, यदि उस पर बन्दिश लगा दें तो केपिटल फार्मेशन में मदद मिल सकती है। बजट के भाषण में 72-73 में 67.23 करोड़ रुपया योजना में व्यय किया जाना बताया। इतना रुपया तो खर्च कर दिया लेकिन उसके अनुपात में उपलब्धि क्या है उसका उल्लेख नहीं किया। मैं उस प्रश्न को छोड़ देता हूं। मैं उस प्रश्न पर आता हूं कि आखिर में आपने स्टेट इन्कम को बढ़ाने के क्या प्रयत्न किए हैं?

राजस्थान में खनिज सम्पदा एक मुख्य सम्पदा है। इसमें हमारा मुख्य काम कितना रहा और स्टेट इन्कम को बढ़ाने में क्या प्रयत्न करके कितना इनको विकसित किया, उसके आंकड़े देना चाहता हूं। इससे भली भांति स्पष्ट हो जायेगा कि खनिज सम्पदा, औद्योगिक विकास को बढ़ाने में कितने हम असफल रहे हैं। सन् 54 में चालू कीमतों के आधार पर खनन का हिस्सा है, 0.60 पर्सेन्ट और 17-18 साल के बाद 0.98 पर्सेन्ट हुआ। इससे हमारी गति का अन्दाज लग सकता है। खनन पर आधारित उद्योग हैं उनके विकास की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे मालूम हो कि स्टेट इन्कम कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। सन् 1967-68 में स्टेट इन्कम में 10.32 की वृद्धि हुई। कारण पूछेंगे कि कैसे वृद्धि हुई? आगे पीछे गिरावट होती गयी। कृषि का उत्पादन अच्छा हुआ तो स्टेट इन्कम बढ़ गई। 1968-69 में 4.87 क्यों गिर गयी? सन् 69-70 में 11 पर्सेन्ट, 70-71 में 16 पर्सेन्ट 71-72 में 5.62 पर्सेन्ट एकदम गिर गई। 72-73 में 5.10 पर्सेन्ट ही रह गई। एकदम गिर गई। हमारी स्टेट इन्कम खनिज और उद्योगों से अधिक होनी चाहिए थी वहां वह गिरी है। क्योंकि यह प्रान्त कृषि के आधारित है। जहां जिस वर्ष कृषि अच्छी हुई स्टेट इन्कम बढ़ गई और खराब हुई तो गिर गई। इसलिए यह निवेदन कर रहा था कि हमारा ध्यान खनिज सम्पदा के विकास पर अधिक नहीं गया।

शिक्षा के प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता। अन्य कई माननीय सदस्य कहेंगे। एक बात अवश्य अर्ज करना चाहूंगा कि संविधान में गारन्टी दी है कि सन् 1960, 1962 में सारे देश को साक्षर बना देंगे हमारे यहां अभी 28 पर्सेन्ट साक्षरता है। कम्पलसरी एजूकेशन का एक्ट सदन ने पास किया। वह एक्ट डेड एक्ट की तरह पड़ा है, एक कदम आगे नहीं बढ़े। एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं कि जहां पर पूरी कम्पलसरी एजूकेशन लागू की हो।

शिक्षा के सम्बन्ध में अधिक न कहते हुए मैं अनएम्प्लायमेंट के प्रश्न पर जाना चाहता हूं।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

अनएम्पलॉयमैंट के दफ्तरों में देश भर में 65 लाख व्यक्ति पंजीकृत हैं और केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष पाँच लाख के हिसाब से इनको एम्पलॉयमैंट देने की बात करती है। मैं आपका ध्यान तीन वर्ष पूर्व कांग्रेस अधिवेशन में इस सम्बन्ध में की गई घोषणा की ओर आकर्षित करता हूँ।

अब राजस्थान मे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 138 हजार बेरोजगार हैं। और बिना आंकड़े के एक लाख और मान लीजिये। इस तरह से अगर पांच लाख आदमियों को हम एम्पलॉयमेन्ट प्रति वर्ष करेंगे तो 13-14 साल में जाकर हम इन सबको एम्पलॉयमैंट दे पावेंगे। तब तक न जाने कितने लोग कहां चले जावेंगे। कितने खतम हो जावेंगे और कितने नये और पैदा हो जावेंगे। इससे पांच लाख को एब्जोर्ब करने का प्रश्न ही खतम हो जावेगा।

आपने स्टाईपण्ड दिया मैडिकोज को और दूसरे इन्जीनियरों को। अच्छी फैमिली से आए हुए लोग हैं ये अधिकतर है। फिर भी अगर आपने दिया है तो मुझे ऐतराज नहीं। पर एम्पलॉयमैंट देने के प्रश्न पर आप एक नीति निर्धारित कर दें। मैं यह चाहता हूँ। क्षमता और योग्यता के आधार आप यूनिवर्सीटी और शिक्षालयों में तो स्थान दें। पर बाकी जगह आपको एम्पलॉयमैंट देते समय यह देखना चाहिये कि किस फैमिली में मां बाप बिना एम्प्लायमैंट के हैं और उस फैमिली में कितने व्यक्ति हैं बेरोजगार उस हिसाब से उन्हें एम्पलॉयमैंट दें। और उस प्रायोरिटी पर अलग तरह से सोचें। इस प्रश्न को इस दिशा मे हल करने की बात सोचेंगे तो बहुत कुछ कामयाबी हांसिल हो सकती है।

कुछ सुझाव और देना चाहूंगा गारन्टी के प्रश्न पर। आपने गारन्टी दे रखी है 4 करोड़ 14 लाख के करीब रकम पर। यह गारन्टी आपने कर्जे के एवज में दे रखी है कि अगर वह पार्टी अदा नहीं करेगी तो सरकार करेगी। आप इस गारन्टी के लिए उस पार्टी पर एक पर्सेन्ट टैक्स लगा दें। जहां आप गारन्टी देते हैं वहां एक पर्सेन्ट टैक्स उसके लिए लेंगे। इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। आपकी गारन्टी लेने वाला भी ऐतराज नहीं कर सकेगा। इससे कम से कम आप चार पांच लाख प्राप्त कर सकेंगे।

विभिन्न कम्पनियों में आपका लगभग 9-10 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको चार पर्सेन्ट भी रिटर्न बराबर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से को-ऑपरेटिव में 28 करोड़ के लगभग है। इसका रिटर्न आपको 0.4 पर्सेन्ट के करीब मिल रहा है। इसी तरह से बीकानेर जिप्सम का पहले जब सवाल आया था तो मुख्य मन्त्री जी ने स्वीकार किया था कि हमारे शेयरों से हमें वांछित रिटर्न नहीं मिल रहा है इसलिये इनमें अपने शेयर मेजोरिटी में परिवर्तित करके इसके मैनेजमेन्ट को अपने हाथ में लेंगे। मैं सुझाव देता हूं कि जिन जिन कम्पनियों में आपके शेयरों से आपके रिटर्न कम है उस उसमें अपने शेयरों को

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)
मेजोरिटी में परिवर्तित करके उसका मैनेजमेन्ट सरकार अपने हाथ में ले लें। फिर आप देखें कि रिटर्न कम आता है या ज्यादा।

अकाल के प्रश्न पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यह आप निपटाइये। पर इस कर्जे के प्रश्न पर आप सहयोग लीजिये सभी सदस्यों का। जैसे उनके नम्र शब्दों में आपने अपने मेमोरेण्डम में बहुत कुछ खुशामद की है उसी तरह से सदस्यों का सहयोग लेकर राइट ऑफ कराने की बात भी आप करेंगे तो इसकी सम्भावना बढ़ सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पेश होता है। उसी परम्परा से 73-74 का बजट भी मय आंकड़ों और विवरण के सदन के समक्ष पेश किया गया है। कई सदस्यों ने उस पर अपने अपने विचार अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी स्टेट का वित्तीय विवरण जनता की आशाओं और निराशाओं का एक प्रतीक होता है। इसके अनुसार इस बजट में अधिक निराशा और कम आशा प्रतीत होती है।

मैं एक बात कहना चाहूंगी। राज्य की अर्थ व्यवस्था के बारे में माननीय वित्त-मन्त्री जी ने बताया है कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। अगर वर्षा हो जाती है तो हमारा राज्य सम्पन्न हो जाता है और वर्षा नहीं होती है तो हमें अकाल की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। मुझे यह बजट देखने का मौका मिला है और हर वर्ष यही बात आती है। पिछले छः वर्षों में एक साल ऐसा आया जब वर्षा अच्छी हुई थी और तब अपने को सम्पन्न समझा था। पर हर बार इस बात को महसूस करने के बावजूद कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां अकाल निरन्तर पड़ते रहते हैं और इसका सामना हमें हर साल बिना प्लान के करना पड़ता है और अधिक रुपया खर्च करके ऋण का भार हमारा बढ़ता जा रहा है, मुझे खेद है कि हमारी राज्य सरकार ने अच्छे समय में बैठकर यह कभी नहीं सोचा कि चूंकि अकाल यहां के लिये नई बात नहीं है तो इसका कोई स्थायी हल खोजा जावे और उस पर अमल किया जावे। आखिर अकाल जब पड़ जाता है तो अचानक प्लानिंग के बिना ही कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। मजदूरी लोगों को देनी पड़ती है क्योंकि तब तो लोगों को किसी तरह से जिन्दा रखने का प्रश्न खड़ा हो जाता है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि परमानेन्ट सोल्यूशन अगर इसका हम नहीं निकाल पावेंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति कभी सुधर नहीं पावेगी। हर बार हमें ऋण लेना पड़ता है। वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बताया कि दूसरी योजना के बाद राज्य पर 152 करोड़ का जहां ऋण था वहां आज चौथी योजना के

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

बाद वह घटना तो दर किनार रहा, उल्टा बढ़कर 825 करोड़ हो जावेगा ऐसा उनका कहना है। इतना बड़ा अन्तर दस साल में आ गया। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि राज्य की यह वित्तीय स्थिति हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी।

आंकड़ों की हेरा फेरी करके आप बजट तो पेश कर देते हैं। इस बार भी कहा गया है कि हमारी यूजुअल योजनाएं हैं, फेमिन का फोर्स भी है, ये हमारी प्लान हैं ये हमारी योजनाएं हैं, ये एक्सपेण्डीचर हैं, और इस वजह से इस साल घाटा नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगी कि ऋण जो हम फेमिन के लिये लेते हैं उस पर भी ब्याज तो लगता ही है। इस ब्याज को मद्दे नजर नहीं रखकर यह बताना कि घाटा नहीं लगता। 25.95 करोड़ का खर्चा बताया जिसमें से 6 करोड़ सबसीडी के रूप में केन्द्रीय सरकार देगी और 17.95 करोड़ के आसपास हमें लोन के रूप में मिलेगा यह बताया। तो यह लोन हमेशा मिलेगा, उसका ब्याज भी होता है और वह हमारी वित्तीय स्थिति में क्या अन्तर डालता है, इसको आंकड़ों की हेराफेरी से आसानी से लोग नहीं समझ सकते।

मैं इस इन्ट्रेस्ट के थोड़े फिगर बताना चाहूंगी जिससे मालूम पड़ेगा कि राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। हम कुल लोन पर 68-69 तक 20 करोड़ के लगभग ब्याज दे रहे थे। 69-70 में यही ब्याज की रकम बढ़ कर 28 करोड़ बन गई और 70-71 में 31 करोड़ हो गई। और अब यह बढ़ कर 44 करोड़ के करीब हमें देना पड़ेगा इस साल। यह ब्याज निरन्तर हर साल हमारा बढ़ता गया है। यह चार वर्ष में दुगुना हो गया। और आज हम कहते हैं कि हमने प्रगति की है, हमारा प्रान्त प्रगतिशील है। हम प्रगति करते जा रहे हैं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम जितना खर्च करते हैं क्या उसके उतने असैट्स भी बढ़े हैं खर्चे के साथ साथ हमारे असैट्स बढ़े होते तो यह ब्याज की स्थिति हमें देखनी नहीं पड़ती। वे असैट्स हमें रिटर्न्स देते रहते और आगे भी विकास के काम हम कर सकते थे। पर ऋण का जो ब्याज हम चुकाते हैं उससे मालूम होगा कि हमारी वित्तीय स्थिति सुधरी नहीं है। असैट्स हम पूरे नहीं बना सके हैं या उसका रिटर्न नहीं पा सके हैं या जो भी दिया है उसके बदले ले नहीं पाये हैं। यह क्लीयर चित्र हमारी वित्तीय स्थिति का बनता है।

कुछ बातें इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कही हैं कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी मुझे इस बजट में सिर्फ एक बात के अलावा कोई नई बात नहीं मिली जिससे राज्य सरकार यह कह सके कि हम विकास की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं।

पिछले साल केन्द्र सरकार ने कुछ योजनाएं हाथ में ली थीं और उनकी क्रियान्विति प्रान्तों को करनी थी। उसमें प्राइमरी एजूकेशन, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के उत्थान के

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने रखी थी जिनको हम क्रियान्वित करते हैं। ये ही बातें हमारे पिछले बजट भाषण मे मिलेंगी और आज के बजट भाषण में भी ये ही चीजें देखने को मिली हैं। सिर्फ एक बात अवश्य थी, एक स्कूटर का कारखाना—अलवर में स्कूटर की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। राज्य का फेमिन हमारे सामने है और हम पूर्णतया कृषि पर निर्भर हैं, उसके लिये आज भी हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं और हमारी कोई कोशिश यह नहीं रही है कि प्रकृति से किस प्रकार निर्भरता से हटा जा सके।

आज पंजाब और हरियाणा, हमारे पड़ौसी राज्य प्रकृति पर निर्भर नहीं हैं। आज उनके यहां बरसात नहीं हुई हो तो भी कृषि की उपज होती है और किसी प्रकार प्रकृति पर निर्भर नहीं हैं। हमारे वेस्टर्न इलाके में लगातार अकाल पड़ता है और उसके लिये एक बात कही जाती है राजस्थान नहर नहीं आयेगी तब तक अकाल का परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान कैनाल इतनी धीमी गति से चली है कि उसका पूर्ण होना सन्देहास्पद बन गया है। इसके लिये भी सरकार जिम्मेवार है। राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसे कम दिये इसलिये राजस्थान नहर की गति धीमी रही है राजस्थान नहर आये तब यह सोचते कि जो मानव शक्ति पड़ी हुई है और जो उद्योग और खनिज के विकास की हमारे यहां क्षमता है उसमें उस मानव शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। लेकिन राज्य सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं हुआ। आगे को स्थिति को किस प्रकार सुधारने का प्रयास किया जाय, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। राजस्थान नहर तो आयेगी लेकिन इस काम को भी देखें तो हम काफी प्रगति कर सकेंगे।

उद्योगों को सबसे कम अहमियत इस बजट में दी गई है। यह इनके आंकड़ों से भलिभांति प्रकट हो जायगा। 73-74 के बजट में 75.10 करोड़ जो खेती, बिजली, ग्रामीण नल योजना और अन्य पर खर्च होना बताया है। इण्डस्ट्रियलाइजेशन का भी इन्होंने कुछ उल्लेख तो किया पर उसकी क्या सम्भावनायें होंगी, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

बजट स्पीच में एग्रीकल्चर पर 5.63 करोड़, को-ऑपरेटिव पर 2.10 करोड़, इरिगेशन पर 40.47, ट्रान्सपोर्ट और कम्यूनिकेशन पर 2.65, सर्विसेज पर 21.60 और इण्डस्ट्रीज पर केवल 2.05 कम से कम खर्चा बताया है। इससे साफ है राजस्थान को कितनी चिन्ता है इस फेमि की मुसीबत को हमेशा के लिए मिटाने के की ? सबसे कम राशि इन्डस्ट्रीज पर रखी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी, स्कूटर का कारखाना जो अलवर में लगाया जायगा उसका सारा कच्चा माल बाहर से आयेगा। उसके साथ हम यह कहें कि इन्डस्ट्रीज में प्रगति की है, बहुत गलत है। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूंगी वहां औद्योगिकरण जैसी कोई चीज नहीं है। केवल दो छोटे छोटे उद्योग है एक स्टेट वूलन मिल और दूसरी पलाना कोलरी। स्टेट वूलन मिल में पांच हजार स्पिन्डल लगाने की

Page No 86

(86)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
बात थी, क्योंकि बीकानेर में सबसे अच्छी ऊन मिलती है और वह डवलप की जा सकती है। इसके बावजूद पांच हजार स्पिन्डल जो बीकानेर को मिले वहां पर केवल साढ़े बारह हजार स्पिन्डल ही लगाये गये। बाकी के शायद जोधपुर या ब्यावर में कहीं लगा दिये गये....

श्री केसरीमल : ब्यावर में नहीं लगाये गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर में भी नहीं लगाये गये हैं। ये तो और ही कहीं लगा दिये गये हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : हो सकता है, मुझे पता नहीं है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में कुछ फैक्ट्री लगी हैं। वह भी वहां पर उपयोग में नहीं लाई गई। पलाना कोलरी के लिये सदन में कहा गया रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलरी काम नहीं कर सकती है। एक बार उसमें आग लग गई तो हमेशा के लिये उसको बन्द कर दिया गया। मैंने हमेशा इस बात के लिए कहा है इन इलाकों को डवलप नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए पिछड़ जायेंगे मेरा निवेदन है अगर यहां अभी डोमेस्टिक फेब्रिक भी बनाया जाय तो घरेलू काम के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा लागत का काम भी नहीं है केवल 2-4 करोड़ का काम है। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि कुछ मशीनरी आइडल पड़ी हुई है। वह मशीनरी काम में लाई जा सकती है और हमारे यहां पलाना कोलरी में ओपन कास्ट माइनिंग का काम हो सकता है। लेकिन राजस्थान सरकार पैसे को यूज करने में विचार नहीं करती है। आज भी काफी मात्रा में वहां पर मजदूर उपलब्ध हैं लेकिन सरकार इस बात को नहीं देख रही है।

अगर अकाल से बचना है तो औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से और खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान को विकसित करना होगा जो हमारे प्रान्त में बहुतायत से उपलब्ध भी हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक बात कही है रॉक-फास्फेट की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन केवल रॉक फास्फेट से राजस्थान का काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान में बहुत सी जगह बहुत से पदार्थ उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। आज बीकानेर में दो छोटे छोटे कारखानों को छोड़कर कोई इण्डस्ट्रीज नहीं है, उसके बावजूद भी बीकानेर को इण्डसस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया है। यह राजस्थान सरकार का पक्षपात बीकानेर जिले के लिए क्यों है यह मैं नहीं जानती।

बीकानेर जिले के लोग निरन्तर अकाल से पीड़ित हो चुके हैं उनको अबके एक आशा थी और वह आशा यह थी कि नये बजट में वर्षों से अकाल पीड़ित जिलों में जो लोग परेशान हैं उनको शायद कोई राहत मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, आज उनको कोई राहत नहीं मिली है। पिछले साल एक टैक्स–भुजिया नमकीन पर लगाया था। बीकानेर में भुजिये की छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज हैं और वहां के भुजिये आज देश में सब जगह खाते हैं। उन भुजियों में कई मजदूर लगे हुये हैं लेकिन

Page No 87

(87)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

आज उन भुजियों के भावों में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। मोठ के दाम बढ़ गये हैं, तेल के भाव बढ़ गये हैं जो पहले भुजिये 2-3 रुपये किलो थे वे आज 5) रुपये हो गये हैं और टैक्स लगाने के बाद तो साढ़े पांच रुपये किलो हो गये हैं। उन गरीब लोगों के पास सिवाय इसके कोई साधन नहीं है। केवल भुजिये बनाकर ही अपनी रोजी कमाते हैं। राज्य सरकार का जो मकसद था, टैक्स लगाने का वह भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उस तरह की वसूली नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगी, जो पिछले साल टैक्स वसूल कर रहे थे, उससे वसूली आज कम है। यह फैक्ट देखने की बड़ी आवश्यकता है। राज्य सरकार का मकसद भी पूरा न हो और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर परेशान करते हैं और उनकी छाती पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनको हिसाब रखने के लिए मुनीम की जरूरत पड़ती है जिसको छोटे छोटे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है इस पर पुनः विचार करना चाहिये। आज बीकानेर में यह इण्डस्ट्री पनपे तो जो पहले साल टैक्स लगाया था उसको वापिस लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा में जूता बनाने पर टैक्स लगाया था लेकिन जब उन्होंने देखा टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं है तो उन्होंने उस टैक्स को वापिस ले लिया। इसी तरह हम भुजिये का टैक्स वापिस ले सकते हैं। अपना भी भला नहीं कर सकते और जनता को परेशानी दें उससे अच्छा है सरकार इस बात पर विचार करे और टैक्स को वापिस ले।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी मुद्रण की गलती होती तो मैं नहीं कहती लेकिन मुझे खेद है वित्त विभाग का बहुत बड़ा अमला इस काम को करता है इसके बावजूद भी सदन के समक्ष गलत आंकड़े आयें, वह एक अजीब बात है।

मैं आपको बताना चाहूंगी बजट में 75.10 का एक्सपेन्डीचर बताया गया है 1973-74 के लिए। कृषि कार्यक्रम पर 5.63, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास पर 2.10, सिंचाई तथा विद्युत पर 40.47, उद्योग व खनिज पर 2.65, परिवहन एवं संचार पर 2.65, सामाजिक सेवाओं पर 21.7 और विविध में 1.13। बजट एस्टीमेट्स खण्ड 2 में पेज 245 पर यही फिगर्स दिये हुए हैं जिनमें बहुत बड़ा अन्तर आता है। अगर जोड़, गुणा या भाग की या मुद्रण की गलती हो तो, तो कोई बात नहीं थी लेकिन वहां भी कृषि कार्यक्रम पर 5.62, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास पर 2.10 यह भी करीब करीब ठीक है। सिंचाई तथा विद्युत में जो बजट स्पीच में बताया गया है वह 41.47 है। लेकिन बजट एस्टीमेट्स के खण्ड 2 के पेज 245 पर बताया गया है 31.83 इतना बड़ा अन्तर कैसे है यह समझ में नहीं आता। उद्योग व खनिज पर 2.05 और यहां भी 2.05, परिवहन एवं संचार पर 2.05 और उसमें भी 2.05, सामाजिक सेवाओं में 21.07 और बजट में पेज 245 पर 19.75 बताया गया है उसमें भी 1 करोड़ का फर्क बताया गया है। इस तरह से 10 करोड़ रुपयों का अन्तर किस तरह

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

से हुआ। इसका क्या किया जायेगा ? यह 10 करोड़ रुपया कहां खर्च किया जायेगा, यह जवाब मानीय वित मंत्री जी दें और अपने विभाग वालों से पूछें कि अगर सदन के समक्ष 10 करोड़ का फर्क रखा जाये तो सदन इसको क्या माने ? मेरे पास अधिक समय नहीं था कि मैं इस बजट के सारे आंकड़ो को देख पाती लेकिन मैं निश्चत रूप से मानती हूं कि इस तरह से आंकड़ों का फर्क और भी कहीं मिलेगा और इस पूरे बजट को सही तरीके से देखा जाये तो मैं आशा करती हूं कि 10 करोड़ रुपये का जो फर्क है उसके लिए वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं जहां शिक्षा के मसले पर कहा है कि हम इतने स्कूल खोलने वाले हैं। मैं इसका स्वागत करती हूं लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहती हूँ कि पिछली बार भी हमें हजार स्कूल प्राइमरी और हजार मिडिल स्कूल खोलने थे। आज कागजों में तो स्कूल खुल गये हैं लेकिन हम एक तरफ तो स्कूल और प्राइमरी एजूकेशन को काम्पीट करने की बात करते है लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए जो साधन, बिल्डिंग और व्यवस्थायें होनी चाहिए वह उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मैं बीकानेर जिले के बारे में खास तौर से बता सकती हूँ कि जो शहरों से बहुत दूर और रोड साइड से दूर गांव हैं वहां कागजों में स्कूल खुल गये लेकिन वहां पर मास्टर नहीं पहुंच पाये, उनके रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और वहां खाने के लिए अन्न नहीं। इस परिस्थिति में वह मास्टर कहां जाकर रहें और कैसे उन बच्चों को पढ़ायें और वह क्षेत्र अकाल से पीड़ित है, खाने के लिए अन्न नहीं वह स्लेट और पेंसिल पर खर्च कहां से करें। तो इस तरह से स्कूल खोलते हैं और गावों में आपने स्कूल खोल दिये तो सही मायने में हम शिक्षा का विकास इस तरह से नहीं कर पायेंगे। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूल खोलने के साथ ही साथ उनके साथ जो अटेच्ड साधन हैं वह भी उपलब्ध करायें।

चिकित्सा के सम्बन्ध में कहा है कि 38 डिस्पेन्सरीज और खोली जायेंगी। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि एक तरफ हम मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हर साल हजारों डाक्टर मेडिकल कालेज से निकलते हैं। इन 38 डिस्पेन्सरीज में हम उनको कैसे खपा पायेंगे ? यह तो डाक्टरों का ही मसला है और इस बढ़ती हुई आबादी के साथ ही साथ हमने 15 लाख रुपये दवाइयों के लिए एक्स्ट्रा रखे हैं। मेरा ख्याल है कि यह पैसा अकेले जयपुर शहर के लिए भी नाकाफी है। मैं बेरोजगारी के बारे में कहना चाहूँगी कि यह अहम मसला है। चाहे पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, भूख हर इन्सान को लगती है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए जो आज बेरोजगारी की समस्या है उनको मिटाने के लिए एक योजना हमको बनानी होगी। आज गावों में जहां अकाल पड़ता है वहां भी भूख मिटाने के लिए मजदूरी चाहिए इसलिए जब तक उद्योग, खनिज या और दूसरी योजना नहीं बनायेंगे तब तक हम कोई विकास नहीं कर पायेंगे और लोगों को मजदूरी नहीं दे सकेंगे। मैं निवेदन करूंगी कि गावों में 6 हजार मास्टर को एम्पलायमेन्ट देने की सोच लें

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
और 38 डिस्पेन्सरीज में 100 डॉक्टरों को खपा दें तो हम बेरोजगारी को दूर कर पायेंगे यह मिथ्या है और सत्य नहीं है।

इसके बाद मैं कुछ रुरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी कहना चाहूँगी। इसमें यह कहा गया है कि मोर दैन 15 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से 9.45 करोड़ तो स्टेट ने रखे हैं और इसमें 7.23 करोड़ तो रूरल एरिया के लिए और 2.22 शहरी एरिया के लिए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि यह रुपया नाकाफी है। पिछली बार भी इस रुपये को रखा गया और शायद मुझे ठीक तरह से याद नहीं है 10 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन मैं निवेदन करूंगी कि राजस्थान बहुत बड़ा है। मैं एक छोटे से जिले के बारे में, बीकानेर जिले के बारे में कहूंगी कि मेरे यहां ऐसे गांव हैं कि जहां ब्रैकिश वाटर है और जिसको इन्सान पी ले तो वहीं का वहीं मर जाये। ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पानी नहीं पहुँचा पाये तो मेरा कहना यह है कि जो योजनायें बनाई जायें उनमें यह ध्यान रखा जाये कि जहां 10 मील की दूरी तक भी पानी के साधन नहीं हैं उनकी तरफ हम पहले ध्यान दें और वहां पर योजनाओं की क्रियान्विति पहले करायें। और कोई योजना मन्जूर हो गयी तो कह दिया कि पाइप नहीं हैं इसलिए योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगी कि यह ऐसी जटिल समस्या है, आज अकाल के समय हमको पानी पहुंचाना पड़ता है टैंकर्स से, रेलों के डिब्बों से। जैसी भी व्यवस्था हो उससे पानी पहुँचाते हैं और हर साल इस पर करोड़ों रुपया हमारा स्टेट का खर्च होता है। और एक बार हिम्मत करके वहां पानी पहुँचायें तो जो हमारा रेकरिंग एक्सपेन्डीचर है उसकी भी बचत हो सकती है और हम कहने की स्थिति में हो सकते हैं कि हमने कम से कम 25 वर्षों में लोगों को पानी देने की स्थिति पैदा की है।

दूसरे कहा गया कि शहर या गांवों में जो पिछड़ी हुई जाति के इलाके हैं और जहां नल सार्वजनिक नहीं लगे वहां नल लगाने के लिए इस साल 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी आज स्थिति यह है कि चाहे गांव हो या शहर हो, गांवों में पट्टों का झगड़ा नहीं है लेकिन शहरों में जो बस्तियां हैं इन पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिए- उनके पास पट्टे नहीं हैं। मैं आपको नाम से ऐसी सैकड़ों बस्तियों के नाम गिना सकती हूं, रामपुरा हरिजन बस्ती, सुभाषपुरा हरिजन बस्ती यह ऐसी बस्तियां हैं कि जहां सार्वजनिक नल की व्यवस्था करने की कोशिश की गयी लेकिन यू. आई. टी. ने इन्टरफियर किया कि हम पाइप लाइन नहीं डालने देंगे क्योंकि इनके पास पट्टे नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि पिछड़ी हुई जाति के लोगों को पानी नहीं मिला। कहीं पाइप लग गये तो कनेक्शन नहीं दिये और परमीशन नहीं होने से कोई पाइप लाइन नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि हम पानी और बिजली अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के यहां पहुंचायेंगे और दूसरी तरफ छोटी छोटी मुसीबतों को हम हल नहीं करेंगे तो हमारी बात कथनी में ही रह जायेगी और करनी में नहीं होगी। इस बात को ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

एक बात और शहरों की है कि 21 अगस्त, 1971 तक के लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि जो कब्जे 21 अगस्त, 1971 तक किए गए हैं उनको तोडा नहीं जाएगा, उनको कायम रखा जाएगा। उनसे रेट के अनुसार, जो गरीब लोग हैं उनसे रेट के अनुसार रुपया लेकर उनको काबिज कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक रूल्स नहीं बने, कोई नियम नहीं बने। जो गरीबों ने उस पर दो चार सौ रुपये खर्च किए हैं तो हमेशा, कभी कोई तहसीलदार, कभी कोई म्यूनिसिपेलिटी का आदमी और कभी कोई और वहां जाकर उन गरीबों के मकानों को तोड़ता है। एक ओर तो एक प्रान्त का मुख्य मन्त्री यह घोषणा कर आए और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी उन मकानों को तोड़े तो यह बडी अजीब विडम्बना ही होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और इसके बारे में रूल्स बना कर उनकी मुसीबतों को हमेशा के लिए खत्म करे।

अकाल के बारे में बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि बार बार घोषणा इस बात की, की जाती है कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे और इसमें खास तौर से बजट में भी बताया गया है कि 80 लाख रुपया मेटिरियल कम्पोनेन्ट के लिए रखा गया है ताकि जो काम अकाल में हों वे परमानेन्ट नेचर के हों और दूसरे अकाल में वेजेज को भी डबल कर दिया गया है, साथ ही काम की सीमा 30 पर्सेन्ट घटा कर 70 पर्सेन्ट मानी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह 80 लाख रुपया इतना बड़ा नाकाफी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कि अगर परमानेन्ट नेचर के काम हम चाहते हैं तो उसके लिए मेटिरियल कम्पोनेन्ट के लिए अधिक रकम रखनी पडेगी। मैं 80 लाख का तो स्वागत करती हूं लेकिन इसके बावजूद भी आज जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन हैं और खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान की, उसमें हम एक ही तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। आज जहां पर खेती नहीं हो सकती है, दूसरे कार्य सड़कों वगैरह के नहीं हो सकते, बरसात पड़े और वे साफ हो जावें, कुंड वगैरह के कार्य नहीं हो सकते तो ऐसी परिस्थिति में अगर सड़क बनाते हैं तो वहां पर मैटिरियल कम्पोनेन्ट अधिक लगेगा, वहां पर डामर पर अधिक पैसा लगेगा, तो वहां के ज्योग्राफिकल फीचर्स को अलग अलग देखना चाहिये। एक ही मापदण्ड बना दें तो यह सही नहीं रहेगा अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग स्थिति है। इसी तरीके से खास तौर पर वेस्टर्न राजस्थान के लिए अधिक पर्सेन्टेज देकर मेटिरियल कम्पोनेंट अलग से रखा जाय, उसका अलग से मापदण्ड रखा जाय ताकि वहां पर कार्य पूरे हो सकें और सही तरीके से हो सकें।

एक बात केवल सुझाव के रूप में और निवेदन करना चाहूंगी। अकाल के अन्दर लोगों को काम देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग, जो संस्था है, जो राज्य की सब्सीडी से चलती है, राज्य सरकार का उसमें बहुत मेजर हिस्सा रहता है। उनके जगह जगह संस्थान बने हुए हैं। वे संस्थायें

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कई जगह पर ऊन कताई के लिए देती है। लेकिन आज वे संस्थायें गरीबों को कोई ऊन नहीं देती हैं। गरीब लोग ऊन को बहुत मांगते हैं, उनसे छोटे छोटे काम मिल सकते हैं, छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज डवलप हो सकती हैं लेकिन वह नहीं करके उसके पदाधिकारी ऐशोआराम से वहां पर रहते हैं। उनके खुद के मकानों में आज एयर कण्डीशनर लग रहे हैं लेकिन गरीब कताई के लिए ऊन मांगते हैं, तो उनको ऊन तक नहीं मिलती है। ऐसी संस्थाओं की तरफ राज्य सरकार ध्यान दे और फेमिन के वक्त में यह बहुत जरूरी है कि गरीब औरतों को कताई के लिए ऊन मिले। आज जो औरतें हैं, राजपूत औरतें हैं वे बाहर सड़क पर जाकर काम करने के बजाय घर पर बैठ कर ऊन कातना अधिक पसन्द करेंगी और इससे उनको घर पर ही काम भी मिल सकेगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी। मैंने दो चार सुझाव आपके सामने रखे हैं। खास तौर से बीकानेर की एक 26 लाख की योजना बनाई गई थी, गिन्नानी नाले की स्कीम। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी लेकिन इसको छः साल हो गए हैं। जो 26 लाख रुपया रखा गया था उसमें से 17-18 लाख रुपया खर्च भी हो गया है लेकिन यह योजना, जो 67 से चल रही थी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। वहां पर शहर में यह ऐसा स्थान है जहां एक तरफ ऑफिसेज हैं तो एक तरफ बीकानेर का किला बना हुआ है। इसके सामने सूर सागर तालाब है, यह बहुत खूबसूरत जगह थी लेकिन यहां पर गन्दा पानी लाकर डाल दिया गया, है जिससे मोटर में बैठ कर निकलने वाले और उसके आस पास रहने वाले हैं, वे इसकी बदबू से जिन्दा नहीं रह सकते। अब गर्मी का मोसम वापिस आने वाला है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बचत करें लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से 26 लाख रुपयों का दुरुपयोग हो और राज्य सरकार नींद में सोती रहे, बार बार विधान सभा में कहने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न हो, किसी के खिलाफ एक्शन न हो, उसको पूरा करने के लिए कोई कोशिश न की जाय तो मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करूंगी कि राज्य सरकार या तो नींद में सोती है या जान बूझ कर नहीं देखना चाहती है। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी मनमाने ढग से अपनी कार्यवाही करती है, गड़बड़ियां करती हैं और बावजूद इसके, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो मैं निवेदन करूंगी कि आखिर यह स्थिति हमारे प्रान्त को कहां ले जायेगी? यह घाटे का बजट जो आया है, 24.19 करोड़ का घाटा रखा गया है, वैसे तो 48 पोइन्ट कुछ का घाटा है लेकिन सब्सीडी वगैरह मिला कर इसको कम बताया गया है, दूसरे आइटम्स को जोड़ कर इसको 24.19 करोड़ का घाटा बताया गया है, तो यह निरन्तर बढ़ता जाएगा और जो घाटा पिछले साल बीस करोड़ का था वह अब 24 करोड़ का हो गया है और इसी तरह से चलते रहे तो यह और भी बढ़ जायगा। मैं इस बारे में कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहती हूं लेकिन इतना निवेदन करूंगी कि इनके आंकड़ों को देखा जाय तो यह निरन्तर फर्क आता जा रहा है। 1967 से बराबर देखने से मालूम पड़ेगा कि

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

निरन्तर डेफिसिट आ रहा है। कभी हमने उनको बट्टे खाते में जोड़ दिया। आज म्यूनिसिपेलिटीज और दूसरी संस्थाओं से हमारा 11.03 करोड़ रुपया लेना है लेकिन यह कभी वसूल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाय। ये बातें छोटी छोटी जरूर हैं लेकिन ध्यान देने योग्य हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति को इन छोटी छोटी बातों से ही सुधारा जा सकता है। आज जनता में, जो लोग यह आशा लगाए हुए थे कि हम लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें इससे निराशा मिली है और ऐसा बजट आने से आज जनता में खुशी की लहर पैदा नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगी वित्त मंत्री महोदय से कि इन छोटी छोटी बातों की तरफ वे ध्यान दें। बाकी जो उन्होंने शिक्षा और रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नाम मात्र का प्रावधान रखा है उसका मैं स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

(अनुपस्थित)

श्रीमती प्रभा मिश्रा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्षजी, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जिन उपलब्धियों का सिंहावलोकन किया है, आगे के कार्य-क्रमों पर प्रकाश डाला है और साथ ही साथ जिन मुख्य चीजों का उल्लेख किया है, उनमें हैं पेयजल, बिजली, अकाल राहत कार्य, पिछड़ी जाति के कार्य, स्कूल्स, सड़कें, लघु उद्योग, दुग्ध योजनाएं आदि। इन सबका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ राजस्थान की, जो वित्तीय स्थिति है और सीमित साधन हैं उनके अन्दर जो कुशल समन्वय किया है उसके लिए बधाई देती हूं। किन्तु साथ ही साथ हमारी कुछ समस्यायें हैं, जो कि बड़ी जटिल हैं लेकिन दुर्भाग्य से वे राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने में असफल रही हैं, उनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

पहले पहल तो मैं पेयजल को ही लेती हूं जिसका कि इस बजट भाषण में सबसे ज्यादा और कई बार वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से एक सुन्दर झरना चलते 2 विलुप्त हो जाता है उसी तरह से अजमेर की पेय जल योजना है। जब यह योजना प्रारम्भ हुई तब यह आशा की गई थी कि इससे अजमेर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं जयपुर तक इससे लाभान्वित होगा। उस पेय जल योजना से जो आशा बंधी थी वह आशा विलुप्त हो गई। इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। आज जो वहां की पानी की स्थिति है, प्रश्नोत्तर काल में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वहां की स्थिति बताई, वह काफी भयंकर है। वही स्थिति आज किशनगढ़ की बनने वाली है। अजमेर की भी हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। जहां तक ब्यावर का सम्बन्ध है, इन सब चीजों के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने जिस समय प्रश्न का उत्तर दिया था उस समय यह बतलाया था कि हम उनके लिए योजना बना रहे हैं। मैं तो यह प्रश्न करना चाहती हूं कि वह योजना आज क्यों बनाई जा रही है, पहले से क्यों नहीं बनाई गई ? जिस समय अजमेर के लिए पानी की सप्लाई की समस्या सामने आई थी और उसके लिए

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

स्कीम बनाई गई तो पहले पहल गनहेड़ा पर कुए खोद कर, गनहेड़ा के कुओं से अजमेर शहर को पानी दिया गया और उस समय इसके साथ में एक और योजना भी थी। वह तिलोरा बांध की योजना थी परन्तु इस योजना को पूरा नहीं किया गया। केवल कुए खोद कर अजमेर शहर को पानी बराबर दिया जाता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि वह एरिया, जो सरसब्ज था, खत्म हो गया। किसी भी चीज से आप लेते जाएं और उसको पनपाने के लिए कुछ नहीं करें तो वह अपने आप ही समाप्त हो जायेगी। बड़ी कठिनाइयों के बाद यह तिलोरा बांध बांधा गया है और उसके बाद ही उस एरिया की स्थिति सुधरने लगी। बनास की जब योजना बनी थी तो उसके साथ उसमें राजमहल का भी प्रावधान था परन्तु न मालूम क्यों वह योजना भी खटाई में पड़ गई और जो लोग इस योजना से आशा लगाकर बैठे थे, जो यह सोच रहे थे इससे हमको लाभ होगा, उनको यह देख कर निराशा हो गई कि जो अगली पंचवर्षीय योजना, बन रही है उसमें कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार से अजमेर की जनता और जो दूसरे लोग इस योजना का लाभ उठाते उनको निराशा हुई है। वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि बनास के पास दीवारें खिचवाने की कोई स्कीम विचाराधीन है। कोई भी योजना विचाराधीन हो, चाहे वह सिंचाई को बड़ी योजना बने अथवा पीने के पानी की। पीने के पानी की योजना को पहले करने का हमारा उत्तरदायित्व है इसलिए इसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यह योजना स्थायी होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले दो बार काम शुरू करके बन्द कर दिया वह न किया जाना चाहिए बल्कि पीने के पानी की स्थायी योजना को लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बिजली के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव देना चाहूंगी। बिजली के सम्बन्ध में यही देखा है कि जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप बजट प्रावधान नहीं है। बजट लक्ष्य और प्रावधान दोनों में अन्तर है। मैं यह चाहूंगी कि बिजली के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसकी पूर्ति के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उस हिसाब से बजट में धन का भी प्रावधान किया जाना चाहिये और बिजली वितरण में प्राथमिकता उन स्थानों को दी जानी चाहिये जहां से उत्पादन में बढ़ोतरी हो, जहां कुओं में पानी हो। उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि कुछ कार्य हो सकें। इस प्राथमिकता के लिए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपर्युक्त धन के बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

अकाल राहत कार्यों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। अकाल राहत कार्य चालू किए गए हैं इसमें कोई सन्देह को बात नहीं है। कई जगहों पर कार्य खोले गये हैं लेकिन उन पर जितने आदमियों को लगाया गया है वह पर्याप्त नहीं है। यहां पर पानी की समस्या है, अन्न की भी समस्या है। इतना ही नहीं भुगतान जो है वह भी लगभग समय पर

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

नहीं हो पाता है और न पूरा हो पाता है। इन परिस्थितियों में भी सुधार करने की जरूरत है। मशीनरी को गीयर अप करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार का ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हमने पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए हैं लेकिन जो गर्भवती महिलाएं अकाल राहत कार्यों पर कार्य कर रही हैं उनके बारे में भी सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। फेमिन में भी उनसे काम लिया जा रहा है। वे भी पुरुषों के बराबर गेंती लेकर काम कर रही हैं। उनको काम करते देखकर दुःख होता है। सरकार गर्भवती महिलाओं को सब तरह से छूट देती है क्योंकि वे भविष्य को बनाने वाली हैं और जब वह अकाल से पीड़ित होकर कोई महिलाएं काम करती हैं तो इस अवस्था में काम करने के क्या भंयकर परिणाम होंगे इसकी आप कल्पना कर सकते है। मैं आशा करूंगी कि इस पर सरकार विचार करके कुछ न कुछ छूट देने की बात करेगी।

जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है, मेरी यह मान्यता है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय योजनाएं बनाई जा रही थी उस समय अजमेर जिले की जो योजना बनी थी वह पन्ना कहीं स्लिप हो गया है। इस कारण से अजमेर की कोई भी योजना इसमें नहीं है। इसके लिए आप उदाहरण ले लीजिए। देवाला फीडर, लसाड़िया बांध, गोविन्दगढ़ पर बांध, राज महल की जो योजना थी वह इसमें नहीं है। अजमेर के लिए ये दो चार योजनाएं ही थीं जिनका भी अगली पंचवर्षीय योजना में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मेरी तो यह मान्यता है कि गलती से यह स्लिप हो गया है। सरकार को इस में सुधार करके, अजमेर जिले को राजस्थान में ही मानकर उसकी विकास योजनाओं को इसमें जोड़ लेना चाहिए।

साथ ही साथ, यद्यपि इसका बजट भाषण से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि गत वर्ष सरकार ने पुष्कर बोर्ड का गठन कर दिया है। पुष्कर एक तीर्थराज है, केवल राजस्थान के लिए ही नहीं अपितु सारे हिन्दुस्तान के लिए एक सबसे बड़ा पूज्य स्थान है और उसके विकास के लिए बोर्ड का गठन करके, जिसके कि स्वयं मुख्य मन्त्री जी अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़े काम की शुरुआत की है। मुझे पूरी आशा है कि न केवल इससे अजमेर, राजस्थान बल्कि अपितु सारे हिन्दुस्तान की भक्त जनता आभारी रहेगी। अभी तो बोर्ड की यह शुरुआत ही है परंतु हम आशा करते हैं कि इस बोर्ड के गठन से पुष्कर तीर्थराज का भला हो सकेगा।

अन्त में, सभापति जी, एक बात और कहना चाहूंगी। समस्याएं तो बहुत हैं पर उनमें न उलझकर जो ज्वलंत समस्या है पानी की उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए अन्यथा वहां पर त्राहि त्राहि मच जाएगी और वहां की जनता भयंकर स्थिति में पड़ जाएगी। बजट

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

भाषण में वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया है कि सिध्दान्तः केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि जो दैवीय विपत्ति के कारण खर्च होता है वह केन्द्र से होगा। जब केन्द्रीय सरकार इस सिद्धान्त से सहमत हो गई है तो पिछले अकालों के लिए कर्जा लिया गया है वह भी राइट ऑफ निश्चत तौर से होना चाहिए क्योंकि सिध्दान्त में जब मान लिया गया है तो उसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाना चाहिए। इससे हमारा विकास की दिशा में जो गतिरोध हो गया है, जो अवरोध पैदा हो गया है, हटेगा। इससे हमें सहायता मिलेगी। और हम विकास की गति को तेज कर सकेंगे।

मैं आभारी हूं, सभापतिजी, आपकी कि आपने मुझे टाइम दिया।

श्री सभापति : श्री नत्थासिंह।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : सभापति महोदय, आज दूसरा दिन है बजट के ऊपर सदन के अन्दर चर्चा चल रही है।

मैं सब से पहले पैरा नम्बर 4 के ऊपर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पैरा में अकाल के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिले अकाल की चपेट में हैं। यह ठीक है कि राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिले अकाल की चपेट में हैं बाकी जो जिले बचे हैं वे भी बाढ़ की चपेट में हैं। इस प्रकार तमाम राजस्थान अकाल और बाढ़ की चपेट में है।

सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह जो अकाल है यह तो प्रकृति की देन है। अकाल पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा लेकिन राजस्थान सरकार जब से बनी अकाल के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है? इसलिए मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार अकाल के नाम पर इन पिछले 20 वर्षों में 26 जिलों में से 5 जिलों के अन्दर भी सिंचाई के साधनों के ऊपर अपना ध्यान लगा देती तो आज, जो भयंकर अकाल हमारे यहां पर पड़ रहा है उसका मुकाबला हम कर पाते। हिन्दुस्तान में नहीं तो विदेशों में ऐसी मशीनें हैं, जैसे कि रुमानिया में है वहां से ट्यूब वैल्स के लिए मशीनें मंगाई जाती, जैसे कि मध्यप्रदेश सरकार ने मंगवायी हैं और मशीनों के जरिए पाताल तोड़ कुए बनाये जिससे हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। इसके लिए चाहे दो लाख, चार लाख, पांच लाख कितना ही रुपया लगे, इन मशीनों को लाने के लिए सरकार सोचती। राजस्थान सरकार यह भी सोचती कि हर पंचवर्षीय योजना में पांच पांच ट्यूब वैल रुमानिया से मशीन लाकर खोदती और इस प्रकार पीने के पानी की व्यवस्था करती तो आज हमें इस अकाल का मुकाबला नहीं करना पड़ता।

मैंने अभी इस 28 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान का दौरा किया। मैंने जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का दौरा किया। वहां पर अकाल से लोग बहुत दुःखी हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्य खोल रखे हैं। यह हमको मानना पड़ेगा। जगह जगह पर लोग सड़कों पर, नहरों पर मिट्टी डालने

(श्री नरपतसिंह)

के काम में लगे हुये हैं। जो काम चल रहे हैं, उन्हें दो चार जगह पर मैंने देखा। जब मैं प्रतापगढ़ पहुंचा तो वहां पर हमने जीप रोक कर पूछा। उन माताओं, बहनों और भाइयों से पूछा, आपको तनखा कितनी मिलती है ? तो वह अपनी भाषा में बोले कि सरकार तो मोटी तनख्वाह देती है, ये राज्य कर्मचारी छोटी तनख्वा देते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया ये जो सरकारी अधिकारी हैं, कटौती कर देते हैं। कई अधिकारी अकाल ग्रस्त क्षेत्र में भी इन गरीबों से पैसा प्राप्त कर लेते हैं। मैंने जैसा कहा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर हैं, जहां जमीन अच्छी है। पानी नजदीक है। वहां सिंचाई के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कुछ ऐसे जिले हैं, जहां पानी बहुत नीचे हैं। सैकड़ों फीट नीचे हैं, अलवर, सवाई माधोपुर भरतपुर और जयपुर के इलाके हैं, कुछ और इलाके हैं, उनमें 25-30-40-50 फीट पर अच्छा पानी मिल सकता है। लेकिन वहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर पानी की व्यवस्था की जाती तो अकाल का मुकाबला नहीं करना पड़ता। जहां बिजली की व्यवस्था है, वहां पर बिजली का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उदयपुर और बांसवाड़ा में देखा, 10, 20 बीघा जमीन है। पांच मील और 10 मील पर एक कुआ है। बिजली का खर्चा कितना होता है। 20 मील तक बिजली का लट्ठा, 50 मील तक बिजली का लट्ठा। मैं बतलाना चाहता हूं कि अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में पानी नजदीक है, नजदीक निकल आता है। जमीन उनके पास ज्यादा है। अगर उनको बिजली मिल जाती तो किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सकते थे। लेकिन राज्य सरकार ने जो कुछ किया है, वह ठीक है। वह हमारे सामने है। तो मैंने यह तो अकाल के बारे में बता दिया है।

दूसरी बात, पहले नम्बर पर इस बजट में गरीबी हटाने के बारे में कहा है। गरीबी हट भी सकती है। मैं इस बात को मानता हूं सभापति महोदय, हमारी गरीबी हट भी सकती है, अगर सरकार थोड़ी सी बात और मान ले। ठीक है, यह समाजवादी बजट है। गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन गरीबी हमारी तभी हट सकती है, जो मजदूरी करते हैं, मिट्टी डालते हैं, हर तरीके की मजदूर और किसान मेहनत करते हैं उन्हें पूरी तनख्वाह मिले। लेकिन उनकी कमाई मुट्ठी भर लोगों की जेब में चली जाती है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जब तक शराबबन्दी नहीं होगी, ये शराब के कारखाने बन्द नहीं होंगे तब तक हम गरीबी नहीं हटा सकेंगे। एक आदमी मजदूरी करता है 5 रु. कमा कर लाता हैं। जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। शराब की दुकान देखकर उसका मन चल जाता है। वह 5 रु. में से तीन रुपये की या दो रुपये की शराब पी जाता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो पूरी मजदूरी के पैसों को, अगर वह 5 रु. कमाकर लाया है, तो उसकी पूरी की पूरी शराब पी जाता है। बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो टैक्स लगाया है, कम से कम राजस्थान को आदर्श बना दे, और इस शराब को पहले हटा दिया जाये

(श्री नत्थासिंह)
तो हम गरीबों को कोई ऐतराज नहीं होगा यदि इस देश में नशाबन्दी होगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, मुझे आधा घन्टे का समय दीजिए । मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स का हूँ कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम भी बैठे हैं ।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें ।

श्री नत्थासिंह : शिक्षा के बारे में इस बजट में जो कदम उठाये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं । गत वर्ष एक हजार स्कूलों का प्रावधान किया था । इस बजट में डेढ़ हजार स्कूल खोलने जा रहे हैं । बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 6 हजार मास्टरों का अपाइन्टमेण्ट होगा । यह कदम सराहनीय है । इसके लिए मैं सरकार का स्वागत करता हूं ।

अब मैं पैरा नम्बर 67 पर आ रहा हूं । जो इस बजट में बताया है वह यह बताया है कि यह बजट समाजवाद की ओर जा रहा है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में लाखों लोग ऐसे थे कि जो हाथ से काम करते थे । जूते बनाते थे । उन लोगों के ऊपर टैक्स लगा रखा था । भरतपुर में 3-4 हजार बिक्री टैक्स लगा रखा था । वह लोग जयपुर में भी हैं । मैं मुख्य मन्त्री जी से कई दफा मिला । 50 आदमी मिलने के लिए आए । मुख्य मन्त्री जी ने गरीबों की बात ध्यान से सुनी । उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं । हमें बिक्री कर वाले परेशान करते हैं । कई लोगों पर केस चलाए जा रहे हैं । एक दुकान पर आदमी दो जूते बनाता है । 15-15 रुपये के दो जोड़ों पर उसको 28 रु. मिलते हैं । दो रुपया उसको मजदूरी का मिलता है । तो मुख्य मन्त्री जी ने ध्यान किया । मैं मुख्य मन्त्री जी को, राजस्थान सरकार को, और साथ ही साथ वित्त मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा । बिक्री कर वाले राजस्थान के लाखों आदमियों को परेशान करते थे । वह पैरा नम्बर 70 में कर दिया गया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ ।

श्री सभापति : आपको फिर मौका मिलेगा । अभी तो डिमाण्ड आयेंगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोनसा पैरा आया ?

श्री नत्थासिंह : इस बजट में गरीबों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और आदिवासियों को हाउसिंग सोसायटी के लिए लोन दिया गया है । इसलिए इस बजट का मैं स्वागत करता हूं । यह ठीक है कि दिया जाता है लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हाउसिंग सोसायटी में बड़े करें मैन हैं, हरएक आदमी, हरएक सोसायटी इससे पैसा तो नहीं ले जा सकती है क्योंकि इसमें ऐसा बता दिया है. पट्टा लाओ, पंचायत पट्टा दे देती है, नगरपालिका से पट्टा लेने में दिक्कत आती है। मेरी चेयरमैन से बात हुई । बयाना में हाउसिंग सोसायटी बनाई, तब मेरी

(श्री नत्थासिंह)

चेयरमैन से बात हुई। वह कानूनी दिक्कत बताते हैं। मैं कानूनी उलझन में नहीं जाता, सभापति महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा, मेरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहां साढ़े बाईस फीट पानी आया जिसने हजारों गांव को तहस नहस कर दिया, और कहीं पांच फीट, दो फीट, आठ फीट, नौ फीट रेत जमीन पर पटक गया। वहां पर गरीबों के घर ऐसे बह गए कि जिनका निशान तलक नहीं रहा। मैं वहां के लिए यहां तक कहूंगा कि हाउसिंग सोसायटी को जिलेवाइज पैसा दिया जाय। मैंने यह देखा है, मेरे पास आंकड़े तो नहीं है. किसी जिले की बीस, तीस हाउसिंग सोसायटी को पैसा दिया है, जब कि बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें एक सोसायटी को एक पैसा भी नहीं मिला है। इसलिए जो करोड़ों रुपए मिलते हैं वह हाउसिंग सोसायटी को हिसाब से दिए जाय, जिलेवार दिए जायं।

आखिर में एक बात, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा। भरतपुर जिले में बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ जिसने लाखों बीघा जमीन खराब कर दी, जिससे रेत आठ आठ, सात सात, नौ नौ फीट जमा हो गई बड़ा भारी उससे नुकसान हुआ। हमारे मन्त्रियों की कृपा से, मुख्य मन्त्री की कृपा से, मुख्य मन्त्री का दौरा हुआ मन्त्रियों का दौरा हुआ, रेवेन्यु मिनिस्टर का दौरा वहां हुआ, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का वहां हुआ अकाल मन्त्री का दौरा हुआ—इनकी कृपा से, इनके प्रयास से हिन्दुस्तान की सरकार ने, भारत सरकार ने भरतपुर जिले, सवाईमाधोपुर, अलवर और जयपुर के कुछ हिस्से के लिए 5 करोड 38 लाख रुपया बाढ़ग्रस्त इलाके में काम करने के लिए दिया. कुछ गरीबों को सहायता दी, कुछ बांध और सड़कों के लिए पैसा दिया। तो सभापति महोदय, मैं एक बात कहूंगा, भरतपुर जिले में पी.डब्ल्यू डी. ने कुछ पैसा दिया है, 32 लाख, 38 लाख, 35 लाख आंकड़े का पता नहीं है, कितना दिया है लेकिन मैं सदन में अर्ज करूंगा अगस्त में बाढ़ आई और आज तलक बयाना, रूपबास, नदबई इन तहसीलों में सिर्फ काम हुआ। वहां पर जहां पर सरकारी मार्ग है, एक बोरी मिट्टी भी नहीं डाली है, और और जगह काम हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय मैं सदन के सामने बताऊंगा जिन अधिकारियों से बात हुई, दुर्गाप्रसाद चीफ इंजिनियर हैं, उनसे कई दफा बात हुई है। जहां करोड़ों रुपया आया सड़कों के लिये लगा रहे हैं, चोड़ी सड़क हो रही है और और जगह, और और जगह हो रही है जहां बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, वहां आवागमन बन्द हो रहा है, वहां एक बोरी मिट्टी भी नहीं पड़ी है।

मैं इतना ही कह कर आपकी जो घण्टी बजी, उसके बाद दो मिनिट ज्यादा ले लिये उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ज्यादा तो लिये हैं।

श्री सभापति : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : सभापति महोदय, बड़ी लम्बी प्रतीक्षा के बाद.........

श्री मीठालाल : मेरा नम्बर आया है।

श्रीमती उषा प्रकाश : जो हमारे राजस्थान के इस वित्तीय वर्ष का चित्र प्रदर्शित

(श्रीमती उषा प्रकाश)
परसों आदरणीय वित्त मन्त्री ने किया है, वह सदन के सामने विचारार्थ है। जब बजट स्पीच के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो काफी हमारे दिल में आशंकायें थीं, कौनसा टैक्स बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा और उसका कैसे क्या जवाब देंगे। परन्तु आज जब पूरे राज्य की जनता एक तरफ अकाल और दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से पीड़ित है तब वित्त मन्त्री जी ने कोई नया टैक्स नहीं लगा कर हमारी आशंकाओं को निर्मूल किया है और इसलिए आम जनता को जो राहत नया टैक्स नहीं लगा कर दी है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं.......

श्री मीठालाल : चेम्बर में जाओ।

श्रीमती उषा प्रकाश : कुल मिला कर आदरणीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण की शुरूआत में राजस्थान की मौजूदा वित्तीय स्थिति का एक विश्लेषण किया है, स्टेटिसटिकल डिपार्टमेंट ने जो अलग अलग आंकड़े दिये हैं, उससे हमारे सामने चित्र उभरता है राजस्थान की आर्थिक स्थिति का, वह भी, सभापति महोदय, काफी उत्साहवर्द्धक नहीं है। एक तरफ हमारे राज्य का विकास हमारी अर्थ व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, इसकी वजह से जो राज्य आय है, राज्य आय जिसको कहते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है, उसके अन्त में भी राजस्थान की आय अखिल भारतीय स्तर पर, आल इन्डिया लेवल पर नहीं पहुंच पायी है। यह बहुत बड़ा दुःखद चित्र है। इसमें जो प्रतिशत नॉन-टैक्स रेवेन्यू का है, वह भी घटता जा रहा है। यह इस बात का परिचायक है कि राजस्थान में आर्थिक गतिविधियों में जितना वेग आना चाहिए, जैसा वित्त मन्त्री ने चाहा है कि आर्थिक गतिविधियों में गति आवे, लेकिन ऐसा महसूस होता है आंकड़े देख कर कि आर्थिक गतिविधियों में एक गतिरोध सा उत्पन्न हो रहा है। इन सब विषम परिस्थितियों में हमारे सामने राज्य के अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। एक तरफ मरुस्थल के विकास की हमारे सामने समस्या है पहाड़ी क्षेत्र का एक अपना प्रश्न है, चम्बल की, गंगनहर की, राजस्थान कैनाल की योजनायें हैं उनकी एक अलग समस्या है, कोलोनाइजेशन की, और सभापति महोदय, इस बारे में जिसका वित्त मन्त्री जी ने जिक्र नहीं किया है अपने बजट भाषण में, वह क्षेत्र है—मैदानी क्षेत्र—उसका भी अपना एक सवाल है, उसके भी अलग अलग प्रश्न हैं,– बाढ़ की समस्या है और अन्य विकास की समस्यायें हैं—मैं इस मौके पर सरकार से निवेदन करूंगी कि अपन ने जो प्लानिंग बोर्ड बनाया है, उसमें इन क्षेत्रों के समुचित, बैलेन्स्ड डवलपमेंट जिसको कहते हैं, की ओर हम ध्यान देंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट होगा, राजस्थान अखण्ड है और अखण्ड रहेगा। परन्तु एक तरफ की जो कमी है, आज भी मरुस्थल के बहुत प्राणी हैं जो हमारे दूसरे जिलों में चरने के लिए आते हैं। इसी तरह से पहले भी अकाल का सामना करना पड़ा, तब भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर जिले से खूब सारा चारा दान के रूप में लोगों ने वहां भेजा।

इसी तरह से खाद्यान्न का मामला है। सभापति महोदय, आज खाद्यान्न की समस्या जो पूरे राज्य में है, उसे अपन सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके हल के

(श्रीमती उषा प्रकाश)

लिए इस क्षेत्र का विकास काफी महत्व रखता है। यहां छोटी छोटी होल्डिंग हैं, जमीन की पानी की बहुतायत है और इन क्षेत्रों में हमेशा के लिए कोई बड़ी सिंचन की योजना नहीं है, वहां के किसानों को, जो काफी फसल उगाने में होशियार माने जाते हैं; अगर बिजली से हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दें तो यह किसान राजस्थान की खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने में काफी योगदान दे सकते हैं। वैसे आज भी दे रहे हैं, लेकिन अगर सुविधायें बढ़ायें तो और दे सकते हैं। राजस्थान को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अभी हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए और पूर्ण रूप से इसकी स्टडी करनी चाहिए। बजट में हमने स्पष्ट किया है कि हमें कहां जाना चाहिए था और क्या करना था। मैं यहां 2-4 मुख्य बातें सदन के सामने रखूंगी। यहां सबसे मोटी बात कही गरीबी हटाओ और अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के स्तर में वृद्धि हो, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। इस समय जहां हमने स्कूलों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया है, उसके साथ समाज कल्याण विभाग की ओर से जो छात्रवृत्तियां इन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, उनका भी प्रावधान हमें बढ़ाना चाहिए था ताकि उन जातियों के लोग, जिनमें अशिक्षा घर कर चुकी है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिले और जो नए स्कूल हम खोल रहे हैं, उसका एक व्यापक फायदा हो।

जल प्रदाय योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले वर्ष सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था कि जो जिले अच्छे जाने जाते हैं जहां खराब पानी माना जाता है, वहां भी ऐसी जगहें हैं जहां 60-60, 70-70 व 80-80 हाथ नीचे पानी है, वह भी गांव से दो-दो तीन-तीन मील दूर है। ये जो डिफीकल्ट एरियाज हैं उनका व्यापक सर्वे होना चाहिए। उन इलाके के लोगों को, जहां वाकई में दिक्कत है, वही सुविधा दी जानी चाहिए जो दूसरे क्षेत्रों, मरुस्थल में हम दे रहे हैं। 80 हाथ नीचे तीन मील से, जो औरतें पानी लाती हैं, मैं जानती हूं कि मरुस्थल में और ज्यादा दूर से पानी लाती हैं, लेकिन यहां भी कन्सन्ट्रेटेड बस्तियां हैं जहां अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है तो उनको भी वे सुविधायें देनी चाहिए जो हमने बांसवाड़ा, डूंगरपुर इत्यादि जिलों के लिए दे रखी हैं। इसी तरह से ऐसी सुविधायें, जिनमें कन्ट्रीब्यूशन ऑफ दी विलेजर्स नहीं आता है, यहां के लोगों को दे सकें तो न्याय का कदम सरकार उठाएगी।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की प्रवृत्तियों को व्यापक फैलाने का हमारा संकल्प है। इसमें बहुत छोटी सी बात है परन्तु आशा तो यही है कि इनसे काफी सुविधायें बढ़ेंगी। मुझे एक बात याद आ रही है कि महुआ में बस स्टेण्ड बनाया है दो ढाई साल हो गए लेकिन अभी तक पब्लिक के लिए नल नहीं लगा। तो जब निगम की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो हमें डर लगता है। हमारे प्रशासन को इस तरह कि एक्टिविटीज पर कोर्डिनेशन और कन्ट्रोल करने के लिए हमें तैयार करना चाहिए और मुझे आशा है कि इस मामले

(श्रीमती उषा प्रकाश)

में सरकार सजग रहेगी। निगम का जो प्रशासन है वह जनता को ज्यादा सुविधायें दे और सवारी गाड़ियां देने के लिए कदम उठाए। आज ट्रंक रूट्स पर जो बसें चलती हैं उनका कोई भरोसा नहीं। यहां से तीन बजे चलेंगी, रास्ते में ही फेल हो जाएगी। यह तो रास्ते में प्राइवेट बस मिल जाती हैं, लेकिन पूरा नेशनेलाइजेशन करने के बाद इस तरह की दिक्कत जनता के सामने आएगी तो क्या होगा? इस ओर सरकार और निगम को ध्यान देकर समस्या को सुलझाना है।

अगर हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान इन्टर-डिस्ट्रिक्ट व इन्टर-स्टेट रूट्स पर जाना ज्यादा जरूरी है बजाय तहसील के अन्दर छोटे छोटे रूट्स पर। इससे निगम की इकोनामी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर असर पड़ेगा। अगर हम छोटे छोटे लिंक रूट्स को नेशनलाइज करने की चेष्टा करेंगे और बड़े रूट्स को छोड़ देंगे तो निगम की कार्य शक्ति को धक्का पहुँचेगा।

एक निर्णय और सरकार ने अच्छा लिया है, वह यह कि अकाल में जो काम होते हैं उनको मैटीरियल कम्पोनेन्ट से सब्सीडाइज करके उनको पक्का करेंगे। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। साथ साथ सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं, जिस प्रोग्राम से हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, वह है क्रेश प्रोग्राम। उसमें भी मैटीरियल काम्पोनेन्ट की बहुत बड़ी प्रेक्टीकल डिफीकल्टी हमारे सामने है। मजदूरों से मिट्टी डलवायेंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में ज्यादा बरसात आती है उन क्षेत्रों में तो वे सड़कें दो चार साल बाद किसी काम की नहीं रहतीं। मरुस्थल का सौभाग्य है कि वहां सड़कों पर बहुत कम खर्चा आता है, परन्तु यहां की जो सड़कें हैं वहां रोड़ी डालकर छोड़ देंगे तो इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। तो क्रेश प्रोग्राम में एक नीति निर्धारित करें और क्रेश प्रोग्राम की जो सड़कें और एप्रोच रोड्स बनाते हैं उनमें मैटीरियल कम्पोनेन्ट पर्याप्त मात्रा में दिलायें ताकि वे सड़कें परमानेन्ट यूटिलिटी की बन सकें।

खाद्यान्न व्यापार हमने इस वर्ष से अपने हाथ में लेने का जो विचार किया है, वह सराहनीय है। एक बात मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूं। सरकार इस मामले में सजग है, यह भाषण से मालूम होता है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हम इसके लिए प्रशासन को तैयार कर रहे हैं। चाहे प्रोक्यूरमेंट का काम हो, चाहे वितरण का काम हो, दोनों कामों के लिए अपनी मशीनरी को काफी सतर्क रखना पड़ेगा ताकि किसानों को नाजायज नुकसान न हो और खरीदने वाले को यह भान न हो कि आज मार्केट में अनाज नहीं मिल रहा है। तो जो बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है उसको पूरी सतर्कता के साथ हमें निभाना है।

आज विषम परिस्थितियों का हमने जिक्र किया, उसके बाद में विचार आता है कि कैसे हम इनमें से ब्रेक थ्रू करें। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, एक गतिरोध आ गया है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इस ओर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तेल-शोधक कारखाना, जो हमारे यहां आने वाला था वह मथुरा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

में गया। केन्द्र का इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान में बहुत कम है, यह बात आंकड़े देखने से मालूम होती है। परन्तु तेल शोधक कारखाने को जो साइड इन्डस्ट्रीज हैं, उस पर जो आधारित उद्योग हैं, उसके लिए हमें अपनी स्टेट को तैयार करना पड़ेगा। भरतपुर व सवाई माधोपुर, दोनों जो एडजोइनिंग जिले हैं आधारित उद्योग पनपने का साधन है। मैं आशा करती हूँ कि उद्योग विभाग और मंत्रीमण्डल इस मामले में अच्छी तरह से विचार करके निर्णय लेंगे कि किस तरह से ज्यादा से ज्याद उद्योग भरतपुर में स्थापित कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में आपके सामने बहुत सवाल आयेंगे पानी का प्रश्न आएगा, बिजली का प्रश्न आएगा। मैं आशा करती हूँ कि जो तेल उद्योग के आधारित उद्योग हैं उसके लिए जिला और स्टेट मशीनरी को तैयार कर पायेंगे ताकि आर्थिक विकास में, जो हम पिछड़ रहे हैं, उसमें एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे।

यह भी खुशी की बात है कि हमारे यहां रबी की फसल का स्कोप अच्छा है। इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बयाना की पहाड़ियों में तांबा खानों की श्रृंखला मिली है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि अगर तांबा पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो क्यों न उस जिले में एक्सकेवेशन करावें ताकि उद्योग से, जो वहां कि पिछड़ी हुई जनता बसी हुई है, उसको भी फायदा मिले और राज्य की रेवेन्यू बढ़े और साथ साथ हम राष्ट्रीय विकास में हिस्सा लें। उसका जो सर्वे का काम है उसको स्पीडली करें ताकि उसका फायदा जल्दी से जल्दी राज्य को जनता को मिले और आर्थिक स्थिति संभालने में हम सबको मिले।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी।

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री मीठालाल : सभापति महोदय हमारा नम्बर नहीं आया।

श्री सभापति : आपको समय दिया गया है। और समय मिलेगा। मेरे पास सूची नहीं है आपके दल के लोगों की। आप लिख कर दें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय हमारे दल के द्वारा लिख कर दिया हुआ है।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने सन् 1973-74 का जो वार्षिक बजट पेश किया है उसको देखने से यह महसूस होता है कि हमारी राज्य सरकार दिनों दिन समाजवाद की तरफ बढ़ रही है। और हमारा जो बजट है वह बजट एक प्रकार से सन्तुलित बजट है। यह बजट यह साबित करता है कि हम समाजवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सभापति महोदय, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी हमारी राज्य सरकार काफी काम कर रही है। लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश को देखते हुए यह बहुत ही कम है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश का इतिहास अलग है और हमारे प्रदेश की एक विशेष

(श्री भगराज चौधरी)

भौगोलिक स्थिति है। सभापति महोदय, जब ग्रेटर राजस्थान बना तब हमने सभी बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में ध्यान लाये। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या अकाल की थी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया जबकि हमारे राजस्थान में करीब आप से अधिक क्षेत्र ऐसा है जो कि अकाल से ग्रसित रहता है। इसके अलावा सभापति महोदय, हमारे यहां के लोगों का जो मुख्य धन्धा है वह खेती का है। लेकिन हमारे यहां का पचास प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा रेतीला है और मरुस्थल भाग है। ऐसे रेतीले क्षेत्र में जहां के लोगों का मुख्य धन्धा सिर्फ पशु पालन करना और पशु पालन करके उससे जीवन निर्वाह करना हो, वहां के लोगों के लिए हमें सिचाई व्यवस्था करनी चाहिये थी क्योंकि वहां पर वर्षा भी कम होती है। और जब वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तो लोग ज्यादातर ईश्वर की अनुकम्पा पर निर्भर करते हैं। वहां तक ईश्वर की अनुकम्पा पर, हालांकि लोग निर्भर रहते हैं फिर भी हमें कुछ न कुछ कार्य ऐसे करने चाहिये कि जिससे अकाल नहीं पड़े या अकाल को कम किया जा सके। सभापति महोदय, पिछले करीब 20-22 वर्षों से अकाल पड़ रहा है राजस्थान के किसी न किसी भाग में लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हमारे यहां पर ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन वर्षा नहीं होने के बावजूद भी उनकी हमेशा से ही उपेक्षा की जा रही है। राज्य सरकार को चाहिए था कि सिंचाई के ऊपर खर्च करती। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तरह से खेती की, उपेक्षा ही की गयी है जिसके कारण यहां अकाल की स्थिति हमेशा से ही बनी हुई है। होना तो यह चाहिये था कि राज्य सरकार ऐसी योजनायें बनाती जो कि सिंचाई के लिये ही होती। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब राज्य सरकार यह जानती है कि राजस्थान की जनता ज्यादातर काश्तकार है तो राज्य सरकार ने खेती के लिये विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान में पिछले 15 सालों में सिंचाई के लिए कुछ काम किया है, कुछ खेती के लिये सुधार किया गया है लेकिन जो वृद्धि हुई है वह कुल मिलाकर नहीं के समान ही हुई है। अगर हम सिंचाई के लिये बात करते हैं तो सिंचाई राजस्थान के अन्दर तीन जगह पर विशेष तौर से होती है। चम्बल प्रोजेक्ट के एरिया में, गंग केनाल के एरिया में, और राजस्थान केनाल के एरिया में। इस प्रकार जो यह कुल एरिया सिंचाई के लिये राजस्थान में आता है वह करीब राज्य की जमीन का 14 पर्सेन्ट या 15 पर्सेन्ट के करीब आता है। और इसका हम अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो हमें ऐसा ही कहना पड़ेगा कि जहां पर चम्बल व गंग केनाल में आलरेडी पानी था वहां फायदा हुआ है। बाकी दूसरे एरिया का क्या हुआ ? जैसलमेर में क्या हुआ, जालौर में क्या हुआ, बाड़मेर में क्या हुआ। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। सभापति महोदय, आज राजस्थान के इस प्रकार के 15 जिले हैं जहां पर सिंचाई के लिये राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध नहीं हैं तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार को कम से कम ऐसी

(श्री भगराज चौधरी)

नीति अपनानी चाहिये कि जिससे सारे प्रान्त में सिंचाई के लिये बराबर काम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार ही जिलों में काम हो और बाकी इलाकों में प्रगति नहीं हो। सभापति महोदय, आज हम काफी अर्से से यह सुन रहे है कि नर्बदा से पानी जालौर के लिये आ रहा है पर आज तक वह पानी जालौर जिले में नहीं आया। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पानी को जल्दी से जल्दी लाया जाय ताकि वहां पर खेती हो सके। सभापति महोदय, जब तक कोई मुक्कमिल काम नहीं होगा तब तक यह अकाल की समस्या जालौर जिले में बनी रहेगी। सभापति महोदय, जब कि हम जानते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर लोग काश्तकार हैं और काश्त अगर नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा। इसलिए हम इसके लिये कोई स्थायी हल ही क्यों नहीं निकाल लेते ? आज अकाल के कारण जालौर जिले में लोग खानाबदोस हो गये हैं, माता पिता बच्चों को छोड़कर इधर उधर चले गये हैं और बच्चे माता पिता को छोड़कर इधर उधर रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इस अकाल का कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिये। सिंचाई साधन बनाये जाने चाहियें। इसके लिये मैं तीन तरीके बताना चाहता हूं। पहले जहां पानी है भूमिगत वहां कुओं को गहरा कराया जाय, कुओं में बोरिंग कराया जाय या, ब्लास्टिंग कराकर पानी को ऊपर लाया जाय, मशीन लगाकर पानी निकाला जाय ताकि उससे सिंचाई की जा सके। सभापति महोदय, आज से कुछ दिनों पहले करीब एक माह हुआ मैं एक विधान सभा की कमेटी के साथ महाराष्ट्र गया और मैसूर गया था। वहां भी अकाल था और जिस तरह यहां पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं इसी तरह वहां भी अकाल राहत कार्य चल रहा था। पर दोनों जगह कार्य चलने में अन्तर था। वहां लिफ्ट इरिगेशन का काम चल रहा था। वहां पर हमारी लोगों से बात चीत हुई तो उन्होंने बताया कि अकाल का हम चार पांच तरीके से मुकाबला करते हैं। पहला सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके, दूसरे काश्तकारों के खेत तक सिंचाई के साधन ले जाने के लिये व्यवस्था करके। नये कुए खुदवाकर या जहां पर कुए हैं उन्हें और गहरा करा कर पानी की समस्या को हल करते हैं और वहां पर जो काम होते हैं वह एक साथ पुख्ता तौर पर काम होते हैं। हमने यह भी देखा कि हमारे यहां पर राजस्थान में महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत ज्यादा अकाल है। यहां पर ज्यादा लोग अकाल ग्रस्त हैं इसलिये सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं। हमें अकाल का दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिये। मैं यह मानता हूं अकाल के लिये सरकार काम कर रही है और केन्द्रीय सरकार भी हमारी मदद कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आखिर हम कितनी बार केन्द्रीय सरकार से मदद लेंगे ? और केन्द्रीय सरकार भी जो रुपया देती है वह अनुदान के रूप में तो देती नहीं वह तो हमें कर्जा देती है। राजस्थान सरकार पर सभापति महोदय, इतना कर्जा बढ़ गया है कि हम वापिस देने में असमर्थ हैं। तो इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को

[redacted]

(105)

(श्री भगराज चौधरी)

चाहिये कि वह भारत सरकार को यह स्पष्ट कह दे कि हम इस कर्ज को नहीं देंगे सभापति महोदय, मैं यहां पर एक आपको निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि भारतवर्ष पूरा एक देश है और हरेक प्रान्त उसका अविभाज्य अंग है। जब हमारा कान्स्टीट्यूशन बना था तब हमारे संविधान में केन्द्र और प्रान्तीय सरकार के बीच कुछ मदों का बंटवारा हुआ था। उसमें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के जो खास खास फायदे के स्रोत थे उन्हें अपने हाथ में ले लिया और राज्य सरकार के हिस्से में कोई खास लाभदायक चीज नहीं दी। उन्हें तो सिर्फ यही कहा कि राज्य सरकार तो सेवा करती रहे जनता की। उन्हें तो सिर्फ जिम्मेदारियां सौंप दी सेवा करने की इस प्रकार राज्य सरकार के पास आय के साधन तो कम रहे और हमेशा राज्य सरकारों को केन्द्र के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हमें हर बार दिल्ली सरकार के पास जाना पड़ता है कर्जा लेने के लिये। यह तो केन्द्र सरकार के सोचने की बात है कि देश की आबादी बढ़ती है तो उसका असर राज्यों पर भी पड़ता है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अकाल के लिये पिछले सन् 1963 से लगा कर सन् 1971 तक करीब 175 करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन अभी तक अकाल की समस्या का स्थायी हल नहीं निकाल पायी है। अकाल की वजह से काश्तकार बेकार हो गये हैं और उन्हें अपना पेट पालना भी भारी हो गया है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सन् 63 से लेकर 71 तक करीब 8 साल हो गये लगातार प्रान्त में अकाल पड़ रहा है, और राज्य सरकार ने 175 करोड़ रुपये खर्च किये हैं फिर भी अकाल का स्थायी हल नहीं निकल सका है। केवल लोगों को इन सालों में मजदूरी दी जिससे लोगों ने मजदूरी करके पेट पालने का काम करके दिन निकाले।

राज्य सरकार को केन्द्र के सामने इसको पेश करना चाहिए कि आपने जो करों का बंटवारा किया है राज्य और केन्द्र के बीच में उस पर पुनर्विचार करे? संविधान के तहत में लिस्टें बनी हुई हैं, एक तो केन्द्रीय लिस्ट, दूसरी राज्य लिस्ट और तीसरी लिस्ट है राज्य और केन्द्र के बीच की लिस्ट। फ्लड, फेमिन और भूकम्प इनके सम्बन्ध में काम किसके जिम्मे रहेंगे, यह कहीं नहीं दर्शाया गया है। कहीं उनमें नहीं कहा गया है। मैं यह वैसे ही नहीं कह रहा हूं। संविधान की किताब लेकर आया हूं। पहली है सेन्ट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट के जिम्मे क्या काम हैं। जिसमें लिखा है :

"Relief of the disabled and unemployalbe."

अनएम्पलायड लोग होंगे उनके बारे में व्यवस्था करने का काम राज्य सरकार का होगा। इसका मतलब यह नहीं होता कि भूकम्प आए, बाढ़ आए, अकाल पड़े और इस प्रकार इमरजेन्सी के कारण बेकार हो गए हैं, साधनहीन हो गए हैं तो उनकी व्यवस्था हमारे जिम्मे हो जावेगी। छोटे पैमाने पर बात होती तो उसको मंजूर कर लेते। हमारे प्रान्त की ढाई करोड़ की आबादी है उसमें से दो करोड़ व्यक्ति हर साल अकाल की चपेट में आ जाते हैं।

(श्री भगराज चौधरी)

उनकी आय तो कहीं गयी, वे बेघरबार होकर फिरते फिरते हैं और उनको मजदूरी के भी लाले पड़ जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए और राज्य सरकार को अपनी बात उसके सम्मुख रखनी चाहिए। उस पर उनको विचार करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहना चाहिए कि अकाल की समस्या को हल करने के लिए जितनी भी राशि लगी है वह राज्य सरकार कतई देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। 175 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया है जो केन्द्रीय सरकार से कर्ज के रूप में ले रखे हैं, राज्य सरकार उनसे यह मांग करे कि यह सारा का सारा कर्जा राइट ऑफ किया जाना चाहिए या माफ किया जाना चाहिए। अगर यह कर्जा हमारे नाम पर लिखा जाता रहा तो हम दूसरे विकास के लिए न तो पैसा जुटा पायेंगे और न ही अन्य प्रान्तों के मुकाबले में विकास कर पायेंगे।

आज गम्भीर अकाल की स्थिति है। न अनाज है, न पशुओं के लिए चारा और न ही पीने का पानी है। सरकार इसका इन्तजाम करे। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने जो साधन जुटाये हैं वे संतोषप्रद हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

थोड़ा समय दीजिए, सभापति महोदय।

श्री सभापति : डिमान्ड्स पर बोल लीजिए। काफी नाम हैं बोलने वालों के।

श्री भगराज चौधरी : सब को जितना समय दिया है आपने मुझे उतना समय तो अभी नहीं दिया है।

श्री सभापति : संक्षेप में आप कहना चाहें वह कह दीजिए। डिमान्ड पर भी बोल लीजिए जिन पर बोलना बहुत ही आवश्यक हो उन पर बोल लीजिये।

श्री भगराज चौधरी : राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मैं नहीं बोला हूं। पार्टी के समय में ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय ही तो दिया जा रहा है। जो कुछ कहना है वह कह दीजिए आप।

श्री भगराज चौधरी : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक राष्ट्रीय कोष की बात कही। मैं उसका समर्थन करता हूं। जब जब ऐसी इमरजेन्सी पैदा हो तो क्योंकि हर दूसरे साल राजस्थान में अकाल का सामना करना पड़ता है और हमारे पास साधन नहीं है और न हम साधन जुटा सकते हैं उसका मुकाबला करने के लिए इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संकट कोष स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उस कोष में से जिस किसी राज्य में अकाल हो, फ्लड आए अथवा भूकम्प आये, विषम स्थिति पैदा हो तो उसका मुकाबला किया जा सके।

अब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 22-23 वर्ष के योजना काल में राजस्थान में कितनी प्रगति हुई है ? कुछ आगे बढ़ा है हमारा प्रान्त। चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़कों का विकास हो,

(श्री भगराज चौधरी)

चाहे विद्युत् का प्रसार हो, चाहे और कोई वेलफेयर एक्टीविटीज हों लेकिन फिर भी हमारा प्रान्त अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत पीछे है और दूसरे प्रान्तों से सबसे निम्न श्रेणी में आता है विकास की दृष्टि से यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा विद्युत् प्रसार के बारे में कि महाराष्ट्र में 50 कि. वाट प्रति व्यक्ति खपत है। हमारे यहां 12/13 कि. वाट ही है। इसी प्रकार सड़कों के मायने में भी हम पिछड़े हुए हैं। पंजाब में जहां 100 प्रति वर्ग किलो मीटर के हिसाब से 30-30 मील सड़कें बनी हुई हैं, वहां 50 किलो मीटर भी हैं। हमारे यहां 4/5 किलो मीटर 100 प्रति वर्ग किलो मीटर के हिसाब से बनी हुई हैं।

हमारा राजस्थान कुल मिला कर अन्य प्रान्तों से बहुत पीछे है। इसके पीछे इतिहास है और बैक ग्राउन्ड है: जहां हमारा प्रान्त अन्य प्रान्तों से विकास के मायने में पीछे है कहीं हम आगे और भी पीछे न रह जाये इस लिये हमको केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये कि जिस अनुपात से रकम दे रहे हैं योजना के लिये और दूसरे कामों के लिये, चाहे वह कर्ज के रूप में हों, यही गति रही तो हमारा राजस्थान अन्य प्रान्तों के मुकाबले में नहीं आ सकेगा और पिछड़ा ही रह जायगा। वह इतना पीछे रह जावेगा कि दूसरे प्रान्त तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह से आगे बढ़ते जावेंगे जो आज आगे बढ़े हुए हैं। इसलिये हमारी इस समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को अधिक अनुदान देना चाहिए।

थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले रही है। यह कदम काफी अच्छा है। हम कहते हैं कि इससे आम किसान को और जनता को फायदा मिलेगा। जहां तक सरकारी मशीनरी का सवाल है इसमें मुझे कुछ संदेह है कि सरकारी मशीनरी इस बड़े मसले को दक्षता के साथ हैंडल कर पायेगी या नहीं कर पायेगी। यह संदेह का विषय है, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इसके लिये अभी से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये। अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी जगह जगह पर चाहियेंगे, उनकी तैयारी पूरी तरह से कर लें। यह न हो कि यह कार्य विफल हो जाय। और विफल होने का परिणाम यह होगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसको ही वापिस करना पड़ेगा। इससे और भी असर खराब होगा।

ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन मुद्दों पर विचार करें। दूसरा और निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज विकास के कार्यों के लिये धन राशि का प्रावधान किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन देखें तो अचम्भा होगा कि जालौर और बाड़मेर में पिछले साल और इस साल एक भी पैसा सड़कों के विकास के लिये नहीं रखा है जबकि दूसरे जिलों में रखा है। जयपुर में 13 लाख दिया, पिछले साल 7 लाख खर्च किया, अलवर में दस लाख दिया, पिछले साल 7 लाख खर्च किया। सवाई माधोपुर में 13 लाख, भरतपुर में 10 लाख दिया। 7 लाख खर्च किया लेकिन बाड़मेर के लिये

(श्री भगराज चौधरी)

दूसरों के मुकाबले न इस साल दिया है न गये साल। आखिर यह बार्डर जिला है। जब तक कोई धनराशि इन कार्यों के लिये नहीं दी जावेगी तब तक आने जाने के साधन नहीं बन पावेंगे और वह नहीं बन पावेंगे तो कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा ? आप जानते हैं कि ग्रामीण लोगों की दशा को सुधारने के लिये आने जाने के साधन आवश्यक है। अनाज वे लोग अपने खेत से मण्डी तक ले जाते हैं। दूसरी और कई बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस पर पुनः विचार करे और जो विकास के मुख्य मुख्य मुद्दे हैं उनके तहत कम से कम दूसरे जिलों के मुकाबले में जरूरत के मार्फिक तो इस जिले को पैसा दे। बस, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, सब इस बात को मानते हैं कि राजस्थान की अकाल की स्थिति को देखते हुए बड़ी नाजुक स्थिति में यहां बजट यहां पेश किया गया है। लेकिन इस बजट से एक ऐसी झलक दिखाई दे रही है कि हम केन्द्र पर आश्रित होकर रह गये हैं या किसी अन्य पर आश्रित होकर हम रह गये हैं। अपनी खुद की प्रगति पर और अपने खुद के उत्पादन से निर्मित हमारी अपनी आर्थिक स्थिति पर हम आश्रित नहीं हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें इस देश के किसी न किसी हिस्से में या तो बाढ़ या अकाल प्रायः हर साल या एक साल छोड़कर दूसरे साल आते रहते हैं। अगर इन दोनों का हमने स्थायी हल नहीं किया तो आगे जाकर हमारे सामने और भी कठिन स्थिति पैदा हो जावेगी।

ऐसा लगता है कि या तो यह सरकार केन्द्र को यह भरोसा नहीं दिलवा सकी कि हमारी वास्तव में अकाल के कारण क्या स्थिति बन गई है या केन्द्र के सामने हमने जो मेमोरेन्डम पेश किया और जो सहायता मांगी उस पर विश्वास नहीं किया केन्द्र ने। आज स्थिति यह बन गई है कि केन्द्र ने यह समझ लिया है कि या तो हम उसे झूठे आंकड़े देते हैं, या ब्लफ करते हैं या जो रुपया वहां से लावेंगे उसे सही उपयोग में नहीं लेंगे, वह रुपया लाकर या तो भ्रष्टाचार में उड़ा देंगे या भ्रष्ट तन्त्र स्वयं उसे हड़प जावेगा। पहले जो घोटाले हमने राहत कार्यों में किये हैं उनकी बहुत बुरी छाप केन्द्र सरकार पर आज भी पड़ी हुई है और उसने यह समझ लिया है कि अगर इस बार भी पैसा दिया गया तो उसका घपला होगा, बेईमानी होगी और भ्रष्ट लोगों के घर इससे भरेंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का पहला काम यह है कि वह केन्द्र सरकार को अपने विश्वास में ले। इस अकाल के समय में राज्य सरकार ने 65 लाख टन अनाज को मांग की, जिसमें से ढ़ाई लाख टन ही हमें मिला है। यह सबूत है कि केन्द्र का अभी भी हमारे कथन पर विश्वास नहीं है या हमारी योग्यता और ईमानदारी पर उसे विश्वास नहीं है। हमारा पहले विश्वास था कि 24 लाख टन तो यहां पैदा हो जावेगा पर उसके एवज में 8 लाख टन ही पैदा हुआ।

(श्री मीठालाल)

कर्जे के हिसाब से भी पहली योजना-काल तक जहां हम 152 करोड़ के कर्जे के नीचे ही थे वहां चौथी योजना की समाप्ति तक राज्य सरकार के स्वयं के कथनानुसार 825 करोड़ के कर्जे के नीचे हम दब जावेंगे। यह प्रगति हमने की है इन योजनाओं से। योजनाओं का परिणाम उल्टा निकला। जहां हमारे साधन और हमारी वित्तीय स्थिति से सुदृढ़ होना चाहिये था वहां उल्टे हम बड़े से बड़े कर्जदार बनते गये है। एक तरफ कर्ज बढ़ता गया, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार जो सहायता हमें दे उसका सदुपयोग न हो इस भयावह स्थिति में निश्चित रूप से राजस्थान का नुकसान है। कांग्रेसी पक्ष के लोग भी इस स्थिति से पूरी तरह परिचित हैं, पर फिर भी मजबूरन वे हां भरते हैं राज्य की बातों में और उनकी सराहना करते हैं।

सभापति महोदय, यह सही है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का नया टैक्स एक साल न भी लगावे तो फर्क नहीं पड़ता। टैक्स लगाने की बात जब वे सोचते हैं तो अनिश्चय की स्थिति में रहकर यही तय नहीं कर पाते कि किस पर टैक्स लगावें। आज इस बजट से नुकसान वालों को नुकसान हो जावेगा पर फायदा वालों को भी फायदा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग इस बजट के बनाने में यह सरकार लगाती तो इसका रूप कुछ और हो होता।

राजस्थान में इस समय दो वर्ग चल रहे हैं एक शहरी और दूसरे देहाती, एक शिक्षित दूसरा अशिक्षित, एक पश्चिमी हिस्सा तो दूसरी पूर्वी, एक अमीर तो दूसरा गरीब। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की कि पचास लाख का प्रावधान जयपुर में खर्च करने के लिए रखा है। अगर यही पचास लाख रुपया गांवों में लगाने को देते तो आराम से दो तीन तहसीलों में पूरी तरह से आराम हो जाता। जबकि जयपुर शहर में पहले से ही सब कुछ ठीक है, यहां कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, एयर कन्डीशन्ड महलों में बैठकर शासन करते हैं लोग, लाखों करोड़ों रुपया अब तक इस पर खर्च किया जाता रहा है, फिर भी यहां भूख रह गई। पचास लाख आज और दिया जा रहा है। गांव वाले कुओं के लिए तरसते रहें, पानी के लिये त्राहि त्राहि करते रहें, बिजली देने की बात कहते रहे पर उधर ध्यान नहीं दिया जाता।

तो सभापति महोदय, इसी प्रकार पूर्व-पश्चिमी राजस्थान की जो बात है उसके पीछे भी यही भावना और गलत काम हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि इसके पीछे न मेरी कोई अलगाव की भावना है, न मेरी ऐसी मंशा है। पर सावधानी से अगर हमने सब अंगों का समान ध्यान नहीं रखा तो इस अलगाव को बल मिलेगा। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अकाल के नाम पर जो टैक्स लगाये जावें उनका पूरा उपयोग होना चाहिये। अकाल के नाम पर जो पैसा मिले उसमें घोटाले रोके जाने चाहिये। उनसे कुछ इस तरह के स्थायी काम किये जावे जैसे बिजली का उत्पादन हुआ, सड़कें हुई तो अकाल के स्थायी समाधान में इनसे मदद मिलेगी। बिजली और सड़कें और अन्य साधनों की जिनको

Page No 110

(110)

(श्री मीठालाल)

आवश्यकता हो उनको ये साधन दिये जाने चाहिये। पैदा करने वाले और पैदा करने की गुंजाइश रखने वाले और अधिक टैक्स देने वालों को उनके अनुपात से अंश मिलना चाहिये। उनको भी प्रगति होनी चाहिये। यह नहीं कि वे इतना अधिक श्रम करके उस श्रम से उत्पन्न अपनी सम्पत्ति को टैक्स के रूप में सरकार को देते रहें, और वह पैसा किसी और के लिये व्यय कर दिया जाय और वे तरसते रहें।

बीस बीस मील से पाइप द्वारा पानी लाने की योजनाएं हैं। निश्चय ही होनी चाहियें। इससे मेरा इन्कार नहीं। बिजली और ट्यूबवेल अधिक से अधिक होने चाहियें। जैसलमेर में चाणदा ट्यूबवेल बना। बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस ट्यूब वेल से एक घंटे में चालीस हजार से साठ हजार गैलन पानी निकाला जा सकता है। इतनी बड़ी क्षमता उसकी है। इससे बड़ी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। पर आज यह नौकरशाही कर क्या रही है। कुछ नौकरों के बंगलों में हरी घास और दूब लगाने के अलावा इसका और कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर यही स्थिति जयपुर जिले में होती और इस प्रकार का ट्यूब वेल यहां लगा होता तो इससे कई गुना लाभ होता। अनाज के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती।

सभापति महोदय आज चारों तरफ मंहगाई है। किसान परेशान हैं फिर भी जो चीजें उसे खेती में सहायता के तौर पर चाहियें वे उसे नहीं मिलतीं। न तेल मिलता है, न ईंधन मिलता है, न क्रूड आइल मिलता है और यहां तक कि उसे अच्छे किस्म का बीज भी नहीं मिलता। फिर भी किसान सब कुछ सहन करके उत्पादन में जी जान से लगा है। पर सरकार अपने कर्तव्य से विमुख है। उसके पास कुआ है, खेत है। कुए में पानी भी है। कुए से ऊपर होकर बिजली की लाइन गई है। पर यह सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि उस लाइन में से किसान को बिजली का कनेक्शन दे दे। आज अगर सरकार विवेक से काम ले और इस तरह से कनेक्शन देने में ईमानदारी और तत्परता बरते तो उसे धतूरे के बीज मिले अनाज की भीख मांगने की नौबत नहीं आवे। आज वह धतूरे का बीज मिला गेहूं भिखारी के तौर पर दूसरे मुल्कों से ले रही है पर अपने घर में अपने किसान को इन्सेन्टिव नहीं देना चाहती। इससे अधिक हमारी दुर्दशा और क्या हो सकती है। आप बहाना बना सकते हैं कि बिजली की कमी है। मैं कहता हूं इसमें भी आप थोड़ी ईमानदारी और मितव्ययता से काम लें तो काफी बिजली आज अन्न उत्पादन के लिये किसान को देने के लिये मिल सकती है। आप पहली प्रायोरिटी किसान को दें बिजली कनेक्शन में। आप जयपुर उद्योग और जे. के. सिंथेटिक और डी. सी. एम. को बिजली अनाप शनाप दे रहे हैं और तीन पैसा यूनिट की नाम मात्र रेट पर दे रहे हैं, घाटा खाकर दे रहे हैं, जबकि आपको नौ पैसे में वह पड़ती है। फिर भी वे उत्पादन भी क्या करते हैं, नाइलोन और दूसरी ऐयाशी की चीजें। लाखों करोड़ों ब्लैक में इकट्ठा करते हैं। उनकी यह रियायत खत्म कर दीजिये। उनको कनेक्शन देना बन्द कर दीजिये।

(श्री मीठालाल)

उनसे कह सकते हैं तुम लाखों करोड़ों मुनाफा कमाते हो, अपनी बिजली का खुद प्रबन्ध करो। इसके अतिरिक्त किसान आपको बिजली उत्पादन के लिये कर्जा भी देने को तैयार है, पर आप तब भी उसे विद्युत नहीं देते। यह आपकी कैसी नीति है?

और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो अब लोकाचार हो गया है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन मैं यह कहता हूँ भ्रष्टाचार किन आदमियों में बढ़ा है। भ्रष्टाचार सभी वर्गों में है लेकिन जो टेक्निकल अधिकारी हैं उनमें नये ढंग से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। भ्रष्टाचार अधिकारियों में भी बढ़ रहा है लेकिन वह ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो टेक्निकल अधिकारी हैं पी. डब्ल्यू. डी. के ए. ई. एन., एक्स.ई. एन. वगैरह उनमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनसे बहुत बड़ा खतरा है। टेक्निकल अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा टेक्निकल साइड में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकिये तो मत लेकिन घटाइये अवश्य।

आज किसान आते हैं जो बिजली के लिये रो-रो कर बीसों दिन पड़े रहते हैं और उनको बिजली नहीं मिल पाती है लेकिन दूसरे दिन ही ऐसे काश्तकार आते हैं जिनके पैसे ए. ई. एन, एक्स. ई. एन. से बंधे हुये हैं, उनके लिये न ऊपर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और न नीचे से लेनी पड़ेगी, उसी दिन स्वीकृति लेकर तुरन्त बिजली के आर्डर मिल जायेंगे। सभापति महोदय, इन विद्युत कनेक्शनों में बहुत ज्यादा घपला हो रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो बिजली के मामले हैं, इसके लिए आप और टैक्स लगा देते तो कोई बात नहीं थी लेकिन बिजली के बिना किसान सारे उत्पादन से महरूम हो जाता है। किसान को खाद नहीं देते हैं तो बिजली तो दें। खाद तो वे खुद अपने आप उपलब्ध भी कर लेंगे लेकिन बिजली के बिना वे कुछ नहीं कर पायेंगे। आज खाद के लिये भी सब जानते हैं कितना ब्लैक चल रहा है। जो खाद का कट्टा 30-40 रुपये में मिलता था वह आज 70-70, 80-80 रुपये में मिल रहा है और किसान जयपुर में आकर खरीद रहे हैं।

सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार ने गत साल भी ध्यान दिया, इस साल भी रखा है, बड़ा सराहनीय है। लेकिन सराहनीय के साथ साथ शिक्षा में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। राजस्थान के कई जिलों में ऐसे भी स्कूल खुले हैं चाहे खुलाने वाले विधायक हों, जिला प्रमुख हों कोई भी हो (व्यवधान) मैं जयपुर जिले के बारे में निवेदन नहीं कर रहा हूं........

श्री चतुर्भुज : उनको कहिये....

श्री मीठालाल : मेरी कोई शिकायत नहीं है, कहां-कहां पर 40-40, 50-50 और 60-60 लड़कों पर मिडिल स्कूल खुल गये और जहां 400 छात्र हैं वहां मिडिल स्कूलों की कोई क्रमोन्नति नहीं की। 400 छात्रों पर आज तक मिडिल स्कूल नहीं हो सका....

श्री चतुर्भुज : माननीय सदस्य मैं निवेदन करूंगा गांव का नाम बताइये।

श्री मीठालाल: सवाई माधोपुर जिले में बामनवास में 400 छात्र हैं, 17 अध्यापक हैं। उस गांव का सबसे पुराना स्कूल है। आज इस सदन में भी दो दो सदस्य वहां के पढ़े हुये बैठे है। तो सभापति, महोदय, इस ढंग से जो मिडिल स्कूलों का प्रावधान रखा है, जो प्रक्रिया रखी है वह निष्पक्ष होनी चाहिये। कुछ अध्यापकों को रखने का भी प्रावधान उसमें होना चाहिये (व्यवधान) मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं सभापति महोदय, जो शिक्षा के हिसाब से बेरोजगारी घटाने के लिये प्रावधान रखा है शिक्षित बेरोजगारों को काम दिया जायेगा तो केवल अध्यापकों को ही रोजगार देना सरकार का कोई सराहनीय प्रयास नहीं है। आप फिर कहेंगे अलगाव की जो भावना है, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ही स्कूल खुले क्या कारण है। एक एस. टी. सी. स्कूल तो यहां खोल देते लेकिन इधर का कोई छात्र वहां गया भी तो उसको यह कह कर हटा दिया कि तुम इस इलाके के नहीं हो। सरकार की यह स्पष्ट नीति है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

नहीं साहब, मेरा तो टाइम बहुत ज्यादा है।

श्री सभापति : आप संक्षेप में विचार रखें तो ज्यादा अच्छा है। आपकी पार्टी के हिसाब से दूसरे लोगों को कम टाइम मिलेगा।

श्री मीठालाल : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

(समय 4.27 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा सारे स्कूल शहरी इलाकों में खोलते हैं। अब देहातों में भी ध्यान दीजिये। जो मिडिल स्कूल खोले हैं वे अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही खुले हैं। सरकार की जो घोषणा है 52 कॉलेज भी खोलेंगे तो मेरा निवेदन है शहरों में तो पहले से ही भरभार हो रही है और उसका उलटा असर पड़ता है। शहरों में आपके लिये भी इससे एक समस्या उत्पन्न होगी इसलिये देहातों में कृषि कॉलेज खोलें और दूसरे कॉलेज भी खोलें। जो अभी नये स्कूल खुले है उनमें टाट पट्टियां नहीं हैं, अध्यापक अभी नहीं पहुंचे हैं। उनकी भी शीघ्र व्यवस्था की जाय।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने हिन्दी के विकास के लिये क्या किया ? हिन्दी के विकास के लिये पांच राज्यों को केन्द्र सरकार से धनराशि मिली थी। राजस्थान अभी तक केवल 147 पुस्तकें महाविद्यालय स्तर तक की प्रकाशित कर पाया है जब कि तमिलनाडू ने 347 पुस्तकें एक साल में बनाई हैं। राजस्थान सरकार को 30 लाख रुपया केन्द्र सरकार ने दिया था उसमें से अब तक केवल राजस्थान 11 लाख रुपया खर्च कर पाया है। यह हिन्दी को बढ़ावा देने वाले प्रदेशों की स्थिति है। तामिलनाडू हमारे सामने एक उदाहरण है जिसने एक साल में हिन्दी के विकास के लिये 347 पुस्तकें बनाई हैं। मेरा निवेदन है इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

शराब के मामले को लेकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और विरोध

(श्री मीठालाल)

करना चाहिये। जो माननीय नत्थासिंह जी ने सदन में बताया कि अगर गरीबी हटाना चाहते हैं तो वास्तव में गरीबी हटाने का महत्वपूर्ण कदम होगा तो वह होगा शराब की दुकानों को हटाने का। आज भी शराब की कितनी दुकानें हैं वह सब गरीब और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बीच में हैं और शराब में जितना पैसा इनका जाता है उतना मध्यम वर्ग के लोगों का नहीं जाता है। प्रथम श्रेणी के लोगों का पैसा ऊंची शराब पर जाता है और फिर अमीर लोगों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शराब की दुकानें कम से कम गरीब लोगों की आबादी में और शिड्यूल्ड कास्ट्स के क्षेत्र में तो नहीं खोलें।

हाईकोर्ट की बेंच के मामले में भी बजट में कुछ नहीं कहा। यह मामला दो तीन साल से विधान सभा में भी चल रहा है। 117 माननीय सदस्यों ने इस सदन में भी मामले को उठाया है और अपने दस्तखत करके भी दिये हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर इस बजट में हाई कोर्ट की बेंच का मामला यहां लाने का होता तो सारे सदस्य इसका हृदय से स्वागत करते।

देहातों में कृषि बेंक जो ऋण दे रहा है उनकी प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि उनको समय पर ऋण नहीं मिलता है और ऋण मिल भी जाता है तो इस अकाल के समय उनका कृषि का जो सामान है, उसको खोल लाते हैं। अभी लालसोठ में स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर ने अचानक सिंचाई के समय किसानों का मोटर पम्प खोल लाये जिससे खेती को भारी नुकसान हुआ है और खेतों की समय पर सिंचाई नहीं हो सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, नई नई सड़कें बन रही हैं और राजस्थान के किसी विशेष हिस्से में तो ज्यादा सड़कें बन रही हैं और किसी विशेष हिस्से में कम बन रही है। सवाई माधोपुर जिले में साल में एक दफा भी सड़क की मरम्मत हो जाये तो भी गनीमत है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों में एक एक फुट के गड्ढे पड़े रहते हैं। नई सड़कें बनाना तो दूर रहा उनकी मरम्मत तक नहीं होती है।

क्रैश प्रोग्राम की इस साल भी वही हालत होगी जो कि पिछले साल हुई। उसमें बहुत सारा पैसा तो लैप्स हो गया। अभी केन्द्र के कृषि राज्य मंत्री शेरसिंह ने कहा है कि पिछले साल क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पैसा लैप्स हुआ है और इस साल भी लैप्स हो रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि क्रैश प्रोग्राम के बारे में निश्चित रूप से नहीं सोच रहे हैं कि यह पैसा किस तरह से लगायें। कभी सड़कों पर लगाते हैं और थोड़ी सड़कें बनाकर छोड़ दी जाती हैं। फिर स्कूल में लगा दिया जाता है और फिर उसको बीच में छोड़ दिया जाता है। स्कूलों के अन्दर कितना लगायेंगे कितना नहीं—यह गर्भ की बात है और इस बारे में निश्चित धारणा सरकार नहीं बना सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में कुछ कहूंगा। सरकार बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा देती है लेकिन जहां छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे

(श्री मीठालाल)

तालाब हैं उनके लिए विशेष प्रावधान नहीं रखती । अगर छोटे छोटे बांधों और तालाबों के लिए प्रावधान रखें तो मैं समझता हूं कि वह किसानों के लिये और भी ज्यादा फायदेमन्द चीज रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या भी हमारे यहां बड़ी विकट है । घोषणा हर साल की जाती है कि इतने करोड़ रुपये हमने पेयजल के लिए रखे हैं लेकिन सही बात यह है कि जहां की जनसंख्या 2000 से ज्यादा है वहां पर लोगों ने ढाई पर्सेंट रुपया भी जमा करा दिया लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि योजना का क्या हुआ । जिनकी योजना पास हो गई वह ढाई पर्सेन्ट रुपया लिए लिये फिरते रहते हैं और उनको पता नहीं कि कौन रुपया जमा करेगा । तो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार को ठीक ढंग से कार्यवाही करनी चाहिये और देहाती लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर कहूंगा कि जो पुलिस वालों के लिए 20 लाख का प्रावधान रखा है और उनका विशेष भत्ता बढ़ाया है, यह सरकार का सराहनीय कदम है। लेकिन इसके बावजूद मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि पुलिस वाले अपने स्वयं को भी थोड़ा थोड़ा सुधारें । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं अनाधिकार चेष्टा यह भी करूंगा कि राज्य सरकार के आन्दोलन भी होते हैं, कर्मचारियों के भत्ते भी बढ़ते हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं लेकिन हमारे विधान सभा सचिवालय में क्या हो रहा है इसकी तरफ भी अध्यक्ष महोदय और सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, जो शक्कर के ऊपर 3 पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाया है, यह निश्चित रूप से उन गरीब लोगों के ऊपर ही पड़ेगा जो कि शक्कर का प्रयोग करते हैं। यह कोई व्यापारियों पर पड़ने वाला टैक्स नहीं है। शक्कर के ऊपर जो टैक्स लगाया है अगर चीनी सही ढंग से आप उपलब्ध करा दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और गरीब लोगों के ऊपर इस शक्कर पर बढ़ाये गये टैक्स का भार पड़ेगा।

बंगला देश शरणार्थी टैक्स जो रखा है यदि उसका नाम बदल देते तो अच्छा था। अभी कारटून था अखबार में कि एक कपड़ा केन्द्रीय सरकार ने चह्वाण साहब को दिया और राजस्थान सरकार बीच में ही उसको झपट रही है। और शरणार्थी टैक्स का दूसरा ही नाम देकर बदल देते तो यह टैक्स ज्यों का त्यों रह जाता। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही निवेदन करता हूं कि जितने भी आपने टैक्स लगाए हैं, बड़े बड़े उद्योगों में आपने बिजली की सुविधायें दी हुई हैं वह सुविधायें नहीं देते और उनके ऊपर टैक्स लगा सकते थे। उनके ऊपर नहीं लगाकर ठीक नहीं किया । जो टैक्स आपने गरीबों को सुविधायें देने के लिए लगाये हैं वह सुविधायें ही उनको मिल जायें तो भी अच्छा है। पिछली बार भी आपने कहा था कि 25 लाख रुपया अनुसूचित जाति और जन जाति के मोहल्ले में बिजली लगाने के लिए रखा है लेकिन

(श्री मीठालाल)

पता नहीं कि वह कहां कहां लगी। उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय के पास काफी शिकायतें हैं। गृह निर्माण समितियों के द्वारा भवन निर्माण के लिए सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा लेकिन वह कागजों तक ही रहा और अन्त में सरकार ने 15 लाख रुपया ही खर्च किया। तो कागजों के आंकड़े अलग हैं और खर्च करने के अलग हैं, इसके लिए सरकार सचेत रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहकर समाप्त करूंगा कि अगर 100 साल के बाद हमारी भावी पीढ़ी आयेगी वह कागजी कार्यवाही पढ़ेगी तो बहुत सराहना करेगी लेकिन प्रत्यक्ष में देखेगी तो माथा पकड़कर रोयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी भी प्रान्त और देश का बजट जहां भूत या पिछले वर्षों की उपलब्धियों और असफलताओं का लेखा जोखा होता है वहां वर्तमान आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति का दिग्दर्शन होता है और भविष्य के लिए आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। मैं इन तीनों पहलूओं पर अलग अलग अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी।

मुझसे पहले बोलने वाले, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कभी इस सदन के इस गरिमामय आसन की शोभा भी बढ़ाई थी, अपने भाषण में फर्माया था कि चूंकि वित्त मन्त्री जी ने किसी प्रकार का कोई टैक्स नया नहीं लगाया है इसलिए इस बजट में हमें कोई आशायें और आकांक्षायें नजर नहीं आती हैं। लेकिन मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब कभी फाइनेन्स कमीशन बैठता है, वह राज्यों का विवरण लेता है, उस समय सभी समझदार वित्त मन्त्री और सभी समझदार सरकारें कम से कम कर लगाया करती हैं क्योंकि यदि कर ज्यादा लगा दिये जायें तो अगली बार की योजना के अन्दर इन करों से नान-प्लान आय मानकर के उतनी ही भारत सरकार की ओर से मिलने वाली राशि में कमी हो जाती है। इसलिए यह वित्त मन्त्री जी ने एक सूझ बूझ का काम किया, अच्छा ही किया, उसके लिए उनकी समझदारी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मन्त्री जी ने कई बार और सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान बहुत भयंकर परिस्थितियों में से गुजर रहा है। अकाल की भीषण छाया सारे राजस्थान पर मंडरा रही है और ऐसी विषम परिस्थितियों के अन्दर उन्होंने अपना जो बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट से हमारे समाज और हमारे प्रान्त के किसी भी हिस्से में कोई नई आशाओं और आकांक्षाओं का संचार नहीं हुआ है। जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया है उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं जिनका कि मैं उल्लेख करना आवश्यक समझती हूं। माननीय वित्त मन्त्री के इस वर्ष के भाषण में भी और पिछले वर्ष के भाषण में भी, माननीय राज्यपाल महोदय के इस वर्ष के भाषण में भी और

(श्रीमती सुमित्रा)

पिछले साल के भाषण में भी लगातार टौंक की लैदर टैनेरी और एक स्कूटर कारखाने अलवर की चर्चा चल रही है और हर बार यह आश्वासन इस सदन को दिया जाता है कि फ्रेंच फर्म के साथ बहुत शीघ्र ही समझौता वार्ता चल रही है और उसके बाद इस वर्ष में काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन यह काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मैं सोचती हूं इस वर्ष के बजट भाषण में जो घोषणा की गई है अगली बार उन्हें पुनः न दोहराना पड़े इसके लिए वित्त मन्त्री जी और राजस्थान सरकार दोनों ही सचेष्ट रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी ने इस बात को यहां पर दोहराया है पुनः पुनः और सदन के करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपनी आशंका, अपना डर, अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि राज्य कर्जे के भार से लदा जा रहा है, डूबा जा रहा है। राजस्थान की हालत तपेदिक के उस क्रॉनिक पैसेंट की सी हो रही है, जिसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है। आप जानते हैं जब तपेदिक की बीमारी अपनी थर्ड स्टेज पर, आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है उस समय तपेदिक के मरीज को किसी पहाड़ी के स्थान पर ले जाकर बहुत मंहगा इलाज, ब्राड स्पेक्ट्रम दवाइयां, बहुत महंगी विदेशी आयातीत दवाइयां या तो उसे वे दे सकें, जलवायु परिवर्तन करके, बहुत अधिक खर्चा करके या तो इसके प्राणों की रक्षा की जा सकती है या फिर भगवान के घर वह स्वतः ही पहुंच जाता है। तो ऐसी हालत के अन्दर राजस्थान की आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए यदि हम कुछ समृद्धि का जीवन बिताने का अवसर देना चाहते हैं और आगामी आने वाली पीढ़ी को यदि वास्तविक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करके एक नया राजस्थान बनाना चाहते हैं तो हमको निश्चित तौर से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, भारत सरकार से इस बात को मनवाना पड़ेगा, भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना पड़ेगा कि भारत सरकार हमारी इस बढ़ी हुई कर्जे की राशि को किसी हद तक मॉफ करे राइट ऑफ करें। क्योंकि इससे बड़ी चिन्ता होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे जो कर्जे के आंकड़े थे, वे जहां 152.64 करोड़ थे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हमारे ये आंकड़े 825.54 करोड़ हो जायेंगे। मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा है और यह बात सही है कि राजस्थान के लिए कभी भी सम्भव नहीं हो सकेगा इस कर्जे को उतार पाना। क्योंकि राजस्थान बदनसीबी से एक ऐसा प्रान्त है जिसको विरासत में ऐतिहासिक पिछड़ापन मिला है और जिसे विरासत में ज्योग्राफिकल, भौगोलिक विषमताएं, असमानताएं और भौगोलिक कठिनाइयां मिली हैं, जिसका तीन चौथाई हिस्सा मरुस्थल है, जिस राजस्थान में आए साल अकाल पड़ता है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में स्वयं ने स्वीकार किया है इस बात को कि पिछले पांच सालों में केवल एक बार इन्द्र भगवान ने मेहरबानी की है। इस बीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में, मशीनों के युग में, जबकि दूसरे देश इतना आगे बढ़ गये तब हम केवल

(श्रीमती सुमित्रा)

इन्द्र भगवान की कृपा के भरोसे जिन्दा रहना चाहें तो यह बात बड़ी हंसी की लगती है। बड़ा ताज्जुब होता है इस बात पर और सबसे बड़ा दुःख भी होता है इस बात पर। वित्त मन्त्री जी के सारे भाषण से, जिस प्रकार पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ऐसा लगता है कि हमारी आशाएं, हमारी नजर या तो भारत सरकार की ओर लगी हुई है या हमारे बचने का उपाय सांस्थनिक वित्त संस्थाओं के पास प्रतीत होता है। जैसा उन्होंने अपने भाषण में बार बार उल्लेख किया इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस संगठन की, जो कार्पोरेशन है या तो हमें उनसे सहयोग मिलेगा या भारत सरकार हमको इस संकट से उभारेगी। ये दो ही रास्ते नजर आते हैं।

(व्यवधान)

मैं डिस्टर्ब होती हूं।

मैं निवेदन कर रही थी, उपाध्यक्ष जी जिन परिस्थितियों के अन्दर आज राजस्थान और राजस्थान की जनता फंसी हुई दिख रही है वह वास्तव में बहुत परेशानी की परिस्थितियां हैं। मैं एक बात बहुत दृढ़ता-पूर्वक और विश्वास के साथ कह रही हूं, वैसे तो राजस्थान पर कैपिटा इन्कम में इण्डिया लेवल से बहुत पीछे है, सड़कों के निर्माण में, शिक्षा में, चिकित्सा सुविधाओं में, बिजली में, सब चीजों में हम आल इण्डिया के लेवल के मुकाबले, आल इण्डिया एवरेज के आंकड़ों के मुकाबले बहुत पिछड़े हुये हैं, लेकिन यदि किसी चीज में हम आगे बढ़े हुए हैं तो वह केवल एक दो चीजें है जिनमें हम आगे भी बढ़े हुए हैं। और वे हैं, एक तो पर-कैपिटा जो लैण्ड रेवेन्यू है, राजस्थान उसमें आगे है। जहां इण्डिया का एवरेज पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू 3) रुपया है। वहां राजस्थान का पर-कैपिटा लैण्ड रेवेन्यू 3) रुपया 2 आने हैं। एक चीज में हम और आगे बढ़े हुए हैं—क्राइम में हम आगे बढ़े हुए हैं। बजट प्रावधानों के साथ पिछले साल के सन् 71 के जो सांख्यिकी विभाग के बेसिक स्टेटिस्टिक दिये हैं, जो आंकड़े उसमें दिए हैं उनको मैंने देखा। उसमें क्राइम्स के अन्दर भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। खुशी की बात है। पुलिस के इन सिपहियों के बारे में, उनके मैस अला-उन्स के बारे में राज्य सरकार ने सोचा, मुझे सहानुभूति है, उनके लिए राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे लेकिन जहां सब चीजों में हिन्दुस्तान के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले हम बहुत पिछड़े हुए हैं वहां क्राइम में आगे बढ़े हुये हैं, पर-कैपिटा लैंड रेवेन्यू में आगे हैं और सबसे ज्यादा दुःख इस बात का होता है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक नहीं सोच पा रही है। जहां इस शताब्दी के अन्दर हिन्दुस्तान की आबादी 23. कुछ की रफ्तार से बढ़ी वहां राजस्थान की आबादी 27. कुछ के हिसाब से बढ़ी है। आबादी के नियंत्रण में हम बुरी तरह असफल हुए हैं, इसलिए, इस प्रकार इन बातों में हमने बढ़ोत्तरी की है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं। हमारा लिट्रेसी का पर्सेन्टेज 15 पर्सेन्ट है जब कि आल इण्डिया लेवल का पर्सेन्टेज करीब 21 के आसपास आता है। सिंचाई का हमारा पर्सेन्टेज 15 पर्सेन्ट है जबकि देश का औसत 22 पर्सेन्ट है। बड़ी बातें

(श्रीमती सुमित्रा)
किया करते थे हम कि इस देश में हरित क्रांति हुई है। वित्त मन्त्री जीने भी अपने भाषण में हरित क्रांति का जिक्र किया है। हरित क्रांति के जिक्र के साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हमने फर्टीलाइजर्स, हमने नई तरीके की सीड्स और कृषि के क्षेत्र के अन्दर बहुत उन्नति की है। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और लघु सिंचाई के जरिये पानी का उपयोग बढ़ा कर कृषि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन कहां गई हमारी हरित क्रांति ? एक साल के सूखे ने ही हमारी हरित क्रांति को बिल्कुल नाकामयाब कर दिया। एक साल के सूखे ने हमारे अनाज की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। हरित क्रांति का नाम है परन्तु खाद की काला बाजारी को सरकार नहीं रोक सकती है, एक रुपया पचास पैसे किलो गेहूं ले करके कितने परिवार हैं जो कि जी सकते हैं। आज हमारी पर-कैपिटा इन्कम हिन्दुस्तान के मुकाबले देखिए, कितना अन्तर है उस इन्कम के अन्दर। आल इण्डिया की जो पर–कैपिटा इन्कम है 69-70 की वह 589.3 है। हमारे राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम जो है वह करेंट प्राइसेज के आंकड़ों के अनुसार है 469 और यदि इसको कोन्सटेंट प्राइसेस के साथ लेते हैं तो यह आती है 264। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जहां पर पर-कैपिटा इन्कम, देश के मुकाबले हमारे प्रान्त की इतनी कम है वहां पर यह आसमान को छूने वाली अनाज की कीमतों को लेकर किस प्रकार से जिन्दा रह सकते हैं।

अकाल राहत के काम, जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, पर्याप्त हमने शुरू कर रखे हैं। सब तरह से सहायता इस सम्बन्ध में पहुंचाई जा रही है। उनके भाषण से ऐसा लगा कि राजस्थान के अन्दर कोई बहुत अधिक समस्याएं इस सम्बन्ध में नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोगों को अनाज पहुँचाया जा रहा है। पीने के पानी की एवं चारे की सप्लाई की उचित व्यवस्था की गई है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि पांच लाख लोगों को रोजगार देना क्या वे पर्याप्त समझते हैं ? पानी की और चारे की समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया है तो फिर क्यों जगह जगह से इस प्रकार के समाचार आते हैं कि वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं है, अनाज की पूरी व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप लिए हुए है।

उपाध्यक्ष जी, बड़े गर्व के साथ वित्त मंत्रीजी ने जलप्रदाय योजनाओं के लिये जाने वाले प्रसार का जिक्र किया है। मैं इस बात के लिए उन्हें किसी अंश तक धन्यवाद दे सकती हूं इसलिए कि उन्होंने और साल के मुकाबले इस बार जल समस्या के निवारण के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। लेकिन सदन के माननीय सदस्यों को यह बात याद दिलाना चाहती हूं कि सारे राजस्थान के लिए एक मास्टर प्लान बना था जिसमें सारे राजस्थान के संपूर्ण गांवों के पीने के पानी का सर्वे किया गया था उसकी कुल अनुमानित राशि 1966 में, जब हमारी कीमतें आज के मुकाबले आधी से भी कम थी, इसका सारा टोटल जो खर्चा होने का अनुमान था वह करीब 70 करोड़ आया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात

(श्रीमती सुमित्रा)

को फिर कह दिया। मैं एक बात कहती हूँ कि किसी चीज में कमी की हो, किसी सेक्टर से पैसा काटा हो लेकिन चौथी पंच-वर्षीय योजना को हम समाप्त करने जा रहे हैं फिर भी हम इस बात को गर्व के साथ नहीं कह सकते कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का हमने समाधान कर दिया है। आज भी राजस्थान में ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे कस्बे मौजूद हैं जहां पीने का पानी ऐसा है इन्सान के पीने की बात तो छोड़िये शायद पशु भी पी ले तो वह काल कवलित हो जाए। आज भी इस तरह का पानी है जिसको पशु भी मुंह में नहीं ले सकते हैं। इस तरह का ब्रेकिश वाटर है। ऐसे हालात के अन्दर इस प्रकार की आशाएं पैदा करना और केवल लोगों को यह आश्वासन देकर निश्चिन्त हो जाना मैं समझती हूँ कि यह बड़ी चिन्ता-जनक बात है। आज राजस्थान में पांच-पांच, सात-सात मील दूर से नहीं बल्कि दस-दस मील दूर से लोगों को अपने पीने का पानी ढोना पड़ता है। इससे बढ़कर शर्म की और निंदा की बात क्या हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगी कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से अनाज को छोड़िये, आवास को छोड़िये, चिकित्सा सुविधाओं को छोड़िये, शिक्षा को छोड़िये लेकिन हर प्राणी को जिन्दा रहने के लिए पीने के लिए मीठा और स्वच्छ पानी तो चाहिए। इस बुनियादी आवश्यकता की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस समस्या का, इस मसले का समाधान करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इस बजट से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता बल्कि लोगों के लिए यह एक नाममात्र का आश्वासन है। कहां 70 करोड़ रुपया और मेरी समझ में यह राशि होते होते आज सौ करोड़, नहीं तो 90 करोड़ तक तो पहुंच ही गई है। अब कब तक लोग इन्तजार करेंगे। उस पानी का इन्तजार जिसको कि प्रकृति ने मुहैया कर रखा है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वह आज की हालातों के अन्दर उसमें बेशी हो सकना संभव नहीं है। माननीय सदस्यों की क्या भावनाएं हैं, इस बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनके क्या सुझाव हैं, उन पर वित्त मंत्री को ठंडे दिल से सोचकर अगले वर्ष का बजट बनाते समय बजट बनायेंगे यह मैं उम्मीद करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी, पिछली बार वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विद्युत् के प्रसार के संबंध में बताया था। वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में 1000 बस्तियों का विद्युतिकरण करने का प्रावधान किया था लेकिन आज तक एक हजार बस्तियों का विद्युतिकरण नहीं हो पाया है। इसके मुकाबले में केवल 458 बस्तियों का विद्युतिकरण किया जा सका है। हमारा जो कुओं का टार्गेट था वह बीस हजार का टार्गेट था। इन बीस हजार कुओं के मुकाबले में हम केवल 12 हजार कुओं तक अपने कनेक्शन दे पाए हैं। यह तो है हमारे विद्युत् प्रसार की उपलब्धियां। लेकिन बिजली सेवा की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न कहूँगी तो मैं समझती हूँ कि मैं जनता के साथ मेरे इलाके के साथ, वहां के किसानों के साथ, जो न केवल प्रान्त की बल्कि देश

(श्रीमती सुमित्रा)

की बुनियाद है और हमारी जो आय है उसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा आय है वह है कृषि और कृषि से आधारित अन्य उद्योगों से, न्याय नहीं कर सकूंगी। मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ, उपाध्यक्ष जी, आज बिजली से जिन गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, उनमें उनका नाम लिख दिया गया है, विद्युत् बोर्ड ने इस बात को कह दिया है कि यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। केवल खम्भे वहां पर खड़े कर दिए जाते हैं, तार खिचे जाने से कुओं को कनेक्शन नहीं मिलता है। वह कनेक्शन कैसे मान लिया जाएगा ? वह विद्युतीकरण की परिभाषा में कैसे आएगा ? मैं निवेदन कर रही थी कि जो सेवाएं आज···· ···

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय बढ़ाया गया।)

श्री खेतसिंह : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समय की पूरी पूरी पाबंदी लगाई जाए। मेरी पार्टी के बहुत से सदस्यों को बोलना है। इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि समय की पूरी पाबंदी रखी जाये।

श्रीमती सुमित्रा : सचेतक जी हमेशा अपने पक्ष की बात सुनने के ही आदी है। किसी की कोई कटु बात हो तो उसको भी सुनने की आदत डालिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज जिन कुओं के ऊपर कनेक्शन मिला हुआ है वहां क्या हालत है। जिन लोगों ने अपनी फसलें बो रखी हैं आज उनकी क्या हालत है। घंटों तक बिजली गायब हो जाती है, ट्रिपिंग होती रहती है। ऐसी हालत के अन्दर मैं समझती हूं कि एक अन्याय तो इन्द्र भगवान ने बारिश न करके इन लोगों के साथ कर दिया है और दूसरी और विद्युत् बोर्ड की यह पॉलिसी और विद्युत् बोर्ड की इस प्रकार की अव्यवस्था व अकुशलता है। इसकी वजह से आज हमारी हरित क्रांति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रात दिन मेहनत करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने लोगों से उधार लेकर, कर्जा लेकर अपना सारा इन्वेस्टमेन्ट कुआ खोदने, जमीन का डवलपमेन्ट करने में कर दिया और उसके साथ ही साथ पम्पिंग सेट फिट करने के लिए लोगों ने कर्जा लिया है उस बात का विद्युत् बोर्ड को अहसास होना चाहिए विद्युत् बोर्ड अपनी विद्युत् की सेवाओं में कुशलता लानी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस प्रकार की हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और अगले वर्षों में इस बात के लिए सम्पूर्ण एहतियात बरती जाए कि किसी को भी इस सम्बन्ध में शिकायत न हो। मैं निवेदन कर रही थी आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा प्रांत हिन्दुस्तान के एवरेज के मुकाबले में

(श्रीमती सुमित्रा)

बहुत पिछड़ा हुआ है। वैसे तो मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ कर निकलने वाले डॉक्टर बेचारे बेकार हो रहे हैं। लेकिन जहां आल इण्डिया लेविल पर 5150 लोगों पर एक डाक्टर है, हरियाणा और पंजाब में तो 2 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर की संख्या आती है, वहां राजस्थान में 12 हजार आदमियों पर एक डॉक्टर आता है। मतलब हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी किस स्थिति में हैं। वैसे मैं इस बात का स्वागत् करती हूं कि जो कुछ सुविधायें दी गई हैं, वह तो सराहनीय हैं, जहां तक राजस्थान के निर्माण से पहले, चिकित्सा पर पर कैपिटा खर्चा 76 नया पैसा था, आज वह खर्चा 5.75 नया पैसा हो गया है, फिर भी आल इण्डिया लेविल पर हम कितने पिछड़े हुये हैं? इस तरह से हम कितने कितने पीछे हैं? हमारे लिए कितना काम बाकी है? कितना काम हमें और करना है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, प्रान्त ने की है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे अभी बहुत निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सचेतक महोदय जल्दी कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : 5 मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा : हमारे राजस्थान की जो कम आर्थिक ग्रोथ है, उसका कारण भौगोलिक विषमताएं हैं और आर्थिक पिछड़ापन है। यह तो है लेकिन लगातार पड़ने वाले सूखे ने हमारी अर्थ व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। हम ऑल इण्डिया लेविल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। इस तरह से इकॉनामिक ग्रोथ कम हुई है। इसी प्रकार से 20 सालों में जो औद्योगीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन कर दूं, इस समय हमारा पर-कैपिटा एक्सपेंडिचर 17.2 है, जबकि ऑल इण्डिया प्रोविजन 51.2 है। पर-कैपिटा टोटल एक्सपेण्डीचर हमारे प्रान्त का 109 रु. है जबकि आल इण्डिया फिगर 120 रु. है। क्यों नहीं हमने अब तक इस बात का ध्यान किया? हमारा प्लान प्राविजन देश के मुकाबले बहुत कम है। हमारी आय राष्ट्रीय आय के मुकाबिले बहुत कम है। हमारा पर-कैपिटा प्लान ऐक्सपेण्डीचर, जो ज्यादा होना चाहिए वह आल इण्डिया के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। और पिछड़े हुये प्रान्तों के मुकाबले बहुत, बहुत, कम है। मैं आप को बताऊं, आसाम पर-कैपिटा टोटल एक्सपेण्डीचर 205 है। करीब करीब आसाम और राजस्थान सभी चीजों में बराबर है। आसाम हम से बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त नहीं है। जम्मू कश्मीर का 191.4 है। हिमाचल प्रदेश का 153.3 है। यदि उसको पहाड़ी इलाके मानकर चलें, आसाम की और जम्मू कश्मीर की विशेष भौगोलिक परिस्थिति में घिरा हुआ मानकर चलें तो भी राजस्थान की विषमताएं आर्थिक परेशानियां, आर्थिक कठिनाइयां इन प्रान्तों के मुकाबले कम नहीं हैं। इस बात की

(श्रीमती सुमित्रा)

ओर हमें ध्यान देना चाहिए। पर-कैपिटा एक्सपेण्डीचर हमारा कम क्यों है ? लेकिन रेवेन्यू सबसे ज्यादा वसूल करेंगे। पर-कैपिटा एक्सपेण्डिचर के बारे में जागरुक नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है। यह बात सही है कि भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार पड़ने वाले अकालों के कारण राजस्थान को अर्थ व्यवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस की है। भारत सरकार सहायता देने में गुजरात और महाराष्ट्र को जिस प्रकार सहायता दे रही है, उसी प्रकार से राजस्थान को क्यों नहीं दे रही है ? इसका कारण यह है कि हमारी भी कुछ कमियां रही हैं। क्रैश प्रोग्राम का जो पैसा था, इस साल की बात मैं नहीं कर रही हूं। इस साल भारत सरकार ने जैसे ही राजस्थान को अकाल सहायता के लिए साढ़े 4 करोड़ रुपयों की घोषणा की वैसे ही राजस्थान सरकार ने क्रैश प्रोग्राम के सम्पूर्ण पैसे के खर्च करने की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन क्रैश प्रोग्राम का पिछले साल 3.25 करोड़ दिया, उसके मुकाबले हम केवल 1 करोड़ और पॉइण्ट 25 से नीचे है. केवल इतना ही खर्च कर सके हैं। डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत 5 साल के लिए जो 20 करोड़ का प्रोविजन किया गया था, उस रुपये का हम उपयोग नहीं कर सके हैं। इसलिए भारत सरकार की एक वजनदार दलील थी कि जब आप दिया हुआ पैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर इस अकाल के पैसे को कैसे खर्च कर सकेंगे ? चाहे यह ब्यूरोक्रेसी के कारण हो, चाहे और किसी कारण हो लेकिन यह स्थिति है। हम रुपये का उपयोग नहीं कर पाये। हमारा डी. पी. ए. पी. का करोड़ों रुपया हम खर्च नहीं कर पाये। बड़ी मुश्किल से भारत सरकार से झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं और चिड़ावा दो तहसीलों को हमने डी.पी.ए.पी. में मन्जूर कराया था। उसके अन्दर सम्मिलित करवाया था। लेकिन अभी तक क्या बीच में पत्राचार चल रहा है भारत सरकार और राजस्थान सरकार के, उसको राजस्थान सरकार ही जानती है, मैं कैसे जान सकती हूं। लेकिन अभी तक वहां काम प्रारम्भ नहीं किया गया। मैं सोचती हूं, जब भारत सरकार ने इस बात को कह दिया है कि आप बजट प्रावधान इतना होते हुए खर्च नहीं कर पा रहे हैं एक करोड़ रुपया उन दो तहसीलों के लिए आवंटित कर दीजिए, लेकिन अभी तक उनको एक पैसा भी नहीं दिया, न किसी प्रकार का काम प्रारम्भ हुआ है। क्रैश प्रोग्राम की यह हालत है, कि दो करोड़ रुपए के करीब, मोर देन टू करोड़—हमने पिछली साल यह पैसा लेप्स किया, हम उसका उपयोग नहीं कर पाये, जब कि उससे कितने ही साधन जुटाये जा सकते थे, जो अकाल राहत कार्यों में उपयोगी होते। अकाल के स्थायी हल के लिए उपयोगी सिद्ध होते लेकिन हम हमारी सुस्ती के कारण वह नहीं कर पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी, वित्त मन्त्री यह स्वीकार करते हैं, सहानुभूति है आपके साथ, अपनी हालत, आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब है। राजस्थान बहुत भयंकर परिस्थितियों में से गुजर रहा है लेकिन मेहरबानी करके भारत सरकार का जो पैसा आता है उसका तो पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया करें, उसका पूरा

(श्रीमती सुमित्रा)
उपयोग कर लिया करें। आखिर यह उलाहना देने वाली बात क्यों आनी चाहिए और क्यों आती है ?

मैं अन्त में अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करूंगी कि वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के साथ हमको जो और पुस्तक बजट एस्टीमेट दिए हैं, सबसे अधिक निराशा बजट एस्टीमेट को देख कर हो रही है। बजट भाषण भाषा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, और हमारी आशा और आकांक्षाओं को जगाने की दृष्टि से फिर भी ठीक है, उसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहती। लेकिन सबसे अधिक निराशाजनक बात है 1973-74 के बजट एस्टीमेट्स को देखकर हुई। पिछली दो रात मेरी आंखें बजट एस्टीमेट पुस्तिका को देखते देखते पथरा गई, मैंने देखना चाहा, झुंझुनूं का नाम भी कहीं है क्या। मैं सच कहती हूं, घन्टों देखने के बाद पन्ने इधर से उधर पलटने के बाद भी मैं उस नाम को नहीं खोज सकी, जिसे मैं खोजना चाहती थी। माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं आपको चेतावनी तो नहीं देना चाहती हूं, मेरी जुर्रत भी नहीं है लेकिन मैं आगाह अवश्य कर देना चाहती हूं, जो करदाता है वह आपसे कुछ चाहता भी है। मैं कोई अलग अलग ईस्टर्न वेस्टर्न की बात भी नहीं करना चाहती, मैं किसी जिले विशेष की बात भी नहीं करना चाहती, मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूं, आप कहते हैं, भगवान इन्द्र की दया रही, मैं निवेदन करना चाहती हूं भगवान और इन्दिरा जी की कृपा रही तो अगले तीन बजट आप और पेश कर सकते है, उन बजट में मेहरबानी करके एक बात और ध्यान में रखे, कहीं रीजनल इम्बेलेन्स न हो जाय, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आप प्लान के नाम पर, प्रोडक्टिविटी के नाम पर, योजना की उत्पादकता के नाम पर हमें खामोश नहीं रख सकते। कुछ इलाके हैं जिन इलाकों में कुछ काम नहीं हो रहा है। आप कहते रहें, राजस्थान कैनाल राजस्थान की बहबूदी और समृद्धि के द्वार खोल देगी, चम्बल कमाण्ड ऐरिया में चम्बल की नहर एक नया सन्देश और समृद्धि लायेगी—इससे झुंझुनूं, सीकर, नागौर और चूरू तथा बाड़मेर, (बाड़मेर में राजस्थान कैनाल आयेगी) लेकिन जालोर वाले इन बातों से शांत नहीं रह सकते मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं आपको यह कहना चाहती हूं और याद दिलाना चाहती हूं कि झुंझुनूं जिला उन शूरवीर जिलों में से है जिन्होंने 1965 की इण्डो-पाक वार में, 1971 को इन्डो-पाक वार में, 1965 के चायना के अटेक के समय····

एक माननीय सदस्य : 1962।

श्रीमती सुमित्रा : 1962 की चायना-इन्डो वार के अन्दर, 1971 की इन्डो-पाक वार के अन्दर सबसे ज्यादा केजुअलिटी दी हैं, सबसे ज्यादा लोग इसके शहीद हुए हैं, यह चार इलाके ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान के नाम को गौरवान्वित किया है। मैं सब माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहती हूं सुभाष बाबू ने कहा था एक बार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे खून देने के बाद आजादी देने की बात नहीं कहती, हम कहते हैं हमसे खून लो, लेकिन हमारी प्यासी धरती को, प्यासे इन्सानों को, प्यासे जानवरों को पानी तो दो। हम खून देकर

(श्रीमती सुमित्रा)

पानी चाहते हैं लेकिन पानी भी बीस-पच्चीस साल आजादी के इतने लम्बे समय के बाद आप नहीं दे पाये हैं।

अन्तिम बात मैं यह कहती हूं, वैसे मैं डेजर्ट जोन की बात तो डेजर्ट इरेडिकेशन कौंसिल के प्रस्ताव के समय कह चुकी हूं। मुझे ऐसा लगा, मेरी बात को गम्भीरता के साथ वित्त मन्त्री और राजस्थान सरकार ने नहीं लिया, इसलिए मैं पुनः दोहराना आवश्यक समझती हूं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, बरसात के मौसम में जो गंगा की बाढ़ का पानी होता है वह यू. पी. के सैंकड़ों गावों की तबाही का कारण बनता है। उस पानी का उपयोग के. एल. राव कावेरी में डाल कर करना चाहते हैं। विश्व बैंक के प्रतिनिधि आए थे, और एक लम्बी चौड़ी योजना अरबों की बना कर दे गये थे, दो हजार किलोमीटर लम्बी एक चैनल जायेगी (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) मुझे इस महत्वपूर्ण बात को समाप्त करने दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह हमारी भावी पीढ़ियों का सवाल है, कई पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, इसलिए अन्तिम बात कहने दीजिये। माननीय वित्त मंत्री जी, के. एल. राव पर अपने पद का, जिसको कहना चाहिए गुड ऑफिसेज का उपयोग करके, आज दो हजार किलोमीटर लम्बी एक कैनाल गंगा के बाढ़ के पानी की बनवा कर, कर रहे हैं। इस पानी को के. एल. राव जो यू. पी. के संकड़ों गावों की तबाही का कारण बना हुआ है, उस पानी को दो हजार किलो मीटर लम्बी कैनाल के अन्दर, सात सौ फिट लिफ्ट करके यदि कावेरी में डाल सकते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि यह कैनाल में सीकर, झुंझुनूं, नागौर, चूरू और बीकानेर के पार्ट थोड़े से, लूणकरणसर—इस हिस्से के लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि यहां अण्डर ग्राउन्ड वाटर जो है वह बहुत नीचे है और ऊपर पानी की कहीं कोई सम्भावना नहीं है, वैल इरिगेशन की तो बात छोड़िये। पच्चीस साल में हमें खुशी हुई है यह सुनकर, गंगानगर में राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल, कोटा में चम्बल की कैनाल है लेकिन हमें भरोसा नहीं होता इस बात से। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं, कि जो कैनाल दो हजार किलोमीटर तक जाएगी उसके बजाय राजस्थान में लाने में तो केवल सात सौ किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। जहां कावेरी में डालने में सात सौ फीट की लिफ्ट देनी पड़ेगी, वहां राजस्थान के इन जिलों के लिए चार सौ फीट के लिफ्ट से ही काम चल जायेगा। बजट अनुमान कावेरी लिंक पर खर्च होने वाला है। खर्च की राशि, राजस्थान में पानी का उपयोग करना चाहें तो आधी होगी और सिंचाई करीब करीब तीन गुनी होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ गम्भीरता के साथ आप इस बात को सोचिये, भारत सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप यह कहें, राजस्थान की प्यासी धरती के लिए उसके अलावा पानी का कोई सोर्स नहीं है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी प्रधान मन्त्री इतनी संवेदन शून्य नहीं है, वह बड़ी संवेदनशील हैं, जब कभी वह ऐसे मौकों पर वहां जाती हैं जहां बाढ़ है, तबाही है, रेगिस्तान है तो उनकी

(श्रीमती सुमित्रा)

आंखों को भरते मैंने कई बार देखे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं, हकीकत में आप जायं, अपनी आवाज में आप बुलन्दी पैदा करें और हिम्मत और दृढ़ता आप में आनी चाहिए। मैं निवेदन करती हूं, हिम्मत और दृढ़ता के साथ अपने पक्ष को प्रस्तुत करेंगे तो मै समझती हूं कि राजस्थान के आधे भू-भाग के साथ, जो डेजर्ट कहलाता है, जिसमें दस जिले हैं, जिन्हें रेगिस्तान कहना चाहिए इस भू-भाग के साथ और वहां के प्राणियों के साथ आप न्याय कर सकेंगे। लेकिन आप चुप बैठे हैं, बिल्कुल मौन, आपने मेरी बात को नोट तक नहीं किया है— इसका मुझे अफसोस है। हम इतनी महत्वपूर्ण बात कहते रहे हैं, राजस्थान की समृद्धि और बहबूदी की बात कह रहे हैं, राजस्थान की भावी पीढ़ी के स्वप्नों को साकार करने की बात कह रहे हैं और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है—इसका अफसोस है। आप इसकी गम्भीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे कहती हूं, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने तकनीकी ज्ञान वाले लोगों से बात की है, उनका यह कहना है, इस योजना को, जिसमें शक्ति होगी, जो राजनैतिक प्रभाव को उपयोग में लायेगा, वह ही इसे ले जायेगा, राजस्थान में तो इसे लाना बहुत इकानामिक होगा। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ यह बात दोहराते हुए कि आपके बजट एस्टीमेट, 1973-74 में कहीं झुंझुनू का नाम नजर नहीं आया, केवल सड़कों के नाम थे, तीन सड़कों के, कुल मिलाकर मुश्किल से दो लाख रुपये के। तीन सौ करोड़ से अधिक की राशि में से केवल दो लाख हमारे हिस्से में आये माननीय वित्त मन्त्री ने हमारे साथ बहुत गैर इन्साफी की है। हम उसको सहन नहीं करेंगे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसा मैंने कहा, हम सौदा कर रहे हैं, हम सौदा करना चाहते हैं, खून देकर पानी लेने का हमने सौदा किया है और राजस्थान के नाम को गौरवान्वित किया है। तीनों लड़ाई, के समय, सबसे ज्यादा आहूतियां देकर, इस देश की अखण्डता के लिए, इस देश की आजादी को रक्षा के लिए, इसलिए कि इस प्यासी धरती की प्यास बुझवानी है। पानी मांगना हमारा वाजिब अधिकार है, आप इस अधिकार से कितने दिनों तक हमें महरूम करेंगे—यह मैं जानना चाहती हूं? इसलिए इस बात पर गम्भीरता के साथ मनन करके कोई रास्ता निकालिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री के द्वारा 1973-74 का जो बजट रखा गया है उसका स्वागत करते हुये इतना मैं जरूर निवेदन करूं कि हर वर्ष की भांति इस बजट को देखने से यह प्रतीत हुआ कि कुछ नकल भी की गई है। यह मेरी

(श्री शंकरसिंह रावत)

मान्यता है कि जैसे कोई छात्र है वह किसी की नकल करता रहे तो भले ही एक दफा पास हो जाए लेकिन आखिर में वह खुद ही धोखा खाता है इसलिए मैं समझता हूं कि इसको बहुत गहराई के साथ सोचकर बनाया जाए और प्रशासन के इतने भरोसे न रहें। जहां तक अकाल का सवाल है, आज जो भयंकर स्थिति है वह राजस्थान में नहीं बल्कि जो गांवों में 80 प्रतिशत जनता रहती है वहां कृषक बहुत दुखी हैं, जिन काश्तकारों ने अनाज पैदा करके व्यापारियों के भंडार भरे........

श्री केसरीमल : कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री शंकरसिंह रावत : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिन काश्तकारों ने अनाज के भंडार भरे वे आज दुखी हैं और अनाज के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं, यह सरकार का उत्तरदायित्व है और सरकार के लिए समस्या है। आज भी उन काश्तकारों को, उस मजदूर वर्ग को, उन ग्रामीणों को, उनके पशुओं को जिंदा रखना सरकार का उत्तरदायित्व है। जितने अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, उनके लिए सभी सदस्यों की मान्यता है क्योंकि जब वे फील्ड में से आते हैं, सबसे पहले यही बात आती है और जन प्रतिनिधियों का, उच्चाधिकारियों और मंत्रीमंडल के समक्ष यही कहना है कि ज्यादा नहीं रख सकें तो कम से कम प्रति परिवार में से एक मजदूर जरूर काम पर लगायें। लेकिन आज भी बजट में साफ लिखा है कि अभी 5 लाख आदमियों को रोजगार दे पाए हैं जबकि दो तीन करोड़ जनता है और एक करोड़ तीस लाख आदमी अकाल की चपेट में हैं। उनका 5 लाख से क्या होगा? यह उनके साथ अन्याय है। अकाल के संबंध में मेरा एक सवाल भी है और निवेदन भी है कि आज जो लोग वहां मेहनत कर रहे हैं सरकार ने उनके वेजेज में 20 प्रतिशत कटौती की है। मेरे क्षेत्र में सैंथल पंचायत समिति में कुछ कार्य चल रहे हैं, वहां भुगतान किया गया है, महिलाओं को 6 आने के हिसाब से और पुरुषों को 10 आने के हिसाब से। वेतनभोगी लोगों के वेतन में थोड़ी सी कमी भी कर दी जाए तो मैं समझता हूं काले झंडे लेकर सरकार के सामने आंदोलन करके अपनी मांग को पूरी करवा लेते हैं, जो काश्तकार अनाज का भंडार भरता है, जिस देश का काश्तकार खुशहाल होता है, वहां की सरकार भी खुशहाल होती है, व्यापारी और मजदूर भी खुशहाल होता है लेकिन यहां उनका पैसा काट दिया जाता है। इतना ही नहीं, आज अकाल के अन्दर 15 दिन काम करने के बाद भी उस आदमी को एक दिन का अवकाश नहीं दिया जाता है जब कि सरकारी कर्मचारियों को एक महिने में 4 साप्ताहिक छुट्टियां मिलती हैं और अन्य छुट्टियां हैं। किसान और मजदूर फावड़े और गेंती चलाकर अकाल में त्राहि त्राहि कर रहे हैं, उनको 15 दिन में एक अवकाश भी न देना दुःख की बात है। 15 दिन में एक अवकाश उनको दिया जाए। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को कम से कम प्रसूति के लिए 10 दिन का अवकाश मिलना चाहिए आज शहरों में गर्भवती महिलाओं को 3

(श्री शंकरसिंह रावत)

महीने का अवकाश मिलता है लेकिन किसान और मजदूर महिलाओं को एक दिन का भी अवकाश न देने से रामसर गांव की एक महिला को काम स्थल पर बच्चा हुआ वहीं मरा और वहीं गाड़ दिया गया। सरकार चाहती है कि उन महिलाओं को, जो कम से कम गर्भवती हैं, को 10 दिन का अवकाश तो देना चाहिए।

दूसरा निवेदन है कि यहां गरीबी हटाओ, की बात कही गई। कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर दु:ख प्रकट किया और आरोप ऐसे लगाए कि सरकार ने गरीबी बढ़ाई है, यह सही नहीं है। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि गरीबी मिटे। लेकिन दैवी प्रकोप बाढ़ वगैरह आने से नुकसान जरूर होता है। कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि लोग भूख से मरे हैं।

मेरी मान्यता है कि आदमी भूख से मरते हैं, अन्न छूटा उनका घर छूटा लेकिन अन्न की वजह से मरने वाली बात मैं नहीं मानता। ब्रिटिशर्स ने 200 वर्ष राज्य किया, उनके सामने दो अकाल आए, जिनमें लाखों आदमी भूख से मरे। कांग्रेस शासन में 25 वर्ष में 8 वर्ष अकाल के हुए, फिर भी हमारी सरकार आदमी को जिंदा रख रही है, यह सराहनीय कदम है।

जहां तक गरीबी का सवाल है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से साथियों ने कहा, गरीब लोग शराब पीते हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि शराब पीकर भी जीयें। शहरों में भले ही शराब के ठेके रहने दें लेकिन ग्रामीणों की हालत सुधारनी है इसलिए सरकार को तत्काल गांवों में से कम से कम ठेका उठा लेना चाहिए और शहरों में भेज देना चाहिए। इससे शहरों की आमदनी भी हो सकती है।

इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए भी काफी प्रावधान रखा है लेकिन मौके पर जायं तो पता लगेगा। कागजों में भले ही सहानभूति हो लेकिन जो भूमि उनको अलॉट हुई उसका अनुसूचित जाति के लोगों के पास पट्टा नहीं है। राजस्व विभाग की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं। आज अकाल राहत कार्यों में जहां सोइल कन्जर्वेशन के वर्क्स चल रहे हैं इसमें किसानों के लिए 25 प्रतिशत ऋण के रूप में रखा है और 75 प्रतिशत सबसिडी के रूप में इसमें प्रावधान रखना चाहिए कि अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं उनको इस 25 प्रतिशत से मुक्त करना चाहिए। उत्पादन की दृष्टि से, पिछड़े वर्ग की दृष्टि से कम से कम अकाल में भी 25 प्रतिशत उनको छूट मिलनी चाहिए।

उद्योग का जहां तक सवाल है वे पूंजीपति के हाथों में चले गए। गांव का छोटा खेतीहर, लुहार, तेली है उनके पास में जो चीजें होनी चाहिए वह नहीं हैं। कोल्हू की मशीन, आरा मशीन, चक्की सब पैसे वालों के पास हैं। पैसे वालों ने उन गरीबों से सारा धंधा छीन लिया है और छोटे वर्ग को बेकार कर दिया है। इसके लिए लिए राज्य सरकार के पास एक प्लान होना चाहिए।

(श्री शंकरसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ उद्योग के बारे में भी निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद के अन्दर आज 70 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो बीड़ी का धन्धा करते हैं। आज राज्य सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को काफी सहूलियतें देती है और देना चाहती है। लेकिन खेद की बात है कि नसीराबाद के इस छोटे उद्योग में काम करने वालों को कोई सहूलियत राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है। आज राज्य सरकार ने बजट में यह घोषणा की है कि टौंक में टेनेरी का कारखाना खोला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है आज से दो साल पहले इसी सदन में बजट भाषण में यह कहा गया था कि नसीराबाद में राज्य सरकार बीड़ी का कारखाना खोल रही है। लेकिन इस बार मैं यह देख रहा हूँ कि इस बजट में नसीराबाद में बीड़ी के कारखाने को खोलने का कोई भी उल्लेख नहीं है। बजट में कोई प्रावधान उसके लिए नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय नसीराबाद एक ऐसी जगह है जिसको खुद की ऐतिहासिक महत्ता है। वहां पर फोजियों की छावनी है और वहां के लोगों का जीवन एक प्रकार से अस्थिर है क्योंकि अगर कोई इमरजेन्सी खड़ी हो जाय तो उस जगह के लोगों को कभी भी चौबीस घन्टे में अपने घर बार को छोड़ना पड़ सकता है। वहां पर फौजियों का केन्टोनमेन्ट बोर्ड है—यह समझ कर ही वहां के लोगों को राहत देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वहां पर कोई अस्पताल भवन नहीं है। उसके साथ साथ बजट में ऐसी घोषणायें की हैं कि वहां के बजट में कटौती की गई है। तो मेरा निवेदन है राज्य के वित्त मन्त्री जी से आपके मार्फत कि कम से कम नसीराबाद के साथ न्याय कीजिए। आज पिछले 25 वर्षों में वहां पर कोई काम विकास का नहीं हुआ है। आज वहां की जनता पानी की कमी की वजह से परेशान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप 73-74 में ऐसा प्रावधान रखने की कृपा करें कि नसीराबाद और ब्यावर को पानी की सप्लाई लाइन शुरू करा दें तो वहां की जनता आराम पायेगी। पानी तो ऐसी चीज है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु होती है तो उसका बेटा अगर सपूत होता है तो वह उसे पानी देता है। तो मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज लोग वहां पर पानी पानी चिल्ला रहे हैं। उन्हें पीने का पानी देने का कष्ट करें। वैसे राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व भी है कि पीने का पानी जनता को दिया जाय। और वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ इधर उधर की कम महत्वपूर्ण योजनाओं को कम करके जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो पीने के पानी की समस्या है उसका हल तो जल्दी से जल्दी किया जाय। इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह है ऋण की वसूली के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों से राजस्थान में करीब 5 करोड़ 68 लाख

(श्री शंकरसिंह रावत)

रुपये ऋण के वसूल करने बाकी हैं। मेरा निवेदन यह है कि आज जब अकाल का समय है तो कम से कम आप कृषकों से ऋण वसूली तो नहीं करें इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल के समय जो ऋण के ऊपर व्याज लगता है उसे भी स्थगित किया जाये। उन्हें इस व्याज से मुक्त किया जाना चाहिए। किसान कभी भी अपने ऊपर ऋण रखना नहीं चाहता। वह हमेशा से फसल के आते ही पहले ऋण को चुकाता है। मैं वित्त मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जो आपने 5 करोड़ 68 लाख की बकाया ऋण के रूप में काश्तकारों में बताई है उसे इस अकाल के समय में व्याज से मुक्त रखा जावे और इस समय इस ऋण की वसूली स्थगित रखे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर एक ऐसा जिला है जो कि हमेशा से केन्द्र के साथ रहा है और हमेशा वहां की जनता अनुशासन प्रिय रही है। लेकिन बावजूद इसके, वहां पर शिक्षा का स्टेण्डर्ड ऊंचा होने के आज तक वहां पर विश्वविद्यालय नहीं खुल सका है। अगर हम ए. बी. सी. डी. से भी शुरू करें तो पहले ए से अजमेर आता है हालांकि अलवर भी आता है लेकिन वह अजमेर से पीछे आता है। इसके अलावा भी अजमेर एक ऐसा स्थान है जहां कि हिन्दु और मुसलमानों के दो बड़े भारी तीर्थ स्थान है। वहां पर सिर्फ भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दर्शनार्थ आते हैं। वहां पर किसी प्रकार का शिक्षा का विकास कार्य नहीं हो रहा है। जो पहले विकास हो चुका था वह हो गया। यह मैं मानता हूं और इस बात के लिए वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अब की बार बजट में और घोषणा की है, राजस्थान में मिडिल स्कूलें और खोली जा रही हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में विश्वविद्यालय तो कम से कम खोला जाय। आपने इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा। जहां आपने दूसरी जगह, जो कि इससे कम महत्वपूर्ण स्थान थे, विश्वविद्यालय खोल दिए हैं तो कम से कम आप अजमेर में भी एक विश्वविद्यालय तो खोलें। थोड़ा तो अजमेर के साथ भी आप न्याय करें।

इसके अलावा बजट में सिंचाई के बारे में, लिफ्ट इरिगेशन के बारे में कहा गया उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले 25 वर्षों से राजस्थान की जनता अकाल से परेशान हो रही है और हम आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके हैं ताकि हम अकाल का मुकाबला कर सकें। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां पानी कुओं के अन्दर है उन्हें गहरा करके पानी ऊपर लाया जाये। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर के लिए सिंचाई के लिए पानी की जो बनास योजना है और जो लसाडिया का बान्ध है उसे पूरा किया जाना चाहिये। इन्हें पूरा करने से वहां के काश्तकारों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान, जो मैंने मुद्दे अजमेर जिले के लिये उठाये हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आकर्षित करता हूं। वैसे यह बजट विकास का बजट है। लेकिन

(श्री शंकरसिंह रावत)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि हम बजट में कई प्रकार की छोटी छोटी योजनायें रखते हैं लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे पूरी नहीं होतीं। उन्हें तो हमें पूरा करना ही चाहिये ताकि वे आगे बजट में अपूर्ण नहीं दिखाई जायं। उन्हें पूरा करने से हमें यह तो पता लगे कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं।

अकाल का जहां तक सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से दैवी प्रकोप है क्योंकि जब पानी नहीं बरसता है, और अनाज नहीं होता है तो अकाल पड़ेगा ही। यह तो ठीक है हम वर्षा नहीं कर सकते लेकिन कुछ ऐसे साधन तो तैयार कर सकते कि इस दैवी प्रकोप का मुकाबला कर सकें। जहां पानी है वहां नहरें निकाल कर सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकते हैं। आज होता यह है कि सिंचाई की योजनायें पूरी नहीं होने से हमें हर साल अकाल का सामना करना पड़ता है और हमें केन्द्र से मदद लेने की आवश्यकता होती है। आज स्थिति यह है कि हम कर्ज से दब गये हैं। आखिर हमें ऐसे साधन सिंचाई के तैयार करने चाहिये ताकि हम एडजस्ट कर सकें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं अपने यहां की प्रशासन व्यवस्था को दोष दूंगा, यहां की प्रशासन व्यवस्था–सरकारी मशीनरी ही दोषपूर्ण है। वह उचित नहीं है। आज राज्य सरकार कुछ काश्तकारों के हित के लिये कानून बनाती भी है तो यह सरकारी प्रशासन के लोग उसे क्रियान्वित नहीं होने देते। बजट में काश्तकारों के लिये जो प्रावधान किया जाता है वह भी पूरा नहीं होता। जैसे राज्य सरकार ने कुओं को गहरा करने के लिये प्रावधान काश्तकारों के लिये रखा तो उन्हें उसके लिये पैसे प्राप्त नहीं होते। आज हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि 56 के अकाल में लोगों के पास नोट थे पर अनाज नहीं था, आज अनाज नहीं नोट हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि माना अनाज कम है, लेकिन राज्य सरकार ने अनाज की व्यवस्था उनके लिये की है और लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जा रहा है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि शहरों से गांव वालों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। गांवों में अनाज की भारी कमी है। इसके अलावा मैं यह निवेदन भी करूंगा कि जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर एक महीने के बाद पेमेन्ट नहीं करके उन्हें 15 दिन के बाद ही भुगतान करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे अनाज एक माह के बाद खरीद सकें, इसलिये उन्हें 15 दिन के बाद ही भुगतान किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार लोग हैं, दूसरा धन्धा उनके पास है नहीं। सिर्फ खेती करते हैं, वह भी अकाल की वजह से बन्द हो गई। इसलिये आप इनके बारे में मेरे सुझावों पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय

(श्री शंकरसिंह रावत)

वित्त मन्त्री जी से कि अजमेर के साथ न्याय करिये। उसका कुछ विशेष महत्त्व है। वह हमेशा केन्द्र के साथ रहा है और हमेशा से गन्दी राजनीति से दूर रहा है, इसलिए इसका विकास होना चाहिये। राज्य सरकार का वैसे भी उत्तरदायित्व इसके लिये बढ़ जाता है क्योंकि यह केन्द्र के साथ रहा था। बस इतना ही कह कर मैं वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार !

श्री महेन्द्रकुमार परमार (पाड़वा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में 1973-74 का बजट रखा उसको पढ़ने से ऐसा मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में यह बजट आज की स्थिति को देखते हुये जितना अच्छी तरह से रखा जा सका था उसी तरह इसे बनाया गया है। इस बजट को हम समाज का बजट कह सकते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद कैसे आयेगा, किस तरह से आयेगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमने नारा लगाया था, उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का, पर पता नहीं हम किस प्रकार से गरीबी हटा सकेंगे, गरीबी को हम किस मोटर में भर कर कहीं छोड़ आयेंगे या गरीबी को हम किसी गड्ढे को खोद कर उसमें गाड़ देंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है। बजट को पढ़कर मैं यह सोच रहा हूं कि..........

श्री उपाध्यक्ष : कोरम नहीं।

(गणाभाव सूचक घन्टी)

कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही दिनांक 8-3-73 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये समाप्त की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 40 मिनिट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 8 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्रा

323. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. की श्रेणी के कितने ही अधिकारी विभिन्न विभागों में तीन साल से अधिक एक ही पद पर अब तक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पद एवं समयावधि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाए।

(2) सन् 1967 से सन् 1973 की समयावधि में किन किन राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विदेश यात्रा की और किन के खर्च पर ?

(3) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद, विदेश का नाम तथा राज्य कोष से प्रत्येक अधिकारी द्वारा खर्च की गई धनराशि की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाय।

उत्तर

(1) आई.ए.एस. और आर.ए.एस. की श्रेणी के अधिकारी, जो तीन साल से अधिक एक ही पद पर अब तक कार्य रहे हैं, सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर विभागवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सामान्यत: विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर जाने के कारण इन अधिकारियों का प्रशिक्षण काल का व्यय सम्बन्धित योजनाओं द्वारा ही वहन किया गया। वेतन व अन्य भत्ते व हवाई अड्डे तक जाने व आने का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कस्बा लाखेरी को शराब को दुकान

324. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बून्दी के कस्बा लाखेरी में ग्राम पंचायत गरमपुरा के भवन के सामने ही, जहां मजदूर बस्ती है, एक शराब की दुकान है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मजदूर बस्ती से शराब की दुकान को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उस शराब की दुकान को हटाये जाने की मांग विभाग को कई बार की गई है ? अगर हां, तो कब कब ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(आबकारी मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। आखेरो में गरमपुरा पंचायत के सामने देशी शराब की एक दुकान है। इस दुकान को वर्तमान स्थान से हटाने के बारे में मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस दुकान को हटाने के संबंध में दिनांक 31-7-70, 29-9-70, 21-9-71 और 3-5-72 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वित्त निगम द्वारा ऋण

325. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वित्त निगम द्वारा अपनी शाखाएं कहां कहां पर स्थापित की जा चुकी हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक वित्त निगम द्वारा कितना ऋण दिया जा चुका है और उसमें से कितना वसूल हो गया है? यदि बकाया है तो किन किन में? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्त निगम के नियमों के अनुसार ऋणदाता द्वारा किश्त नहीं देने पर उसको डिफाल्टर माना जाता है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं?

(4) क्या वित्त निगम द्वारा डिफाल्टर्स को भी ऋण स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्त निगम ने अब तक राजस्थान में अपनी चार शाखाएं कोटा, जोधपुर, अलवर तथा उदयपुर में स्थापित की हैं।

(2) वित्त निगम ने स्वयं के नियमों के अन्तर्गत 8 अप्रेल, 1955 से 31 जनवरी, 1973 तक 10.29 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। वितरित राशि में से रु. 3.39 करोड़ उक्त तारीख तक वसूल हो गया है। तारीख 1 फरवरी, 1973 को रुपये 23,41,985.30 चढ़ी हुई किश्तों के बकाया थे। डिफाल्टर्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इस राशि के अलावा निगम ने "राजस्थान स्टेट एड टू इण्डस्ट्रीज लोन्स रूल्स, 1963" के अन्तर्गत 65.84 लाख रुपये औद्योगिक संस्थानों को राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में राज्य सरकार की गारन्टी पर वितरित किया है। इसमें से चढी हुई किश्तों की बकाया रकम रु. 3,90,925.36 है। डिफाल्टर्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। तारीख 31-1-73 तक वित्त निगम के अन्तर्गत दिये गये ऋणी संस्थानों में से 37 संस्थान डिफाल्टर हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) साधारणतया वित्त निगम द्वारा डिफाल्टर्स को ऋण नहीं दिया जाता है।

Page No 134

(134)

(उद्योग मंत्री)
यदि डिफाल्ट किसी विशेष परिस्थिति के कारण हुआ है जिससे उद्योगकर्त्ता की बद्दयानती अथवा उद्योग के प्रबन्ध में अकुशलता नहीं प्रभावित होती और यदि निगम को यह संतोष हो जाय कि उद्योग-कर्त्ता द्वारा डिफाल्ट ऐसे कारणों से हुआ है जिसका दायित्व स्वयं का नहीं है और यदि ऐसे उद्योगकर्त्ता को वित्तीय सहायता मिलने से उद्योग में गति आ सकती है तो निगम ऐसे उद्योगकर्त्ताओं को जनहित (पब्लिक इन्ट्रेस्ट) में वित्तीय सहायता देती है।

डिफाल्टर्स की सूची

(निगम के नियमों के अधीन दिये गये ऋण)

1 मैसर्स हेमराज उद्योग, जयपुर
2 ,, भारतदूत प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर
3 ,, नव कल्याण चीनी मिट्टी उद्योग, उदयपुर
4 ,, प्रतापगढ़ चीनी मिट्टी वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि., उदयपुर
5 ,, प्रमोद आयल मिल्स, निम्बाहेड़ा
6 ,, राजस्थान सिलीकेट एण्ड ग्लास इण्डस्ट्रीज, जयपुर
7 ,, न्यू एज आईस फैक्ट्री, जयपुर
8 ,, पदमचन्द विनयचन्द, जयपुर
9 ,, सीकर होटल, सीकर
10 ,, कोटा टाइल्स, कोटा
11 ,, कृष्णा वायर इण्डस्ट्रीज, जयपुर
12 ,, जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज लि., जयपुर
13 ,, मान इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि., जयपुर
14 ,, जयपुर उोद्यग लि., सवाईमाधोपुर
15 ,, स्वदेशी फैल्ट मैन्यूफैक्चरर्स, जयपुर
16 ,, श्रीगणेश स्पिनिंग मिल्स, भीलवाड़ा
17 श्री रमनलाल शाह, पुंजपुर (डूंगरपुर)
18 श्री रवीदत्त शर्मा, जयपुर
19 मैसर्स गोल्डन गोबलेट डिस्टीलरी, सवाईमाधोपुर
20 ,, महालक्ष्मी मिल्स कं. लि., ब्यावर
21 ,, इमरत ग्रू इण्डस्ट्रीज, जयपुर
22 ,, ओरियन्टल पावर केबल्स लि., कोटा
23 ,, हाइ हार्वेस्ट डिस्क्स (इंडिया), जयपुर
24 ,, करणसिंह, वंशी बिरहना (भरतपुर)

25 मैसर्स राजस्थान मिरर मैन्यूफैक्चरिंग कं., जयपुर
26 ,, गुप्ता प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, निवाई
27 ,, राजस्थान सिन्थेटिक्स इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर
28 ,, लक्ष्मी मशीन टूल्स, जयपुर
29 ,, नालन्दा इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
30 ,, इलेक्ट्रा, जयपुर
31 ,, प्रसिन्स पाइप्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स (प्रा.) लि., जयपुर
32 ,, कमल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, जयपुर
33 ,, श्री भगवती री-रोलिंग मिल्स, बूंदी
34 ,, साहू मिनरल्स एण्ड प्रोपर्टीज लि. किशनगढ़
35 ,, एस. आर. मिनरल इण्डस्ट्रीज, जयपुर
36 ,, गौतम प्रोडक्ट्स, जयपुर
37 ,, गंगानगर वेजिटेबल आयल मिल्स, श्रीगंगानगर

डिफाल्टर्स की सूची

(राजस्थान स्टेट एण्ड टू इण्डस्ट्रीज (लोन्स) रूल्स, 1963 के अधीन दिये गये ऋण)

1 मैसर्स किशनगढ़ गोटा बादला इण्डस्ट्रीज, किशनगढ़
2 ,, कश्मीर फुट प्रोडक्ट्स कं., इण्डिया, श्रीगंगानगर
3 ,, बोंदार मार्बल स्टोन इण्डस्ट्रीज, चित्तौड़गढ़
4 ,, अम्बिका सिलिकेट एण्ड केमीकल वर्क्स, सीकर
5 ,, किशनलाल गुप्ता एण्ड कं., जयपुर
6 ,, भंवरलाल गुप्ता एण्ड कं., जयपुर
7 ,, विष्णु होजरी फैक्टरी, जयपुर
8 ,, चांद होजरी नीटिंग वर्क्स, जयपुर
9 ,, जे. पी. बन्का केमिकल्स, झुन्झुनूं
10 ,, जमीदार कृषी कल कारखाना, भरतपुर
11 ,, कोठारी इण्डस्ट्रीज लाडनूं
12 ,, उपाध्याय कुटीर उद्योग, सवाईमाधोपुर
13 ,, अमर इण्डस्ट्रीज, जयपुर
14 ,, दी वेस्ट मकराना स्टोन सप्लाई कं., नागौर
15 ,, वेंकटेश्वर हनुमान चिप्स फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़
16 ,, सरस्वती सेफ्टी फायर वर्क्स, भरतपुर
17 ,, खंडेलवाल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर

(136)

18 मैसर्स निर्मेश ट्रंक इण्डस्ट्रीज, कामन
19 ,, स्वास्तिक इलेक्ट्रिक कं., भीलवाड़ा
20 ,, ब्रीजलाल थिरानी एण्ड कं., केशरीसिंहपुर
21 ,, रमेश भारत फर्नीचर एण्ड जेम इण्डस्ट्रीज, हालेना
22 ,, सुभाष प्लास्टिक एण्ड रबर इण्डस्ट्रीज, बांसवाड़ा
23 ,, जैन प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, बांसवाड़ा
24 , बर्की इन्जीनिरिंग वर्क्स, जोधपुर
25 ,, एम. पी. इण्डस्ट्रीज, जयपुर
26 ,, किशनलाल केवलकिशोर, जयपुर
27 ,, चिन्मय किरन आर्ट प्रिन्टर्स, जयपुर
28 ,, प्रकाश प्लास्टिक एण्ड लेदर इण्डस्ट्रीज, बांसवाड़ा
29 ,, श्री किरन इण्डस्ट्रीज, जयपुर
30 ,, मनजीत इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
31 ,, हरख सोप फैक्ट्री, बांसवाड़ा
32 ,, बी. एम. मेटल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
33 ,, एम. एम. इण्डस्ट्रीज, जयपुर
34 ,, सुनीता टैक्सटाईल, किशनगढ़
35 ,, नेशनल स्टोन ट्रेडर्स, जयपुर
36 ,, विकास इन्जीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर
37 ,, स्टील एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स, जयपुर
38 ,, अम्बिका सिलीकेट एण्ड केमीकल वर्क्स, सीकर
39 ,, लोढ़ा आइरन इण्डस्ट्रीज, ब्यावर
40 ,, चांद सोप फैक्ट्री, जयपुर
41 ,, कमल इण्डस्ट्रीज, जयपुर
42 ,, विनोदिया आईस एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, जयपुर
43 ,, जन श्रीगनेश प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर
44 ,, राजस्थान ट्रंक आयरन वर्क्स, भादरा
45 ,, जी. एस. आयरन फाउन्ड्री एण्ड मेटल वर्क्स, भरतपुर
46 ,, राजस्थान केमिकल एण्ड ग्लास वर्क्स, जयपुर
47 ,, श्री होजरी, जयपुर
48 ,, अंजनी आयल मिल्स, जयपुर
49 ,, मथुरा आरा इण्डस्ट्रीज, करनसर
50 ,, अरुन इण्डस्ट्रीज, जयपुर

टाट पट्टियों की खरीद

326. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शिक्षा निरीक्षक ने खादी बोर्ड, बीकानेर शाखा से 1971-72 में 60 हजार रुपये की टाट पट्टियां खरीदीं ?

(2) क्या यह सही है कि इन टाट पट्टियों का बिल साठ हजार के बजाय 72 हजार का बनवा कर ट्रेजरी से 72 हजार का पेमेंट कराया गया ? यदि हां, तो सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 में विद्यालय निरीक्षक, बीकानेर द्वारा रुपया 88,344.60 की दरी पट्टियां खादी बोर्ड, बीकानेर शाखा से खरीदी की गई थी।

(2) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

अभावग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

328. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभाव के दौरान देहाती क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक हालत कमजोर हो जाती है तथा खेती एवं पशुपालन पर आधारित जीविका होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के कम से कम उच्च माध्यमिक एवं कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अभाव के दौरान आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है।

(2) इस समय कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति

329. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी रोस्टर प्रणाली लागू की है ? यदि हां, तो कितने कितने प्रतिशत से ?

(2) भारत सरकार ने यह रोस्टर प्रणाली किन किन श्रेणी तक के पदों पर कायम की है तथा कितने प्वॉइन्ट तक और किन किन प्वाइन्ट्स पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति का उल्लेख है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार भी केन्द्रीय सरकार की भांति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर रोस्टर प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

(4) राजस्थान सरकार पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर इस वर्ग के कर्मचारियों को कितना कितना प्रतिशत कायम करने का विचार रखती है ? क्या जब से सीधी भर्ती वाले पदों पर रोस्टर लागू किया है तब से ही पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी रोस्टर प्रणाली कायम करने पर विचार किया जावेगा ?

उत्तर

(1) हां यह सही है। अनुसूचित जाति के लिए यह प्रतिशत 15 और अनुसूचित जन जाति के लिए 7½ प्रतिशत है।

(2) यह रोस्टर प्रणाली द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों पर लागू की गई है। इसके लिए 40 पॉइन्ट्स का रोस्टर काम में लिया गया है। पॉइन्ट्स 1 4,8,14,17,22,28,31 और 36 पर अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति का उल्लेख है।

(3) जी हां। निकट भविष्य में जारी किये जाने की सम्भावना है।

(4) पदोन्नति सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

भारत सरकार से कृषि विकास कार्यक्रम के लिये प्राप्त राशि

330. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में भारत सरकार से राज्य सरकार को कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि मिली ? कृपया प्रति वर्ष का ब्यौरा दें।

(2) क्या उक्त सारी राशि कृषि विकास कार्यक्रम में खर्च की गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ? क्या किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण खर्च नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

हल्दी घाटी

331. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देश के इतिहास में हल्दी घाटी का महत्वपूर्ण स्थान है ?

(2) क्या यह सही है कि आजादी प्राप्त करने के कई वर्षों पूर्व से हल्दी घाटी के प्रांगण में वार्षिक मेले का नियमित आयोजन होता रहा है ? यदि हां, तो उसका आयोजन कौन करता था ?

(3) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि हल्दी घाटी के ऐतिहासिक

Page No 139

(139)

(श्री मनोहर कोठारी)
ये राष्ट्रीय गौरव को बनाये रखने के लिए बड़े पैमाने पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाना चाहिये जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि किसी समिचीन स्मारक के अभाव में देश विदेश के यात्रियों और सैलानियों को वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उसके लिए राज्य सरकार कोई प्रबन्ध करना चाहती है या नहीं ?

(5) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में आपको व राज्य सरकार को निवेदन भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आजादी के पूर्व से प्रताप सभा, उदयपुर मेले का आयोजन करती रही।

(3) राज्य सरकार का भी यही मत है पर आर्थिक कारणों से बड़े पैमाने पर यह अभी सम्भव नहीं है।

(4) हल्दी घाटी में पर्यटकों के आकर्षण के लिए प्रावधान करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(5) जी हां। इस संबंध में विचार किया जा रहा है।

रसायन खाद का वितरण

332. श्रीमती निर्मलाकुमारी (चितौड़गढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान सरकार क्रय-विक्रय संघ के माध्यम से किन किन जिलों को कितना कितना रसायन खाद का वितरण करती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सभी जिलों में रसायन खाद की जो कमी है, उस को दूर करने के लिये निकट भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से रसायनिक खाद की मांग व उपलब्धि के अनुसार राज्य के प्रायः सभी जिलों में खाद का वितरण करती है। वर्ष 1972-73 में (15 फरवरी, 73 तक) विभिन्न खादों की वितरण की गई मात्रा अंकित करते हुये जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) भारत सरकार से राज्य की मांग के अनुसार सेन्ट्रल पूल से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का तथा श्रीराम यूरिया का, राज्य में उपयोग हेतु कोटा बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

Page No 140

(140)

(पोषक तत्व—मैट्रिक टन में)

वर्ष 1972-73 में 15 फरवरी, 73 तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की वितरण तालिका

क्र. सं.	सोसाईटी का नाम	यूरिया	सी.ए. एन.	इफको II	इफको III
1.	अजमेर	139	23	—	—
2.	सवाई माधोपुर	349	—	—	—
3.	कोटा	4460	—	874	2692
4.	बूंदी	2395	—	320	826
5.	झालावाड़	79.5	—	—	—
6.	टोंक	40	24	—	—
7.	भीलवाड़ा	668.5	72	610	75
8.	चित्तौड़गढ़	964	—	1300	395
9.	जयपुर	718.5	259	105	30
10.	सीकर	30	24	—	—
11.	झुंझुनू	—	—	—	—
12.	भरतपुर	71	207	—	—
13.	अलवर	855	240	—	—
14.	श्री गंगानगर	4151	48	1525	—
15.	जोधपुर	410	48	135	45
16.	पाली	199	72	180	43
17.	सिरोही	130	—	—	—
18.	जालोर	10	—	—	—
19.	नागौर	70	24	—	—
20.	बाड़मेर	32	24	—	—
21.	उदयपुर	595	24	48	88
22.	डूंगरपुर	10	—	—	—
	योग	16585.5	1089	5157	4216

जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए घोषणाएं

333. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा समय समय पर कुछ घोषणाएं की गई हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी ?

(2) क्या इन घोषणाओं में एक यह घोषणा भी है कि राज्य सरकार नये उद्योगों को केन्द्रीय कर की राशि 7 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो अब तक कितने उद्योगों को इस प्रकार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया ?

(3) क्या नये उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार ने विद्युत् में किसी प्रकार की रियायत प्रदान की है ?

उत्तर

(1) जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है।

(2) जी हां। अब तक इस सुविधा के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

(3) जी हां।

किसानों के खिलाफ झूठे मुकद्दमें

335. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बानसूर (जिला अलवर) में तारीख 4-1-73 को किसानों की ओर से ग्राम सभा की गई और उसमें किसानों के खिलाफ झूठे मुकद्दमें दायर करके वारन्ट जारी कराने की शिकायत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सभा के दूसरे दिन किसानों के नेता बानसूर में अलवर कलेक्टर से मिले और किसानों के खिलाफ झूठे वारन्ट जारी कराने की शिकायत की ओर श्री शंकर अहीर, बानसूर की दरख्वास्त पेश की ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दरख्वास्त पर अलवर कलेक्टर ने बानसूर के थानेदार पुलिस को गलत वारन्टों की जांच की आज्ञा दी और वारन्ट की तामील रोक दी गई ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार गलत वारन्ट से किसानों को बचाने के लिये कलेक्टर को हिदायत करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम सभा हुई जिसमें शिकायत का प्रस्ताव पास हुआ।

(2) जी हां।

(3) जी हां, जिलाधीश ने जांच के आदेश दिए।

(गृह मंत्री)

(4) यह न्यायालय की परिधि का मामला है। जिसके बारे में सरकार हिदायत नहीं कर सकती।

परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र देने का समय

336. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को संबधित प्रमाण-पत्र देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो क्या निर्धारित समय में प्रमाण-पत्र दे दिये जाते हैं?

(2) क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 1971 की सैकण्ड्री और वर्ष 1972 की हायर सैकण्ड्री की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र दे दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने इस विलम्ब के कारणों और उससे होने वाली छात्रों की असुविधाओं पर गंभीरता से विचार किया है?

उत्तर

(1) कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रखी है।

(2) सन् 1971 के प्रमाण-पत्र स्वयंपाठी छात्रों व स्कूलों को भिजवाये जा रहे हैं। अब तक करीब 40,000 प्रमाण-पत्र भिजवाये जा चुके हैं और शेष 37,000 सम्भवतया माह मार्च, 1973 के अन्त तक भेज दिये जावेंगे।

सन् 1972 के प्रमाण-पत्रों का लेखन कार्य शुरू हो गया है और आशा की जाती है कि सितम्बर, 1973 तक इन्हें भी भिजवा दिया जावेगा।

उद्योगों को इम्पोर्ट लाइसेन्स

337. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के उद्योग हेतु 1971-72 व 72-73 में कितने व किस किस माल के इम्पोर्ट लाईसेन्सेज किन किन उद्योगों को जारी किये गये?

(2) उक्त लाईसेन्सेज के द्वारा किस किस उद्योग ने क्या क्या कच्चा माल कब कब व किस किस मात्रा में प्राप्त किया?

(3) क्या उक्त आयातित माल का संबंधित उद्योगों ने वांछित उपयोग किया?

(स्थगित किया गया)

तहसील सांचोर के अभावग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

338. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांकड़ एवं अन्य आस पास के गांवों में पीने के पानी के लिये नलकूप सांकड़ द्वारा पानी सप्लाई किया जाता रहा है? अगर हां, तो कब से?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष भी उपरोक्त गांवों में अकाल की स्थिति विद्यमान है एवं पीने के पानी का बड़ा भारी संकट है ? अगर हां, तो उपरोक्त नलकूप से पीने का पानी सहायता विभाग द्वारा अब तक क्यों नहीं चालू करवाया गया है जब कि ग्रामवासियों द्वारा नलकूप चालू करवाने की मांग काफी समय से की जा रही है ?

(3) उपरोक्त नलकूप से पीने का पानी कब तक चालू करवा दिया जावेगा? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(4) तहसील सांचोर के और कौन कौन से ग्रामों में अभावग्रस्त स्थिति के कारण पीने के पानी का संकट है ? वहां पर सरकार द्वारा पीने के पानी की क्या व्यवस्था की जावेगी एवं ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गत वर्षों में अभाव की स्थिति के दौरान सम्वत् 2025-26 एवं 2028 में नल कूप सांकड़ से आस पास के ग्रामों को पेय जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी।

(2) इस वर्ष सांकड़ व आस पास के ग्रामों में अभाव की स्थिति है परन्तु नलकूप सांकड़ को अब गत वर्ष माह अगस्त में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को स्थानान्तरित करने के आदेश हो चुके हैं। अतः इस नलकूप को चालू करने की जिम्मेदारी अब जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की है।

(3) इसका सम्बन्ध जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से है।

(4) फिलहाल अभाव की स्थिति के कारण पीने के पानी का संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। परन्तु पीने के पानी का संकट जहां भी उत्पन्न होगा उसके लिये सरकार वहां की परिस्थितियों को देखते हुये समुचित व्यवस्था करेगी। जहां जल परिवहन की आवश्यकता होगी वहां जल परिवहन किया जावेगा।

झालरापाटन के विद्यार्थियों के लिये बस की सुविधा

339. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन शहर में कॉलेज और हायर सेकेन्डरी स्कूल न होने से लगभग 200-300 छात्र छात्रायें पढ़ने साइकिलों आदि से झालावाड़ रोजाना आते जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई बस उनके लाने ले जाने के लिये उपलब्ध नहीं है इस कारण कई बार रास्ते में एक्सीडेन्ट हो गए हैं व 1-2 छात्रों की मृत्यु भी हो गई थी ?

(3) क्या सरकार छोटे बच्चों व छात्राओं को सुविधायें देने के लिए बस चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) शिक्षा विभाग द्वारा कोई बस का प्रबन्ध नही है। गत वर्ष एक छात्र का एक्सीडेन्ट हो जाना पाया जाता है।

(3) आगामी वर्ष बसें आवन्टित करते समय गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

सस्ते गल्ले की दुकानें

340. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना तहसील में किस किस गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें कब कब से खोली गयी और इनका कार्य किस किस को दिया गया है?

(2) इन दुकानों में सितम्बर, 1972 से लेकर अब तक कितना कितना किस किस प्रकार का अनाज दिया गया है?

(3) अनाज की वितरण व्यवस्था किस प्रकार की गई है?

(4) जिन गांवों मे ऐसी दुकानें नहीं हैं उनमें अनाज वितरण की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) तालिका सदन को मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) आवन्टित खाद्यान्न का वितरण 1971 की जन संख्या को आधार मान-कर राशन कार्डों पर सामान अनुपात में किया जाता है।

(4) जहां पर दुकानें नहीं खोली गई हैं वहां खाद्यान्न का वितरण निकट-तम क्षेत्र की दूकान के माध्यम से कराए जाने हेतु प्रबन्ध किया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन

341. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी, व कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम में तथा उसके लिए निर्धारित समय (वर्षों) में परिवर्तन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है अथवा कोई निर्णय ले लिए गए हैं? यदि हां, तो कृपया विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(2) यह परिवर्तन कब से लागू किया जायेगा?

उत्तर

(1) शिक्षा आयोग की सिफारिश है कि वर्तमान पाठ्य क्रम 10 वर्ष सैकेण्डरी, एक वर्ष हायर सैकेण्डरी व 3 वर्ष ग्रेज्युशन को बढ़ाकर 10 वर्ष सैकेण्डरी के लिए 2 वर्ष हायर सैकेण्डरी

(शिक्षा मन्त्री)

व 3 वर्ष ग्रेज्यूएशन के लिए कर दिया जाय। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

(2) अभी यह मामला विचाराधीन है। इस योजना की क्रियान्विति केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पर भी निर्भर है।

करौली के राज महलों में चोरी

342. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गत जुलाई-अगस्त में करौली (जिला सवाई माधोपुर) के राज महलों में हुई चोरी के सिलसिले में पकड़े गए व्यक्तियों से प्राप्त हथियारों तथा उनके बयानों से यह जानकारी मिली है कि इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोग डाकुओं को हथियार बेचा करते हैं?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस ने उक्त मामले की अधिक जांच नहीं करके दबाने की कोशिश की है?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मामले में पुलिस को कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने प्रभावों से दबाया?

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर:

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, मामले की पूर्ण तफतीश की जाकर सम्बन्धित मुलजिमानों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

तहसील खानपुर के लिये शक्कर का कोटा

343. श्री गौरीशंकर (खानपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

माह नवम्बर सन् 1972 की शक्कर का कोटा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ को क्यों नहीं दिया गया जबकि जनता को माह दिसम्बर, सन् 1972 व जनवरी, सन् 1973 की शक्कर का वितरण हो चुका है?

उत्तर:

तहसील खानपुर में माह नवम्बर की चीनी का वितरण माह दिसम्बर में कराया जा चुका है।

आजीवन कैद प्राप्त कैदियों को सुविधा

344. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आजीवन कैद प्राप्त या एक वर्ष से ऊपर कैद पाने वाले कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री लूणाराम)

(2) क्या यह सही है कि आजीवन कैद प्राप्त कैदी को या एक वर्ष से ऊपर कैद पाने वाले को अपनी पत्नि या पति से एकान्त में नहीं मिलने दिया जाता? यदि हां, तो क्या उनकी इस मनोवृत्ति से समाज में चारित्रिक पतन नहीं होता है?

(3) अगर चारित्रिक पतन होता है तो फिर उनको यह सुविधा साल में कितनी मर्तबा दी जाती है?

(4) यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक यह सुविधा उपलब्ध करादी जावेगी?

उत्तर

(1) बंदी अपराध करने के साथ ही अपने कुछ मौलिक अधिकारों को स्वयं समाप्त कर देता है।

(2) जेल नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कारागृह के किसी बंदी को उसके पति / पत्नि से कारागृह में एकान्त में मिलने दिया जावे।

(3) वर्तमान जेल नियमों के अनुसार इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) नहीं।

सूरतगढ़ का वाटर वर्क्स

345. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) क्या जन-स्वस्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ़ के वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था?

(2) सूरतगढ़ वाटर वर्क्स निर्माण कार्य में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (आर. सी. पी.) द्वारा कितनी राशि दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ वाटर वर्क्स का रिजर्वेयर तथा स्टोरेज वाटर टैंक्स क्रेक हो गये थे? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार था?

(4) क्या यह सही है कि इस वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई करने में आवश्यकता से अधिक देर हो रही है?

उत्तर

(1) अक्टूबर, 1967 में कार्य प्रारम्भ किया गया।

(2) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट द्वारा कोई राशि नहीं दी गई।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, इनलेट चैनल के घग्घर की बाढ़ में बह जाने, बिजली कनेक्शन के मिलने में विलम्ब, सिंचाई विभाग से जल प्राप्त करने की कठिनाई, आदि कारणों से योजना पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण की सुविधा

346. श्री शंकरलाल (पाली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये सहकारी समिति

(श्री शंकरलाल)

बनाकर प्रत्येक सदस्य स्वयं के एक सौ रुपये और समाज कल्याण विभाग से तीन सौ रुपये अनुदान के रूप में लेकर कुल चार सौ रुपये की शेयर मनी के द्वारा ऋण प्राप्त करने की प्रणाली के द्वारा राजस्थान के किन किन जिलों में कितने कितने सदस्यों की कितनी सहकारी समितियों के सदस्यों को कितना-कितना अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिलेवार इस प्रकार आवंटित धनराशि का क्या आधार रखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार पर्याप्त धनराशि न दे सकने के कारण कई सहकारी समितियों को ऋण नहीं मिल पाया ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) हिस्सा पूंजी के लिये अनुदान की राशि का जिलेवार आवंटन नहीं किया जाता है। दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् ही समितियों को 300) रु. प्रति सदस्य की दर से हिस्सा पूंजी के लिये अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छबड़ा व छीपाबड़ोद में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली

347. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रजत जयंती वर्ष में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतिकरण करने का कार्यक्रम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो छबड़ा व छीपाबड़ोद कस्बों में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं और उनके मोहल्लों के विद्युतिकरण किये जाने हेतु कितने खम्भे इन कस्बों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये है ?

(स्थगित किया गया)

अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

348. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1972 में किन किन ग्रामों में अग्नि दुर्घटनाएं हुई तथा किस किस व्यक्ति का कितना कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों में से किन किन को कितनी कितनी सहायता दी गई ?

(श्री सुरेशचन्द्र)

(3) क्या यह सही है कि कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में हुई अग्नि दुर्घटना से पीड़ित एक भी व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले की गृह निर्माण समितियां

349. श्री रावतराम (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में अब तक अनुसूचित जाति की कितनी गृह निर्माण समितियां बनी हैं ? ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें।

(2) कितनी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है तथा किन किन समितियों को भवन बनाने के लिए कर्जा मिल चुका है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित समस्त 8 सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जिन सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है उनका नाम सूची में दर्शा दिया गया है।

चूरू जिले में गृह निर्माण हेतु ऋण प्राप्ति के लिये अनुसूचित जाति की निर्मित सहकारी समितियों की सूची

क्र. सं.	नाम समिति मय पते के	नाम समिति जिसे ऋण स्वीकृत कर दिया
1	2	3
1.	भवन निर्माण सहकारी समिति लि. वार्ड नं. 6, चूरू	हां
2.	आदर्श भवन निर्माण सहकारी समिति लि, वार्ड नं. 6 (बी.), चूरू	—
3.	दरिबा गृह निर्माण सहकारी समिति, चूरू	—
4.	बीजां गृह निर्माण सहकारी समिति, चूरू	—
5.	सिंधी भवन निर्माण सहकारी समिति, डूंगरगढ़	—
6.	सालासर गृह निर्माण सहकारी समिति, सालासर	हां
7.	लाभरखेड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति, लाभरखेड़ी	हां
8.	साकरथल गृह निर्माण सहकारी समिति, साकरथल	हां

कृषि उपज मण्डियों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व

350. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डियों में हरिजन प्रतिनिधि चुन कर नहीं आ सकते हैं? यदि हां, तो उनको सरकार द्वारा नामजद करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) इस समय किन किन कृषि उपज मण्डी समितियों में हरिजन प्रतिनिधि चुन कर आये हैं ? कृपया नाम बतायें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कृषि उपज मण्डियों में कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सहकारी संस्था तथा स्थानीय संस्था से प्रतिनिधि के रूप में हरिजनों के चुने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन संस्थाओं में वर्ग विशेष के आधार पर सदस्य नामजद करने का कानून में प्रावधान नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) कृषि उपज मण्डियों में केवल कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय संस्थाओं के ही प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, हरिजन प्रतिनिधि के रूप में नहीं।

परिशिष्ट 2

(स्थगित प्रश्न संख्या 75 की सूची)

आवश्यक (आज ही जारी हो)

पत्रांक एफ 1 (1) सं. आ /खरीफ/72-73/9327-57

राजस्थान सरकार, सहायता आयुक्त कार्यालय, जयपुर

दिनांक 13 फरवरी, 73।

वास्ते,
समस्त जिलाधीश

विषय:—सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग एवं वन विभाग के अभिकरण से चल रहे राहत कार्यों पर सामग्री व्यय की सीमा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के वितन्तु सन्देश क्रमांक 897-921 दिनांक 6-1-73 के क्रम में आकृष्ट कर निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित जिलों में, उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अभिकरण से सम्पादित किये जाने वाले राहत कार्यों पर, सामग्री व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:—

सार्वजनिक निर्माण विभाग			सिंचाई विभाग		
क्र.सं. 1	नाम जिला 2	सामग्री व्यय प्रतिशत जो स्वीकृत किया गया 3	क्र.सं.	नाम जिला 4	सामग्री व्यय प्रतिशत जो स्वीकृत किया गया 5
1.	गंगानगर	50 प्रतिशत	1.	बाड़मेर	35 प्रतिशत
2.	बाड़मेर		2.	जालौर	
3.	चूरू		3.	जोधपुर	
4.	जैसलमेर		4.	कोटा	
5.	जोधपुर		5.	बून्दी	
6.	बीकानेर		6.	झालावाड़	
			7.	सीकर	
			8.	जयपुर	

1	2	3	4	6
7.	नागौर			
8.	झुंझुनूं	45 प्रतिशत		
9.	जालौर		9. जैसलमेर	
			10. टोंक	40 प्रतिशत
10.	अजमेर		11. झुन्झुनूं	
11.	बांसवाड़ा			
12.	चित्तौड़		12. नागौर	
13.	झालावाड़		13. भीलवाड़ा	
14.	सिरोही		14. डूंगरपुर	
15.	उदयपुर		15. चित्तौड़गढ़	50 प्रतिशत
16.	भीलवाड़ा		16. बांसवाड़ा	
17.	बून्दी	35 प्रतिशत	17. सवाई माधोपुर	
18.	डूंगरपुर		18. उदयपुर	
19.	जयपुर			
20.	कोटा			
21.	पाली			
22.	सवाई माधोपुर			
23.	सीकर			
24.	टोंक			

इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण एवं वन रोपण कार्यों के सम्बन्ध में प्रासंगिक वितन्तु सन्देश द्वारा सूचित 20 प्रतिशत सामग्री व्यय सीमा ही लागू रहेगी। अतः तदनुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री व्यय पर खर्चा नहीं किया जावे।

भवदीय,

सज्जन नाथ मोदी

अतिरिक्त सहायता आयुक्त एवं उप शासन सचिव

पत्रांक:—एफ 1 (1) सं. प्रा./खरीफ/72-73/9327-57

दिनांक 13 फरवरी, 73

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(3) मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
(4) निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(5) अतिरिक्त निदेशक, भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जोधपुर।

सज्जन नाथ मोदी

अतिरिक्त सहायता आयुक्त एवं उप शासन सचिव

(152)

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

राजस्थान के कारागृहों में समय समय पर किये गये सुधारों की सूची

राजस्थान में राज्य के निर्माण से लेकर अब तक निम्न प्रकार सुधार किये गये हैं:—

(1) बंदियों को कारावास कालीन अवकाश की सुविधा।

(2) बंदियों के खुले शिविरों की स्थापना।

(3) बंदियों के अच्छे आचरण के उपलक्ष में समय से पूर्व रिहाई की सुविधा।

(4) बंदियों में शिक्षा का प्रसार जिसमें उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है।

(5) बाल सुधार गृह एवं महिला सुधार गृह की स्थापना।

(6) बंदियों से कारागृह में लिए जाने वाले कार्यों में फर्नीचर बनाना, सिलाई शिक्षा आदि नए उद्योगों का विस्तार।

(7) कारागृहों में बंदी पंचायतों की स्थापना।

(8) समस्त सेवा की भावना बंदियों में जागृत करना।

(9) कारावास समय में बंदियों की घरेलू समस्या के समाधान हेतु समाज कल्याण अधिकारियों की कारागृहों पर व्यवस्था।

(10) बाल बंदियों एवं महिला बंदियों को कारागृह से मुक्ति पाने के पश्चात् उनके भावी जीवन के लिए लाभकारी कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था।

Page No 153

(153)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उद्योगों की जिलेवार एवं स्थान-वार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम उद्योग केन्द्र, मय स्थान जहां पर चल रहा है
1.	बांसवाड़ा	1. सिलाई उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा
		2. „ कुशलगढ़
2.	डूंगरपुर	1. „ सागवाड़ा
3.	कोटा	1. „ कोटा
4.	जयपुर	1. „ जयपुर
5.	टोंक	1. „ टोंक
6.	सीकर	1. „ सीकर
7.	भरतपुर	1. „ नदबई
8.	उदयपुर	1. „ उदयपुर
9.	पाली	1. „ पाली
10.	जालोर	1. „ जालोर
11.	बाड़मेर	1. „ बाड़मेर
12.	चूरू	1. „ सुजानगढ़
13.	अजमेर	1. „ किशनगढ़
14.	नागोर	1. काष्ट कला प्रशिक्षण केन्द्र, लाडनूं
15.	बीकानेर	1. चर्मोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

मितव्ययता का संक्षिप्त विवरण

विवरण	मितव्ययता जिस सीमा तक की जानी थी	मितव्ययता की गई
1. कृषि विभाग	21.56	14.41
2. पशुपालन विभाग	8.50	8.25
3. भेड़ एवं ऊन विभाग	3.17	3.10
4. सहकारिता विभाग	8.05	8.05
5. उद्योग विभाग	1.86	1.17
6. खान विभाग	3.50	3.04
7. समाज कल्याण विभाग	11.97	3.64
8. शिक्षा विभाग	8.02	4.79
9. भू-मापन विभाग	4.47	4.47
10. देवस्थान विभाग	1.90	1.90
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग	6.56	6.35
12. श्रम एवं नियोजन विभाग	4.60	4.36
13. राजकीय उपक्रम विभाग	6.70	0.80
14. विकास विभाग	11.35	11.20
15. सार्वजनिक निर्माण विभाग	12.23	12.23
16. सिंचाई विभाग	15.00	15.00
17. उपनिवेशन विभाग	1.40	1.40
18. मुख्य लेखाधिकारी विभाग (कोषागार)	0.40	0.40
योग :	134.24	104.56

(155)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जो वर्तमान में चालू है

	शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय	प्रवेश स्थिति
1.	भरतपुर	145
2.	कोटा	145
3.	बीकानेर	145
4.	गोनेर (जयपुर)	145
5.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	145
6.	मसूदा (अजमेर)	145
7.	बेदला (उदयपुर)	145
8.	विद्याशाला, जोधपुर	145
9.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	135
10.	महिला, बीकानेर	137
11.	महिला, जोधपुर	153
12.	महिला, जयपुर	95
13.	महिला, अलवर	119
14.	महिला, उदयपुर	122
15.	महिला, बून्दी	101

आपत्कालीन अल्पावधि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जो जनवरी, 1973 से प्रारम्भ किये गये

16.	चूरू	200
17.	जैसलमेर	225
18.	बगड़ी सज्जनपुर	225
19.	डूंगरपुर	200
20.	फलौदी	225
21.	कुचामन सिटी	225
22.	आबू पर्वत	225
23.	जसवन्तपुरा (जालौर)	225

सूची संख्या 2

(ग) वर्ष 1960 से 1972-73 तक की शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थिति

	जिला	विद्यालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	जोधपुर	(1) फलोदी	आपत्कालीन शि. प्र. वि.
		(2) विद्याशाला, जोधपुर	चालू है
		(3) महिला	चालू है
2.	सिरोही	(4) शिवगंज	सत्र 69-70 में बन्द
		(5) आबू पर्वत	आपत्कालीन शि. प्र. वि.
3.	जालोर	(6) जसवन्तपुरा	,, ,, ,,
4.	नागौर	(7) कुचामन सिटी	,, ,, ,,
5.	पाली	(8) बगडी सज्जनपुर	,, ,, ,,
6.	बाड़मेर	(9) सिवाना	सत्र 69-70 में बन्द पड़ा है
7.	बीकानेर	(10) पुरुष बीकानेर	चालू है
		(11) महिला बीकानेर	चालू है
8.	चूरू	(12) चूरू	आपत्कालीन शि. प्र. वि.
		(13) सुजानगढ़	69-70 में बन्द
9.	गंगानगर	(14) करणपुर	67-68 में जैसलमेर स्थानान्तरण
10.	उदयपुर	(15) गोवर्धन विलास	चालू है
		(16) देवला	चालू है
		(17) राजसमन्द	69-70 में बन्द
		(18) उदयपुर महिला	चालू है
11.	भीलवाड़ा	(19) शाहपुरा	चालू है
		(20) बदनोर	69-70 में बन्द
12.	चितौड़	(21) कपासन	,, ,, ,,
13.	बांसवाड़ा	(22) परतापुर	,, ,, ,,

1	2	3		4
14.	डूंगरपुर	(23)	डूंगरपुर	आपत्कालीन शि. प्र. वि.
15.	कोटा	(24)	कोटा	चालू है
		(25)	इन्द्रगढ़	69-70 में बन्द
16.	झालावाड़	(26)	झालरापाटन	,, ,, ,,
17.	बूंदी	(27)	बूंदी	,, ,, ,,
		(28)	महिला	चालू है
18.	जयपुर	(29)	सांगानेर	69-70 में बन्द
		(30)	शाहपुरा	,, ,, ,,
		(31)	पावटा	,, ,, ,,
		(32)	अमरसर	,, ,, ,,
		(33)	सामोद	,, ,, ,,
		(34)	महिला	चालू है
		(35)	गोनेर	चालू है
19.	अलवर	(36)	राजगढ़	69-70 में बन्द
		(37)	महिला	चालू है
20.	सवाईमाधोपुर	(38)	करोली	अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र है
		(39)	सवाईमाधोपुर	69-70 में बन्द
21.	टौंक	(40)	टौंक	अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र है
		(41)	उनियारा	69-70 में बन्द
		(42)	डिग्गी	,, ,, ,,
22.	भरतपुर	(43)	भरतपुर	चालू है
		(14)	धौलपुर	69-70 में बन्द
23.	झुन्झुनू	(45)	खेतड़ी	,, ,, ,,
		(46)	बगड़	,, ,, ,,
		(47)	चिरावा	67-68 में बन्द
24.	अजमेर	(48)	मसूदा	चालू है
		(49)	किशनगढ़	67-68 में बन्द
		(50)	ब्यावर	65-66 में बन्द
		(51)	पीसांगन	69-70 में बन्द
25.	जैसलमेर	(52)	जैसलमेर	आपत्कालीन शि. प्र. वि.
26.	सीकर	कोई शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय नहीं था।		

158

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू

क्र. भू-अ/210 दिनांक 31-1-70

निमित:—

प्रधान जी,
पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़।

विषय:—बिग्गा की बागर को बेचने के।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बिग्गा में पड़ी बागर के पूलों के बिक्री करने के लिए 10) रु. क्विन्टल के हिसाब से मुस्तहरी कराई गई लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पूलों को इस दर पर लेने से रजामन्द नहीं है।

अत: आपको इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इन पूलों को कोई इस दर पर लेना चाहे तो इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

ह.
ज. चन्देल
तहसीलदार (लैण्ड रिकार्ड)
श्री डूंगरगढ़।

चूरू।

द्वारा पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़।

विषय:—सरकारी बागर का घास न देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह विदित होने पर कि रेल्वे स्टेशन बिग्गा स्थित पूलों की कड़बी बागर को 10.00 रु. क्विन्टल के भाव से बेची जा रही है। तो मैंने तहसीलदार महोदय को एक प्रार्थना-पत्र पेश किया बिग्गा की बागर 10.00 क्विन्टल के भाव से हमें दी जावे क्योंकि हमारी पंचायत क्षेत्र अकाल में है और वहां के पशुओं के लिए घास देना आवश्यक है उसका कोई प्रत्युत्तर आज तक नहीं मिला है।

अतः आपसे नम्र प्रार्थना है कि कृपया तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ को आदेश देकर पंचायत क्षेत्र सूंडसर को आदेश देकर यह वागर मुझे दिलाई जावे। और कड़वी की जो रेट है वह मैं देने को तैयार हूं।

विनीत

(हनुमाना राम) सरपच

ग्राम पंचायत सूंडसर।

प्रतिलिपि

कार्यालय पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़

क्रमांक 2637 दिनांक 8-5-70

श्री जिलाधीश महोदय,

चूरू।

विषय:—सरकारी वागर का घास न देने के सम्बन्ध में।

सरपंच ग्राम, पंचायत, सूंडसर ने प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसकी प्रति शामिल है, में अंकित है कि रेल्वे स्टेशन बिग्गा स्थित पूलों की वागर पंचायत क्षेत्र सूंडसर के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र का कोई प्रत्युत्तर तहसीलदार ने नहीं दिया जबकि 10) रु. क्विन्टल में सारी वागर का पूला खरीदने के लिए मैं तैयार हूं।

उपरोक्त विषय में तहसीलदार द्वारा क्या उत्तर दिया जाय क्योंकि पूलों की वागर का वहां पर नाम निशान भी नहीं है और उस बागर को तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने जान बूझकर खत्म की है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29-1-70 को तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्रमांक 802-5, दिनांक 20-2-70 को देते हुये उसकी प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही के लिये पठाई गई थी व परगना अधिकारी महोदय को भी दी गई जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं।

यह सारी कार्यवाही तहसीलदार द्वारा इस घास को जान बूझकर साजिश से खत्म करने की, की गई है। यह भी सुना गया है कि पटवारी हलका ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार को अनेकों हो रिपोर्ट भी की बताई पर तहसीलदार ने कोई गौर नहीं किया तब पटवारी हलका ने यह भी सुना जा रहा है कि सब डिवीजनल ऑफिसर, रतनगढ़ को सरकारी सम्पत्ति के खत्म होने के लिये अपना कर्त्तव्य समझकर रिपोर्ट की बतलाई जिस पर सब-डिवीजनल ऑफिसर द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिये पटवारी हलका का जवाब तलब किया गया है। ऐसा सुना जा रहा है पर यह

(160)

तथ्य सही है कि यह सारी हजारों रुपयों की क्षति श्री जगन्नाथ चन्देल तहसीलदार महोदय की महरबानी से हुई है और इसकी जांच होकर दोषी को दण्ड मिलना चाहिये।

ह.

प्रधान,

पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़।

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. आयुक्त महोदय, अकाल सहायता, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दौलतराम जी सारण विधायक, जयपुर।
4. श्री हनुमानराम, सरपंच सूंडसर को भेजकर लेख है कि बागर घास पूली तहसीलदार महोदय की कृपा से खत्म हो चुकी है इसलिए मैं आपको क्या जवाब दूं सूचनार्थ प्रेषित है।

ह.

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़

161

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची)

स्टेट:—राजस्थान कपास का उत्पादन गांठों में (एक गांठ 180 किलोग्राम)

क्र. सं.	जिला	1969-70	1970-71	1971-72
1.	अजमेर	5,748	11,109	19,759
2.	अलवर	10	6	15
3.	भरतपुर	40	63	49
4.	जयपुर	38	33	65
5.	सीकर	1	1	5
6.	झुन्झुनू	1	3	—
7.	सवाईमाधोपुर	17	2	9
8.	श्री गंगानगर	60,164	1,25,106	2,08,591
9.	चूरू	—	1	4
10.	बाड़मेर	10	12	49
11.	जालौर	343	463	1,105
12.	जोधपुर	247	494	873
13.	जैसलमेर	—	1	1
14.	नागौर	242	383	863
15.	पाली	2,422	6,682	15,142
16.	सिरोही	884	1,454	3,654
17.	बूंदी	28	64	104
18.	कोटा	13	36	40
19.	झालावाड़	8,533	14,252	14,341
20.	टौंक	964	975	2 608
21.	बांसवाड़ा	10,576	25,510	43,069
22.	भीलवाड़ा	13,860	20,[illegible]92	42,929
23.	चित्तौड़गढ़	10,902	16,555	21,900
13.	डूंगरपुर	1[illegible]9	685	4,771
25.	उदयपुर	3 301	4.513	13.678
	योग :	1,18 505	2,29 095	3,93,624

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 462 की सूची)

सीमेन्ट ऐजेन्ट्स की सूची—तहसील श्री डूंगरगढ़

क. सं.	नाम एजेन्ट	माल (सीमेंट) सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का नाम	अक्टूबर 72 से जनवरी 73 तक जो मांग भेजी गई	खाना नं. 4 की मांग में प्राप्त सीमेंट	पुराने आर्डरों की सीमेंट 1-10-72 से 31-1-73 तक प्राप्त हुई
1.	मै. जगन्नाथ लादुराम, डूंगरगढ़	जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर	12 गाड़ी (वैगन)	—	8 वैगन 2642 थैले
2.	,, नानूराम मख्खाराम ,,	मुकुल ट्रेडिंग प्राइवेट लि., सवाई-माधोपुर	4 गाड़ी ,,	1 गाड़ी 322 थैला (वैगन)	2 वैगन 718 थैले
3.	,, चांदरतन सीताराम ,,	,,	2 गाड़ी ,,	—	2 गाड़ी 622 थैले (वैगन)
4.	,, गणेश आयरन स्टोर ,,	उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	5 गाड़ी ,,	—	1 गाड़ी 316 थैला (वैगन)
5.	,, हनुमान स्टोर ,,	बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	16 गाड़ी ,,	—	7 गाड़ी 2041 थैले (वैगन)
6.	,, जगन्नाथ हनुमान मल ,,	उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	7 गाड़ी ,,	—	1 वैगन 318 थैले
			46 गाड़ी ,,	1 गाड़ी 322 थैले (वैगन)	21 वैगन 6657 थैले

Page No 163

163

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची)

राज्य में महिलाओं की फरारी के कुल काण्ड	1234
फरारी की घटनाओं को करने में हाथ पाये जाने वाले अपराधियों की संख्या ।	352
मुकदमें जिनका अब तक धारा 366 ता. हि. के अन्तर्गत चालान किया जा चुका है ।	304
मुकदमें जिनमें खारज प्रतिवेदन लगाये जा चुके हैं ।	708

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 1973

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
8	नीचे से	13	दंगे	दंगे
10	ऊपर से	12	हेमचन्द	खेमचन्द
13		शीर्ष	श्री षरसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
19	ऊपर से	15	5से	57 से
27	,,	1	श्री चप्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
29	,,	1	श्री मीहम्मद गफफार अली	श्री मोहम्मद गफ्फार अली
34	,,	6	युव इनीनियरों	युवा इन्जीनियरों
35	,,	1		(श्रीमती कमला बेनीवाल)
37	,,	1		(श्री बरकतुल्ला खां)
43	,,	1	श्री मन्त्री	मन्त्री
45	,,	3	बांघ	बांध
53		शीर्ष	7 लार्च	7 मार्च
66	ऊपर से	9	कृपय परिशिष्ट 7 देखिये	(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)
67	,,	9	मारफत	मार्फत
69	नीचे से	13	रेवदार	रेवदर
78	ऊपर से	7	वरामदगी	बरामदगी
79	,,	1	(राज्यमन्त्री गृह)	(गृह मन्त्री)
81	,,	7	मुकददमों	मुकदमों
85		शीर्ष	7 र्मच	7 मार्च
95	ऊपर से	10	चतरम	चेतराम
114	नीचे से	2	श० ों	शब्दों
118	,,	15	मट	मिट
119	ऊपर से	5	वास्तिवकता	वास्तविकता
123	,,	10	ईडी	फाडी
124	नीचे से	13	अरोप	आरोप
126	ऊपर से	15	श्राउपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष

165

1	2		3	4
131	ऊपर से	6	श्री गमानमल लोढ़ा	श्री गुमानमल लोढ़ा
136	,,	12	श्रीनिरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
163	नीचे से	6	युनिवर्सीटी	यूनिवर्सिटी
173	,,	11	ा हिये	चाहिये
186	ऊपर से	1		(3. 8 म. प.) (श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)
189	ऊपर से	9	निश्चंत	निश्चिंत
189	,,	17	अभारी	आभारी
197	,,	16	श्री मीठालाज	श्री मीठालाल
215	नीचे से	16	श्री उपाध्यक्ष	श्री सभापति
230	ऊपर से	5	कीमशन	कमीशन
262	नीचे से	5	कीगई	की जाती है
277	ऊपर से	4	पत्नि	पत्नी